अष्टम माला, खण्ड 19, अंक 15

बुधवार, 6 अगस्त, 1986
15 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

657
12/6/88

(खण्ड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 19, छठा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 15, बुधवार, 6 अगस्त, 1986/15 श्रावण, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
हिरोशिमा पर गिराये गए पहले परमाणु बम का शिकार हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि	**1**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**2—19**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 286 से 291	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**19—169**
तारांकित प्रश्न संख्या : 285 और 292 से 305	19—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2798 से 2804, 2806 से 2822, 2824 से 2858, 2860 से 2861, 2863 से 2937, 2939 से 2957, 2959 से 2962, 2964 से 2969 और 2971 से 2978	36—169
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	**175**
22वां प्रतिवेदन	
गढ़वा रोड और तोलरा स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी और टाटानगर एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर के बारे में वक्तव्य	**175—176**
लोक लेखा समिति	**176**
53वां प्रतिवेदन	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	**176—177**
5वां प्रतिवेदन	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	**177**
नियम 377 के अधीन मामले	**177—181**
(एक) देश में सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 10+2 पद्धति लागू करने की आवश्यकता	
श्री एम० एल० झिकराम	177—178

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) राजस्थान और हरियाणा को पानी का नियमित और पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए रोपड़, हरिके और फिरोजपुर स्थित हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंपने की आवश्यकता	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	178
(तीन) तमिलनाडु में रानीपेट और उसके आसपास की चर्मशोधनशालाओं से निकलने वाले अवशिष्ट द्रव पदार्थ से होने वाले पेयजल के प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता	
श्री आर० जीवरत्नम्	179
(चार) उत्तर प्रदेश और बिहार में बारम्बार होने वाले बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निवारक उपाय करने का निदेश देने की आवश्यकता	
श्री मदन पाण्डे	179—180
(पांच) देश के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं मंजूर करने की आवश्यकता	
श्री मानकू राम सोढी	180
(छः) कल्याण से बम्बई वी० टी० तक और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता	
श्री एम० जी० घोलप	180—181
(सात) हुगली पर दूसरे पुल का निर्माण यथाशीघ्र पूरा करने की आवश्यकता	
श्री नारायण चौबे	181
(आठ) कर्नाटक के प्रस्तावित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री बी० वेंकटेश	181
देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा (जारी)	181—213
श्री शान्ति धारीवाल	181—182
श्री राम स्वरूप राम	182—184
श्री एस० जयपाल रेड्डी	184—187
श्री पी० कुलनदईवेलु	187—188
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	188—189
डा० ए० के० पटेल	190—191
श्री काली प्रसाद पाण्डेय	191—192

विषय	पृष्ठ
डा० चिन्ता मोहन	192—193
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	194—213
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 (जारी—असमाप्त)	213—227
श्री आर० अण्णानम्बी	213—216
श्री सी० पी० ठाकुर	216—217
श्री वी० एस० विजयराघवन	217—218
श्री सी० सम्बु	218—221
श्री सोमनाथ रथ	221—222
श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर	222—223
श्री कमला प्रसाद रावत	223—225
श्री बी० एन० रेड्डी	225—226
श्री राम प्यारे सुमन	226—227
चीनी उद्योग में श्रमिकों को अंतरिम राहत के बारे में वक्तव्य	227—228
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 (जारी—असमाप्त)	228—257
श्री नन्दलाल चौधरी	228—229
श्री नरेन्द्र बुदानिया	229—230
श्री कमोदी लाल जाटव	230—231
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	231—232
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	232—233
श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर	233—234
श्री राम पूजन पटेल	234—235
श्री राम सिंह यादव	235—238
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	238—239
श्री मूल चन्द डागा	239—241
श्रीमती किशोरी सिंह	241—242
डा० प्रताप कुमार मिश्र	242—244
श्री पीयूष तिरकी	244—245
श्री पी० षण्मुख	245—247

विषय	पृष्ठ
श्री आर० जीवरत्नम	247—249
श्री मनोज पांडे	249—251
श्री अनूप चन्द शाह	251—252
श्री बी० कृष्ण कुमार	252—253
श्री मानवेन्द्र सिंह	253—254
श्री एन० टोम्बी सिंह	255
श्री राज कुमार राय	255—256
आधे घंटे की चर्चा	257—271
जल की कमी के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रतिवेदन	
श्री मूल चन्द डागा	257—261
श्री बी० शंकरानन्द	261—264
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	264—265
डा० जी० एस० राजहंस	265—266
श्री सोमनाथ रथ	266—268
श्री बी० शंकरानन्द	268—271

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 19, छठा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 15, बुधवार, 6 अगस्त, 1986/15 श्रावण, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
हिरोशिमा पर गिराये गए पहले परमाणु बम का शिकार हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 286 से 291	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19—169
तारांकित प्रश्न संख्या : 285 और 292 से 305	19—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2798 से 2804, 2806 से 2822, 2824 से 2858, 2860 से 2861, 2863 से 2937, 2939 से 2957, 2959 से 2962, 2964 से 2969 और 2971 से 2978	36—169
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	175
22वां प्रतिवेदन	
गढ़वा रोड और तोलरा स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी और टाटानगर एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर के बारे में वक्तव्य	175—176
लोक लेखा समिति	176
53वां प्रतिवेदन	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	176—177
5वां प्रतिवेदन	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	177
नियम 377 के अधीन मामले	177—181
(एक) देश में सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 10+2 पद्धति लागू करने की आवश्यकता	
श्री एम० एल० झिकराम	177—178

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) राजस्थान और हरियाणा को पानी का नियमित और पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए रोपड़, हरिके और फिरोजपुर स्थित हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंपने की आवश्यकता	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	178
(तीन) तमिलनाडु में रानीपेट और उसके आसपास की चर्मशोधनशालाओं से निकलने वाले अवशिष्ट द्रव पदार्थ से होने वाले पेयजल के प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता	
श्री आर० जीवरत्नम्	179
(चार) उत्तर प्रदेश और बिहार में बारम्बार होने वाले बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निवारक उपाय करने का निदेश देने की आवश्यकता	
श्री मदन पाण्डे	179—180
(पांच) देश के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं मंजूर करने की आवश्यकता	
श्री मानकू राम सोढी	180
(छः) कल्याण से बम्बई वी० टी० तक और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता	
श्री एम० जी० चोलप	180—181
(सात) हुगली पर दूसरे पुल का निर्माण यथाशीघ्र पूरा करने की आवश्यकता	
श्री नारायण चौबे	181
(आठ) कर्नाटक के प्रस्तावित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री बी० वेंकटेश	181
देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा (जारी)	181—213
श्री शान्ति धारीवाल	181—182
श्री राम स्वरूप राम	182—184
श्री एस० जयपाल रेड्डी	184—187
श्री पी० कुलनदईवेलु	187—188
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	188—189
डा० ए० के० पटेल	190—191
श्री काली प्रसाद पाण्डेय	191—192

विषय	पृष्ठ
डा० चिन्ता मोहन	192—193
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	194—213
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 (जारी—असमाप्त)	213—227
श्री आर० अण्णानम्बी	213—216
श्री सी० पी० ठाकुर	216—217
श्री वी० एस० विजयराघवन	217—218
श्री सी० सम्बु	218—221
श्री सोमनाथ रथ	221—222
श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर	222—223
श्री कमला प्रसाद रावत	223—225
श्री बी० एन० रेड्डी	225—226
श्री राम प्यारे सुमन	226—227
चीनी उद्योग में श्रमिकों को अंतरिम राहत के बारे में वक्तव्य	227—228
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 (जारी—असमाप्त)	228—257
श्री नन्दलाल चौधरी	228—229
श्री नरेन्द्र बुढानिया	229—230
श्री कमोदी लाल जाटव	230—231
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	231—232
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	232—233
श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर	233—234
श्री राम पूजन पटेल	234—235
श्री राम सिंह यादव	235—238
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	238—239
श्री मूल चन्द डागा	239—241
श्रीमती किशोरी सिंह	241—242
डा० प्रताप कुमार मिश्र	242—244
श्री पीयूष तिरकी	244—245
श्री पी० षण्मुखम	245—247

विषय	पृष्ठ
श्री आर० जीवरत्नम	247—249
श्री मनोज पांडे	249—251
श्री अनूप चन्द शाह	251—252
श्री बी० कृष्ण कुमार	252—253
श्री मानवेन्द्र सिंह	253—254
श्री एन० टोम्बी सिंह	255
श्री राज कुमार राय	255—256
आधे घंटे की चर्चा	257—271
जल की कमी के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रतिवेदन	
श्री मूल चन्द डागा	257—261
श्री बी० शंकरानन्द	261—264
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	264—265
डा० जी० एस० राजहंस	265—266
श्री सोमनाथ रथ	266—268
श्री बी० शंकरानन्द	268—271

लोक सभा

बुधवार, 6 अगस्त, 1986/15 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हिरोशिमा पर गिराये गए पहले परमाणु बम का शिकार हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 41 वर्ष पूर्व आज के दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे और इससे कहीं अधिक जीवन भर के लिए पंगु और विकलांग बन गए थे। उसके बाद ऐसे परमाणु हथियारों का विकास किया गया है जोकि हिरोशिमा पर गिराये गए परमाणु बम से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आज विश्व में मानव समुदाय बारूद के ढेर पर बैठा है क्योंकि बड़ी शक्तियों के पास ऐसे खतरनाक परमाणु हथियार हैं जिनसे पृथ्वी पर जीवन को कई बार समाप्त किया जा सकता है। अतः हम सम्पूर्ण मानव जाति की मांग को दोहराते हैं कि आणविक हथियारों की होड़ तुरन्त समाप्त की जाए और बाह्य अंतरिक्ष में इसका विस्तारन न किया जाये। वर्तमान आणविक हथियारों के भंडार को समाप्त करने की कार्यवाही की जाये। पांच महाद्वीपों में स्थित छह देशों द्वारा आणविक हथियारों को समाप्त करने और निरस्त्रीकरण के लिए सतत प्रयासों की हम प्रशंसा करते हैं। अब जबकि अपने प्रयासों के अनुसरण में वे मैक्सिको नगर में बैठक कर रहे हैं, हम इस सम्मेलन की सफलता की कामना करते हैं।

अब सदन के सदस्य परमाणु बम के शिकार व्यक्तियों की स्मृति में कुछ क्षण मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

श्री सी० जयपाल रेड्डी : महोदय, आंध्र प्रदेश से संसद के एक भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु हो गई है। सदन में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही लिख दिया है और जब इसकी पुष्टि हो जाएगी तब सदन में उल्लेख कर देंगे। यदि आप अपनी ओर से यह लिखकर दे दें और प्रमाणित कर दें तो हम ऐसा कर देंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

"वन-आधारित उद्योग"

*286. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में वन-आधारित उद्योग शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी राज्य में उक्त कार्य शुरू हो गया है और यदि हां, तो किस प्रकार के उद्योग लगाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केन्द्र सरकार का विभिन्न राज्यों में वन आधारित उद्योग शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० फूलरेणु गुहा : महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि भारत सरकार का वन उद्योग लगाने का कोई विचार क्यों नहीं है। इह मद को 20-सूत्री कार्यक्रम में क्यों नहीं जोड़ा गया, जबकि इन उद्योगों के कर्मचारी मुख्यतः निर्धन ग्रामीण होंगे ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, गैर-सरकारी क्षेत्र में वन उद्योग हैं किन्तु उनके लिए जो कच्चा माल उपलब्ध हो पाता है उससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। वन उद्योगों में से अधिकांश अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। अतः जब तक हम ऐसे वन-उत्पादों में वृद्धि न करें जिनका वन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जिसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, तब तक मेरे विचार में वन उद्योगों का विस्तार करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमने इस प्रयोजन से तथा अपने देश में वनों को बचाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में वन उद्योगों को कुछ रियायतें दी हैं ताकि वे अन्य देशों से आयात-शुल्क दिए बिना कच्चे माल का आयात कर सकें। इसलिए हमारा गैर-सरकारी क्षेत्र में वन उद्योग लगाने का कोई विचार नहीं है।

डा० फूलरेणु गुहा : मन्त्री जी ने कहा है कि ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है अथवा कोई कार्यवाही की गई है कि वन उद्योगों के लिए जो वस्तुएं आवश्यक हों वे उगाई जायें।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, हम पहले ही न केवल बंजर भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक पौधे उगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो ईंधन और चारे के काम आयेंगे, बल्कि फार्म वानिकी का भी विकास कर रहे हैं ताकि वन उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

महोदय, उन उद्योगों को भी अपने उपक्रमों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पौधे लगाने के लिए कहा गया है जो भारी मात्रा में वन-उत्पादों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं।

श्री पी० कुलनवइवेलु : महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मन्त्री जी ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में 'कोई प्रस्ताव नहीं है' और भाग (ख) के उत्तर में 'प्रश्न नहीं उठता' कहा है। महोदय मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में वन आधारित उद्योग शुरू करने की काफी गुंजाइश है, तमिलनाडु और कर्नाटक में चन्दन के वृक्ष बहुतायत में हैं,...

प्रो० एन० जी० रंगा : हम उनसे चन्दन का तेल निकाल सकते हैं।

श्री पी० कुलनदइवेलु : 'जी हां', हम उनसे चन्दन का तेल निकाल कर उसका निर्यात कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसे उद्योग उन क्षेत्रों में क्यों न लगायें जहां चन्दन-वृक्ष और अन्य वृक्ष हैं। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मेरे विचार में जहां चन्दन वृक्ष बहुतायत में हैं, राज्य सरकारों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं।

जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है, सरकारी क्षेत्र में वन उद्योगों पर आधारित उपक्रम चालू करने का कोई विचार नहीं है।

जहां तक राज्य सरकारों का प्रश्न है जहां चंदन वृक्ष तथा ऐसे अन्य उत्पाद, बहुतायत में उपलब्ध है और यदि उन्हें लगता है कि ऐसे औद्योगिक एककों की कच्चे माल की मांग को पूरा किया जा सकता है तो वे ऐसा कर सकते हैं और वे ऐसा ही कर रहे हैं।

श्री पराग चालिहा : महोदय, क्या मन्त्री जी जानते हैं कि वनों पर आधारित बड़े पैमाने के उद्योगों, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्योगों, के कारण असम में बहुत से जंगल काट दिए गए हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, जहां तक वनों पर आधारित उद्योगों का प्रश्न है। वास्तव में राज्य सरकारें इन गैर-सरकारी औद्योगिक एककों को कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। इसके लिए उनके अपने कुछ नियम हैं। वे ही इसकी आपूर्ति करती हैं। यह सही है कि वन क्षेत्रों में कच्चे माल की और जंगलों की कटाई होती है। इसलिए हमने यह निर्णय सोच समझ कर लिया है कि हम वन उद्योगों के विस्तार की अनुमति तब तक नहीं देंगे जब तक राज्य सरकारें हमें यह आश्वासन न दें कि इन औद्योगिक एककों में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल उपलब्ध है।

नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र

*287. **श्री आनन्द सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरोरा में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थान ज्ञात भूकम्प प्रवण क्षेत्र में पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में और विशेषकर सोवियत संघ में चेरनोबिल दुर्घटना के सन्दर्भ में उपयुक्त जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना का स्थल हमारे देश के एक ऐसे भाग में है जहां कम तीव्रता वाले भूकम्प आ सकते हैं। भारत के गंगा के मैदान क्षेत्र के अधिकांश भाग का स्वभाव ऐसा ही है। संयंत्र का डिजाइन इस ढंग से बनाया गया है कि संयंत्र इस स्थल पर उत्पन्न हो सकने वाली भूकम्पीय परिस्थितियों में संतोषजनक रूप से काम कर सकता है तथा यदि भूकम्प की तीव्रता एक विशेष सीमा से अधिक हो तो यह संयंत्र सुरक्षापूर्वक बंद होने की स्थिति में पहुंच सकता है।

(ख) तथा (ग). इस संयंत्र का डिजाइन तैयार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रक्रियाओं तथा रुड़की स्थित भूकम्प अभियांत्रिकी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान विद्यालय द्वारा दी गई

विशेष सिफारिशों को अपनाया गया है। सरकार परमाणु बिजलीघरों की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा लगातार करती रहती है और इन बिजलीघरों के डिजायन तथा परिचालन की प्रक्रियाओं में विशेषज्ञों के तकनीकी परामर्श के आधार यह सुनिश्चित रखने के लिए सुधार किए जाते हैं कि दुर्घटनाएं न होने पाएं।

श्री आनन्द सिंह : दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि न केवल सरकार, अपितु इससे सम्बन्धित उच्च-अधिकारियों के अनुसार भी यह क्षेत्र भूकम्प प्रवण क्षेत्र में पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का पता स्थल का चयन करने से पूर्व लगाया गया था अथवा बाद में, अर्थात यह गलती से बनाया गया या पहले इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन तैयार किया गया ?

दूसरे इस भूमि पर इस कारण कितना अतिरिक्त धन व्यय किया गया कि यह भूकम्प प्रवण क्षेत्र है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस प्रयोजन के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके सदस्य जानते थे कि यह भूकम्प प्रवण क्षेत्र है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि यह संयंत्र वहां लगाया जाये, इस बात पर भी विचार किया गया था। अतः डिजाइन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा गया था और इस क्षेत्र में संयंत्र लगाने और इसका डिजाइन बनाने में अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड अपनाये गए थे।

एक बात जो हम सभी को स्पष्ट होनी चाहिए वह यह है कि सम्पूर्ण गंगा क्षेत्र भूकम्प प्रवण है। दूसरी बात यह है कि जापान एक ऐसा देश है जिसमें भूकम्पीय परिस्थितियां हैं, तो भी वहां इस प्रकार 31 नाभिकीय रिएक्टेर हैं और वहां पर 10 और ऐसे रिएक्टर लगाये जाने वाले हैं। अतः देश में इस प्रकार के डिजाइन उपलब्ध हैं कि भूकम्प इन कार्यों को प्रभावित न करें।

श्री आनन्द सिंह : दूसरा प्रश्न सुरक्षा और इसके तीन मुख्य पहलुओं से सम्बन्धित है। पहला प्रश्न गंगा, दूसरा पर्यावरण और तीसरा वहां आस-पास रहने वाले लोगों के बारे में है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गंगा को इस संयंत्र के अपशिष्ट पदार्थों और रिसाव से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, न केवल दुर्घटना के समय, अपितु अन्यथा भी।

एक दूसरी बात पर्यावरण के बारे में है। क्या रेडियो-धर्मिता के स्तर के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और क्या प्रतिदिन इस बात की जांच की जाएगी कि यह स्तर अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार निर्धारित स्तर से न बढ़े और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उन लोगों को, जो इस क्षेत्र के आस-पास रहते हैं, रेडियो-धर्मी क्षेत्र के निकट रहने के खतरों से अवगत कराया गया है। बच्चे आकर धातु का कोई पड़ा हुआ टुकड़ा उठा सकते हैं जो रेडियोधर्मी हो और उसे किसी कुएं में गिरा सकते हैं अथवा घर ले जा सकते हैं। अभी-अभी हमने एक दुर्घटना के बारे में सुना है। शायद तारापुर या कहीं और हुई है यह नहीं मालूम। वहां कुछ लोगों ने साधारण सी दिखाई देने वाली पेंसिलें चुराने की कोशिश की जो कि रेडियोधर्मी थीं और अब वे लोग नाजुक हालत में अस्पताल में पड़े हैं। क्या सरकार लोगों को इस बारे में जानकारी देगी ? क्या लोगों को इस संयंत्र के आस-पास वाले क्षेत्रों के वातावरण से बचाने के लिए उन्हें वहां रहने के खतरों के बारे में बताने का कोई कार्यक्रम है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इन संयंत्रों में सुरक्षा हेतु कड़ी व्यवस्था की जाती है। सर्वप्रथम, संयंत्र का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि दुर्घटना न हो। हम वहां "पाइल स्ट्रक्चर" का प्रयोग करते हैं और मजबूत बुनियाद बनाते हैं। दूसरे इन संयंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला सामान इस प्रकार

का होता है जो झटके बर्दाश्त कर सकता है। इनमें इस प्रकार के जोड़ लगाये जाते हैं कि उनमें शॉक लगेंगे ही नहीं क्योंकि वे भूकम्प से प्रभावित नहीं होंगे। जहां तक ढांचे और प्रक्रिया का प्रश्न है उनकी यह व्यवस्था है।

इस संयंत्र के अपशिष्ट पदार्थ गंगा में फेंकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रश्न उठता ही नहीं। अतः नदी के पानी के प्रदूषित होने का सवाल ही नहीं है। यदि वहां से कोई ईंधन पेंसिल चुराई जाती और बाहर पाई जाती है, तो वह एक अलग बात है। यह प्रश्न वहां पर संयंत्र होने या न होने से सम्बन्धित नहीं है बल्कि पेंसिलों की सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है। उसके लिए भी एक व्यवस्था है। यह पेंसिल आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती। ईंधन आसानी से नहीं मिलता।

उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, वे आसानी से उपलब्ध नहीं होते, उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होती और न केवल इस संयंत्र पर अपितु अन्य संयंत्रों पर भी ये सावधानियां बरती जाती हैं। संयंत्र से ईंधन तत्व की चोरी के कारण किसी खतरे का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार हैं यह कहा गया है कि भूकम्प वाले क्षेत्र में इस प्रकार का विद्युत केन्द्र लगाने का अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व यह आवश्यक है कि उस क्षेत्र में उस जगह का लम्बे समय तक सूक्ष्म भूकम्पीय निरीक्षण कराया जाये ताकि दोष के कारण वास्तविक ऊर्जा निस्सरण का निर्धारण किया जा सके। क्या मैं जान सकता हूं कि नरौरा विद्युत संयंत्र के सम्बन्ध में ऐसा किया गया था ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमने उस क्षेत्र के भूकम्पों के 300 वर्षों के इतिहास का अध्ययन किया और तभी हमने निर्णय लिया है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : भारत का कौन सा भाग भूकम्पीय बाधाओं से मुक्त है ? क्या दक्षिण पठार को परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आदर्श क्षेत्र माना गया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : वास्तव में संसार का कोई भाग ऐसा नहीं है जो भूकंपीय-स्थितियों से 100% मुक्त हो। हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित है—क्षेत्र 1, क्षेत्र 2, क्षेत्र 3, क्षेत्र 4। तुलनात्मक दृष्टिकोण से दक्षिण पठार को स्थाई समझा जाता है और तारापुर जहां परमाणु विद्युत केन्द्र बनाया गया है उसे बहुत स्थिर क्षेत्र समझा गया था। परन्तु आजकल वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह भी इतना स्थाई नहीं है। वे इसे प्रथम क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जा रहे हैं। जैसे ही भूकम्पों का ज्ञान बढ़ता है और जैसे ही हम यह समझना आरम्भ कर देते हैं कि कैसी स्थितियों में भूकम्प आते हैं हम सावधानी बरतेंगे। परन्तु इस प्रश्न का कि क्या हमने पर्याप्त सावधानियां बरती थी, यह देखने के लिए कि भूकम्प कोई हानि न पहुंचाए इसकी जाँच सावधानीपूर्वक की जा रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या संसद भवन इससे मुक्त है ?

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर कुवैत के राष्ट्रिकों के गैर-कानूनी प्रवेश के बारे में जांच

*288. **श्री सी० जंगा रेड्डी† :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवैत के दो राष्ट्रिकों के त्रिवेन्द्रम् हवाई अड्डे पर गैर-कानूनी रूप से प्रवेश करने के बारे में की गई जांच के क्या निष्कर्ष हैं ;

(ख) इन दोनों कुवैती राष्ट्रिकों के विगत में क्या क्रियाकलाप रहे हैं, जिसके कारण उनके भारत प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ;

(ग) क्या वे "विश्व मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय" के उच्च पदाधिकारी हैं ; और

(घ) क्या उक्त "विश्व मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय" की भारत में कोई शाखा है ?

अन्तरिम सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जांच के निष्कर्ष केरल सरकार से अभी आने हैं।

(ख) कुवैती राष्ट्रिकों को उनकी अवांछनीय गतिविधियों के कारण "पूर्व अनुमोदन श्रेणी" में रखा गया था।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री अल सैय्यद यूसूफसैय्यद हाशिम अल रफाई विश्व मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं और श्री शेख अनवर एस० याकूब अल रफाई उसके सहायक हैं।

(घ) सरकार को भारत में किसी ऐसी शाखा की विद्यमानता के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय कुवैत से जो लोग आए हैं वह छः महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहां पर है। केरल के मुख्यमन्त्री को बुलाकर डांटने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक जांच-रिपोर्ट नहीं भेजी हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आप उनके खिलाफ सी० बी० आई० इंक्वायरी करवा कर उन्हें जेल में क्यों नहीं भेज देते।

[अनुवाद]

श्री अरुण नेहरू : मैंने पहले भी कहा है कि हम केरल के मुख्यमन्त्री की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं। हमने उन्हें बता दिया है कि···

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्यों ?

श्री अरुण नेहरू : यदि वे हमारी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं ? कृपा करके जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे सुनिए। हमने सदन में हमेशा कहा है कि यह एक बहुत गम्भीर मामला है और हमने बहुत गम्भीरतापूर्वक इसका अवलोकन किया है। हमने केवल के मुख्यमन्त्री को बता दिया है कि हमें अत्यन्त शीघ्र रिपोर्ट चाहिए ताकि हम इस बारे में कार्यवाही कर सके।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न यह है कि अगर केरल सरकार से जांच की रिपोर्ट नहीं आई है तो सी० बी० आई० इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते हैं ? केरल के मुख्यमन्त्री को सत्ता में रहने के लिए उनकी मदद चाहिए इसीलिए वह उनको बाहर नहीं भेज रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि केन्द्र की ओर से सी० बी० आई० इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री अरुण नेहरू : मैं नहीं समझता कि हमें किसी के ऊपर मन्तव्य लगाने चाहिए। मुख्यमंत्री या किसी अन्य व्यक्ति का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मामले की छान-बीन करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे। आप लोग इससे राजनैतिक स्वार्थ क्यों सिद्ध करना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए। अभी तक उनके खिलाफ जांच नहीं हुई है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दो बार प्रश्न पूछ चुके हैं और दोनों मर्तबा प्रश्न एक ही है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं दो मर्तबा उठा होऊंगा मगर प्रश्न एक ही था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो आप करिए न।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मंत्री महोदय ने (बी०)··· में बता दिया कि बिना अनुमति के यहां पर नहीं आ सकते।

[अनुवाद]

"अवांछनीय गतिविधियां होने के कारण कुवैत के नागरिकों को 'पूर्व अनुमति श्रेणी' में रखा गया था।"

[हिन्दी]

अनडिजायरेबल एक्टिविटीज होने से बिना अनुमति के हमारे देश में कैसे आ गए और यहां के किन-किन लोगों ने उनकी सहायता की है? यह बताइये और अब वे कहां पर हैं?

[अनुवाद]

श्री अरुण नेहरू : महोदय जैसा कि पहले कहा गया है वे 'पूर्व अनुमति श्रेणी' में आते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि उन्हें आना है तो उन्हें गृह मन्त्रालय की अनुमति लेनी होगी। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया और उन्हें त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दे दी गई। ऐसा करने के कारण तीन व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया गया। हमारी ओर से बहुत स्पष्ट निर्देश थे कि इन लोगों को आने की अनुमति नहीं है, वे प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है परन्तु वे 'पूर्व अनुमति श्रेणी' में है जिसका अर्थ है कि उन्हें अनुमति अवश्य ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया। तीन व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया गया है और एक जांच आरम्भ कर दी गयी है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अब भी वे भारत में ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब डाक्टर ए० के० पटेल।

श्री अरुण नेहरू : वह कह रहे हैं कि वे भारत में ही हैं। यदि वे उनके पते दे सकते हैं तो दें हम कार्यवाही करेंगे।

श्री सी० जंगा रेड्डी : महोदय क्या आप हमें अपने विभाग में खुफिया अधिकारी लगाने जा रहे हैं?

डा० ए० के० पटेल : यह कहा गया है कि पिछले 6 महीने से जांच-पड़ताल चल रही है परन्तु वह केरल सरकार द्वारा पूरी नहीं की गयी है। क्या यह सच है कि केरल के कुछ राजनीतिज्ञ इन व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं और इसी कारण वे जांच में बाधा डाल रहे हैं?

श्री ए० चार्ल्स : नहीं। क्यों?

श्री टी० बशीर : नहीं, नहीं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

डा० ए० के पटेल : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें अब भी भारत में प्रवेश करने से रोका गया है अथवा नहीं। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। क्या जांच कराने के लिए सरकार सी० बी० आई० की सहायता लेगी? **(व्यवधान)**

श्री अरुण नेहरू : मैं समझता हूं कि यह वही प्रश्न है जो पहले पूछा गया था और जिसका मैं उत्तर दे चुका हूं। यदि वे एक राजनैतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यह मंच नहीं है।

श्री सुरेश कुरुप : मुझे यह कहते हुए दुख है कि इस प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय द्वारा चार्ल्स शोभराज के जेल से भाग निकलने पर हुई बहस में भाग लेते समय 19 मार्च को इस सदन को दिए गए आश्वासन के विपरीत है। एक माननीय सदस्य श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने यही मुद्दा उठाया था और वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए श्री अरुण नेहरू ने स्वयं कहा था। मैं वाद-विवाद से ही उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह उससे पीछे नहीं हटे हैं।

श्री सुरेश कुरुप : एक क्षण ठहरिये, मैं अभी पढ़ रहा हूं।

"हम देख चुके हैं···**(व्यवधान)**

"हम इसकी जांच कर रहे हैं; हम मामले को दोबारा देखेंगे···"

उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि जांच···

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : श्री कुरुप द्वारा उठाया गया मुद्दा क्या है?

श्री अरुण नेहरू : मैं उत्तर दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : वे आपकी बात नहीं कह रहे हैं।

श्री सुरेश कुरुप : उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि केन्द्र सरकार···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री सुरेश कुरुप : मैंने तो यही समझा था।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप और कुछ समझते···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री सुरेश कुरुप : मैंने जो समझा था वह यह "कि हम जांच कर रहे हैं" का अर्थ है केन्द्र सरकार जांच कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, चार्ल्स महोदय आप हर बार क्यों उठते हैं? मन्त्री महोदय उत्तर देने में सक्षम है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या वे सभी इस मामले में शामिल थे?

श्री सुरेश कुरुप : यह आदेश, जिसमें 'पूर्व अनुमति श्रेणी' सम्मिलित है, केन्द्र सरकार द्वारा

जारी किया गया था और इसी आदेश का केरल सरकार द्वारा उल्लंघन किया गया है। और इसका पहले ही उल्लेख किया गया है और सरकार ने भी यह माना है कि केन्द्र सरकार के दो मन्त्री इसमें सम्मिलित थे।

श्री ए० चार्ल्स : नहीं।

श्री सुरेश कुरुप : इसलिए मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि सरकार अपराधियों द्वारा ही जांच का इन्तजार क्यों कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : वे अपराधी नहीं हैं।

श्री सुरेश कुरुप : उन्होंने केन्द्र सरकार के आदेश का भी उल्लंघन किया है···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वे संयुक्त सरकार में गैर-कांग्रेस (आई) मन्त्री थे।

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेश कुरुप : मेरा विशिष्ट प्रश्न मामले की गम्भीरता से सम्बन्धित है और जैसा कि उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया था क्या केन्द्रीय सरकार सारे मामले की स्वतन्त्र रूप से जांच कराएगी और सरकार की इस बारे में क्या राय है?

श्री अरुण नेहरू : हम बार-बार इसी प्रश्न पर जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा है। हम इसे गम्भीर गलती मानते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि केरल सरकार इसमें शामिल है। यदि हवाई अड्डे के तीन व्यक्तियों ने उतरने की अनुमति दे दी तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सारी सरकार इसके पीछे है। इसलिए मैं नहीं समझता कि यह एक बहुत ठीक वक्तव्य है।

श्री बसुदेव आचार्य : तब उन्होंने मन्त्री महोदय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन क्यों किया?

श्री अरुण नेहरू : बहुत से निर्देश ऐसे हैं जो केन्द्र द्वारा जारी किए जाते हैं परन्तु सभी राज्यों द्वारा आवश्यक रूप से उनका पालन नहीं किया जाता। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप सभी राज्य सरकारों को इसमें शामिल कर लें···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने निर्देशों का उल्लंघन क्यों किया?

श्री अरुण नेहरू : हम बहुत सी राज्य सरकारों को बहुत से निर्देश दे सकते हैं। परन्तु यदि अधिकारी स्तर पर कोई व्यक्ति···(व्यवधान) जैसे मैंने कहा है यह एक गम्भीर मामला है। जब हमें रिपोर्ट मिलेगी तब गम्भीर कार्यवाही की जाएगी। तीन व्यक्तियों को पहले ही निलम्बित कर दिया गया है (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कब से?

श्री अरुण नेहरू : हम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देना चाहेंगे। हमने मुख्य मन्त्री को पहले ही लिख दिया है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : जैसा मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है यह घटना मन्त्री महोदय और केरल सरकार की जानकारी के बिना हुई है। हवाई अड्डे पर सम्बन्धित अधिकारियों को सरकार द्वारा निलम्बित कर दिया गया था। क्या सरकार जानती है कि···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वह प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु वह सरकार की ओर से उत्तर नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : उनका नाम सभापति-तालिका में हैं। जब वह पीठासीन हों, तब उस तरह की बात कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह सभा में बैठे हुए प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या सरकार यह भी जानती है कि इसी प्रकार की एक घटना हुई थी जब मार्क्सवादी मुख्यमन्त्री श्री नायनार वहां थे ?

श्री अरुण नेहरू : क्या मैं उसका भी उत्तर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं समझता।

तलचर भारी जल संयंत्र में विस्फोट

*289. **श्री सुभाष यादव†** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान तलचर भारी जल संयंत्र में कितने विस्फोट हुए हैं ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई है ; और

(ग) विस्फोटों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर, विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 29 अप्रैल, 1986 को तलचर भारी पानी संयंत्र में हुआ विस्फोट, जिसके बाद आग लग गई थी, पिछले 2 वर्षों में हुई अपनी तरह की एक पहली घटना है। हाइड्रोजन से आग पकड़ने की एक छोटी सी घटना 1 सितम्बर, 1985 को उस समय हुई थी जब संयंत्र का अनुरक्षण किया जा रहा था और विदाबित टावर को खोला जा जा रहा था।

(ख) लगभग 40 लाख रुपए की हानि होने का अनुमान है।

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, अनुरक्षण से पहले और बाद में जांच करने की और अधिक कठोर प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। उन प्रक्रियाओं पर सतर्कता से अमल किया जाएगा तथा उन्हें अद्यतन बनाया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 40 लाख का नुकसान हुआ है, क्या सरकार ने यह पता करने की कोशिश की है कि इसके पीछे कोई षड्यन्त्र तो नही था ? यदि किसी षड्यन्त्र का आभास था तो क्या कोई कमेटी बनाकर उसकी जांच करने की कोशिश की है ? इसके साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि कुल कितने प्रोडक्शन का लास इसके कारण हुआ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, यह दुर्घटना होने के बाद उसकी इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वह कमेटी जांच-पड़ताल करके अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है और बाकी रिपोर्ट

अभी आनी है। यह आसपैक्ट जो सामने रखा है कि वहां पर सैबोटाज हुआ है या नहीं हुआ है, इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की जा रही है और रिपोर्ट आने के पश्चात् ही इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है।

श्री सुभाष यादव : प्रोडक्शन लॉस कितना हुआ है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह प्लान्ट पूरे तरीके से कन्टीन्यूअस प्रोडक्शन में नहीं था। इसलिए प्रोडक्शन लॉस कितना हुआ है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि प्लान्ट शुरू होने के बाद कुछ दिन के लिए उसको गैस नहीं मिली, कुछ दिन के लिए उसको बिजली नहीं मिली और कुछ दिनों के लिए उसके अन्दर दूसरी ट्रेबल्स होती रही। इसलिए पूरी तरह से कन्टीन्यूअस प्रोडक्शन में न होने की वजह से कितना लॉस हुआ है, इस सम्बन्ध में अच्छी तरह से नहीं कहा जा सकता है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न के "ग" भाग में उत्तर दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिक कठोर प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा, अधिक कठोर प्रक्रियाओं का विवरण क्या है और उनको अपडेट करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, एटोमिक एनर्जी के इन्स्टालेशन के सम्बन्ध में सेफ्टी-मेजर्स के लिए हमने एक प्रोसीजर बनाया है। जब किसी प्लान्ट का इन्स्टालेशन होता है या फैक्ट्री का होता है, तो विशेष प्रकार के प्रोसीजर को फॉलो करके काम किया जाता है। यह काम करने के बाद जब फैक्ट्री चालू करते हैं, तो उसमें डिफैक्ट न रहे, यह भी देखा जाता है। इसको चेक करने के लिए एक तीसरी कमेटी है। जब कोई एक्सीडेंट होता है, उसकी जांच-पड़ताल की जाती है। यह भी देखा जाता है कि प्रोसीजर का डिफैक्ट हुआ है या मैटिरियल की वजह से डिफैक्ट हुआ है या वहां पर काम करने वाले आदमी की वजह से डिफैक्ट हुआ है या किसी सेबोटाज की वजह से डिफैक्ट हुआ है। अगर प्रोसीजर की वजह से कोई डिफैक्ट हुआ है या मैटिरियल की वजह से डिफैक्ट हुआ है, तो प्रोसीजर भी बदला जाता है और मैटिरियल की वजह से डिफैक्ट है, तो टैक्नीकली जांच करने के बाद मैटिरियल भी उसके अन्दर बदला जाता है। सेफ्टी प्रोवाइट का काम है, यह दो-तीन दफा चैक किया जाता है। मगर जैसे-जैसे समय बीत रहा है नई टैक्नोलाजी आ रही है, नए इक्वीपमेंट आ रहे हैं, उनको इनकारपोरेट करके जहां तक हो सकता है, सेफ्टी की दृष्टि से अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की जाती है।

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश : अध्यक्ष महोदय, आज हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में, विशेषरूप से भारत में जो विकासशील देश है तथा जो आणविक सयंत्रों तथा रिऐक्टरों को स्थापित कर रहा है, आणविक रिऐक्टरों की दुर्घटनाएं बढ़ रही है। अतः मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को जानकारी है कि जो प्रौद्योगिकी यहां आणविक रिऐक्टरों के लिए प्रयोग की जाती है वह पुरानी है। यह नवीनतम प्रौद्योगिकी नहीं है जिसे यहां आणविक ऊर्जा के लिए इस्तेमाल की जाती है और जिसके परिणामस्वरूप विकिरण होता है। महोदय, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार विकिरण पैदा हो जाता है तो यह हजारों वर्ष तक रहता है। इन आणविक रिऐक्टरों से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ को सरकार कहां रखेगी ? इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आणविक ऊर्जा के उत्पादन की मौजूदा नीति जिससे विकिरण होता है के स्थान पर वे देश के लिए अधिक ऊर्जा के

उत्पादन की कोई नई नीति अपनाने जा रही है। वर्तमान नीति खतरनाक है और विश्व जनसंख्या के लिए अत्यंत अहितकर है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि भारत में जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है वह पुराना है। यदि हम उस प्रौद्योगिकी की जिसका उपयोग हम भारत में कर रहे हैं, तुलना करें तो यह उतनी ही श्रेष्ठ है जो विश्व के अधिकतर उन्नत देशों में उपयोग होती है। कुछ विषयों में जिस प्रौद्योगिकी का हमारे यहां उपयोग होता हैं वह अन्य देशों में उपयोग होने वाली प्रौद्योगिकी से बेहतर है। दुर्घटना के बाद से अधिकतर उन्नत देश भी इस मामले में चर्चा कर रहे है की क्या आणविक प्रौद्योगिकी का विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ दुर्घटनाओं के बाद भी उन्होंने भविष्य में लोगों के लिए विद्युत उत्पादन के लिए आणविक प्रौद्योगिकी की क्षमता में अपने विश्वास की दुबारा से पुष्टि की है। समय बीतने के साथ-साथ यह लोकप्रिय होता जा रहा है। अन्य उपाय भी हैं जिनका हम विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग कर रहे हैं। हम ताप बिजली प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे है। कोयला खानों में, बिजली घरों में, परिवहन आदि में दुर्घटनाएं होती हैं। जब दुर्घटना होती है तो हमें दुःख होता है। हमें यह देखने के लिए कदम उठाते हैं कि वे न हों। परन्तु सामान्ततः क्योंकि एक या दो दुर्घटनाएं हुई है इस तरह की प्रौद्योगिकी को छोड़ना (जो विद्युत की कमी की समस्या को दूर करने में भविष्य में हमारी सहायता करेगी।) समझदारी का निर्णय नहीं होगा। भारत सरकार यह देखने के लिए सावधानी बरत रही है कि दुर्घटनाएं न हों। लेकिन हम इसे नहीं छोड़ना चाहते हैं।

बालेश्वर, उड़ीसा में प्रक्षेपास्त्र परीक्षण रेंज

*290. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बालेश्वर में प्रक्षेपास्त्र परीक्षण रेंज स्थापित किया गया है, जैसाकि दिनांक 22 मई, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या और प्रक्षेपास्त्र परीक्षण रेंज स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) राकेटों एवं इसी प्रकार की प्रणालियों के परीक्षण तथा अन्तरिक्ष विभाग द्वारा उपग्रहों को छोड़ने के लिए उड़ीसा के बालासुर जिले के तटीय क्षेत्र में राष्ट्रीय सुविधा के रूप में एक उड़ान परीक्षण रेंज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना पर काम करने की (गो-अहेड) मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसकी विस्तृत योजना बनाई जा रही है।

(ख) रेंज हैड के लिए बालियापाल क्षेत्र में सुवर्ण रेखा नदी के दक्षिण की लगभग 68 वर्ग कि० मी० भूमि 16800 एकड़ भूमि की अधिग्रहीत करने और भोगराई क्षेत्र में सुवर्ण रेखा नदी के उत्तर-पूर्व में लगभग 34 वर्ग कि०मी० भूमि 9800 एकड़ भूमि को सुरक्षित जोन के रूप में रखने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त भूमि के अन्य पाकेटों और समुद्र तट के कुछ ऐसे क्षेत्र, जिसे वास्तव में समुद्र से बनाया गया है, 8400 एकड़ भूमि को भी राज्य सरकार से अधिग्रहीत किया जाना है/लिया जाना है। इससे 54 गांवों में फैले लगभग 6500 परिवार विस्थापित हो जाएंगे जिन्हें उपयुक्त रूप से फिर से बसाना होगा। सुरक्षित जोन में खेती करने और समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी जाएगी लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा।

(ग) इस प्रकार के अन्य परीक्षण रेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : स्पीकर साहब, मिसाइल रेंज टेस्ट के बारे में जो सरकार ने निर्णय लिया है, और उड़ीसा के जिले में इसके लगाने की बात की है, इसके लिए मैं रक्षा मंत्रालय, रक्षा मन्त्री जी और प्रधान मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। टेस्ट मिसाइल दुनिया के अन्दर अमेरिका और बाकी बड़ी-बड़ी शक्तियां कर रही हैं और हमारे लिए भी यह जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मंत्री जी से इसके बारे में यह जानना चाहता हूं कि पहले यह रेंज 116 किलोमीटर थी और अब इसको कम करके 68 किलोमीटर कर दिया है। इसके क्या कारण हैं। सुरक्षा के लिए यह किया गया है या इसके कुछ दूसरे कारण हैं इसके कारण जमीन में भी कमी हुई है और साथ ही साथ यह जो स्पेस टेक्नो-लोजी स्पेस माइंटिस्ट्स रक्षा विभाग, ने तय की है और उसके लिए हमने कुछ टेक्नोलोजी आयात भी कर ली है और इसकेकारण देश का नाम भी हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि यह कब पूरी होने वाली है, जिसके कारण और भी सुरक्षा के लिए सुविधा हो।

श्री अरुण सिंह : जब पहले यह प्रोजेक्ट एग्जामिन हुआ था, तो जाहिर है कि 116 वर्ग कि० मी० का एरिया देखा जा रहा था लेकिन उसमें ऐसा था कि कुछ बहुत हेवीली पापूलेटेड और वेरी रिच एग्रीकल्चरल बेल्ट निकला। तो हमने फिर इसको री-एग्जामिन किया। गवर्नमेंट आफ उड़ीसा ने हम से दरख्वास्त की कि इसको री एग्जामिन किया जाए और जहां तक हो सके, इस रेंज के रिक्वायरमेंट्स को कम से कम किया जाए और अगर हो सके, तो जो एग्रीकल्चरल बेल्ट है, उसको उस रेंज से निकाला जाए। हमने इस पर फिर एक्सरसाइज की और इसमें एक बात और आ गई थी कि कुछ ऐसी जमीन कोस्ट के साथ थी, जो समुद्र से निकल रही है और आन ए रेगुलर बेसिस वह रिक्लेम हो रही हैं। उस को प्रोजेक्ट में जोड़कर हमने प्रोजेक्ट के साइज को कम कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि ओरीजनली 10, 12 हजार फैमीलीज जहां पहले इन्वोल्व्ड थी, अब 6500 फ़ैमीलीज पर आ गये हैं।

जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है, इसमें डुअल कैपेबिलिटी रेंज है। मिनीस्ट्री आफ डिफेन्स भी इसको इस्तेमाल करेगी और डिपार्टमेंट आफ स्पेस भी इसको इस्तेमाल करेगा। जहां तक स्पेस प्रोग्राम का सवाल है, पोलर सेटीलाइट लांच व्हीकिल यहां से लांच होगा। इस वक्त जो शार में लांच हो रहा है, उसका ईस्ट वेस्ट साइट है और ईस्ट वेस्ट साइट से अगर पोलर सेटीलाइट लांच व्हीकिल को लांच करना होगा, तो कम से कम 30 पर सेन्ट पेर लोड कम करना पड़ेगा। जहां तक बालेश्वर की बात है यह नार्थ साऊथ साइट है। नार्थ-साउथ साइट में लांच करने से हमें पे लोड सैटलाइट लांच करने में 30 परसेंट लाभ पड़ेगा। जहां तक टेक्नालाजी का सवाल है, डिपार्टमेंट आफ स्पेस की टेक्ना-लाजी के बारे में तो वे बता देंगे। जहां तक डिफेंस डिपार्टमेंट की टेक्नालाजी का सवाल है, यह टेक्ना-लाजी हमें इंडिजिनस डेवलप कर रहे हैं और इसके लिए हमारा प्रोग्राम जारी है। टोटल प्रोजेक्ट कम से कम इन-टोटेलिटी 10 साल चलेगा लेकिन इनीशियल लांचेस हमारी एक्सपेक्टेशस हैं कि 1986 से शुरू होंगे।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : मेरा दूसरा सवाल यह है कि कई जगह यह छपा है कि वहां पर किसान और मजदूर डिसप्लेस्ड होंगे। मैं यह मानता हूं कि यह देश के लिए अच्छा काम होने जा रहा है और मेरे क्षेत्र का 116 किलोमीटर का क्षेत्र में रीहेब्लीटेशन का सवाल पैदा हुआ है, मैं मानता हूं कि

सुरक्षा के लिए यह सब उचित है और उनको मोर्चा लेकर, एजीटेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार से जो जमीन ली है और आपके सेक्रेटरी ने जो बयान दिया है, उसके लिए राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय एक जगह बैठकर जो माडल विलेज का निर्माण करने जा रहे हैं, उससे जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी जमीन, मकान और काम देने के लिए दोनों मिलकर ठीक से तय कर लें, जिससे जो वहां लोग सफर कर रहे हैं, उनको राहत मिल सके, सुविधा मिल सके और आपका काम भी ठीक से हो सके।

श्री अरुण सिंह : ऐसा है कि आनरेबल मेंबर के सजेशन के अनुसार वहां पर एक्शन जारी है। हमने ज्वाइन्ट टीम बनाई है, मिनिस्ट्री आफ डिफेंस की और गवर्नमेंट आफ उड़ीसा की उसमें मोटी-मोटी बातें मैं बताता हूं कि हम क्या-क्या करने जा रहे हैं। जो लैण्ड एक्वायर हो रही है, उसका कम्पसेशन दिया जाएगा, बेस्ड आन दी वैल्यू आफ एग्रीकल्चरल लैंड। जहां पर एन्क्रोच्ड लैण्ड है वहां पर टेपरेरी असेट्स का कंपेसेशन दिया जाएगा। ताज्जुब है कि टोटल प्रोजेक्ट एरिया में से 50 परसेंट एन्क्रोच्ड है।

[अनुवाद]

कुल परियोजना क्षेत्र का 50 प्रतिशत पहले से ही सरकारी भूमि है। दुर्भाग्यपूर्णरूप से इस पर कब्जा किया गया है और खेती की गई है।

[हिन्दी]

इसकी वजह से वहां पर काफी फैमलीज ऐसी हैं जो जमीन दबा चुकी है, उनके लिए प्राब्लम हो रही है। गवर्नमेंट लैंड पर उनकी ओनरशिप राइट नहीं है, उसके लिए उनको लैण्ड कम्पसेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जहां पर टेंपरेरी असेट्स होंगे, क्राप होगी, उसके लिए कम्पसेशन दिया जाएगा, टोटल स्टैंडिंग क्राप का कम्पसेशन दिया जाएगा। हर फैमली को ट्रांसपोर्टेशन ग्रांट दी जाएगी जो अपना सामान रीहैब्लीटेशनसाइट पर ले जाएंगे, बिल्डिंग मेंटीरियल ले जाएंगे। माडल विलेज हम बना रहे हैं। यह ज्वाइन्ट प्राजेक्ट है, हमारा मंत्रालय और स्टेटगवर्नमेंट इसमें एन्वाल्व है। हर फैमली को होमस्टेड साइट दे रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। तीस फीसदी फैमलीज लैंड लैस लेबर हैं और हर फैमली को होमस्टेड साइट मिलेगी।

[अनुवाद]

वे भूमालिक बनेंगे। (व्यवधान) उनके पास अपनी भूमि होगी जिन पर वे मकान बनाएंगे। हम घर बनाएंगे और उन्हें देगें। इस प्रकार ये घर हैं।

[हिन्दी]

माडल विलेज के तहत बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है। स्कूल्स, वेटरनरी सेंटर, यूथ सेंटर, हास्पीटल, ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूटस, पोस्ट आफिस, बैंक्स आदि दे रहे हैं। एक आई०टी०आई० वहां कायम कर रहे हैं डिपार्टमेंट आफ डिफेंस की तरफ से हां पर बालेश्वर जिले की साइट पर उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे। 50 बैड का हास्पीटल खड़ा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बा हो गया।

[अनुवाद]

श्री अरुण सिंह : इस तरह की कई योजनाएं है। (व्यवधान)

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, वह मेरा क्षेत्र है। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उड़ीसा विधान सभा के विरोधी पक्ष के नेता जो एक विशेष राष्ट्रीय दल में बहुत उच्च पद पर हैं के वक्तव्य को समाचार पत्र में देखा है और उन्होंने घोषणा की है कि सुरक्षा प्रबन्ध की यह प्रणाली आवश्यक नहीं है। यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अरुण सिंह : महोदय, माननीय सदस्य का वक्तव्य ठीक है। उड़ीसा के एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यह दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय किया है कि···

प्रो० मधु दण्डवते : लगभग सभी ने

श्री अरुण सिंह : मेरी उनसे क्षमा याचना है। "लगभग सभी ने" नहीं। एक विशेष व्यक्ति ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा—यह दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया कि स्वतन्त्र भारत को राष्ट्रीय परीक्षण सुविधा की आवश्यकता नहीं है और मैं साफ-साफ बताना चाहता हूं कि यह दृष्टिकोण अपनाना बहुत खतरनाक है। मेरा निवेदन है कि सदन के सभी सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि जितना अधिक सम्भव हो रक्षा क्षमता का देशीकरण आवश्यक है।···

प्रो० मधु दण्डवते : उपयुक्त जगह पर। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : इससे उन प्रौद्योगिकियों का सृजन होगा जो हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं तथा इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय परीक्षण रेंज अनिवार्य आवश्यकता है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि पूरे उड़ीसा में, बालासोर जिले की यह विशेष जगह बालियापाल सर्वाधिक हरित क्षेत्र है और इससे हजारों कृषक तथा मछुआरों को हानि होगी तथा इसके परिणामस्वरूप जिन्होंने से निर्माण कार्य शुरू किया है···(व्यवधान) महोदय मेरा प्रश्न मन्त्री जी से है और न कि कांग्रेस सदस्यों से।

क्या यह सही नहीं है कि राष्ट्रीय परीक्षण रेंज के इस विचार का समर्थन करने वाले कई लोग प्रधान मन्त्री जी से मिले जिनमें संसद सदस्य, उड़ीसा के भूतपूर्व विधान सभा के सदस्य हैं। उन्होंने प्रधान मन्त्री जी को बताया कि हालांकि वे इस प्रकार की परियोजना का स्वागत करते हैं परन्तु इसे उड़ीसा के हरित स्थान में नहीं होना चाहिए। क्या यह सही नहीं है कि उन्होंने लक्षद्वीप और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के वैकल्पिक स्थानों का सुझाव दिया। क्या यह सही नहीं है कि प्रधान मन्त्री जी ने उन्हें कहा कि "विशेषज्ञों की सहायता से यदि आप कुछ वैकल्पिक स्थान का पता लगा सकते हैं तो आप इसकी चर्चा इनके साथ करें तथा यदि आवश्यक हुआ—प्रधान मन्त्री जी सहमत हो गए हैं—मैं भी उस स्थान का दौरा करने के लिए तैयार हूं और यह पता लगाऊंगा कि क्या वहां कोई समस्या है।"

इसके प्रकाश में विशेषज्ञ की राय के प्रकाश में और विरोधी दलों के राय में भी तथा उस राय के प्रकाश में भी मैं माननीय मन्त्री को बताना चाहता हूं कि सत्तादल और विरोधी दल ने उड़ीसा में यह कहते हुए प्रदर्शन किया कि हम इस परियोजना के विरुद्ध नहीं है बल्कि इस विशेष जगह के विरुद्ध हैं।

इसको देखते हुए क्या आप विशेषज्ञ की राय पर विचार करेंगे तथा हमें और वैकल्पिक प्रस्ताव बनाने का अवसर देंगे और यह देखेंगे कि अच्छी परियोजना का निर्माण हो लेकिन हरित स्थान पर नहीं

बल्कि किसी अन्य स्थान पर जहां न्यूनतम क्षति हो तथा कृषकों और मछुआरों को कम से कम दुःख हो।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनका प्रश्न बहुत लम्बा तथा व्यापक है। मैं लम्बा और व्यापक उत्तर देने के लिए आपके अनुग्रह की याचना करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इसको और आगे संकुचित नहीं कर सकता।

श्री अरुण सिंह : पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि उस भूमि का अर्जन करना हमारे लिए असामान्य बात नहीं है परियोजना के लिए अपेक्षाकृत भूमि का 50 प्रतिशत पहले से ही सरकार की भूमि है।

राष्ट्रीय परीक्षण रेंज के बारे में, मैंने पहले से ही कारण स्पष्ट कर दिए हैं कि हम उत्तर-दक्षिण रेंज क्यों चाहते हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप पर उत्तर-दक्षिण राष्ट्रीय परीक्षण रेंज भौगोलिक क्षमता की दृष्टि से बहुत सीमित है। हम कोई ऐसा स्थान नहीं खोज सके जहां से यदि हम गोलाबारी करें तो वह भारत भूमि के बड़े भाग से होकर न जाए। इन परिस्थितियों में बालासोर पर सहमति व्यक्त करने से पहले 30 जगहों की जांच की थी। यह जांच पिछले वर्ष सितम्बर-अक्तूबर के आस-पास पूरी की गई थी।

उड़ीसा के अधिकांश नेताओं के साथ विशेष रूप से विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ मैंने पत्राचार और मौखिक रूप दोनों तरह से चर्चा करके मैंने असामान्य कदम उठाया।

प्रो० मधु दंडवते : इसमें असामान्य क्या है ?

श्री अरुण सिंह : मैं आपको बताता हूं कि यह असामान्य क्यों है। क्योंकि हमने इस काम पर चाह महीने बिताए हैं। आपने कहा "हमें विचार प्रकट करने का आपने कोई अवसर नहीं दिया है।" हमने इस मामले पर उनके साथ चर्चा में चार महीने बिताए हैं और हमने रक्षा मन्त्रालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ यह मामला समाप्त किया जहां भद्रजन आमन्त्रित थे और दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। इस काम के अन्त में इसके सिवाय कोई सम्भावना नहीं थी। मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहूंगा कि उनको आश्वास्त करने वाली कोई बात इस तर्क की विवेक संगतता में नहीं है क्योंकि वे राजनैतिक लाभ की फिराक में है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। सैंकड़ों कृषकों का हित इसमें निहित है। हम इस परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

उन लोगों के प्रति अन्यायपूर्ण मत बनिए जिन्होंने रचनात्मक रुख अपनाया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उड़ीसा सरकार ने राजनीतिक कारणों से इसका विरोध क्यों किया ?

श्री अरुण सिंह : मैं उनकी बात सुनने से इनकार नहीं कर रहा हूं। एक लंबा प्रश्न करके दण्डवते जी ने बड़ी दया की है। आपके अपने मनचाहे प्रश्नों को पूंछने के बाद मुझे भी लम्बे उत्तर के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। हमें बताया गया कि सब ठीक है। हर चीज दृश्य है। हम अंडमान और निकोबार दीप समूह में इसे क्यों नहीं कर सकते ? इसे प्रस्तुत करने के दौरान हमने यह स्पष्ट करने में काफी समय बरबाद किया कि हम अंडमान और निकोबार द्विपसमूह में इसे क्यों नहीं कर

सकते। ऐसा न करने के सम्बन्ध में मैं कतिपय कारण बहुत संक्षेप में बताऊंगा। पहला महत्वपूर्ण कारण यह है। वर्ष के 365 दिनों में 294 दिन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में या तो बादल छाये रहते हैं या वर्षा होती है। हम ऐसे स्थान में राष्ट्रीय परीक्षण क्षेत्र सुविधा की स्थापना नहीं कर सकते जहां वर्ष में केवल 70 साफ दिन कार्य के लिए मिलते हैं। हम ऐसे स्थान पर यह सुविधा स्थापित करें जहां कम से कम 200 साफ दिन कार्य के लिए मिलें। दो कारणों से ये वर्षा रहित साफ दिन हमारे लिए आवश्यक है। नजर दो प्रकार से रखी जाती है, जब उपग्रह पर दृष्टि रखी जा रही है और जब प्रक्षेपण (लांच) पर नजर रखी जा रही हो। यह निगरानी आंखों से की जाती है जिसके लिए स्वच्छ आकाश तथा दृष्टिगोचरता आवश्यक है। दूसरे प्रकार की भी निगरानी है जैसे राडार जिसमें दूसरी आवश्ययकता नहीं होती। लेकिन हमने उन्हें बताया कि हमारे लिए उन्हें दृष्टि में रख कर निगरानी करना पूरी तरह आवश्यक है। यह पहली बात है।

दूसरी बात है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आज भी स्थानीय तौर पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। वहां पत्थर नहीं है, ईंटें नहीं है, पथरी नहीं है, तथा सीमेंट नहीं है। हमें निर्माण कार्य के लिए पहले दिन से ही प्रत्येक चीज को प्रायद्वीप से मंगाना होगा। हमें अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हवाई क्षेत्र का निर्माण करना होगा जो सबसे बड़े मालवाहक जहाजों के लिए उपयुक्त हो। इसके पश्चात् समस्त सप्लाई हमेशा ही मुख्य भूमि से करनी होगी। इस प्रकार अगले 100 वर्षों तक इसका भविष्य खतरे में होगा। सभी चीजों को पुनः प्रायद्वीप के बाहर से मंगाना होगा। जो लागत को बहुत अधिक बढ़ायेगी। ऐसी दशा में, हमने उनसे बहस की।

प्रो० मधु दंडवते : पैसा महत्वपूर्ण है या मनुष्य।

श्री अरुण सिंह : हमने कहा; देखो हम अपनी शक्ति को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर लगाये। आप हमें बतायें कि कौन सी योजनाएं आवश्यक हैं। आप हमें बतायें कि हम इसे कैसे क्रियान्वित कर सकेंगे। हम आप के सुझाव के अनुसार चलेंगे। हम एक ही उद्देश्य को लेकर कार्य करेंगे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। मैं नहीं कह सकता, क्यों नहीं हुआ। अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है और जो भी हो रहा है वह यह कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को परीक्षण क्षेत्र के विचार के खिलाफ भड़काया जा रहा है।

एक और बात मैं कहना चाहूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : यह गलत है।

श्री अरुण सिंह : यह गलत नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह न केवल गलत है बल्कि असत्य भी है। मैं इसे झूठ नहीं कहता; मैं इसे असत्य कहता हूं।

श्री अरुण सिंह : सूक्ष्म अन्तर करना आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं नहीं समझता। मैं आपको बताता हूं कि मैं यह क्यों कह रहा हूं। प्रधान मन्त्री को लिखे गये एक पत्र में यह कारण बताया गया है कि हम क्यों राष्ट्रीय परीक्षण क्षेत्र की स्थापना करना चाहते हैं क्योंकि इसके पीछे हमारा गलत इरादा नहीं हैं क्योंकि हम परमाणु क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं। मैं इस सदन में साफ तौर पर कहता हूं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। उस हस्ताक्षरित ज्ञापन में यह बात नहीं है जिस पर मैंने भी हस्ताक्षर किये थे। इसमें उल्लेख है कि हम स्थान निर्धारित करने की बात का स्वागत करते हैं किन्तु हम एक वैकल्पिक स्थान चाहते हैं।

श्री अरुण सिंह : प्रो० मधु दण्डवते से यथोचित क्षमा याचना करते हुए··· (व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : विपक्ष के माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह सत्य नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह बताये कि यह सत्य है या नहीं कि जनता पार्टी ने 1978 में इस स्थान का प्रस्ताव किया था और 1980 में इसकी मंजूरी दे दी गयी थी। अब वहां जनता पार्टी के नेता श्री बीजू पटनायक ने एक आन्दोलन शुरू किया है। यहीं कुछ घटित हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मन्त्री जी को उत्तर देने दें।

श्री अरुण सिंह : प्रो० दण्डवते के प्रति यथोचित सम्मान प्रकट करते हुए मैं सलाह देना चाहूंगा कि यह अच्छा होता यदि वे इस मामले पर अपने आन्तरिक मतभेद सुलझा लेते।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने सुलझा लिए हैं और आपको एक मत से ली गयी अनुशंसायें प्रदान की है। हम इस परीक्षण क्षेत्र का स्वागत करते हैं लेकिन इसकी स्थापना के स्थान का हम विरोध करते हैं।

श्री अरुण सिंह : आपकी मतैक्यतापूर्ण अनुशंसाओं के बाद मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। ऐसी दशा में शायद वे पुनः इसकी समीक्षा करें।

जो भी मैं कह सकता हूं वह यह कि हम इस बात को जानते हुए भी कि बहुत से लोगों के जीवन तथा उनकी आय उपार्जन की क्षमता से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम इससे परिचित हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षण क्षेत्र सुविधा की राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। ऐसी दशाओं में आज हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय परीक्षण क्षेत्र क्षमता को निरस्त करना नहीं है बल्कि प्रभावित लोगों को उस सीमा तक पुनर्वासित करना है जिस सीमा तक तथा हम कुशलता के साथ इसे कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। मन्त्री जी सहमत हो गए हैं कि मैं एक स्पष्टीकरण ले सकता हूं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सारे भारत में केवल यही एक हरित क्षेत्र है? मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। सारे भारत में केवल यही एक क्षेत्र उपलब्ध है? (व्यवधान)

वह स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार थे। यह एक अति महत्वपूर्ण पहलू है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के लिए मैंने अधिक समय दिया है। यह अच्छा होगा कि बाद में आप इस पर चर्चा करें।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : आपने दण्डवते जी को अवसर दिया है। कृपया मुझे भी अवसर दें। 1978 में यह जनता पार्टी थी··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुनें। आप सन्तुष्ट होंगे। मैं केवल कुछ मिनट और प्रदान करके ही इस प्रश्न के साथ न्याय नहीं कर सकता। अतः अच्छा यही है कि आप बाद में इसे लें।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : यदि मैं सही हूं, तो वर्तमान स्थिति यह है कि श्री अरुण सिंह हर बात के लिए तैयार हो गये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : शुरुआत से ही मैं सहमत हूं। मैं परियोजना से सहमत हूं परन्तु इसके लिए निर्धारित किए गए स्थान का मैं विरोध करता हूं। आप उड़ीसा की सर्वाधिक हरी पट्टी को उजाड़ रहे हैं। हम इसे सहन नहीं करेंगे। महोदय, वह इसका स्पष्टीकरण दे रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर आधे घण्टे की चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

"अम्लीय वर्षा को रोकने के उपाय"

***291. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी† :**

श्री बृज मोहन महंती :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस खतरे से बचाव के लिए कोई प्रयत्न करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर दर्ज किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि, भारत में अम्लीय वर्षा के खतरे का कोई साक्ष्य नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, बम्बई के भाभा एटामिक संस्थान ··

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

***285. श्री अमर राय प्रधान : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है ;

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में किस सीमा तक सुधार किया गया है ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए आवंटित समस्त धनराशि का इन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों हेतु उपयोग किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ग) से (ङ). न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, विभिन्न परियोजनाओं

के लिए धन राशियों के आवंटन और पांचवीं, छठी योजना और वार्षिक योजना (1985-86) में वास्तविक व्यय संलग्न विवरण-1 (पृ० 21-22) में दिए गए हैं।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां, जिनसे जीवन के स्तर में सुधार हुआ है, संलग्न विवरण-2 (पृ० 23-25) में दी गई हैं।

"प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र लगाना"

*292. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रदूषण पर नियन्त्रण करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्र लगाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार प्रदूषण-रोधी कानूनों के उपबन्धों को समुचित रूप से लागू करने हेतु कोई कड़े उपाय कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) यन्त्रों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—ठोस और तरल अपशिष्टों के भौतिक, रासायनिक और जीव-वैज्ञानिक उपचार, उपयोग, पुनश्चक्रण और निपटान के लिए शोधित पद्धति ; और

—बहिस्रावों के नियन्त्रण के लिए उच्च दक्षता वाले इलैक्ट्रानिक अवक्षेपक, निस्यन्दक और मार्जक।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि विद्यमान प्रदूषण-रोधी कानून अपर्याप्त थे, इसलिए सरकार ने हाल ही में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है ताकि कड़े उपाय जिनमें निवारक दण्ड और प्रदूषक प्रतिस्थापनाओं को बन्द करना शामिल है, लागू किए जा सकें।

"केरल में विश्व बैंक की सहायता से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम"

*293. **डा० सुधीर राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल में विश्व बैंक की 60 करोड़ रुपये की सहायता राशि से चल रहे सामाजिकी वानिकी कार्यक्रम के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना सम्भाव्यता तथा व्यवहार्यता की दृष्टि से सही है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां। परियोजना परिव्यय लगभग 60 करोड़ रु० का है।

(ख) जी, हां। परियोजना ठोस पूर्वानुमानों पर आधारित, उचित और आर्थिक रूप से सक्षम है।

विवरण I

विस्तीय निष्पादन

(करोड़ रु०)

मद	पांचवीं योजना* परिव्यय (1974-78 +1978-80)	व्यय (1974-78)+(1978-80)	छठी योजना परिव्यय	व्यय	सातवीं योजना परिव्यय	1985-86 परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	1986-87 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. प्राथमिक शिक्षा	463 +227	230 +193	905.00	902.47	1830.45	274.77	271.47	360.73
2. प्रौढ़ शिक्षा	नहीं +20	1 +11	128.00	150.90	360.00	89.53	67.40	96.86
3. ग्रामीण स्वास्थ्य	296 +79	74 +66	577.00	440.01	1096.35	179.68	154.67	182.10
4. ग्रामीण जलपूर्ति	563 +266	262 +321	2007.11	2513.91	3454.47	655.59	720.36	734.13
5. ग्रामीण सड़कें	502 +241	231 +334	1165.00	1207.68	1729.40	293.27	249.66	241.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. ग्रामीण विद्युतीकरण	282	103	301.00	282.96	497.08	80.68	76.08	92.37
	+105	+79						
7. ग्रामीण आवास	109	50	354.00	474.31	576.90	99.95	101.36	105.18
	+ 48	+75						
8. गन्दी बस्तियों का सुधार	105	38	151.80	173.69	269.55	37.83	36.33	47.27
	+ 27	+26						
9. पोषाहार	287	49	218.74	350.44	1731.74	312.59	243.13	310.78
	+ 47	+42						
10. ग्रामीण ऊर्जा								
(क) विकसित चूला	मुहैया नहीं		—	4.34**	40.00	10.00	9.86	5.19
(ख) ग्रामीण ईंधन लकड़ी	—वही—		97.21**	104.68**	198.00	50.43	39.44	42.55
जोड़ :	3667	2185	5807.00	6496.37	11783.94	2084.32	1969.76	2219.16

*पांचवीं योजना के लिए आंकड़े छठी योजना दस्तावेज से लिए गए हैं वार्षिक योजना 1978-79 तथा 1979-80 के लिए आंकड़े + चिन्ह से दर्शाकर जोड़े गए हैं।

**जोड़ में शामिल नहीं किए गए चूंकि ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंग नहीं हैं।

विवरण II

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्षेत्रकों में निष्पादन

मद	संदर्भित अवधि	नवीनतम सूचना	संदर्भित अवधि में प्रतिशत सुधार
1	2	3	4
1. साक्षरता (अखिल भारतीय)	29.45 प्रतिशत (1971)	36.2 प्रतिशत (1981)	23 प्रतिशत
2. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय)			
पुरुष	46.40 वर्ष (1971)	54.7 वर्ष (1980)	16.0 प्रतिशत
महिला	44.70 वर्ष	54.7 वर्ष (1980)	22.4 प्रतिशत
3. प्रति हजार शिशु मृत्यु दर (अखिल भारतीय)	129 (1971)	110 (1981)	17.3 प्रतिशत
मृत्यु दर प्रति हजार (अखिल भारतीय)	14.9 (1971)	12.5 (198!)	19.2 प्रतिशत की कमी
4. भूमिहीन मजदूरों को आवंटित आवास स्थल	7.7 मि० (1979-80)	13.13 मि० (1980-85)	70 प्रतिशत वृद्धि अर्थात् छठी योजना में 5.43 मिलियन भूमि-हीनों को आवास स्थल आवंटित किए गए।
5. (I) स्वास्थ्य उप-केन्द्र	47.517 (1980)	84,581 (1985)	78 प्रतिशत वृद्धि अर्थात छठी योजना में 37,064 उप केन्द्र खोले गए।

1	2	3	4
(II) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	7,355 (1980)	11,094 (1985)	छठी योजना के दौरान 51 प्रतिशत वृद्धि अर्थात 3,739 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए।
(III) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	249 (1980)	720 (1985)	छठी योजना के दौरान 189 प्रतिशत वृद्धि अर्थात 471 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए।
6. शहरी गंदी बस्ती के सुधार के अन्तर्गत जनसंख्या	6.8 मि॰ (1979-80)	15.69 मि॰ (1980-85)	छठी योजना के दौरान 131 प्रतिशत वृद्धि अर्थात् 8.89 मि॰ और शामिल किए गए।
7. पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल बच्चे/माताओं की संख्या	8.18 मि॰ (1980)	11.5 मि॰ (1985)	छठी योजना के दौरान 41 प्रतिशत वृद्धि—3.32 मि॰ और शामिल किए गए।
8. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत			
ग्रामीण	55.5 प्रतिशत (1980-80)	39.9 प्रतिशत (1984-85)	15.6 प्रतिशत अंक की गिरावट
शहरी	42.0 प्रतिशत (1979-80)	27.7 प्रतिशत (1984-85)	14.3 प्रतिशत अंक की गिरावट
	52.4 प्रतिशत (1979-80)	36.9 प्रतिशद (1984-85)	15.5 प्रतिशत अंक की गिरावट
9. ग्रामीण जल पूर्ति के अन्तर्गत शामिल गांव	1,20,027 (पांचवीं योजना के दौरान)	1,92,024 (छठी योजना के दौरान)	पाचवीं योजना की अपेक्षा छठी योजना में उपलब्धि 60 प्रतिशत अधिक थी।

10. ग्रामीण जल पूर्ति के अन्तर्गत शामिल ग्रामीण जनसंख्या	162.07 मि० (1981)	313.56 मि० (1985)	93.5 प्रतिशत की वृद्धि—छठी योजना में 15.149 मि० अतिरिक्त ग्रामीण जनसंख्या को जल पूर्ति के अन्तर्गत शामिल किया गया।
11. **ग्रामीण विद्युतीकरण**			
शामिल गांव (संख्या)	7028 (पांचवीं योजना)	36243 (छठी योजना)	अनुमानतः छठी योजना में 416 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
बिजली चालित पम्पसैट (संख्या)	5725 (पांचवीं योजना)	35952 (छठी योजना)	छठी योजना में 528 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तारापुर परियोजना से समुद्र में छोड़े गए पानी के परीक्षण के परिणाम

*294. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के समीप समुद्री जल से तैयार किए गए सामान्य नमक में रेडियोधर्मिता मौजूद है ;

(ख) क्या गत छः महीनों के दौरान तारापुर से समुद्र में छोड़े गए पानी के परीक्षण के परिणाम उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिक और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सभी परिणाम उपलब्ध हैं।

(ग) परिणामों से यह पता चलता है कि समुद्र में छोड़ी गई पानी की मात्रा छोड़े जाने वाले पानी की निर्धारित मात्रा से काफी कम रही है।

फसल उगाने की योजना तैयार करने हेतु मानसून के उतार-चढ़ाव का पूर्वानुमान

*295. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नवीनतम अनुसन्धान के द्वारा किसानों को अपनी फसलों की योजना तैयार करने और हानि से बचने के लिए, क्षेत्र-वार, मानसून के उतार-चढ़ाव का पूर्वानुमान लगाना संभव हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुसन्धान के परिणामों से किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु सरकार का क्या विशिष्ट उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाना

*296. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम समझौते में असम-बंगलादेश सीमा पर तीव्र गति से और तत्काल बाड़ लगाने की बात कही गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कांटेदार तार लगाने का कार्य, जो पहले स्थगित कर दिया गया था, पुनः शुरू किया गया है ;

(ग) असम समझौता किए जाने के पश्चात इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) असम समझौते में उचित स्थानों पर भौतिक अवरोधकों का निर्माण करने और सीमा पर सड़क बनाने की संकल्पना की गई है, ताकि भविष्य में घुसपैठ को रोका जा सके और सुरक्षा बलों के लिए गश्त लगाना सुविधाजनक हो सके।

(ख) से (घ). भारत बंगलादेश सीमा के साथ-साथ सीमा सड़क आदि का निर्माण शुरू करने का निर्णय किया गया है। असम-बंगलादेश सीमा पर सीमा सड़क के निर्माण का सर्वेक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सीमा पर सतर्कता बढ़ाने के अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। सड़कों के निर्माण के बाद सीमा पर बाड़ लगाने के प्रश्न को हाथ में लिया जाएगा।

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड का कार्यकरण

*297. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड का कार्यकरण असन्तोषजनक है जिसके परिणामस्वरूप उसके लाभ में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके विभिन्न एककों में पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, उत्पादन क्षमता का कितना उपयोग किया गया ;

(ग) इसका कार्यकरण असन्तोषजनक रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) यह कम्पनी लाभ कमाने वाला एक उद्यम है। यद्यपि इसका लाभ 1982-83 के 204.73 लाख रुपये से बढ़कर 1983-84 में 223.29 लाख रुपए हो गया था, लेकिन इसका लाभ 1984-85 में गिरकर 139.14 लाख रुपये रह गया। आशा है कि 1985-86 में इसका लाभ 1984-85 की अपेक्षा अधिक होगा।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1982-83 से 1984-85 तक के वर्षों के दौरान विभिन्न यूनिटों के क्षमता उपयोग का वर्षवार ब्यौरा दिया गया है।

(ग) 1984-85 के दौरान जिन प्रमुख कारणों से कम्पनी की लाभकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, वे निम्नानुसार हैं :—

(1) (क) वेतन, भत्तों और बोनस ; और (ख) बिजली तथा ईंधन पर हुए खर्चों में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होना। ब्रेड और बातित पेयों के लिए सांद्रण के मामले में इनका कम उत्पादन होने से भी उत्पादन लागत में वृद्धि हुई थी। ब्रेड का कम उत्पादन होने का मुख्य कारण पोषाहार फीडिंग कार्यक्रमों से मांग में उल्लेखनीय कमी होना था।

(2) ब्रेड, परिष्कृत सोया तेल/तेलरहित खली और पेय सांद्रण के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई थी। वास्तव में, कुछेक यूनिटों में ब्रेड की कीमत कम कर दी गई थी और परिष्कृत सोया तेल और तेल रहित खली के मूल्यों में गिरावट आयी थी।

(घ) कम्पनी की लाभकारिता में सुधार लाने के लिए, कम्पनी को साथ-साथ यह भी परामर्श दिया गया है कि :

(1) जो यूनिट अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी विवेचनात्मक पुनरीक्षा करना और उसके आधार पर उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करना ;

(2) पोषाहार फीडिंग कार्यक्रमों के लिए ब्रेड की बिक्री पर निर्भरता को कम करना और वाणिज्यिक बिक्री को तेज करने के लिए उपयुक्त विपणन उपाय शुरू करना ; और

(3) यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध जन शक्ति को प्रभावकारी रूप से लगाया जाए और किसी भी व्यक्तिगत यूनिट के पास कोई फालतू जनशक्ति न हो।

विवरण

यूनिट का नाम	क्षमता उपयोग (प्रतिशतता)		
	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4
1. ब्रेड :			
अहमदाबाद	48.33	54.01	54.50
बंगलौर	96.70	90.70	91.27
बम्बई	75.56	85.76	88.14
कलकत्ता	48.71	44.55	42.11
चण्डीगढ़	46.46	28.35	31.40
कोचीन	91.41	90.35	91.36
दिल्ली	106.21*	95.57	92.93
हैदराबाद	84.42	75.49	58.32
इन्दौर	30.35	26.15	26.83
जयपुर	36.60	34.06	27.97
कानपुर	86.49	62.26	53.73
मद्रास	98.72	102.16	106.31
रांची	35.98	29.88	40.28
2. फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट, दिल्ली	11.00	30.00	45.00

*दिल्ली यूनिट, जिसने 1982-83 की अन्तिम तिमाही में उत्पादन शुरू किया था, में 2 लाइनों के लिए वार्षिक क्षमता और तीसरी लाइन के लिए 3 महीने की क्षमता पर आधारित है।

1	2	3	4
3. खाद्य तेल संयंत्र, उज्जैन :			
निस्सारण संयंत्र	37.00	7.00**	47.00
तेल शोधक कारखाना	17.00	19.00	18.00
4. एक्सट्रूडर फूड यूनिट, जयपुर	स्थापित नहीं किया गया था	29.00	25.00

**वर्ष के दौरान संयंत्र ने केवल 4 महीने कार्य किया था क्योंकि संशोधन/सुधार कार्य किए जा रहे थे।

[हिन्दी]

दिल्ली में राशन की दुकानों में कदाचार

*298. श्री राज कुमार राय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घटिया राशन सामग्री सप्लाई करने अथवा अन्य कदाचार करने के लिए दिल्ली में राशन की दुकानों के मालिकों के विरुद्ध 1 जनवरी, 1986 से लेकर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार उन्हें 1-1-1986 से 15-7-1986 के दौरान उचित दर की दुकानों के मालिकों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की 608 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) 1-1-1986 से 15-7-1986 के दौरान दिल्ली प्रशासन के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग के प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा 673 उचित उचित दर की दुकानों का निरीक्षण किया गया था 525 मामलों में स्टॉक में अन्तर होने तथा अन्य अनियमितताओं के कारण विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई है। 16 मामलों में गम्भीर अनियमितताएं होने के कारण उचित दर की दुकान के मालिकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

[अनुवाद]

मिजो नेशनल फ्रंट के भूमिगत सदस्यों द्वारा आत्म-समर्पण

*299. श्री नारायण चौबे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजो नेशनल फ्रंट के कितने सदस्य निर्धारित समय सीमा के भीतर बाहर आ गए हैं और उन्होंने अपने हथियारों समेत आत्म-समर्पण कर दिया है ; और

(ख) समर्पण किए गए हथियारों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) मिजो नेशनल फ्रंट के 534 सदस्य (परिवारों के 154 सदस्यों को छोड़कर) बाहर आ गए हैं।

(ख) 212 हथियार जमा कराये गए हैं इनमें लाइट मशीन गनें, सब-मशीन गनें, सेल्फ लोडिंग

राइफलें, अर्द्ध स्वचालित राइफलें, .303 राइफलें, राकेट लांचर, 12 बोर गनें इत्यादि शामिल हैं। 20,185 राऊंड गोला बारूद, तेरह हथगोले तथा तीन वायरलैस भी जमा कराए गए हैं।

"सामाजिक वानिकी योजना का कार्यान्वयन"

*300. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के लिए ग्रामों में इंधन की लकड़ी के लिए वानिकी सहित सामाजिक वानिकी के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पौधों, बीजों के वितरण और धन के आबंटन के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या और आगे अनुदान देने से पूर्व धन के उपयोग के बारे में प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए हैं ; और

(ग) राज्यों द्वारा उक्त धन राशि का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) ग्रामीण जलावन की लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी की केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित स्कीम के अन्तर्गत मांगे गए ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आबंटन	19.00 करोड़ रुपये
किया गया पौध रोपण	90,365 हैक्टेयर
वितरित किए गए बाल पौधे	25.35 करोड़

(ख) प्रक्रिया सम्बन्धी जरूरतों, जिनमें सिविल लेखा संगठन द्वारा उपर्युक्त प्रमाणीकरण शामिल है, के कारण राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश उपयोग प्रमाण पत्र देने में देर लगाते हैं। केन्द्रीय अनुदान को रोकने से पौध रोपण जो एक समयबद्ध कार्य है, पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए 1984-85 के दौरान केन्द्रीय अनुदान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत की गई आवधिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर विमुक्त किया गया।

(ग) वर्ष 1984-85 के लिए भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मिजोरम में 78.65 लाख रुपए की निधियां उन स्कीमों/निर्माण कार्यों के लिए दिक्परिवर्तित की गई जो इस स्कीम से सम्बन्धित नहीं थी।

"गंगा सफाई परियोजना"

*301. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री द्वारा हाल ही में गंगा सफाई परियोजना शुरू की गई थी ;

(ख) तब से आज तक कितना कार्य पूरा हो चुका है ;

(ग) इस सम्बन्ध में चरणबद्ध योजना क्या है ; और

(घ) दक्षिण की कौन सी नदियों की गंगा की भांति सफाई और उनमें पानी को शुद्ध किए जाने की योजना है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) हालांकि गंगा कार्यकारी योजना जन परियोजना के रूप में प्रधान मन्त्री द्वारा 14 जून, 1986 को औपचारिक तौर पर शुरू की गई थी लेकिन कार्य पहले से शुरू कर दिया गया था। 31 जुलाई, 1986 तक, उत्तर प्रदेश में 16.88 करोड़ रुपयों की लागत से 27 स्कीमें, बिहार में 1.72 करोड़ रुपयों की लागत से 11 स्कीमें पश्चिम बंगाल में 12.19 करोड़ रुपयों की लागत से 34 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से एक स्कीम हरिद्वार में 0.62 करोड़ रुपयों की लागत से और एक स्कीम वाराणसी के निकट राम नगर में 0.09 करोड़ रुपयों की लागत से पूरी की जा चुकी है।

(ग) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने 292.31 करोड़ रुपए की कुल लागत से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों के लिए एक निर्माण कार्यक्रम स्वीकृत किया है। इसमें से 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यय 240 करोड़ रुपये तक सीमित रहेगा। ऐसी आशा है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई स्कीमें 7वीं योजना अवधि में पूरी हो जाएगी।

(घ) ऐसी आशा की जाती है कि गंगा कार्यकारी योजना के क्रियान्वयन से अर्जित अनुभव अन्य नदियों के लिए ऐसे कार्यक्रमों के लिए उपयोगी होगा। तथापि, इस समय दक्षिण में नदियों के लिए गंगा कार्यकारी योजना जैसी कोई स्कीम प्रकल्पित नहीं है।

"उड़ीसा में काले हिरणों के लिए अभयारण्य"

*302. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के गंजाम जिले भेटनई के पास काले हिरणों की सुरक्षा हेतु एक अभयारण्य की स्थापना करने के लिए उड़ीसा को कितनी धन राशि स्वीकृति की गई और कितनी धन राशि दी गयी है ;

(ख) क्या इस हेतु भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है और काम शुरू कर दिया गया है ; और

(ग) अभयारण्य की स्थापना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) अभयारण्य की स्थापना के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती। राज्य सरकार द्वारा अभयारण्य की स्थापना कर लिए जाने के उपरान्त ही इसके बेहतर संरक्षण हेतु निधियों की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है।

(ख) उड़ीसा राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, भेटनई में अभयारण्य की स्थापना अभी तक नहीं की गई है तथा इसके लिए भूमि का अधिग्रहण भी नहीं किया गया है।

(ग) कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह राज्य सरकार का मामला है कि भेटनई के निकट अभयारण्य की स्थापना कब करें अथवा करें या नहीं करें।

"गंगा नदी की सफाई के लिए जनता में जागरुकता उत्पन्न करना"

*303. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी की सफाई के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और उस धन-

राशि का कितना भाग पश्चिम बंगाल में इस नदी के सफाई कार्यों पर खर्च करने के लिए रखा गया है ;

(ख) क्या कुल पूंजी परिव्यय में से कुल राशि 'जन-जागृति अभियान' पर खर्च की जा रही है;

(ग) इसमें शामिल मुख्य विज्ञापन एजेन्सियों के नाम क्या हैं, उनका चयन किस प्रकार किया गया है तथा उनमें से प्रत्येक को कितनी राशि देय है ; और

(घ) इन एजेन्सियों के प्रचार अभियान का तरीका क्या है तथा नदी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार विभिन्न वर्ग के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के तीन राज्यों के लिए 292·31 करोड़ रुपये की कुल लागत पर एक निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दी है । यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए हाथ में ली गयी योजनाओं पर व्यय 240 करोड़ रुपये तक सीमित होगा । निर्माण कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर लागत 133.55 करोड़ रुपए है ।

(ख) सूचना तथा जन-जागरुकता कार्यक्रमों पर 30-6-86 तक 16.65 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है ।

(ग) गंगा परियोजना निदेशालय ने इस प्रयोजन के लिए स्वयं किसी विज्ञापन एजेन्सी की नियुक्ति नहीं की है । अतः किसी विज्ञापन एजेन्सी के चयन अथवा उसे भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब

*304. **श्री वसुदेव आचार्य :**

श्री अनिल बसु :

क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के लिए स्वीकृत सभी 25 केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का विलम्ब हुआ है ;

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) उक्त परियोजनाएं इस समय कितनी पूरी हुई हैं ; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) बिहार में कार्यान्वयनाधीन ऐसी 25 केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा सदन-पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है, जिनकी हमें रिपोर्ट मिली है ।

(ग) ये परियोजनाएं पूरा होने के विभिन्न स्तरों पर हैं । विलम्ब के कारणों का पता लगा लिया गया है और आगे विसर्पण (स्लिपेज) को दूर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

(घ) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने का प्रत्याशित समय सदन पटल पर रखे गए विवरण-पत्र के स्तम्भ 6 में दिया गया है ।

विवरण

बिहार में कार्यान्वयनाधीन 25 परियोजनाएं

क्र० सं०	नाम	क्षेत्र	अनुमोदन की तारीख	चालू करने की मूल तारीख	चालू करने की प्रत्याशित तारीख	मूल तारीख के संदर्भ में विलम्ब (महीने)	मूल अनुमोदिन लागत (करोड़ रु०)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु०)	लागत वृद्धि (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	बिहार (विलम्ब 1 से 5 वर्ष)								
1.	ब्लाक-II ओ सी पी झरिया (बी सी सी एल)	कोयला	6/32	3/87	3/88	12	112.05	115.05	3.00
2.	पूतकी बलिहारी यू जी (बी सी सी एल)	—वही—	12/83	3/94	12/95	21	119.87	199.87	80.00
3.	राजमहल ओ सी (ई सी एल)	—वही—	8/80	3/87	3/91	48	87.43	217.27	129.84
4.	दामोधर ओ सी (बी सी सी एल)	—वही—	3/84	3/88	3/89	12	57.04	57.04	शून्य
5.	कटरास यू जी (बी सी सी एल)	—वही—	10/79	3/84	3/88	48	26.04	26.04	शून्य
6.	उत्तरी उमलाबाद यू जी (बी सी सी एल)	—वही—	10/80	3/85	3/90	60	26.18	26.18	शून्य
7.	करकटा ओ सी (सी सी एल)	—वही—	6/82	3/85	3/87	24	29.60	35.00	5.40
8.	राजराप्पा ओ सी (रामगढ़)	—वही—	8/77	3/85	3/87	24	41.86	91.46	49.60
9.	फिडमा वाशरी	—वही—	4/80	3/84	3/89	60	32.27	62.60	29.73
10.	राजराप्पा वाशरी	—वही—	8/77	3/82	6/86	52	52.77	50.00	24.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	बोकारो स्टील (सी सी पी)-सेल	स्टील	9/78	9/83	3/87	42	75.94	132.08	56.14
12.	बोकारो "बी" II (डी वी सी)	बिजली	6/81	10/85	6/88	32	186.93	290.22	103.29
13.	बोकारो "बी" II (डी वी सी)	बिजली	10/77	4/84	6/86	26	69.76	203.05	133.29
14.	फरक्का ट्रांसमीशन लाइन्स स्टेज II (एन टी पी सी)	—वही—	9/84	3/91	3/92	12	134.90	148.40	13.50
15.	कहलगांव ट्रांसमीशन लाइन्स स्टेज I (एन टी पी सी)	—वही—	9/84	3/90	3/91	12	178.48	174.48	शून्य
	अन्य								
16.	मुनीडीह यू जी (बी सी सी एल)	कोयला	11/65	3/72	3/89	204	15.49	132.07	116.58
17.	भलगोरा	—वही—	10/80	3/85	3/91	72	46.22	46.22	शून्य
18.	सुदामडीह	—वही—	12/62	3/71	3/88	204	37.62	94.65	57.03
19.	मधुबंद वाशरी	—वही—	3/85	3/89	3/89	0	71/90	71/90	शून्य
20.	घोरी वैस्ट ओ सी	—वही—	8/81	3/90	3/90	0	33.30	56.00	22.70
21.	सलैक्टिड ढ़ोरी/न्यू कल्यानी	—वही—	8/81	3/90	3/90	0	24.38	37.00	12.62
22.	कैप्टिव पावर (एच एफ एल)-बाराउनी	उर्वरक	11/81	12/85	11/86	11	35.61	47.39	11.78
23.	बोकारो 4 एम टी एक्सपैन्सन	स्टील	5/78	3/77	2/88	131	947.24	2071.96	1124.72

24. काहलगांव एस टी पी पी	बिजली	2/85	9/92	7/92	(-)2	884.15	884.15	शून्य
25. कामेडपुर-जलपाईगुडी रेलवे (लाइन) (डबलिंग)	रेलवे	4/85	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	42.92	42.92	शून्य
जोड़ (अन्य)						2138.83	3384.26	1245.43
कुल जोड़						3426.95	5220.40	1793·45

"विलुप्त हो रहे औषधीय पौधे"

*305. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ने ऐसे 20 औषधीय पौधों का पता लगाया है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पौधों को बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अपने वनस्पति उद्यान, कलकत्ता और भारत के विभिन्न भागों में स्थित प्रायोगिक उद्यानों में औषधीय महत्व के दुर्लभ पौधे उगा रहा है ताकि भारी मात्रा में उगाने के लिए उनके वर्धन, गुणन, दशानुकूलन और उपयुक्तता के लिए विधियां विकसित की जा सकें। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के अधीनस्थ संगठन भी औषधीय पौधों के वैज्ञानिक वर्धन के काम में लगे हैं। वन्य प्राणिजातों और वनस्पतिजातों की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में करार (सी० आई० टी० ई० एस०) के अन्तर्गत संकटापन्न पौधों के व्यापार और वाणिज्य की अनुमति नहीं दी जाती है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में विदेशी चन्दा प्राप्त करने वाले संगठन

2798. श्री चिन्तामणि जेना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में कुछ गैर सरकारी धार्मिक संगठन विकास परियोजनायें शुरू करने के लिए अनेक देशों से नियमित रूप से दान और चन्दा प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से, विदेशी सरकारों अथवा विदेशी गैर-सरकारी संगठनों से, नकद अथवा वस्तुगत दान या चन्दा प्राप्त किया है ;

(ग) ऐसे संगठनों द्वारा विदेशों से सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी नियम और शर्तें क्या हैं ; और

(घ) क्या भारत-जर्मन सोसाइटी ने भारत में, विशेषकर उड़ीसा में, किसी गैर-सरकारी संगठन को नकद अथवा वस्तुगत दान/चन्दे के रूप में ऐसी कोई सहायता दी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में बड़ी संख्या में संगठनों ने विदेशों से अभिदान प्राप्त किया है और इस प्रकार से प्रत्येक संगठन का नाम और उसके द्वारा प्राप्त की गई विदेशी अभिदान की राशि के ब्यौरे प्रस्तुत करना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि मांगी गई सूचना का कार्य विस्तृत है।

(ग) विदेशी अभिदान प्राप्त करने के लिए संगठनों को अपने आपको या तो पंजीकृत कराना चाहिए या केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए और विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का पालन करना चाहिए।

(घ) भारत में संगठनों द्वारा इस नाम के संगठन से दान या विदेशी अभिदान प्राप्त करने के विषय में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में "रैड आयल पाम" के वृक्ष लगाना

2799. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में "रैड आयल" पाम वृक्षारोपण की सफलता मिली है और खाड़ी द्वीप समूह में 50,000 हैक्टेयर में वृक्षारोपण बढ़ाने से विदेशी मुद्रा की भारी बचत हो सकेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख). अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तेल ताड़ की व्यापक रूप से खेती करने के लिए उपयुक्त है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह वन विभाग द्वारा 1975-76 में 160 हेक्टेयर वन भूमि में लगाई गई पौध से शुरू करके अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह वन एवं पौध विकास निगम द्वारा 1433 हैक्टेयर क्षेत्र में लाल तेल-ताड़ के पौधे लगाए गए हैं।

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों को लाल तेल-ताड़ बागान में बदलने की उपयुक्तता के बारे में व्यक्त कुछ आशंकाओं को नजर में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि और पौध-रोपण कार्य 400 हेक्टेयर अथवा उस क्षेत्र तक, जहां पहले ही पूरी तरह से पेड़ गिराए जा चुके हैं, इनमें जो भी कम हो, सीमित रखा जाए।

मदर डेयरी के बूथों के लिए भूतपूर्व सैनिकों का चयन

2800. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदर डेरी ने अब तक दूध, फल और सब्जियों के बूथों के संचालकों के रूप में कितने भूतपूर्व सैनिकों का चयन किया है ;

(ख) अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों के ठेके रद्द किए जा चुके हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और उनके ठेके रद्द किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) मदर डेयरी, दिल्ली ने जनवरी 1981 से जून 1986 तक की अवधि में दूध के बूथों के संचालकों के रूप में 437 भूतपूर्व सैनिकों और जनवरी, 1985 (जब यह योजना आरम्भ हुई थी) से जून, 1986 की अवधि में फल और सब्जी की दुकानों के लिए संचालकों के रूप में 14 भूतपूर्व सैनिकों को चुना था।

जनवरी, 1981 से जून, 1986 की अवधि में 372 भूतपूर्व सैनिकों के दूध के बूथों के ठेकों को निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया :—

1. समझौतों के विभिन्न उपबन्धों की शर्तों के अनुसार डेयरी द्वारा रद्द किए गए समझौते	=	201
2. समझौते के उपबन्धों के अनुसार संचालकों द्वारा नोटि दिए जाने पर रद्द किए गए समझौते	=	161
3. संचालकों की मृत्यु के कारण रद्द किए गए समझौते	=	10
		372

जनवरी, 1985 से जून, 1986 की अवधि में 10 भूतपूर्व सैनिकों के फल एवं सब्जी की दुकानों के ठेकों को निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया :—

(i) समझौतों के विभिन्न उपबन्धों की शर्तों के अनुसार डेयरी द्वारा रद्द किए गए समझौते	=	4
(ii) समझौते के उपबन्ध के अनुसार संचालकों द्वारा नोटिस दिए जाने पर रद्द किए गए समझौते	=	6
		10

इस समय दिल्ली के सभी 300 दूध के बूथों एवं सब्जी तथा फल की चार दुकानों (11 में से) के संचालक भूतपूर्व सैनिक हैं।

दक्षिण पश्चिमी मानसून

2801. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पश्चिमी मानसून में जो देश के अधिकतर भागों में निर्धारित समय से पीछे चल रहा है, पिछले डेढ़ महीने में बहुत धीमी प्रगति हुई है ; और

(ख) वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बुआई तथा खरीफ की फसल के लक्ष्य पर इसका किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी, और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) सारे देश में मौसम विज्ञान सम्बन्धी 35 उपखण्ड हैं। 30 जुलाई, 1986 तक उपखण्डवार हुई वर्षा के अनुसार, 21 उपखण्डों में वर्षा सामान्य रही, 2 उपखण्डों में सामान्य से अधिक हुई और 12 उपखण्डों में कम हुई। इस वर्ष सामान्य/सामान्य से अधिक वर्षा जिन उपखण्डों में हुई उनकी संख्या (23) 1983-85 की उसी अवधि के दौरान, जो कि अच्छे मानसून के वर्ष थे, 23-25 की संख्या की तुलना में अनुकूल है।

(ख) जून माह के दौरान मानसून पूर्व मानसून में हुई वर्षा से इस वर्ष खरीफ की फसल की बुआई में सुविधा हुई है। जुलाई के पहले पन्द्रह दिनों में मानसून की वर्षा में रुकावट के बाद अब वर्षा फिर आरम्भ हुई है। खरीफ की फसल के लक्ष्यों के सम्बन्ध में स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है।

"ईंधन की लकड़ी की कमी"

2802. श्री एच० बी० पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ईंधन की लकड़ी की भारी कमी को पूरा करने के प्रयास किए गए हैं ;

(ख) क्या इस समस्या से निपटने के लिए बागानों की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वनों की कटाई से उत्पन्न देश के पारिस्थितिकीय संकट को दूर करने के लिए विशेषज्ञों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। एक द्वि-मुखी योजना शुरू की गई हैं जिसमें सामूहिक वनरोपण द्वारा जलाऊ लकड़ी की उपलब्धता में वृद्धि करना तथा गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, सुधरे चूल्हों और ईंधन कुशल शवदाह गृहों को लोक प्रिय बनाकर जलाऊ लकड़ी की मांग में कमी करना शामिल है।

(ख) जी, हां। इसे सुधरे पौध रोपण भण्डार और पौध रोपण पद्धतियों, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण और क्रमबद्ध निरीक्षण, राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा नियमित प्रबोधन तथा जनता की भागीदारी/सहयोग से प्राप्त किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

परम्परागत चावल मिलों का आधुनिकीकरण

2803. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परम्परागत चावल मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में स्थित कितनी परम्परागत चावल मिलों का पिछले तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण किया गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि एक बैटरी के हुलरों की 244 परम्परागत चावल मिलों, 186 हुलर-एवं-शैलरों और 51 शैलरों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है।

दिल्ली के लिए पुलिस बल

2804. श्री अमल दत्त : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने पुलिस बलों को स्वीकृति दी गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किन्हीं अन्य विशेष बलों से समय-समय पर

दिल्ली में कार्मिक लाये जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 1985 से महीने-वार, स्रोतवार और श्रेणी-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित बलों के खर्च को कैसे पूरा किया जाता है ; और

(ङ) जनवरी, 1985 से कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और विभिन्न स्रोतों/बजट शीर्षों से खर्च को किस अनुपात में पूरा किया गया है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली पुलिस की श्रेणी वार संख्या निम्न प्रकार से है :—

1.	पुलिस आयुक्त	1
2.	पुलिस अपर आयुक्त	8
3.	पुलिस उप-आयुक्त	42
4.	पुलिस सहायक आयुक्त	143
5.	निरीक्षक	487
6.	उप-निरीक्षक	2933
7.	सहायक उप-निरीक्षक	2229
8.	हैड कांस्टेबल	6940
9.	कांस्टेबल	22949
10.	आशुलिपिक	71
11.	सिविलियन	30
12.	चतुर्थ श्रेणी	1313
	कुल :	37146

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित बलों की लागत—प्रमुख शीर्ष 255 पुलिस, क-12 पुलिस क-12(I) निदेश और प्रशासन, ए-12(I)(5) व्यावसायिक और विशेष सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत पूरी की जाती है।

(ङ) जनवरी, 1985 से कुल 3,38,39,300.03 रु० की राशि खर्च की गई। इस व्यय को प्रमुख शीर्ष 255 पुलिस, क-12 पुलिस, क-12(I) निदेश और प्रशासन, क-12(I)(5) व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के अन्तर्गत खर्च किया गया।

विवरण

क्रम सं०	अवधि	कम्पनी	के० रि० पु० ब० प्लाटून	के० रि० पु० ब० सैक्शन	टी०एस० पी०	एस०एस० बी०	एम०पी० एस०ए०एफ०	बी०एस० एफ०	एच०ए० पी०	पी०ए० सी०	आर०ए०सी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जन, 85	40	—	—	6	6	—	—	—	—	—
2.	फरवरी, 85	28	—	—	6	2	—	—	—	—	—
3.	मार्च, 85	28	—	—	6	2	—	—	—	—	—
4.	अप्रैल, 85	26	1	2½	6	2	—	—	—	—	—
5.	मई, 85	33	—	—	6	2	3	—	—	—	—
6.	जून, 85	30	—	—	6	—	3	—	—	—	—
7.	जुलाई, 85	34	—	—	6	—	—	—	—	—	—
8.	अगस्त, 85	42	—	—	6	—	—	—	—	—	—
9.	सितम्बर, 85	47	—	—	6	2	4	4	3	3	—
10.	अक्तूबर, 85	56	—	—	6	2	6	—	3	23	9
11.	नवम्बर, 85	60	—	—	6	2	6	—	3	23	9
12.	दिसम्बर, 85	63	—	—	6	—	—	—	—	5	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	जनवरी, 86	63	—	—	6	—	—	—	—	25	—
14.	फरवरी, 86	67	—	—	6	—	—	7	3	—	—
15.	मार्च, 86	62	—	—	6	—	—	2	—	—	—
16.	अप्रैल, 86	62	—	—	6	—	—	—	—	—	—
17.	मई, 86	55	—	—	6	—	—	—	—	15	—
18.	जून, 86	41	—	—	6	—	5	—	—	15	3

"नर्मदा सागर परियोजना"

2806. **श्री अमर सिंह राठवा : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा-सागर परियोजना से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या के सम्बन्ध में पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति की बैठक में कोई चर्चा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) नर्मदा सागर परियोजना से उत्पन्न मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं ?

(घ) क्या पर्यावरणीय समस्याओं के परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने की संभावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन समस्याओं के सुलझाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण मूल्यांकन समिति, परियोजना पर पहले ही चार बार विचार कर चुकी है किन्तु अपर्याप्त आंकड़ों के कारण पूरा आंकलन करना संभव नहीं हुआ।

(ग) नर्मदा सागर परियोजना से सम्बन्धित मुख्य पर्यावरणीय मुद्दे इस प्रकार हैं :—

—प्राणिजातों और वनस्पतिजातों से सम्पन्न 41587.29 हेक्टेयर उत्तम किस्म के वनों की क्षति ;

—आदिवासियों सहित 86,512 लोगों का विस्थापन ;

—वन्यजीव वास स्थलों की क्षति ;

—कमान क्षेत्र में खारेपन और जलाक्रान्ति की अधिक घटनाएं ; और

—जल से होने वाली बीमारियों की अधिक घटनाएं।

(घ) और (ङ). परियोजना पर शीघ्रता से विचार करने के लिए प्रशामक और निवारक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए चरणबद्ध कार्यकारी योजनाएं परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही है।

ज्वारीय ऊर्जा से बिजली

2807. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा इंजीनियरिंग फर्म ने क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर के सहयोग से ज्वारीय ऊर्जा से बिजली पैदा करने हेतु एक परियोजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या विज्ञान और औद्योगिकी विभाग से भी किसी प्रकार की सहायता सहयोग के लिए कहा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की चीनी की मांग और इसकी आपूर्ति

2808. **श्री जैनुल बशर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उत्तर प्रदेश द्वारा जनवरी, 1986 से जुलाई, 1986 तक माहवार, कितनी मात्रा में चीनी की मांग की गई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान माहवार उत्तर प्रदेश को कितनी मात्रा में चीनी आबंटित की गई ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश द्वारा कितनी मात्रा में चीनी उठाई गई ; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश को आवश्यकतानुसार चीनी की आपूर्ति नहीं की गई ; यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ). लेवी चीनी के मासिक कोटे एक-समान मानदण्डों के आधार पर और न कि राज्य सरकार से प्राप्त मांग/अनुरोधों के आधार पर आबंटित किए जाते हैं। 1-10-1983 को परियोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर अक्तूबर, 1983 से लेवी चीनी के कोटे बढ़ाए गए थे। तदनुसार, अक्तूबर, 1983 से उत्तर प्रदेश को 50466 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक लेवी कोटा आबंटित किया जाता है। इसके अलावा, राज्य में तैनात सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिकों के लिए भी लेवी चीनी की थोड़ी मात्रा आबंटित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार लेवी चीनी को उठाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उसका वितरण करने की स्वयं व्यवस्था करती है। अतः आबंटित की गई लेवी चीनी की सम्पूर्ण मात्रा को उठाने और राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उसका वितरण करने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में भर्ती

2809. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के भर्ती केन्द्र किन-किन स्थानों पर थे ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में भर्ती की तारीखें क्या थी, कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने लोग भर्ती किए गए ; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र में भर्ती बोर्डों के सदस्य कौन-कौन थे ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की

जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वनस्पति के उत्पादन में सरसों के तेल का इस्तेमाल

2810. श्री मोहन भाई पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति के निर्माण में सरसों/रेपसीड तेल को मिलाने की प्रतिशतता को कम करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कम की गई प्रतिशतता कितनी है ;

(ग) क्या इससे वनस्पति की कीमतों में भी कमी होंगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख). सरकार ने पहली अगस्त, 1986 से वनस्पति के निर्माण में सरसों/रेपसीड के एक्सपेलर तेल के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, ताकि खाद्य तेलों, जिनमें आम आदमी द्वारा सीधी खपत के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सरसों का तेल भी शामिल है, के मूल्यों पर लाभकारी प्रभाव पड़े।

(ग) और (घ). इसका वनस्पति के मूल्यों पर, जो इस समय युक्तिसंगत स्तर पर बने हुए हैं, कदाचित् कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पुलिस में भर्ती

2811. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मन्त्री पड़ौसी राज्यों से दिल्ली पुलिस में भर्ती के बारे में 26 फरवरी, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 508 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पुलिस और दिल्ली सशस्त्र पुलिस में कोई भर्ती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर दिल्ली की टीम द्वारा यह भर्ती की गई और भर्ती किए जाने की तारीखें क्या हैं ;

(ग) हिमाचल प्रदेश में भर्ती के प्रत्येक स्थान पर कितने उम्मीदवारों की सिपाहियों के रूप में भर्ती की गई ;

(घ) कुल कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई और प्रत्येक चयन केन्द्र पर कितने व्यक्ति चयन हेतु आए थे ; और

(ङ) क्या इस भर्ती में कद और सीने की पैमाइश के मामले में सामान्य रिआयत की भी अनुमति दी गई थी, जो इस राज्य के लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए दी जाती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भर्ती धर्मशाला पर दिनांक 2-6-1986 को और शिमला पर 10-6-1986 को की गई थी।

(ग) धर्मशाला पर 145 और शिमला पर 72 उम्मीदवार अस्थायी रूप में भर्ती किए गए थे।

(घ) धर्मशाला पर 371 और शिमला पर 231 उम्मीदवार आए थे। उनमें से धर्मशाला पर 145 और शिमला पर 72 उम्मीदवारों का अस्थायी रूप से चयन किया गया था।

(ङ) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति) और भर्ती संशोधन नियम, 1985 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए ऊंचाई और छाती की पैमाइश के मामले में 5 सें० मी० की रियायत अनुज्ञीय है, जो जहां आवश्यकता थी इन उम्मीदवारों को दी गई थी।

भारतीय सांख्यिकी सेवा में वरीयता सूची

2812. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने 11 फरवरी, 1986 को भारत सरकार को भारतीय सांख्यिकी सेवा में ग्रेड-चार के अधिकारियों की 11 फरवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार एक वरीयता सूची तैयार करने हेतु निदेश दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वरीयता सूची तैयार कर दी है और उसे उच्चतम न्यायालय से मंजूर करा दिया है ;

(ग) क्या सरकार को तैयार की गई इस वरीयता सूची के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो व्यथित अधिकारियों द्वारा किस तरह की आपत्तियां की गई हैं और उन्हें सरकार के निर्णयों से अवगत कराया गया है और यदि उन्हें किन्हीं निर्णयों से अवगत नहीं कराया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या ऐसे अधिकारियों को, जिन्होंने तदर्थ आधार पर ऐसे पदों पर काम किया है जो भारतीय सांख्यिकी सेवा की ग्रेड-चार में शामिल नहीं है और जो सम्बन्धित विभागों द्वारा नियन्त्रित किए जाते हैं, भी इस वरीयता सूची में रखा गया है ; और

(च) यदि हां, तो इन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें वरीयता सूची में रखने के क्या कारण है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी। तथापि, निर्णय में ऐसी मंजूरी के लिए कोई निदेश नहीं है।

(ग) और (घ). 8 मई, 1986 को परिचालित की गई अन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें सामान्यत: प्रारूप वरिष्ठता सूची के विरुद्ध पहले से की गई मांगों को पुन: दोहराया गया है कि (क) IV में संवर्ग पदों के विरुद्ध केवल तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को ही शामिल किया जाना चाहिए, और (ख) सम्भरक ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता को बनाए रखा जाना चाहिए और वरिष्ठ सम्भरक ग्रेड कार्मिकों को भी जिन्हें तदर्थ नियुक्तियां नहीं दी गई थीं, ग्रेड IV में नियमित नियुक्तियां दी जानी चाहिए चूंकि उनके कनिष्ठों को, जो तदर्थ नियुक्तियों पर थे, ऐसा लाभ दिया गया था। वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देते समय निर्णय की विवक्षाओं पर कानूनी राय

को ध्यान में रखते हुए इन विवादों पर विचार किया गया था। वरिष्ठता सूची परिचालित करते समय यह भी उल्लेख किया गया है कि उन सभी अभ्यावेदनों को जिन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया है, अस्वीकार कर दिया गया था। अतः और अधिक उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) और (च). निर्णय के कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए, सभी पात्र तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों को, चाहे वे संवर्ग पदों पर थे अथवा संवर्गबाह्य पदों पर, भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में नियुक्त किया गया है तथा उन्हें वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया। संवर्ग पद धारकों और संवर्ग बाह्य पद धारकों के रूप में तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों को अलग-अलग करना सम्भव नहीं है, चूंकि समय-समय पर रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर, संवर्ग तथा संवर्ग बाह्य पदों के बीच इन अधिकारियों की लगातार तथा दोनों ही प्रकार से गति रही है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र संघटकों के लिए भारत फ्रांस करार

2813. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की कम्पनी, "कम्पनी फ्रांसेसी डे फोर्स एट फाउण्डरीज" द्वारा भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए सप्लाई करने हेतु कुछ अनिवार्य संघटकों के बारे में भारत और फ्रांस के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि के क्षेत्र में योजना परिव्यय

2814. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पांचवीं और छठी योजना के दौरान कृषि के क्षेत्र में उत्पादन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों सहित वास्तविक योजना परिव्यय क्या था ;

(ख) वास्तविक उपलब्धियां क्या रही ; और

(ग) यदि कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख). पांचवीं योजना (1974-79) और छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में कृषि क्षेत्रक में वास्तविक योजना निवेश क्रमशः 124.92 करोड़ रु० और 215.49 करोड़ रु० था। जहां तक उत्पादन और उपलब्धियों के लिए लक्ष्यों का सम्बन्ध है, विवरण संलग्न है।

(ग) विवरण से यह स्पष्ट है कि न तो पांचवीं योजना में और न ही छठी योजना में खाद्यान्न के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सका। योजना में क्रमशः 89.70 लाख टन (1977-78) और 92.57 लाख टन (1984-85) खाद्यान्न रिकार्ड किया जबकि लक्ष्य 105 लाख टन और 120 लाख टन रखा गया था। राज्य में खाद्यान्न की प्रमुख फसलें चावल, गेहूं और दालें हैं और नगदी फसलों में पटसन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण फसल है। यद्यपि, हाल ही के वर्षों में चावल के उत्पादन और खेती में काफी वृद्धि दिखाई दी है तथापि इस क्षेत्र में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। गेहूं की खेती में वृद्धि के बावजूद,

इस फसल के अन्तर्गत क्षेत्र में कुछ कमी हुई है। दालों के मामले में उत्पादन और खेती दोनों ही में हाल के वर्षों में स्थिरता बनी रही है। कृषि से सम्बन्धित कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार, छठी योजना के दौरान सिंचाई के लिए निर्धारित 8 लाख हैक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 5 लाख हैक्टेयर भूमि ही सींची गई। पिछली उपलब्धियों तथा सातवीं योजना के दौरान उत्पादन के आसार को देखते हुए, सातवीं योजना के लिए 100 लाख टन का एक अधिक वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

सातवीं और छठी योजना के दौरान मुख्य कृषि उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां—पश्चिम बंगाल

	इकाई	पांचवीं योजना लक्ष्य (अधिकतम लक्षित उत्पादन)	वास्तविक 1978-79	छठी योजना लक्ष्य (1980-85)	वास्तविक 1984-85
1. खाद्यान्न	लाख टन	105	80.45†	120	92.57
2. तिलहन	—वही—	1	0.93	2	2.42
3. गन्ना	—वही—	20	18.85	26	7.70
4. जूट तथा मेस्टा	180 कि० ग्रा० की लाख गांठें	43	41.24	45	44.65

†1977-78 में 89.70 लाख टन का अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया गया था।

"एलर्जी करने वाले पौधे"

2815. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुत्रंजिवा सैपलिंग ऐसे अनेक पौधों में से एक है जो एलर्जी फैलाते हैं ; और

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर वनरोपण के अन्तर्गत एलर्जी फैलाने वाले कई अन्य पौधे अनजाने में लगाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पुत्रंजिवा सामान्य आक्रामक एलर्जेनिक पोलेन की सूची में सम्मिलित नहीं है। उनकी राय में, इसका नगण्य एलर्जेनिक महत्व है।

(ख) इसी रिपोर्ट के अनुसार, घासों एवं अपतृणों की तुलना में, वृक्षों का न्यूनतम एलर्जेनिक महत्व है। अभी तक किसी भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार से वनरोपण कार्यक्रम के तहत रोपे गए वृक्षों के खराब एलर्जी प्रभाव के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

"ग्राम पंचायतों की सहायता से पेड़ों की सुरक्षा के लिए योजना"

2816. **श्री आर० एम० भोये : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्राम पंचायतों की सहायता से न केवल पौधों का पोषण करने के लिए बल्कि वृक्षों की सुरक्षा के लिए भी वनरोपण योजना जैसी एक योजना तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). परती भूमि पर वनरोपण के बारे में राष्ट्रीय नीति की महत्वपूर्ण बातों में से एक बात सभी स्तरों पर नर्सरी उगाने से पौधरोपण और उसकी सुरक्षा के लिए समुदाय को शामिल करना है। सामुदायिक उपयोग के लिए वृक्षों को लगाने का कार्य कई राज्यों में अनवरत विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाओं का पहले से ही एक भाग है। सामाजिक सुरक्षा पट्टी के तत्व अर्थात् समुदाय द्वारा अपने वनों की स्वयं ही रक्षा करने के निश्चय और योग्यता को बढ़ावा देना तथा ऐसे वन उपज के समान वितरण की एक व्यवहार्य योजना, ग्राम पंचायत वनों की धारणा में निहित है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन के भुगतान में विलम्ब

2817. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन के भुगतान में विलम्ब के बारे में पेंशनभोगियों से शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख). जी, हां। ये शिकायतें आम तौर पर निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं :

(i) महीने के अन्तिम कार्य दिवस को पेंशन के जमा किए जाने में विलम्ब तथा

(ii) पेंशन सम्बन्धी राहत के भुगतान में विलम्ब।

इस प्रकार के विलम्ब को समाप्त करने के लिए सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों को अनुदेश जारी कर दिए हैं जो कि क्रमशः पेंशन का भुगतान कर रहे हैं।

"मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति"

2818. **श्री अरविन्द नेताम :**

श्री प्रताप भानु शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से सिंचाई सम्बन्धित कितने मामले प्राप्त हुए हैं ; तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने मामलों में एक से अधिक बार आपत्तियां उठाई गईं ;

(ग) कितने मामले अस्वीकृत कर दिए गए और अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कितने मामले निपटान के लिए अभी तक लम्बित पड़े हैं, तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) कितने मामलों में प्रशासनिक स्वीकृति दी दी गई है और 25 अक्तूबर 1980 से पहले काम शुरू कर दिया गया ; और

(च) क्या कुछ योजनाओं का वित्तपोषण विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है और केवल स्वीकृति न मिलने के कारण काम रूका हुआ है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 1980, 1981 और 1982 में कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ। 1983, 1984, 1985 और 1986 में क्रमशः बारह, एक सौ सौलह, सत्ताईस और दो मामले प्राप्त हुए हैं।

(ख) किसी मामले में आपत्तियां नहीं उठायी गयीं। केवल अपेक्षित आवश्यक सूचना मांगी गयी थी।

(ग) नौ मामले। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के उल्लंघन करने की वजह से सभी मामले अस्वीकृत किए गए थे।

(घ) 1984 में प्राप्त सभी चार मामले पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के पास निपटान के लिए लम्बित पड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न किए जाने की वजह से 1983 का एक मामला, 1984 के बानबे मामले, 1985 के सत्रह मामले और 1986 का एक मामला, बन्द समझे जा रहे हैं।

(ङ) विभाग को प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त सभी 64 मामलों में प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी और राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 25 अक्टूबर, 1980 से पहले काम शुरू कर दिया गया था।

(च) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में निर्दिष्ट है, कुछ योजनाओं को विश्व बैंक सहायता द्वारा वित्त पोषण किए जाने का प्रस्ताव है। जिन स्कीमों में वन भूमि शामिल है उनको सम्बन्धित वन भूमि के दिक्परिवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व-अनुमति लिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

बच्चों को जेल से रिहा करने के निदेश

2819. **श्री अमिताभ बच्चन : क्या कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अपनी जेलों से मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग अथवा खोये हुए और परित्यक्त बच्चों को, जिन्हें जेलों में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है, रिहा करने का निदेश दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में विभिन्न जेलों में रखे गए ऐसे शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग और खोये हुए अथवा परित्यक्त बच्चों का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन्हें अभ्यस्त अपराधियों, तस्करों और अन्य असामाजिक तत्वों से अलग रखने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यद्यपि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी राज्य सरकारों से यह जानकारी भेजने के लिए कहा गया था और उनकी रिपोर्टों पर आधारित एक विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार ने जेल से बच्चों को बाल गृहों में स्थानान्तरण करने हेतु राज्य सरकारों से कहा है।

विवरण

जेल आंकड़े

31-12-1985 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	जेलों में बच्चे
1	2	3
1.	(हैदराबाद) आन्ध्र प्रदेश	10 (30-6-1985 की स्थिति के अनुसार)
2.	(बिसपुर) असम	112 —तदैव—
3.	(पटना) बिहार	—
4.	(गांधी नगर) गुजरात	—
5.	(चण्डीगढ़) हरियाणा	7
6.	(शिमला) हिमाचल प्रदेश	1
7.	(जम्मू/श्रीनगर) जम्मू और काश्मीर	13 (30-6-1985 की स्थिति के अनुसार)
8.	(बंगलौर) कर्नाटक	—
9.	(त्रिवेन्द्रम) केरल	3
10.	(भोपाल) मध्य प्रदेश	5

1	2	3
11.	(बम्बई) महाराष्ट्र	1
12.	(इम्फाल) मणिपुर	2 (30-6-1985 की स्थिति के अनुसार)
13.	(शिलांग) मेघालय	16
14.	(कोहिमा) नागालैंड	4
15.	(भुवनेश्वर) उड़ीसा	61
16.	(चण्डीगढ़) पंजाब	58 (31-12-84 की स्थिति के अनुसार)
17.	(जयपुर) राजस्थान	—
18.	(गंगतोक) सिक्किम	1 (30-6-1985 की स्थिति के अनुसार)
19.	(मद्रास) तमिलनाडु	—
20.	(अगरतला) त्रिपुरा	23 (30-6-1985 की स्थिति के अनुसार)
21.	(लखनऊ) उत्तर प्रदेश	21 (30-6-1984 की स्थिति के अनुसार)
22.	(कलकत्ता) पं० बंगाल	446 (30-6-1985 की स्थिति के अनुसार)
23.	(पोर्ट ब्लेयर) अंडमान और निकोबार द्वीव समूह	2
24.	(इटानगर) अरुणाचल प्रदेश	—
25.	(चंडीगढ़) चण्डीगढ़	2 (30-6-1985 की स्थिति के अनुसार)
26.	(सिलवासा) दादरा और नगर हवेली	—

1	2	3
27.	(दिल्ली) दिल्ली	—
28.	(पणजी) गोवा दमन तथा दीव	—
29.	(कवारत्ती) लक्षद्वीप	कोई जेल नहीं
30.	(एजवल) मिजोरम	7
31.	(पांडिचेरी) पांडिचेरी	—
	जोड़	795

गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या

2820. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 1986 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हाल ही में दिल्ली में हुई एक विचार गोष्ठी में विद्वानों ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही 37 प्रतिशत जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों की सत्यता को चुनौती दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में "काम करने का अधिकार" शीर्षक जिस विचार गोष्ठी का उल्लेख किया गया है वह सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी, हिन्द मजदूर सभा और कुछ अन्य संगठनों द्वारा आयोजित की गई थी। टाइम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 13 जुलाई, 1986 के नई दिल्ली संस्करण में इस संबंध में इस प्रकार समाचार छपा था।

"सरकारी आंकड़े बताते है कि केवल 37 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है। लेकिन, श्री कंसल द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार यह संख्या 45 प्रतिशत है।"

भारतीय सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली के डा० एस० एम० कंसल के "भारत में गरीबी और उपभोग में असमानता पर टिप्पणी" विषयक निबंध में 1983 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 40.9 प्रतिशत गरीबी होने का अनुमान लगाया गया है न कि 45 प्रतिशत जैसा कि दिनांक 13 जुलाई, 1986 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" के समाचार में दिया गया है। 1983-84 के लिए योजना आयोग द्वारा अखिल भारतीय गरीबी का अनुपात 37.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। इन दोनों अनुमानों में अंतर अपनाई गई कार्य प्रणाली में भिन्नता होने के कारण है।

विदेशों से धन राशि प्राप्त करने वाले संगठनों पर प्रतिबन्ध

2821. श्री पी० नामग्याल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 36 संगठनों को दी गई अनुमति वापस ले ली है और राजनीतिक समझे जाने वाले 143 संगठनों की सूची तैयार कर ली है है तथा उन पर विदेशों से धन राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाए जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संगठन द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अनुमति वापस लिए जाने के क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 27 संगठनों को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा गया है ; किसी विदेशी अभिदान को प्राप्त करने से वर्जित किया गया है। 143 संगठनों को "राजनीति प्रकृति लेकिम, राजनीतिक पार्टी न होने" के रूप मे विनिर्दिष्ट किया गया है और इस प्रकार से किसी विदेशी अभिदान को स्वीकार करने से पहले उन्हें केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है।

(ख) विवरण I में 27 संगठनों के नाम और उनके द्वारा 1985 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदान की राशियां दी गई हैं। इन संगठनों को जनहित में और एफ० सी० आर० ए० के उपबन्धों का पालन न करने के लिए विदेशी अभिदान को प्राप्त करने के लिए निषेध/केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के निदेश लिए गए हैं। विवरण II में 143 संगठनों के नाम दिए गए हैं जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत "राजनीतिक प्रकृति लेकिन राजनैतिक दल नहीं" के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

विवरण I

उन संगठनों के नाम जिन्हें पूर्व अनुमति प्राप्त करने को कहा गया/जिन्हें विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए मना किया गया

क्रम सं०	संगठनों के नाम	1985 के दौरान रिपोर्ट की गई विदेशी अभिदाय की प्राप्ति
1	2	3
1.	एडवासिंग दी मिनिस्ट्रीज आफ गांसपेल (इण्डिया) इन्टरनेशनल, विजयवाड़ा (आ० प्र०)	175.48 लाख रुपए
2.	रोमन केथोलिक डायसेस आफ कोत्तर, नागरकोयल (तमिलनाडु)	48.59 लाख रुपए
3.	पार्टनर शिप मिशट सोसायटी, सीलमेट, चुरचांदपुर मणिपुर	60.12 लाख रुपए
4.	इण्डियन बेपटिस्ट मिशन, बंगलौर (कर्नाटक)	52.53 लाख रुपए

1	2	3
5.	कम्युनिटि सर्विस सोसायटी, कन्या कुमारी (तमिलनाडु)	विदेशी अभिदाय प्राप्त की कोई सूचना नहीं मिली
6.	इंडियन एवेजेलिकल चर्च आफ क्राइस्ट, हैदराबाद (आ० प्र०)	15.18 लाख रुपए
7.	चर्च आफ नार्थ इंडिया, चाइल्ड केयर सेंटर, नई दिल्ली	205.68 लाख रुपए
8.	डायोसस आफ वाराणसी, 45, विशप हाउस, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	41.43 लाख रुपए
9.	डायोसस आफ तेजपुर, तेजपुर (असम)	75.14 लाख रुपए
10.	दलतोगंज कथोलिक डायोसस, दलतोगंज, पालामाऊ (बिहार)	96.33 लाख रुपए
11.	रोमन केथोलिक डायोसिस आफ एलूरू, एलूरू (आन्ध्र प्रदेश)	80.28 लाख रुपए
12.	डायोसेस आफ त्रिचूर, बिशप हाउस, त्रिचूर (केरल)	58.98 लाख रुपए
13.	बाईबिल सोसायटी आफ इण्डिया, बंगलौर (कर्नाटक)	विदेशी अभिदाय प्राप्ती की कोई सूचना नहीं मिली
14.	एक्साविियर केलवानी मण्डल (पी०) लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात)	112.69 लाख रुपए
15.	कम्प्रीहैंसिव रूरल ओपरेशनस सर्विसेज सोसायटी (क्रोस) हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	220.92 लाख रुपए
16.	भागलपुर प्रेफेक्चर एसोसिएशन, भागलपुर (बिहार)	56.03 लाख रुपए
17.	सन्थाल मिशन आफ दी नार्थन चर्चेज, दुमका (बिहार)	विदेशी अभिदाय प्राप्ती की कोई सूचना नहीं मिली
18.	आनन्द निकेतन आश्रम ट्रस्ट, आनन्द निकेतन आश्रम पो० आ० रंगपुर (गुजरात)	14.35 लाख रुपए
19.	उडेयन, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	4.91 लाख रुपए
20.	क्रिश्चेयन इन्स्टीच्यूट फार दी स्टडी आफ रिलिजन एण्ड सोसायटी, बंगलौर (कर्नाटक)	87.14 लाख रुपए
21.	सलेसियन्स आफ डान बोसको, दीमापुर, शिलांग	83.56 लाख रुपए
22.	शान्ति निकेतन सोसियल सर्विस सेंटर पल्लारेड्डी, कलासपाड, कुडडापाह (आन्ध्र प्रदेश)	3.43 लाख रुपए
23.	भोपाल टेकनीकल एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, भोपाल (मध्य प्रदेश)	विदेशी अभिदाय प्राप्ति की कोई सूचना नहीं मिली
24.	क्रिश्चेयन सोसियल वेलफेयर एसोसएशन, कलासपाड, कुडडापाह (आन्ध्र प्रदेश)	—तदैव—

1	2	3
25.	रूरल एक्शन इन डवलपमेंट, डिस्टिक कुड्डापाह (आन्ध्र प्रदेश)	10.08 लाख रुपए
26.	बेराकाह् क्रिश्चेयन मिशन त्रिरुचि	विदेशी अभिदाय प्राप्ति की कोई सूचना नहीं मिली
27.	सिलोम क्रिश्चेयन एण्ड मिशन प्रा० लि० त्रिरुचि	—तदैव—

विवरण II

विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए राजनीतिक स्वरूप (लेकिन राजनीतिक पार्टी नहीं) के 143 संगठनों की सूची

क्रम संख्या	संगठन का नाम
1.	अखिल भारतीय किसान सभा, 16-सी, फिरोजशाह् रोड, नई दिल्ली।
2.	भारतीय खेत मजदूर संघ, नई दिल्ली।
3.	आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नई दिल्ली।
4.	अखिल भारतीय किसान सभा, 4 अशोक रोड, नई दिल्ली।
5.	सेंटर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन, कलकत्ता।
6.	भारतीय मजदूर संघ, नई दिल्ली।
7.	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कलकत्ता।
8.	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कलकत्ता।
9.	नेशनल फ्रंट आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन, कलकत्ता।
10.	आल इण्डिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन कलकत्ता।
11.	आल इण्डिया एल० आई० सी० एम्प्लाईज फेडरेशन, बम्बई।
12.	आल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन, दिल्ली।
13.	आल इण्डिया डिफेंसी इम्पलाईज फैडरेशन, पूणे।
14.	आल इण्डिया स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लाइज फैडरेशन हैदराबाद।
15.	आल इण्डिया रेलवे मैन फैडरेशन, नई दिल्ली।
16.	इण्डियन रेलवे वर्क्स फैडरेशन, नई दिल्ली।
17.	भारतीय रेलवे मजदूर संघ बम्बई।
18.	आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, असम।
19.	गवर्नमेंट इम्प्लाइज नेशनल फार्म, नागपुर।

क्रम संख्या	संगठन का नाम
20.	आल इण्डिया फैडरेशन आफ एलैक्ट्रीसिटी इम्पलाइज, नागपुर।
21.	नेशनल फेडरेशन आफ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ इम्प्लाइज (के० एल० मौजा ग्रुप) नई दिल्ली।
22.	ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन सेंटर, कलकत्ता।
23.	प्रोग्रसिफ यूनियन दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल।
24.	केरल ट्रेड यूनियन फ्रन्ट, त्रिचूर।
25.	स्वतन्त्रता थोजिलाली यूनियन, कालीकट।
26.	स्वतन्त्रता थोजिलाली यूनियन, काऊर, कालीकट।
27.	लेबर प्रोग्रेसफ फैडरेशन, मद्रास।
28.	अन्ना थाजिर संघ, पिरावई, मद्रास।
29.	स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर।
30.	सर्व श्रमिक संघ बम्बई।
31.	भारतीय कामगार सेना, बम्बई।
32.	नेशनल लेबर कोआर्डिनेशन काउंसिल, कलकत्ता।
33.	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कलकत्ता।
34.	नेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन, अहमदाबाद।
35.	आल इण्डिया स्टुडेंट फैडरेशन, नई दिल्ली।
36.	आल इण्डिया यूथ फैडरेशन, दिल्ली।
37.	स्टुडेंट फैडरेशन आफ इण्डिया, कलकत्ता।
38.	डेमोक्रेटिक यूथ फैडरेशन, कलकत्ता।
39.	अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बम्बई।
40.	डेमोक्रेटिक स्टुडेंट आर्गेनाइजेशन, कलकत्ता।
41.	कौमसोमल कलकत्ता।
42.	लैव्यूशनरी यूथ आर्गेनाइजेशन, कलकत्ता।
43.	प्रोग्रेसिफ डेमोक्रेटिक स्टुडेंट यूनियन, हैदराबाद।
44.	रेडिकल स्टुडेंट यूनियन, हैदराबाद।
45.	पंजाब स्टुडेंट यूनियन।
46.	आल इण्डिया सिख स्टुडेंट फैडरेशन, अमृतसर।
47.	केरल स्टुडेंट कांग्रेस, कोटायाम (के० एम० मैनी ग्रुफ)

क्रम संख्या	संगठन का नाम
48.	केरल स्टुडेंट कांग्रेस, कोटायाम (के० एम० जार्ज ग्रुप)
49.	पश्चिम बंगाल छात्र परिषद, कलकत्ता।
50.	वर्ल्ड तमिल यूथ फैडरेशन, मद्रास।
51.	नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन औमेन, नई दिल्ली।
52.	समाजवादी महिला सभा, पुणे, महाराष्ट्र।
53.	निखिल बंगा महिला संघ, कलकत्ता।
54.	इस्लामिक स्टडी सर्कल, श्रीनगर।
55.	अवामी एक्सन कमेटी, जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर।
56.	आल जे० एण्ड के० अवामी मकबूल महज।
57.	जे० एण्ड के० पीपुल्स लीग्स, श्रीनमर।
58.	उज्जैनी अशोम राज्य परिषद, गोहाटी।
59.	ट्राइबल फ्रन्ट अगरतला।
60.	कम्युनिस्ट लीग आफ इण्डिया, बड़ोदा।
61.	आल इण्डिया मजलिस-ए-मुशवरत, दिल्ली।
62.	तबलीग जमीत, नई दिल्ली।
63.	आल इण्डिया सर्व सेवा संघ वारधा।
64.	लोकनीति परिषद, नई दिल्ली।
65.	सिटिजन फार डेमोक्रेसी, नई दिल्ली।
66.	झारखण्ड मुखी मोर्चा संथाल परगना, बिहार।
67.	नाग विदर्भा आन्दोलन नागपुर।
68.	महा विदर्भा संघर्ष समिति।
69.	मराठवाड़ा जनता विकास परिषद, औरंगाबाद।
70.	महाराष्ट्र एकीकरण कोमेका, बेलगांव।
71.	वी कन्नड पखसा बंगलौर।
72.	कन्नड शेलुवलिंगरस बंगलौर।
73.	द्रविण कडगम, मद्रास।
74.	तमिलनाडु टोमलर प्रोग्रेसिव पार्टी मद्रास।
75.	नीलचक्रा, कटटक।
76.	दलित पैंथर मण्डला, बम्बई।

क्रम संख्या	संगठन का नाम
77.	दलित पैंथर भवानी पथ पुने।
78.	पीपल यूनियन फार सिविल लिबर्टीज एण्ड डेमोक्रेटिक राइटस, नई दिल्ली।
79.	आल इण्डिया इन्शोरेन्श इम्पलाइज एसोसिएशन, कलकत्ता।
80.	आल इण्डिया नेशनल लाइफ इन्सयोरेंस, इम्पालाइज फैडरेशन, बम्बई।
81.	नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेल्वेमैन, नई दिल्ली।
82.	इन्स्टीच्यूट आफ इण्डियन लेबर, कलकत्ता।
83.	नेशनल फैडरेशन आफ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ (शशिभूषण ग्रुप) नई दिल्ली।
84.	इन्डियन नेशनल प्लन्टेशन वर्करस फैडरेशन, असम।
85.	आनन्द मार्ग, कलकत्ता।
86.	प्रोटिस्ट यूनिवर्सल नई दिल्ली।
87.	वलन्टीयर सोशल सर्विस इलाहाबाद।
88.	सेवा धर्म मिशन वाराणसी।
89.	एज्यूकेशन रीलिफ एंड वैल्फेयर सेक्टर कलकत्ता।
90.	आनन्द मार्ग यूगिवर्सल रीलिफ टीम कलकत्ता।
91.	यूनिवर्सल प्रोटिस्ट स्टूडेन्टस फैडरेशन, नई दिल्ली।
92.	जमाते इस्लामी हिन्द दिल्ली।
93.	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, नागपुर।
94.	शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर।
95.	दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, दिल्ली।
96.	दी जे० एण्ड के० इस्लामी जमात ए तुल्फ।
97.	अन्जुमन नसरत ऊल इस्लाम श्रीनगर।
98.	जम्भू एण्ड कश्मीर मुस्लिम एकफ ट्रस्ट श्रीनगर।
99.	दी जम्मू एण्ड कश्मीर इस्लामिक स्टडी, सर्कल।
100.	आल इन्डिया पीस एंड सोलिडरिटी आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली।
101.	इन्डो सोवियत कल्चरल सोसाइटी नई दिल्ली।
102.	आल इंडिया इण्डो-कोरियन फ्रेण्डशिप एसोसिएशन, नई दिल्ली।
103.	आल इण्डिया इण्डो जी० डी० आर० फ्रण्डशिप एशोसिएशन, नई दिल्ली।
104.	इण्डो चैक कल्चरल सोसाइटी नई दिल्ली।
105.	इण्डो बल्गेरियन फ्रैन्डशिप एसोसिएशन, नई दिल्ली।

क्रम संख्या	संगठन का नाम
106.	इण्डिया चायना फ्रेन्डशिप एसोसिएशन, नई दिल्ली।
107.	आल इण्डिया डा० द्वारकानाथ कोथिसं मेमोरियल, कमेटी, कलकत्ता।
108.	नेशनल फैडरेशन आफ प्रोग्रेसिव राइटरस, नई दिल्ली।
109.	आल इण्डिया एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक लायर्स नई दिल्ली।
110.	जनरल यूनियन आफ पेल्सटाइन स्टूडेन्टस (इण्डिया ब्रान्च) नई दिल्ली।
111.	मोरल-टी-आर्मामेंट (एम० आर० ए०) पचगानी, महाराष्ट्र।
112.	राष्ट्र सेवा दल पुणे।
113.	अफगान लिबरेशन सेन्टर (ए० एल० सी०) नई दिल्ली।
114.	इरानियन स्टूडेन्टस इस्लामिक एसोसिएशन (आई० एस० आर० ए०) और यूनियन आफ इरानियन स्टूडेन्टस इस्लामिक एसोसिएशन (यू० एस० आर० ए०) बंगलौर।
115.	इण्डियन यूथ कांग्रेस (आई०) नई दिल्ली।
116.	इण्डियन यूथ कांग्रेस (एस०) नई दिल्ली।
117.	नेशनल स्टूडेंटस यूनियन आफ इण्डिया (आई०) नई दिल्ली।
118.	नेशनल स्टूडेंट यूनियन आफ इण्डिया (एस०) नई दिल्ली।
119.	युवा जनता, नई दिल्ली।
120.	जनता युवा मोर्चा, नई दिल्ली।
121.	तमिरा-ई-मिल्लहत, हैदराबाद।
122.	स्टूडेंटस इस्लामिक यूनियन (एस० आई० यू०) हैदराबाद।
123.	हलक्या तुल्बा इस्लाम, पटना।
124.	स्टूडेंटस इस्लामिक मोवमेंट इन इण्डिया (एस० आई० एम० आई०) अलीगढ़, यू० पी०।
125.	जय गुरुदेव एण्ड दूरदर्शी पार्टी मथुरा।
126.	शिव सेना, बम्बई।
127.	मास मनेजमेंट, बम्बई।
128.	ह्यूमन राईस्ट प्रोटेक्शन कमेटी, त्रिवेन्द्रम।
129.	अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल।
130.	महस-ई-आजादी, जे० एण्ड के०।
131.	जमात एहल-ई-हादिस, जे० एण्ड के०।
132.	राष्ट्र सेवी का समिति वर्धा (महाराष्ट्र)
133.	विश्व हिन्दू परिषद (वी० एच० पी०) बम्बई।

क्रम संख्या	संगठन का नाम
134.	रेव्यूल्यूशनरी स्टूडेंटस आरर्गेनाइजेशन (आर० एस०) केरल।
135.	हिन्द मजदूर सभा, बम्बई।
136.	युवा लोक दल, नई दिल्ली।
137.	दल खालसा चण्डीगढ़।
138.	जमात अहले हादिस और आल इण्डिया अहले-ई-अहदीस,
139.	जमात-ई-इस्लामी, जे० एंड के०, श्रीनगर।
140.	क्रिश्चेयन एक्शन ग्रुप "सी० ए० जी०" चाइबासा, बिहार।
141.	दीनी तलिमी कौंसिल, लखनऊ।
142.	नवोवत-उल-यूलेमा, लखनऊ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, नासिक में दुर्घटना

2822. **श्री मुरलीधर माने** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, नासिक में हाल ही में दुर्घटना हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दुर्घटना प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई या अधिकारियों की गलती से ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) यह दुर्घटना मृतक कर्मचारी द्वारा सुरक्षा के नियमों का पालन न करने के कारण हुई।

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड "फैक्टरी एक्ट" के अन्तर्गत सुरक्षा के सभी आवश्यक नियमों का अनुपालन कर रहा है।

गोआ में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नई बम्बई पीठ की बैठकें

2824. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बम्बई में स्थापित की गई पीठ गोआ में पणजी में अपनी बैठकें करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख). केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की नई बम्बई न्यायपीठ को क्षेत्रीय अधिकारिता गोआ संघ राज्य क्षेत्र तक है। पणजी के न्यायपीठ में परिभ्रमण बैठकें (सर्किट-सीटिंग) आयोजित करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

रक्षा सेनाओं द्वारा पहाड़ों में पेड़ों का काटा जाना

2825. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पहाड़ों में रक्षा सेनाओं द्वारा ईंधन के लिए लकड़ी की अपनी भारी आवश्यकता पहाड़ों में पेड़ों को काटकर पूरी की जाती है जिसके फलस्वरूप पहाड़ों में पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वनों का काटा जाना रोकने के लिए ईंधन के लिए कोयले या अन्य उत्पाद का प्रयोग करने का है ?

रक्षा उत्पादन और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) रक्षा सेनाओं द्वारा ईंधन की लकड़ी के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पहाड़ों में पेड़ों की कटाई नहीं की जाती।

(ख) खाना बनाने के लिए कोयले को मुख्य ईंधन के रूप में ग्रहण कर लिया गया है और रक्षा सेनाओं द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। कोयले के स्थान पर मिट्टी के तेल और गैस का भी प्रयोग किया जाता है।

योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच विचार विमर्श

2826. **श्री के० वी० शंकर गौडा :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए नया प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग के चेयरमेन और सदस्यों ने राज्यों का दौरा किया और मुख्य मन्त्रियों से बातचीत की थी और उनके कार्य-प्रभार के अन्तर्गत आने वाले विषयों से सम्बन्धित कतिपय मामलों पर चर्चा की थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त बातचीत से सातवीं योजना में आरम्भ किये जाने वाले कार्यों के मूल्यांकन में सहायता मिलेगी ; और

(घ) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा मौके पर किए गए अध्ययन से, योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले अपेक्षित सुधारात्मक उपायों के निर्धारण में कहां तक सहायता मिली ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ). योजना आयोग ने हाल ही में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के दिनांक 6 मार्च, 1986 के अ० शा० पत्र के तहत सभी राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को सलाह दी थी कि वे क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकृत राज्यों के मुख्य मन्त्रियों तथा योजना आयोग के मध्य बैठकों को जारी रखें जिससे राज्यों आदि के साथ वृहत्-स्तर योजना के पहलुओं की उनके साथ विचार विमर्श की जांच की जा सके। यह सुझाव दिया गया कि इन बैठकों में फिलहाल तीन पक्षों पर विचार किया जाना है कि सारे देश की आर्थिक प्रगति में योजना-व्यवस्था किस प्रकार महत्वपूर्ण साधन के रूप में लाभप्रद हो सकती है। ये पक्ष निम्नलिखित हैं :—

(1) योजना प्रक्रिया तथा पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं को तैयार करने की रीति ;

(2) राज्यों में विकेन्द्रित योजना ; तथा

(3) सिंचाई, विद्युत तथा सड़क जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रखरखाव पर व्यय को मानिटर करना।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे योजना से सम्बन्धित उक्त तीनों पहलुओं पर अपने विचारों से योजना आयोग को अवगत कराएं ताकि अलग-अलग क्षेत्रों में समुचित स्थानों पर मुख्य मन्त्रियों के साथ प्रस्तावित बैठकों का आयोजन किया जा सके।

3. इसलिए इन बैठकों का उद्देश्य योजना के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान आकृष्ट करना और लाभप्रद विचार विमर्श करना है। ये बैठकें सातवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा से सम्बद्ध नहीं हैं। ये बैठकें योजना आयोग द्वारा किसी भी प्रकार स्थानिक अध्ययन से भी सम्बद्ध नहीं हैं।

"कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन भूमि की स्वीकृति"

2827. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 से कर्नाटक सरकार द्वारा सिंचाई उद्देश्य के लिए कितने एकड़ वन भूमि को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया था ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने एकड़ वन भूमि दी गई थी ;

(ग) क्या सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन भूमि को स्वीकृति देने में असाधारण विलम्ब हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऐसी वन भूमि को स्वीकृति देने में विलम्ब को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 553.81 एकड़।

(ख) 147.825 एकड़।

(ग) से (ङ). राज्य सरकारों से मांगी गई सूचना न मिलने के कारण देरी होती है। राज्य सरकारों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाते हैं ताकि वे सब प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर सके।

विकास कार्यों के लिए राज्यों को निधियां

2828. **श्री उत्तमराव पाटिल :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा इन धनराशियों का पूर्ण उपयोग किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) केन्द्र सरकार उन राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देती है जो परि-

शोधित गाडगिल फार्मूला के अनुसार विभिन्न राज्यों को आवंटित सामान्य केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता तथा जनजातीय उप योजनाओं के लिए विशिष्ट केन्द्रीय सहायता, अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजनाएं, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल है। राज्यों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से कोई केन्द्रीय सहायता मुहैया नहीं की जाती है।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों को जो केन्द्रीय सहायता मुहैया की गई थी उसका कुल मिलाकर राज्यों द्वारा उपयोग किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय एजेंसी

2829. **कुमारी ममता बनर्जी :**

श्री हुसैन दलवाई :

क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखने के लिए कोई केन्द्रीय एजेन्सी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार का कार्य निष्पादन क्या रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी एजेन्सी न बनाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अब एजेन्सी बनाने का है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) राज्यों द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रबोधन करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में 20-सूत्री कार्यक्रम प्रबोधन प्रभाग मौजूद है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यों का समग्र क्रम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यों का समग्र क्रम दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1985-86
पंजाब	1
राजस्थान	1
उत्तर प्रदेश	1
तमिल नाडु	4
गुजरात	5
हरियाणा	5

राज्य	1985-86
महाराष्ट्र	5
हिमाचल प्रदेश	8
सिक्कम	8
आंध्र प्रदेश	10
त्रिपुरा	10
कर्नाटक	11
मध्य प्रदेश	11
मणीपुर	14
उड़ीसा	14
बिहार	16
मेघालय	17
पश्चिम बंगाल	18
केरल	19
नागालैंड	20
जम्मू और कश्मीर	21
असम	22

बिहार के लिए राशन में मिलने वाली खाद्य वस्तुएं

2830. श्री राम बहादुर सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुएं बिहार को आबंटित करती है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984 और 1985 के दौरान विभिन्न वस्तुओं का कितना कोटा आबंटित किया गया ;

(ग) क्या बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित कोटे का केवल 50 प्रतिशत ही उठाती रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें बिहार के बारे में 1984 तथा 1985 के वर्षों के दौरान गेहूं, चावल, खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल के आबंटन तथा उसकी उठाई गई मात्रा का ब्यौरा दर्शाया गया है।

(ग) और (घ). बिहार सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में गेहूं तथा चावल की अच्छी फसल होने तथा साथ ही व्यापारियों द्वारा पड़ोसी राज्यों से इन वस्तुओं का आयात करने से इन वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उठाई जाने वाली मात्रा पर प्रभाव पड़ा है।

विवरण

वर्ष 1984 और 1985 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बिहार सरकार को आबंटित की गई आवश्यक वस्तुएं

(आंकड़े हजार मी० टन में)

क्र० सं०	वस्तु	आबंटन		उठाई गई मात्रा	
		1984	1985	1984	1985
1.	गेहूं	864.0	864.0	270.0	235.3
2.	चावल	222.0	237.0	83.7	27.7
3.	लेवी चीनी	384.04	404.24	354.01	379.30
4.	खाद्य तेल	19.1	11.7	6.7	5.0
5.	मिट्टी का तेल	298.2	320.7	296.3	325.0

[हिन्दी]

डिब्रूगढ़ में भारतीय खाद्य निगम के चावलों का खराब होना

2831. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिब्रूगढ़ में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भारी मात्रा में चावल खराब हो गया है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग). जी नहीं। तथापि, पंजाब से प्राप्त हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी करने के लिए अनुपयुक्त 300 मीटरी टन घटिया चावल को टैंडर इन्क्वायरी के जरिए भारतीय खाद्य निगम, डिब्रूगढ़ द्वारा बेचा जा रहा है। पंजाब से इस प्रकार के घटिया स्टाक का प्रेषण करने के कारणों की जांच की जा रही है।

दिल्ली में स्टाम्प पेपरों की कमी

2832. **श्री ज्ञान चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो और पांच रुपये मूल्य के स्टाम्प पेपर दिल्ली में बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) स्टाम्प पेपरों की कमी कब तक दूर कर दी जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). 2 रु० मूल्य के स्टाम्प पेपर अब उपलब्ध हैं। 5 रु० मूल्य के स्टाम्प पेपर की आपूर्ति जल्दी ही पुनः शुरू हो जाएगी।

[अनुवाद]

आदिवासी बच्चों को उनकी मातृ-भाषा में शिक्षा देना

2833. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को, आदिवासी बच्चों को आदिवासियों की बोली/भाषा में ही प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की सलाह दी है ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह व्यवस्था आरम्भ कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को उनकी मातृ-भाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार, अरूणाचल प्रदेश के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने आदिवासी बोली में शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की हुई हैं।

(घ) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली भी आदिवासी बोली में पुस्तकें और पाठ्य सामग्री तैयार करने में सहायता कर रहे हैं। दूसरे अनेक उपायों के ब्यौरे भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की रिपोर्टों में दिए हुए हैं। नई शिक्षा नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर आदिवासी भाषाओं में पाठ्यक्रम का विकास करने और पाठ्य सामग्री तैयार करने तथा बाद में क्षेत्रीय भाषा में तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

"दिल्ली में चिड़ियाघर में सुधार"

2834. **श्री आर० एस० माने** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राष्ट्रीय चिड़ियाघर में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) चिड़ियाघर में निर्माण और रख-रखाव का कार्य किन एजेंसियों द्वारा किया जाता है इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ग) दिल्ली में चिड़ियाघर में बेहतर कार्य प्रणाली लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) पशुओं के विभिन्न बाड़ों के रख-रखाव और विस्तार कार्य में सुधार लाने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली के सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं।

(1) खाइयों की सफाई सहित बेहतर सफाई हेतु अभियान।

(2) बाड़ों का पुनः अभिकल्पन।

(3) नये बाड़ों का निर्माण।

(4) जानवरों के साथ छेड़छाड़ करने की घटनाओं को रोकने और आम जनता को शिक्षित करने के लिए अवैतनिक वार्डन नियुक्त करना।

(5) दर्शकों हेतु चिड़िया घर की मार्गदर्शी पुस्तिका और मानचित्र तैयार करना।

(6) पशु चिकित्सा व्यवस्था में सुधार।

(7) वृक्षारोपण में वृद्धि।

(8) देश के भीतर और बाहर दोनों से जानवरों को प्राप्त करना और उनका आदान-प्रदान करना।

(ख) चिड़ियाघर के निर्माण और रख-रखाव का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभिकरण के माध्यम से किया जाता है।

(ग) (1) कार्य में बेहतर दक्षता लाने के लिए कार्यालय और कार्यालय के बाहर दोनों में कार्य का पुनर्गठन और पुनः आवंटन तथा पर्यवेक्षक स्टाफ का अधिक विन्द्रीकरण।

(2) कर्मचारियों को प्रेरित किया जा रहा है और प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।

(3) उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जो अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं करते और सेवा आचार नियमावली का उल्लंघन करते हैं।

(4) कर्मचारियों के लिए अधिक सुविधाओं का प्रावधान।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चिड़ियाघर में पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए 30 लाख रु० का आवंटन किया गया है।

"पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए महाराष्ट्र को सहायता"

2835. **श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण सम्बन्धी कुछ योजना विचारार्थ और सातवीं योजना अवधि में शामिल करने के लिए भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर अब तक क्या कार्यवाही आरम्भ की गई है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य में पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार को धन उपलब्ध कराने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(1) एक तकनीकी कक्ष की स्थापना हेतु सहायता।

(2) एक चलती-फिरती प्रयोगशाला की खरीद के लिए सहायता।

(3) महाबलेश्वर-पंचगनी क्षेत्र में पारि-विकास कार्यक्रम के लिए सहायता।

(ग) राज्य पर्यावरण विभाग में एक तकनीकी कक्ष की स्थापना हेतु सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

(घ) और (ङ). राज्य विभाग में एक तकनीकी कक्ष की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार ने उत्प्रेरक सहायता प्रदान की है। संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विभाग राज्य सरकार को भी किसी प्रकार की अतिरिक्त निधियां मुहैया करने की स्थिति में नहीं होगा। तथापि, राज्य सरकार पर्यावरणीय कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए उनके पास पहले से ही उपलब्ध निधियों को उपयोग में ला सकती है।

आदिवासियों को उनके मूल स्थान से हटाया जाना

2836. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में पिछड़े क्षेत्रों में आदिवासियों को उनके मूल निवास-स्थान से हटाये जाने पर उनमें व्याप्त रोष की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए विशेषकर बिहार में कौन से तथ्य जिम्मेदार हैं; और

(ग) सरकार का आदिवासियों को हटाये जाने की समस्या का क्या व्यावहारिक हल निकालने का विचार है?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). जी, हां। देश के विभिन्न भागों में, जिनमें बिहार भी शामिल हैं, विस्थापित आदिवासियों में व्याप्त असंतोष के मुख्य कारण हैं—विकास परियोजनाओं के लिए आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण करना, उनके पुनर्वास के लिए अपर्याप्त उपाय, प्रतिपूर्ति की कम धनराशि देना और समय पर धनराशि का भुगतान न करना।

(ग) भारत सरकार के लोक उद्यम ब्यूरो ने मुख्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने और विस्थापितों, जिनमें आदिवासी भी शामिल हैं, पुनर्वास के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों में एक समिति बनाने की व्यवस्था है, जो विभिन्न वैकल्पिक उपलब्ध स्थानों को ध्यान में रखते हुए स्थल-चयन का निर्णय करेगी। दिशा-निर्देशों में विस्थापितों को जिनमें आदिवासी भी शामिल हैं, उचित समय के अन्दर प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए अनुदेश भी दिए गए हैं। जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहण कर ली गई हो, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी इन दिशा-निर्देशों में व्यवस्था है। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देशों में व्यवस्था है। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था की गई है कि भूमि अधिग्रहण किए जाने के कारण बेदखल किए आदिवासियों के लिए पुनर्वास योजनाएं कल्याण मन्त्रालय और पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय के परामर्श से तैयार की जायेंगी।

राज्य सरकारों को पहले ही पत्र लिखा गया है कि वे मुख्य परियोजनाओं के कारण विस्थापित आदिवासियों के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्वास योजनायें बनायें।

सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक

2837. **श्री कमलनाथ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) दिनांक 29-7-1986 को शिलांग में उत्तर-पूर्वी परिषद के तत्वाधीन में उत्तर-पूर्व के मुख्यमन्त्रियों की बैठक हुई।

(ख) 1985-86 की योजनावधि के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा की गई और 145 करोड़ रुपए के परिव्यय से उत्तर पूर्वी परिषद की वार्षिक योजना अनुमोदित की गई। उत्तरपूर्वी परिषद को सुदृढ़ करने के कई उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया। 3 करोड़ रुपए तक की उत्तर-पूर्वी परिषद की योजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय स्वीकृति के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद के सचिव को बढ़ी हुई शक्तियां प्रदत्त किया जाना इस सम्बन्ध में हाल में किया गया एक महत्वपूर्ण उपाय है। ऐसी योजनाएं जिनके लागत प्राक्कलन जो 3 करोड़ रुपए से अधिक न हो, की तकनीकी स्वीकृति देने के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद के क्षेत्रीय सलाहकारों को भी समान शक्तियां दी गई हैं।

संयुक्त सचिवों, अपर सचिवों और सचिवों का कार्यावधि के बाद भी पदों पर बने रहना

2838. **श्री रामधन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार में ऐसा कोई अधिकारी अपनी सामान्य कार्यावधि समाप्त होने के बाद भी संयुक्त सचिव, अपर सचिव और सचिव के पद पर काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या, सेवा-वार कितनी है ; और

(ग) कार्यावधि की शर्तों को समान रूप से लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) संयुक्त सचिवों तथा अपर सचिवों के मामले में कार्यावधि के आधार पर नियुक्तियां की जाती है। ऐसे 3 संयुक्त सचिव हैं जो अपनी सामान्य कार्यावधि समाप्ति के पश्चात् भी कार्य कर रहे हैं। सचिवों के लिए कोई कार्यावधि नहीं होती।

(ख) और (ग). संयुक्त सचिव स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारी। उनकी कार्यावधि को लोकहित में बढ़ाया गया है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय प्रक्षेपणास्त्र परीक्षण रेंज की स्थापना

2839. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री सी० माधव रेड्डी :

श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में बालियापाल में राष्ट्रीय प्रक्षेपणास्त्र परीक्षण रेंज की स्थापना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत कितनी भूमि ली जा रही है ;

(ग) इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने के कारण कितने भू-मालिकों और किसानों के विस्थापित होने की सम्भावना है ; और

(घ) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसन्धान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य रूप से उड़ीसा के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी के दक्षिण में हुस्वनसकारा नाला तक फैले 68 वर्ग कि०मी० भूमि पर रेंज सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सुवर्णरेखा नदी के उत्तर पूर्व में लगभग 34 वर्ग कि० मी० भूमि को सुरक्षित जोन के रूप में रखना होगा। इसके अतिरिक्त डाउन रेंज ट्रेनिंग एवं अन्य सुविधाओं के लिए कई स्थानों पर भूमि के कुछ छोटे-छोटे पाकेटों की आवश्यकता होगी। समुद्री तट की भूमि के कुछ उन क्षेत्रों को लेने का भी प्रस्ताव है जिन्हें वास्तव में समुद्र से बनाया गया है। भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने पर इसके लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा।

(ग) अनुमान है कि इससे 54 गांवों के लगभग 41000 लोगों के लगभग 6500 परिवार विस्थापित हो जायेंगे जिन्हें अन्य स्थानों पर फिर से बसाना होगा। सुरक्षित जोन में खेती करने और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा।

(घ) विस्थापित परिवारों को रेंज स्थल के नजदीक स्थापित किए जाने वाले आदर्श गांवों में बसाने का प्रस्ताव है, जहां सड़कों, पानी की पर्याप्त सप्लाई, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी मूल-सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन आदर्श गांवों के लिए स्कूल, डिस्पेंसरी, पशु-चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र अस्तपताल, प्रशिक्षण संस्थान आदि जैसी अन्य आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में औद्योगिक एवं अन्य परियोजना की कई योजनाएं स्थापित की जाएंगी जिसमें प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को रोजगार का अवसर दिया जाएगा।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाए गए मामले

2840. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की प्रत्येक खण्ड पीठ द्वारा 30 जून, 1986 को गत छ: महीनों के दौरान कितने मामले निपटाए गए और उनमें से अलग-अलग कितने मामले कर्मचारियों और कितने मामले सरकार के पक्ष में गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

कर्मचारियों अथवा सरकार के पक्ष में हुए निर्णयों से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसे आंकड़े अधिकरण अथवा सरकार दोनों में से किसी के द्वारा भी नहीं रखे जाते।

विवरण

क्रम सं०	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठ का नाम	अवधि	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	नई दिल्ली स्थित प्रधान न्यायपीठ	1-1-1986 से 30-1-1986 तक	588

1	2	3	4
	2. मद्रास न्यायपीठ	—वही—	727
	3. कलकत्ता न्यायपीठ	—वही—	448
	4. नई बम्बई न्यायपीठ	—वही—	76
	5. इलाहाबाद न्यायपीठ	—वही—	115
	6. चण्डीगढ़ न्यायपीठ	3-3-1986 से 30-6-1986 तक	209
	7. बंगलौर न्यायपीठ	—वही—	16
	8. गुवाहाटी न्यायपीठ	—वही—	38
		कुल	2217

टिप्पणी 1. चण्डीगढ़, बंगलौर और गुवाहाटी न्यायपीठों की स्थापना 3-3-1986 से की गई थी।

टिप्पणी 2. अहमदाबाद, कटक, हैदराबाद, जबलपूर, जोधपुर और पटना स्थित न्यायपीठों की स्थापना 30-6-1986 को ही की गई है।

पूर्वी क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक यूनिट

2841. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव क्या है ;

(ख) सातवीं योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास करने सम्बन्धी कौन-कौन से प्रस्ताव हैं ; और

(ग) उक्त भाग (क) और (ख) का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). सरकार हमारे देश के सभी भागों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन देती है। इस उद्देश्य से तैयार की गई सरकार की नीतियों के अन्तर्गत उद्यमकर्ताओं के आवेदन-पत्रों पर सरकार द्वारा अनुकूल और उपर्युक्त रूप से विचार किया जाता है। इलेक्ट्रानिकी विभाग भी विभिन्न राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने के बारे में परामर्श देता है और उनका मार्गदर्शन करता है। पूर्वी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए सरकार ने अनेक संवर्धनात्मक उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (ई०सी० आई० एल०) नामक सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम मेघालय सरकार को टेन्टालम संधारित्र

(कैपेसिटर) के विनिर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के बारे में सहायता प्रदान कर रहा है ;

(ii) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन०आई० सी०) ने भुवनेश्वर में पहले ही एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित कर लिया है। वहां एक सुपर कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की राजधानियों में कम्प्यूटर प्राणालियां भी स्थापित की जाएंगी। एन० आई० सी० द्वारा जिला स्तर की सूचना प्रणाली का विकास करने की भी अभिकल्पना की जा रही है ;

(iii) इम्फाल में एक इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाएगी।

(iv) "क्लास" परियोजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थित विद्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके पूर्वी क्षेत्र भी शामिल हैं ;

(v) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने आम उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों की सर्विसिंग तथा उनके अनुरक्षण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेवा तकनीशियन कार्यक्रम शुरू करने की योजना के बारे में पहल की है। इस योजना के अन्तर्गत पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी शामिल होंगे ;

(vi) इस क्षेत्र में स्थित विभिन्न इकाइयों को इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं ;

(vii) इस क्षेत्र की कुछ दूरदर्शन विनिर्माणकारी इकाइयां ई०टी० एण्ड टी० की "सामग्री प्रौद्योगिकी ब्रांड नामक" योजना के अन्तर्गत शामिल है ;

(viii) इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के परीक्षण तथा अंशांकन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कलकत्ता में एक इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

राज्यों में सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों की मृत्यु पर मुआवजा

2842. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमाओं तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सिविल ड्यूटी पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्ष वार कितने कर्मी मारे गए ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मुआवजे के रूप में वर्षवार कुल कितनी राशि दी गई ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

विवरण

		1984	1985	1986
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मारे गए कार्मिकों की संख्या	सी० सु० बल	10	1	4 (जून, 86 तक)
	के० रि० पु० बल	50	20	24 (2-8-86 तक)
(ख) मृतकों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगी की कुल राशि	सी० सु० बल	रु० 6,92,500	रु० 10,000	रु० 80,000
	के० रि० पु० बल	रु० 12,53,000	रु० 3,49,000	रु० 7,93,000

टिप्पणी : मृतकों के निकट सम्बन्धी को परिवार पेंशन, पेंशन में राहत, मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी योजना के अन्तर्गत बीमे की राशि, जो वर्तमान नियमानुसार स्वीकार्य है भी दी जाती है। उन्हें सीमा सुरक्षा बल के बारे में रु० 150 से रु० 200 की मासिक वित्तीय सहायता भी दी जा रही है और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में रु० 250 से रु० 400 संगठन द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजना से दिए जाते हैं।

गृह मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2843. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) 31 मार्च, 1986 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े थे ; और

(ग) इन बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के श्रेणीवार ब्यौरों के साथ-साथ गृह मंत्रालय सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :

	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
समूह "क"	118	8	5
समूह "ख"	532	69	9
समूह "ग"	657	80	14
समूह "घ"	398	128	18

वर्तमान अनुदेशों के अधीन सेवाओं और पदों पर खुली प्रतियोगिताओं द्वारा सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता क्रमशः 15% और 7-1/2% है। गृह मन्त्रालय में समूह "क" "ख" तथा "ग" पर नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं/सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा की जाती है। समूह "क" के वरिष्ठ स्तर के पद सामान्यतः अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। समूह "ख" तथा "ग" में कुल पद भी प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों में कोई आरक्षण नहीं होता है। समूह "घ" में नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों से सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा की जाती है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों का प्रतिशत क्रमशः 16-2/3 प्रतिशत तथा 7-1/2 प्रतिशत है जबकि सीधी भर्ती के लिए 15 प्रतिशत और पदोन्नति के लिए आरक्षण 7-1/2 प्रतिशत है। निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए प्रत्येक सेवा/पदों की श्रेणी के अलग-अलग रोस्टर रखते है। यदि आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को अनारक्षित कर दिया जाता है और तीन अनुवर्ती भर्ती वर्षों तक आगे ले जाया जाता है तथा आगे लाई गई सबसे पुरानी रिक्तयों को पहले भरा जाता है और यदि आवश्यक हो तो चालू रिक्तियों को आगे ले जाया जाता है ताकि रिक्तियों को व्ययगत होने से रोका जा सके। अनुसूचित जातियों से अनुसूचित जनजातियों और इसके विपरीत रिक्तियों को आगे ले जाए जाने के तीसरे वर्ष में आपस में बदलने के लिए भी आगे व्यवस्था है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में आयु की छूट के अतिरिक्त जहां भर्ती नियमों में ऐसी व्यवस्था है वहां उपयुक्तता, अनुभव आदि के स्तर में छूट दी जाती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विलय

2844. श्री अनादि चरण दास :

श्री यशवंत राव गडाख पाटिल :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेष अधिकारी (आयुक्त) के कार्यालयों का विलय करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आवश्यक विधान कब तक लाया जायेगा ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकारी वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए योजना

2845. श्री टी० बशीर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्रभावी आधार-भूत ढांचे तैयार करने

तथा सरकारी वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान इसके लिए राज्यवार कितना आबंटन किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त आधार-ढांचा सुविधाएं विकसित करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को उनके राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, यदि कोई हैं, को अंश-पूंजी अंशदान के रूप में तथा गोदामों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नहीं आते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए इस योजना के अन्तर्गत आने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु यद्यपि 35 लाख रुपये का परिव्यय मुहैया किया गया है, तथापि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अलग से निधियों का आबंटन नहीं किया गया है।

नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना

2846. **श्री आनन्द पाठक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, देहरादून, और स्थानों पर रहने वाले नेपाली नागरिकों के विभिन्न संगठनों ने नेपाली भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सरकार को पुन: अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का स्थिति की समीक्षा करने तथा लोगों की लम्बे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग). नेपाली तथा अन्य भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांगें अकसर प्राप्त होती रही। सरकार का विचार है कि मांग से उत्पन्न अन्य संभावित प्रभावों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करना होगा। सभी भाषाएं चाहे वे आठवीं अनुसूची में शामिल हैं अथवा नहीं, की सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्पराओं को विकसित करने के लिए सरकार प्रयास करती है।

पूर्वी क्षेत्र में परमाणु बिजली संयंत्र

2847. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी क्षेत्र में बिजली उत्पादन प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). परमाणु ऊर्जा विभाग

द्वारा पूर्वी विद्युत क्षेत्र के लिए गठित स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में सरकार द्वारा नामनिर्देशित निदेशक

2848. **श्री थम्पन थामस :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के निदेशकों का सरकार द्वारा नाम निर्देशन किया जाता है ;

(ख) वर्ष 1976 से आज तक नाम निर्देशित निदेशकों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसी निदेशक ने किसी समय संघ के कार्यकरण में किसी अनियमितता की ओर ध्यान दिलाया ;

(घ) क्या एक सरकारी अधिकारी इस संघ का प्रबन्ध निदेशक है ; और

(ङ) वर्ष 1976 से इस संघ में ऐसे कितने अधिकारियों ने कार्य किया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की उपविधियों के अनुसार इसके निदेशक मण्डल के 40 निदेशकों में से केवल 3 निदेशक सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं।

(ख) सूची संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ग) सरकारी निदेशकों द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कार्य निष्पादन, में सुधार लाने के बारे मे समय-समय पर सुझाव दिए जाते रहे हैं जैसे वित्त, क्रय और विक्रय सम्बन्धी प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया जाए ; राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा कार्य निष्पादन की नियमित पुनरीक्षा करना; कर्मचारियों के विरुद्ध अनियमितताओं की तेजी से जांच की जाए और काफी समय से बकाया धनराशियों को शीघ्र वसूली की जाए।

(घ) जी, हां।

(ङ) सूची संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण-I

1976 से अब तक राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के निदेशक मंडल में विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी निदेशकों के नाम

क्र० सं०	नाम	पदनाम	से	तक
1.	श्री ए० दास	संयुक्त सचिव (नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग)	23-07-75	26-08-76
2.	श्री एल० सी० गुप्ता	संयुक्त सचिव (खाद्य विभाग)	31-07-75	30-06-78
3.	श्री जे० एल० बजाज	उप सचिव (वाणिज्य मंत्रालय)	13-08-75	07-10-76
4.	श्री के० एस० मैथ्यू	निदेशक (नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग)	27-08-76	16-10-77
5.	श्री एम० सी० सुबर्ना	अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त बम्बई	08-10-76	19-02-79
6.	श्री के० नारायणन	संयुक्त सचिव (नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग)	17-10-77	09-07-78
7.	श्री पी० आर० द्विभाषी	संयुक्त सचिव —वही—	10-07-78	25-07-78
8.	श्री के० नारायणन	संयुक्त सचिव —वही—	26-07-78	19-02-79
9.	श्री के० सी० एस० आचार्य	संयुक्त सचिव (खाद्य विभाग)	12-09-78	10-10-81
10.	श्री के० एल० एन० राव	संयुक्त सचिव (नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग)	20-02-79	14-09-79
11.	श्री दौलत राम	उप सचिव (उद्योग मन्त्रालय)	20-02-79	06-06-79
12.	श्री एन० के० सिन्हा	उप सचिव —वही—	07-06-79	07-02-80
13.	श्री वी० के० बालाकृष्णन	निदेशक (नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग)	15-09-79	30-06-83
14.	श्री एस० के० अग्निहोत्री	उप सचिव (वाणिज्य मन्त्रालय)	09-06-80	27-04-81

15.	श्री दामोदरन	उप सचिव —वही—	28-04-81	16-11-83
16.	श्री के० बी० पिल्लै	उप सचिव (उद्योग)	08-02-80	17-04-80
17.	श्री एम० एल० कौल	उप सचिव (उद्योग मन्त्रालय)	18-04-80	08-06-80
18.	श्री एम० सुब्रामणियम	संयुक्त सचिव (खाद्य विभाग)	20-10-81	16-07-82
19.	श्री जी० वी० विश्वनाथ	संयुक्त सचिव (—वही—)	17-07-82	कार्यरत हैं
20.	श्री आर० दत्ता	निदेशक (नागरिक पूर्ति विभाग)	30-06-83	17-04-84
21.	श्री जिन्दर सिंह	उप सचिव (वाणिज्य मन्त्रालय)	13-09-83	22-04-85
22.	श्री डी० वी० के० चारी	लेखा नियन्त्रण (नागरिक पूर्ति विभाग)	18-04-84	19-05-85
23.	श्री संजीव मिश्रा	उप सचिव (वाणिज्य मन्त्रालय)	23-04-84	07-03-85
24.	श्री डी० के सिंह	संयुक्त सचिव (नागरिक पूर्ति विभाग)	08-03-85	कार्यरत हैं
25.	श्री एस० एम० पाटंकर	अतिरिक्त सचिव (खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय)	10-05-85	कार्यरत हैं

विवरण II

जिन सरकारी अधिकारियों ने 1979 से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य किया है, उनके सम्बन्ध में विवरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	मौजूदा विभाग में पदनाम
1.	श्री डी० एस० वर्मा	अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश
2.	श्री के० एस० मैथ्यू	निदेशक, सहकारिता विभाग
3.	श्री एम० जी० अलीअसगर	उप मुख्य निदेशक, नागरिक पूर्ति विभाग
4.	श्री ए० के० मुखर्जी	आई० ए० एस०, बिहार संवर्ग
5.	श्री आर० पी० श्रीवास्तव	अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश
6.	श्री ए० के० अग्रवाल	संयुक्त सचिव, इस्पात विभाग, भारत सरकार

मिजोरम समझौता

2849. प्रो० मधु दण्डवते :

डा० सुधीर राय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1986 के सण्डे आब्जर्वर और सण्डे मेल में प्रकाशित श्री लालडेंगा के साक्षात्कारों की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मिजोरम की स्वायत्तता तथा चीन और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में साक्षात्कारों में व्यक्त किए गए विचार मिजोरम समझौता के अनुरूप हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मिजोरम से संबंधित समझौता ज्ञापन जिस पर 30 जून, 1986 को हस्ताक्षर हुए थे (श्री लालडेंगा द्वारा दिए गए इंटरव्यू के प्रकाशन के बाद) से मिजोरम को राज्य का दर्जा देने, मिजोरम और सीमा व्यापार के लिए अनुच्छेद 371-क के प्रकार के उपबन्ध के बारे में सही स्थिति मालूम होती है ।

खाद्य तेल के आयात पर व्यय

2850. **श्री वीरेन्द्र सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 के दौरान खाद्य तेल के आयात पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : किसी वर्ष विशेष में आयात की जाने वाली खाद्य तेलों की मात्रा, देशीय तेलों की उपलब्धता, खाद्य तेलों की सम्भावित मांग, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता तथा अन्य सम्बन्धित बातों पर निर्भर करती है। अतः तेल वर्ष 1986-87 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान खाद्य तेल के आयात पर होने वाले सम्भावित व्यय का अभी से आकलन करना सम्भव नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास सम्बन्धी नीति

2851. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए एक दोमुखी नीति अपनाने का निर्णय किया है जैसाकि हाल ही में प्रधान मन्त्री महोदय ने घोषणा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख). हाल ही में प्रधान मन्त्री जी ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से सम्बन्धित समस्याओं को देखने के लिए रक्षा मन्त्रालय में नया डिवीजन स्थापित करने के बारे में घोषणा की थी। इसका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों के सन्तोषजनक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों को तेज करना और जिन विभिन्न मामलों में राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई करनी होती है उनके लिए राज्य सरकारों से कहना है। वैतनिक रोजगार की और अपना ही रोजगार स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाएगा।

मृत कर्मचारी के परिवार के आश्रितों को अनुकम्पा-आधार पर रोजगार प्रदान करना

2852. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई योजना बनाई थी, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रत्येक परिवार को जीविकोपार्जन करने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर अनुकम्पा-आधार पर रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था थी ;

(ख) यदि हां, तो मृत कर्मचारी के परिवार के उन आश्रितों को, जिन पर कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् परिवार पूर्णतः आश्रित हो जाता है, अनुकम्पा-आधार पर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का शोक-संतप्त परिवार की किस प्रकार मदद करने का विचार है ;

(घ) क्या कोई अनुदेश जारी किए गए हैं कि मृत कर्मचारी को देय सभी धन राशियों का अमुक निर्धारित समय के भीतर भुगतान/निपटारा कर दिया जाये जिससे कि शोक-संतप्त परिवार को कोई असुविधा अथवा परेशानी का सामना न करना पड़े ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) भारत सरकार के अधीन पहले ही एक योजना विद्यमान है जिसके अन्तर्गत ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी जिसकी कार्य करते हुए ही मृत्यु हो जाती है और जिसके परिवार में अन्य कोई रोजगार प्राप्त सदस्य न होने के कारण तत्काल सहायता की आवश्यकता है, के पुत्र/पुत्री/निकट सम्बन्धी को समूह "ग" अथवा "घ" के पदों में रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था है।

(ख) और (ग). दिवंगत कर्मचारी जहां कार्य करता था उस विभाग द्वारा उसके परिवार में से अपेक्षित अर्हता रखने वाले किसी एक (केवल एक ही) सदस्य को नियुक्त करने के प्रयास अनिवार्यतः किए जाते हैं बशर्ते कि मामले को उपर्युक्त निदेशों के अनुसार यह प्रसुविधा दिए जाने के लिए उपयुक्त समझा जाए। ऐसे परिवार के एक से अधिक सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, न ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति को अनिवार्य बनाना आवश्यक महसूस किया गया है।

(घ) और (ङ). 15-2-1979 को ऐसे निदेश जारी कर दिए गए थे जिनमें परिवार पेंशन और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए प्राधिकृत करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। भविष्य निधि सहित सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के भुगतान में होने वाने वाले विलम्ब से बचने के लिए 30-9-1982 को और आगे निदेश जारी कर दिए गए हैं जिनमें ऐसे मामलों के निपटान पर कड़ी निगरानी रखने के उद्देश्य से एक सूचना प्रणाली की व्यवस्था की गई है तथा पेंशन के विभिन्न दावों का तत्काल निपटान सुनिश्चित करने के लिए यथावश्यक उपचारी कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था कर दी गई है। तथापि जहां भविष्य निधि की जमा राशि के भुगतान में कोई प्रशासनिक विलंब हो जाता है तो ऐसे मामले में जिस महीने में यह भुगतान किया जाता है उससे पहले महीने तक का ब्याज अनुज्ञेय होता है। मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के मामले में यदि उसका भुगतान प्रशासनिक विलम्ब के कारण सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख से तीन महीने के भीतर नहीं किया जाता है तो देय राशि पर ब्याज अनुज्ञेय हो जाता है।

एअर इंडिया के विमानों पर रेडियोधर्मी का प्रभाव

2853. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से आ रहे एअर इंडिया के विमानों में चेरनोबिल (रूस) के संयंत्र में किसी गैस के कारण हुई दुर्घटना से पैदा हुई रेडियोधर्मी के प्रभाव का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) चेरनोबिल बिजलीघर में हुई दुर्घटना से निकली रेडियोधार्मिता का पता पहली बार 2 मई, 1986 को मास्को से आने वाले एक वायुयान को चला था। उसके बाद इसका पता न्यूयार्क-बम्बई तथा टोकियो-बम्बई के बीच उड़ने वाले वायुयानों को भी चला। रेडियोधर्मिता का स्तर इतना कम था कि उससे बचाव के लिए कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं थी।

[हिन्दी]

20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा

2854. श्री के०एन० प्रधान : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों का कार्यनिष्पादन सन्तोषजनक पाया गया और किन राज्यों ने इस कार्यक्रम को 1984-85 की तुलना में बेहतर ढंग से कार्यान्वित किया ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जिन राज्यों में वर्ष 1985-86 में समग्र निष्पादन 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति से अधिक पाया गया उनके नाम पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और सिक्कम हैं। जिन राज्यों का कार्य निष्पादन 1984-85 के मुकाबले 1985-86 में बेहतर था, उनके नाम पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, सिक्कम, त्रिपुरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी बंगाल और नागालैंड हैं।

[अनुवाद]

टाइटेनियम कारखाने की स्थापना

2855. श्री एन० डेनिस : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले के मानवलाकुरिची स्थान पर टाइटेनियम कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग). रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने टाइटेनियम धातु का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इस प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्लांट की क्षमता 100 टन प्रति वर्ष है। इस समय रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन इस प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादन उद्योग की स्थापना के बारे में सम्भावनाओं का पता लगा रहा है। इस सम्बन्ध से किसी उचित स्थान या किसी उपयुक्त एजेन्सी के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश को चावल और गेहूं का आबंटन

2856. कुमारी पुष्पा देवी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राज्य में वितरण के लिए केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं की कितनी मात्रा दी गई ;

(ख) उस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किन-किन आवश्यक वस्तुओं की मांग की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि उस राज्य को सप्लाई की गई चावल और गेहूं की मात्रा उस राज्य की वास्तविक आवश्यकता से कम है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1986-87 में मध्य प्रदेश को इन वस्तुओं के आवंटन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश के मामले में वर्ष 1985-86 के लिए सार्वजनिक विवरण प्रणाली हेतु चवल और गेहूं की मांग, उनके आवंटन और उठान का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(हजार मीटरी टन में)

	मांग	आवंटन	उठान
चावल	375.0	268.0	210.2
गेहूं	295.0	415.0	220.9

(घ) मध्य प्रदेश को वर्ष 1986-87 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान तथा पिछले वर्ष तदनुरूपी अवधि के दौरान सार्वजनिक विवरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं के किए गए आवंटनों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

(हजार मीटरी टन में)

	1986-87 (अप्रैल-जुलाई)	1985-86 (अप्रैल-जुलाई)
चावल	100.0	72.0
गेहूं	200.0	100.0

मानसून सम्बन्धी भविष्यवाणी

2857. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा समुद्र विज्ञान सम्बन्धी तथा अन्य आंकड़ों की मांग किये जाने पर भारत-अमरीकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आरम्भ किये जाने वाली मानसून सम्बन्धी भविष्यवाणी कार्यक्रम रुक गया है ;

(ख) यदि हां, तो बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) मानसून सम्बन्धी भविष्यवाणी कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). जी, नहीं। भारत-अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिक्रम के अन्तर्गत मानसून अनुसंधान पर आपसी हित के वैज्ञानिक अन्वेषणों का कार्य प्रगति पर है। कई भारतीय और अमरीकी वैज्ञानिक इस दिशा मे संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक-दूसरे से मिलते रहे है।

(ग) मानसून पूर्वानुमान के अनेक पहलुओं जैसे आंकड़ों के वस्तुपरक विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर कार्यक्रम, अभिक्रमण, मानसून क्षेत्रीय माडल का परीक्षण करना, ग्लोबीय माडलों के भौतिकी पैकेज,

मानसून पूर्वानुमान पर वनस्पति आच्छादित भूमि का प्रभाव, मानसून की सक्रिय की/अंतराल अवधियों में निहित क्रियाविधियों, इत्यादि पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

खासी पहाड़ियों में यूरेनियम की खोज

2858. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय की खासी पहाड़ियों में पहले ग्रेड के यूरेनियम की खोज की गई है ;

(ख) किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया गया है ; और

(ग) क्या गांव वासियों को कहीं अन्यत्र जाने को कहा गया है क्योंकि जब यूरेनियम को खान से खोदकर निकाला जाता है तो वह प्राकृतिक अवस्था में भी रेडियोधर्मी होता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) पश्चिमी खासी पहाड़ियों के गोमाघाट, फ्लैंगडिलायन, रिलांग, मोमियासिआट तथा लंगपा क्षेत्रों में कम ग्रेड वाले यूरेनियम खनिजयुक्त स्थलों का पता चला है।

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों में अभी अन्वेषण जारी है। क्योंकि इन क्षेत्रों से खनिज निकालने का काम शुरू करने का प्रस्ताव अभी नहीं है, अतः वर्तमान स्थिति में ग्रामीणों से यह कहने का प्रश्न ही नहीं उठता कि वे वहां से हटकर कहीं और चले जाएं।

परमाणु ऊर्जा के लिए सुरक्षा उपाय

2860. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परमाणु ऊर्जा सुरक्षा सम्बन्धी उपायों पर विचार करने के लिए किए जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में भाग ले रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) न्यूक्लियर संयन्त्रों की सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण द्वारा आयोजित बहुत सी बैठकों में सरकार सक्रियतापूर्वक भाग ले रही है।

"आईंग क्रिमिनल्स विद ए सिस्टम" शीर्षक से समाचार

2861. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1986 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "आईंग क्रिमिनल्स विद ए सिस्टम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जो चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर अपराधियों का पता लगाने के बारे में है ;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों का पता लगाने के लिए विकसित आधुनिक प्रणाली का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रणाली को स्वीकृति दे दी है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार यह प्रणाली राज्यों को उपलब्ध कराएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) अपराधियों का पता लगाने के लिए विकसित आधुनिक पद्धति में भारत में पाए जाने वाले चेहरे के छः वर्गों में 250 विभिन्नताओं का पता लगाया गया है। छः वर्गों अर्थात् बालकी, माथा, आंखें, नाक, होंठ और ठोड़ी में विभिन्नताओं के फोटोग्राफों का चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर इच्छित अपराधी की लगभग पूरी तस्वीर तैयार करने के लिए चित्र निर्माण पद्धति में मिलान किया जा सकता है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

केरल में विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठन

2863. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कौन-कौन से संगठन विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान प्रत्येक संगठन ने कितनी धनराशि प्राप्त की ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केरल में एक हजार से अधिक संगठनों ने वर्ष 1985 के दौरान विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना दी है।

(ख) इन संगठनों के काफी संख्या में होने के कारण वर्ष के दौरान प्रत्येक संगठन द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदान की विस्तृत राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है। फिर भी यदि किसी विशेष संगठन के लिए सूचना मांगी जाती तो वह प्रस्तुत की जा सकती थी।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2864. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को अनेक राज्यों में प्रभावी रूप से कार्यान्वित को किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कौन-कौन से राज्यों में ये कार्यक्रम सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं ; और

(घ) इन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन न करने के बारे में किसी भी राज्य की कोई विशेष रिपोर्ट मन्त्रालय के पास नहीं हैं।

(घ) कुछ क्षेत्रों में जहां नियन्त्रण या परिचालन सम्बन्धी कठिनाईयां महसूस की जाती है,

वहां राज्य और केन्द्रीय सरकार के बीच समीक्षा और परिचर्चा की जाती है और उपचारी उपाय किए जाते हैं।

राज्यों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर निगरानी

2865. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को कोई ऐसे निदेश दिए गए हैं कि जिनमें उनसे अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर निगरानी रखने को कहा गया है ;

(ख) क्या राज्य पुलिस और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो को भ्रष्ट कर्मचारियों और रिश्वत लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध जाल बिछाने के लिए प्राधिकृत किया गया है ; और

(ग) क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन करने और उसे समेकित करने के प्रस्ताव हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अधीन, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना तथा राज्यों सरकारों के भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो को रिश्वत आदि को स्वीकार करने जैसे अपराधों के लिए लोक सेवकों के विरुद्ध जांच पड़ताल करने तथा उन पर मुकदमा चलाने की शक्तियां प्राप्त हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा राज्य पुलिस/भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो जहां कहीं आवश्यक होता है मिलकर कार्य करते हैं। विद्यमान भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव हैं।

[हिन्दी]

पामोलिव और रेपसीड तेलों की बिहार की मांग और इसकी आपूर्ति

2866. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान बिहार सरकार द्वारा कितने टन पामोलिव और रेपसीड तेल की मांग की गई ; और

(ख) इन वर्षों के दौरान अलग-अलग बिहार सरकार को कितनी मात्रा में पामोलिव और रेपसीड तेल की आपूर्ति की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) तेल वर्ष 1983-84 और 1984-85 (नवम्बर से अक्तूबर) के लिए बिहार सरकार द्वारा की गई आयातित खाद्य तेलों की मांग इस प्रकार है :—

(मात्रा मी० टन में)

तेल का नाम	तेल वर्ष 1983-84	तेल वर्ष 1984-85
आर० बी० डी० ताड़ का तेल	48000	30000
रेपसीड तेल (परिष्कृत)	12000	राज्य सरकार ने तेल-वार ब्यौरा नहीं दिया है।

(ख) बिहार सरकार को आवंटित की गई/उनके द्वारा उठाई गई आयातित खाद्य तेलों की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(मात्रा मी० टन में)

तेल का नाम	तेल वर्ष 1983-84		तेल वर्ष 1984-85	
	आवटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा
पामोलीन	600	248	——	482
आर० बी० डी० ताड़ का तेल	11,800	6547	10700	4360
रेपसीड तेल (परिष्कृत)	4200	83	3500	101
सोयाबीन तेल (परिष्कृत)	800	69	——	——
कुल :	17400	6947	14200	4943

"इंदिरा गांधी हिमालय इनवारमेंटल इंस्टीट्यूट"

2867. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में इन्दिरा गांधी हिमालयन इनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट स्थापित करने की स्वीकृति किस तारीख को दी गई ;

(ख) क्या उक्त संस्थान को स्थापित करने में विलंब हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और विलंब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) संस्थान की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में 12 मई, 1983 को मंजूरी दे दी गई थी।

(ख) और (ग). जी, हां।

छठी योजना के दौरान, औपचारिक आबंटन हेतु कोई धन उपलब्ध नहीं था। इस अवधि के दौरान संस्थान के कार्यक्रमों के ब्यौरों का पता लगाया गया। संस्थान की स्थापना के लिए, भूस्वामित्व और मिट्टी की विशेषताओं पर, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से एक वृहत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश नदी सीमा पर कांटेदार तार लगाना

2868. श्री सुदर्शन दास : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम-बंगला देश सीमा की कुल कितनी लम्बाई है और उसमें नदी सीमा की कुल लंबाई क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने नदी सीमा पर भी कांटेदार तार लगाने की सम्भावना की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो सीमा पर नदी में हमारे मछली पकड़ने के अधिकार के विशेष संदर्भ में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) असम-बंगला देश सीमा की कुल लम्बाई 269 कि० मी० है, जिसमें से लगभग 83 कि० मी० नदी तट सीमा है।

(ख) नदी तट सीमा बाड़ लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बड़ी कम्पनियों द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडेटों को रोजगार

2869. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बड़ी कम्पनियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कैडेटों को अपने प्रतिष्ठानों में उच्च वेतन पर रोजगार उपलब्ध करा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा कार्मिकों की सेवा की स्थितियों में संशोधन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो सेवा की स्थितियों में कब तक संशोधन किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख). प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने, अपनी घरेलू समस्याओं, कठोर प्रशिक्षण न कर सकने या अपना उच्च अध्ययन चालू करने जैसे अनेक कारणों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद वे क्या रोजगार करते हैं इसके बारे में कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ). रक्षा कार्मिक, की सेवा शर्तों पर समय-समय पर विचार करके उन्हें संशोधित किया जाता है। पिछले चार वर्षों के दौरान काडर की दो बार समीक्षा करके सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया। इसके अलावा चतुर्थ वेतन आयोग ने भी सेना कार्मिक के बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं और सरकार इन पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

"जिला पर्यावरण समितियों की स्थापना"

2870. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक केवल पंजाब राज्य ने ही जिला स्तर पर पर्यावरण समितियां स्थापित की हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसी प्रकार की जिला पर्यावरण समितियां स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों पर जोर देने के लिए कोई प्रयास किए हैं ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय प्रावधान किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण उपमन्त्री की अध्यक्षता में नवम्बर, 1984 में हुई एक बैठक में राज्यों से ऐसी जिला पर्यावरण समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया था। आगे दिसम्बर 1985/जनवरी 1986 में वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान राज्यों से अपने ही संसाधनों से इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) संसाधनों की कमी को देखते हुए 7वीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय आबंटन नहीं किया गया।

[हिन्दी]

लेवी चीनी के खरीद मूल्य में संशोधन

2871. **श्री मनोज पांडे :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी चीनी के खरीद मूल्य में संशोधन किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा लेवी चीनी के मूल्य के पुनर्निर्धारण हेतु अपनाया गया मानदण्ड क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) फिलहाल लेवी चीनी के वसूली मूल्य में संशोधन करने का कोई इरादा नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत की खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता के बारे में खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान

2872. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने भारत की खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका अनुमान क्या है ;

(ग) यह सरकार के अपने अनुमान की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है ; और

(घ) सरकार का इसकी किस तरह पूर्ति करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ). विदित हुआ है कि खाद्य और कृषि संगठन ने अनाजों की वाणिज्यिक खरीदारियों के लिए भारत की आवश्यकता का जो अन्दाजा लगाया है वह शून्य बैठती है। यह अन्दाजा सरकार के अपने जायजे के अनुरूप है।

पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिक उद्योग में रुग्णता

2873. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लघु क्षेत्र के इलेक्ट्रानिक्स उद्योग व्यापक रूप से रुग्ण हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों की रुग्णता दूर करने के लिए क्या प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) क्या सरकार को ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग क्षेत्र के इलेक्ट्रानिकी उद्योगों की हालत व्यापक रूप से अच्छी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद

2874. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की प्रति व्यक्ति आय अपने पड़ोसी देशों जैसे चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की तुलना में 1.6 प्रतिशत की मामूली वार्षिक दर से बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट, 1986 प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी भारत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाती है जो 1965-84 अवधि के लिए औसतन 1.6 प्रतिशत है। पड़ोसी देशों के संगत आंकड़े हैं : बंगलादेश (0.6 प्रतिशत), बर्मा (2.3 प्रतिशत), चीन (4.5 प्रतिशत), नेपाल (0.2 प्रतिशत, पाकिस्तान (2.5 प्रतिशत) और श्रीलंका (2.9 प्रतिशत)। तथापि, पांचवीं पंच वर्षीय योजना से भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास पथ की ओर बढ़ी है। इस प्रकार, पिछले दशक के दौरान अर्थव्यवस्था ने 2.54 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि रजिस्टर्ड की जबकि छठी योजना अवधि के दौरान इसने 3.10 प्रतिशत वृद्धि रजिस्टर्ड की।

(ख) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की सीमा, मौसम की स्थिति प्रौद्योगिकोय प्रगति, श्रमिकों की उत्पादकता, जनसंख्या वृद्धि, अवस्थापना सुविधाओं, अन्य देशों से सहायता प्रवाह जैसे कई कारणों पर निर्भर करती है। अतः देशों के बीच देखी गई विकास दरों में भिन्नता के लिए विशेष कारण देना सम्भव नहीं है।

(ग) भारतीय आयोजना के मार्गदर्शक सिद्धान्त विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा

सामाजिक न्याय रहे हैं। इस ढांचे के अन्तर्गत, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना ने नए प्रतिमानों और नई सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए कुछ दिशापरक परिवर्तनों को शामिल किया है। वर्तमान योजना ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों पर जोर देती है जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि दर को तेज करेगी, रोजगार अवसरों में वृद्धि करेगी तथा उत्पादकता बढ़ाएगी। विकास के वर्तमान स्तर पर, ये उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय तथा लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करते हुए दीर्घकालीन विकास की प्राप्ति के केन्द्र हैं।

"वन सम्पदा की भरपाई करने सम्बन्धी योजना"

2875. श्री समत कुमार मंडल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष ने हाल ही में चेतावनी दी है कि यदि वन सम्पदा को अब तक हुई हानि की भरपाई करने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो इस शताब्दी के अन्त तक भारत के समस्त वन समाप्त हो जाएंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या वन सम्पदा की भरपाई करने सम्बन्धी कोई अल्पावधि या दीर्घावधि योजना तैयार और शुरू की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में लोगों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कार्यकारी योजना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके सामाजिक वानिकी कार्यक्रम और अवक्रमित वन क्षेत्रों में वनरोपण में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु परिकल्पित कदम अन्तर्विष्ट हैं।

विवरण

कार्यकारी योजना

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गयी तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकार की गई कार्यकारी योजना के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं :—

(1) **परती भूमि का अभिनिर्धारण :**

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से अपने क्षेत्र में परती भूमि के अभिनिर्धारण का अनुरोध किया गया है चाहे वे वन क्षेत्र, राजस्व/सामान्य भूमि या अवनत कृषि भूमि हो।

(2) **जनता की भागीदारी :**

इसको निम्नलिखित उपायों से सुनिश्चित किया जाएगा :—

(क) **विकेन्द्रित नर्सरियां :** जनता की नर्सरियां अर्थात किसानों, स्कूलों, महिलाओं, युवा दलों, स्वैच्छिक एजेंसियों इत्यादि को पौधों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) **फार्म वानिकी :** किसानों को उनकी सीमांत भूमि और खेती की मेढ़ों पर वृक्षों की फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पौधों के वितरण हेतु एक विवेकशील नीति तैयार की जानी चाहिए।

(ग) **वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समिति** : पौधों को लगाने और वितरण में तथा वृक्ष लगाने के लिए वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों को संगठित किया जाना चाहिए।

(घ) **स्वैच्छिक संगठन** : व्यापक आधार वाले संगठनों, महिला मण्डलों, युवा दलों को नर्सरी उगाने और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ङ) **पेड़ों के पट्टे** : सड़कों, रेल, नहरों इत्यादि की भूमि पट्टियों और अन्य निम्नीकृत भूमि को ग्रामीण निर्धनों को इस जमीन पर उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों पर भोगाधिकार सहित, दे दिया जाना चाहिए।

(3) **नोडल एजेंसी :**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विभिन्न अभिकरणों, अधिकारियों तथा अन्यों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए एक समेकित नीति को सुनिश्चित करने हेतु एक एकल नोडल एजेंसी के अभिनिर्धारण के लिए अनुरोध किया गया है।

(4) **बीज :**

राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से किसानों को व्यापारिक आधार पर चारा, घास और फलीदार बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु विद्यमान राज्य बीज निगमों के क्रियाकलाप की भूमिका में विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

(5) **भूमि को पट्टे पर देना :**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ग्रामीण निर्धनों को वनरोपण हेतु वन तथा गैर-वन परती भूमि पट्टे पर देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(6) **वन आधारित उद्योगों को,** उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन हेतु परती भूमि पर वन रोपण के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रामीण निर्धनों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें लाभप्रद आधार पर वृक्ष उगाने के योग्य बनाने की दृष्टि से परती भूमि पर वृक्ष आवरण उगाने के लिए उद्योगों को उत्साहित भी किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से, इस विषय में उद्योगों को परती भूमि को पट्टे पर दिए जाने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(7) **शहरी इंधन की लकड़ी और हरित पट्टियां :**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि शहरी इंधन की लकड़ी और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंधन की लकड़ी और चारे के पौधों की हरित पट्टियां कस्बों और शहरों में लगाई जायें।

(8) **निम्नीकृत वन क्षेत्र :**

राज्यों से निम्नीकृत वन-भूमि का पता लगाने और इंधन की लकड़ी और चारे की प्रजातियों से पुनः वनरोपण करने का अनुरोध किया गया है।

(9) वन विकास निगम :

वन विकास निगमों को ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधे लगाने के लिए सरकारों से परती भूमि पट्टे पर लेनी चाहिए ।

(10) सरकारी विभाग :

सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकाय/संस्थानों, जिनके पास पर्याप्त अप्रयुक्त भूमि है, ऐसी भूमि को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाना चाहिए ।

(11) माध्यम एवं संचार :

जनता में जागरुकता लाने के लिए लोक कला और संस्कृति के परम्परागत माध्यम, रेडियो, टेलिविजन और अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए ।

(12) प्रबोधन एवं मूल्यांकन :

राज्य/संघ राज्य सरकारों को कार्यक्रम के गुणात्मक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबोधन और मूल्यांकन तंत्र विकसित करना चाहिए ।

"पर्यावरण के सम्बन्ध में भारत जर्मन वार्ता"

2876. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मन के प्रतिनिधिमण्डल ने जुलाई, 1986 के प्रथम सप्ताह में उनके साथ पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा का स्वरूप क्या था और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जर्मन सांसदों का एक शिष्ट मण्डल, 8 जुलाई, 1986 को हुई एक बैठक में पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और मन्त्रालय के अधिकारियों से मिला ।

(ख) मन्त्री और अधिकारियों ने उन्हें पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी । यह चर्चा जर्मन शिष्टमण्डल के अनुरोध पर उन्हें भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के स्तर के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए की गई । किसी अन्य मामलों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई ।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत अपराध

2877. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 15 जुलाई, 1986 तक वर्गीकृत जानकारी प्रकट करने सम्बन्धी अपराध के कितने मामले दर्ज किए गए ; और

(ख) प्रत्येक मामले में शामिल कर्मचारियों की संख्या और उनके विरुद्ध की गई कारंवाई का मामलेवार ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी, 1983 से 15 जुलाई, 1986 के दौरान 74 मामलों में जानकारी प्रकट करने का पता लगाया गया। ऐसे मामलों में 16 सरकारी अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे, जिनके विरुद्ध सरकारी गुप्त बात अधिनियम, 1923 के तहत कारंवाई की गई। इनमें से 13 एक ही मामले में अन्तर्ग्रस्त थे, जिसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120ख के साथ साथ पठित प्रशासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3, 5 और 9 के अन्तर्गत प्र० सू० रिपोर्ट सं० 41, दिनांक 17-1-85 के तहत थाना तिलक मार्ग, नई दिल्ली में दर्ज किया गया। दूसरे मामले में प्रशासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3 और अन्य उपबन्धों के अधीन थाना पुलिस लाइन्स, अमृतसर में प्र० सू० रिपोर्ट सं० 146 तारीख 11-5-1985 के तहत 23-7-1985 को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य मामले में एक व्यक्ति को प्रशासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3, 3/9 के अधीन प्र० सू० रिपोर्ट सं० 2/84, दिनांक 29-8-1984 के तहत थाना एस० पी० एस०, जयपुर में गिरफ्तार किया गया।

"परती भूमि का विकास"

2878. डा० ए० के० पटेल :

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भूमि-उपयोग तथा परती भूमि विकास परिषद द्वारा अन्तिम रूप दिए गए कार्यवाही कार्यक्रम के अन्तर्गत परती भूमियों का विकास करने के लिए राज्यवार क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों में बोर्डों का गठन किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में इस कार्यक्रम के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है ; और

(घ) चालू तथा आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम के क्या लक्ष्य रखे गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं परती भूमि विकास परिषद द्वारा 6 फरवरी, 1986 को हुई अपनी पहली बैठक में परती भूमि विकास के लिए "कार्यकारी कार्यक्रम" तैयार किया गया जो कि मुख्यत: जनता की भागीदारी के द्वारा वृक्ष लगाने पर बल देता है। अधिकांश राज्यों में वृक्ष लगाने का मौसम अभी शुरू हुआ है। अत: वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार प्रगति बताना अभी सम्भव नहीं है। वृक्ष पट्टा योजना, विकेन्द्रित पौधशालाओं, भूमि की पट्टेदारी इत्यादि जैसी मदों पर राज्य सरकारों को सुझायी गई कार्य नीति पर वे अमल कर रहे हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्र शासित प्रदेशों में परती भूमि विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अभी तक अलग से बोर्ड गठित नहीं किए गए हैं। केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं समन्वय विद्यमान संस्थागत व्यवस्था के जरिए किया जा रहा है।

(ग) और (घ). वर्ष 1986-87 के लिए वृक्षारोपण हेतु राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार लक्ष्यों को और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार कार्यक्रम और अन्य मुख्य

केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमों द्वारा वित्त पोषित वनरोपण कार्यक्रम सहित वानिकी एवं वन्यजीवों के लिए उपलब्ध की गई धनराशि दर्शाने वाला विवरण एक संलग्न है।

कार्यक्रम के लक्ष्य साल के आधार पर निश्चित किए जाते हैं और इसलिए आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण

क्र० संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	लक्ष्य (वालपोध लाख में)	निधि लाख रुपयों में
1.	आन्ध्र प्रदेश	3000	3553.57
2.	असम	400	2357.35
3.	बिहार	2600	4008.14
4.	गुजरात	1631	3370.67
5.	हरियाणा	725	1541.78
6.	हिमाचल प्रदेश	625	2242.28
7.	जम्मू और कश्मीर	522	1103.10
8.	कर्नाटक	2500	2647.37
9.	केरल	1200	2144.10
10.	मध्य प्रदेश	3700	5088.50
11.	महाराष्ट्र	2400	4560.37
12.	मणिपुर	160	316.67
13.	मेघालय	150	741.17
14.	नागालैंड	350	476.69
15.	उड़ीसा	2400	2383.87
16.	पंजाब	550	918.37
17.	राजस्थान	1100	1881.17
18.	सिक्किम	110	253.17
19.	तमिलनाडु	2400	3942.77
20.	त्रिपुरा	320	568.05
21.	उत्तर प्रदेश	4500	7281.82
22.	पश्चिम बंगाल	1400	2685.40
	कुल राज्य	32743	54066.96

केन्द्र शासित प्रदेश	लक्ष्य (बाल पौध लाख में)	निधि लाख रुपयों में
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	120	166.88
अरुणाचल प्रदेश	125	598.88
चण्डीगढ़	3.4	31.28
दादरा एवं नागर हवेली	50	107.90
दिल्ली	30	64.50
गोआ और दमन दीव	75	154.50
लक्षद्वीप	0.12	4.38
मिजोरम	1128	631.88
पाण्डिचेरी	10	37.38
कुल केन्द्र शासित प्रदेश	1541.52	1797.68
I. कुल राज्य	32743.00	54066.96
II. कुल केन्द्र शासित प्रदेश	1541.52	1797.68
कुल	34284.52	55864.64

वैज्ञानिक कार्मिकों के लिए भर्ती बोर्ड

2879. **संयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक विषयों से सम्बन्धित प्रत्येक विभाग में वैज्ञानिक कार्मिकों की नियुक्ति के लिए भर्ती बोर्डों की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका किस प्रकार गठन किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

वैज्ञानिक के पदों का संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाना

2880. **संयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के दौरान विभाग-वार वैज्ञानिकों के कितने पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : 1985-86 के दौरान आयोग, ने साक्षात्कार द्वारा भर्ती के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन वैज्ञानिक पदों (इन्जीनियरी और चिकित्सा सहित) के लिए संलग्न विवरण I में दर्शाए अनुसार 1102 उम्मीदवारों की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1984 और 1985 में आयोजित तीन परीक्षाओं के आधार पर जिनका परिणाम क्रमशः वर्ष 1985 और वर्ष 1986 मे घोषित किया गया था, आयोग ने, संलग्न विवरण II के अनुसार उम्मीदवारों की सिफारिश की।

विवरण I

वर्ष 1985-86 के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी, इंजीनियरी तथा चिकित्सीय पदों के लिए जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई उनकी मन्त्रालय/विभाग-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम	वैज्ञानिक और तकनीकी सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या	इंजीनियरी सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या	चिकित्सा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	कृषि और ग्रामीण विकास	73	32	—
2.	वाणिज्य	15	—	—
3.	संचार	—	6	—
4.	रक्षा	23	198	16
5.	पर्यावरण और वन	12	—	—
6.	ऊर्जा	—	51	—
7.	वित्त	4	8	—
8.	खाद्य और नागरिक पूर्ति	12	2	—
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	15	3	150
10.	गृह	11	—	—
11.	मानव संसाधन विकास	9	2	—
12.	उद्योग और कम्पनी कार्य	12	34	—
13.	सूचना और प्रसारण	2	—	—
14.	श्रम	5	18	3
15.	कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन	2	—	—
16.	योजना	22	6	—
17.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	6	1	—
18.	इस्पात, खान तथा कोयला	90	17	—

1	2	3	4	5
19.	पूर्ति और वस्त्र	11	13	—
20.	परिवहन	1	42	1
21.	संघ लोक सेवा आयोग	1	—	—
22.	शहरी विकास	12	12	—
23.	जल संसाधन	5	91	—
24.	अण्डमान और निकोबार प्रशासन	—	3	—
25.	दादर व नगर हवेली प्रशासन	—	—	14
26.	दिल्ली प्रशासन	3	4	1
27.	लक्षद्वीप प्रशासन	1	—	—
28.	गोवा, दमन और दीव सरकार	9	6	7
29.	पांडिचेरी सरकार	3	—	—
30.	दिल्ली नगर निगम	1	—	1
	योग :	360	549	193

विवरण II

परीक्षा	परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या	
	1984	1985
(1) इंजीनियरी सेवा परीक्षा	814	718
(2) सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा	493	1150
(3) भूविज्ञानी परीक्षा	110	234

(1) इंजीनियरी सेवा परीक्षा :

इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों अर्थात् परिवहन/शहरी विकास/रक्षा/ऊर्जा/जल संसाधन/संचार/वाणिज्य/सूचना तथा प्रसारण/इस्पात तथा खान/उद्योग मंत्रालयों में इन्जीनियरी सेवाओं/पदों पर की जाती है। इस परीक्षा के लिए रेलवे विभाग समन्वयकारी विभाग है तथा अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का आबंटन विभिन्न मत्रालयों/विभागों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के अनुसार इसी विभाग द्वारा किया जाता है।

(2) सम्मिलित चिकित्सा सेवा :

इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती रेलवे, आयुध तथा आयुध उपस्कर स्वास्थ्य सेवाएं (रक्षा मंत्रालय), केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय), तथा दिल्ली नगर निगम में चिकित्सा पदों पर की जाती है। चार विभागों/संगठनों में आबंटित उम्मीदवारों की संख्या अनुबन्ध में दी गई है।

(3) भूविज्ञानी परीक्षा

इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण (इस्पात तथा खान मंत्रालय, खान विभाग) तथा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (जल संसाधन मन्त्रालय) में पदों पर की जाती है। अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का आबंटन इस्पात तथा खान मन्त्रालय (खान विभाग) द्वारा किया जाता है जो कि इस परीक्षा के लिए समन्वयकारी विभाग है।

अनुबन्ध

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा

सेवा/पद	आबंटित उम्मीदवारों की संख्या 1984	1985
1. रेलवे में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी	200	500
2. आयुध तथा आयुध उपस्कर फैक्टरी स्वास्थ्य सेवा (रक्षा मन्त्रालय) में कनिष्ठ वेतनमान पद	43	50
3. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय) में कनिष्ठ वेतनमान पद	200	550
4. दिल्ली नगर निगम में चिकित्सा अधिकारी	50	50
	493	1150

हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों में सैनिक केन्द्र

2881. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों में सैनिक केन्द्र स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु कोई प्रक्रिया शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो उन गांवों की संख्या कितनी है जिनमें भूमि का अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है और उन तहसीलों के नाम क्या हैं जिनमें ये गांव स्थित हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रक्रिया के कब तक शुरू किए जाने तथा पूरा होने की सम्भावना है ?

रक्षा अनुसन्धान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग). ऊना

और हमीरपुर जिलों के कुछ गांवों में भूमि-अधिग्रहण का एक प्रस्ताव अपने प्रारम्भिक चरण में है। सरकार ने अभी इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए समिति

2882. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जो मुख्य रूप से पर्वतीय नहीं हैं, पर्वतीय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निर्देश पद क्या हैं तथा किस सम्भावित तारीख तक इसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ; और

(ग) किसी क्षेत्र को पर्वतीय घोषित करने के वास्तविक मानदण्ड क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग). देश में नए पहाड़ी क्षेत्रों के रेखांकन के लिए उचित मापदण्ड प्रस्तुत करने तथा प्रस्तावित मापदण्ड के आधार पर नए पहाड़ी क्षेत्रों की सूची तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की गई है। दि० 20-5-86 के कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है जिसमें दल का गठन, विचारार्थ विषय और दल के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावित तारीख दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2887/86]**

भुगतान संतुलन में ह्रास

2883. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चेतावनी दी है कि सातवीं योजना के अन्त तक भुगतान संतुलन में ह्रास की समस्या की आशंका है और इस संकटपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए देश की सहायता करने हेतु एक अत्यन्त गतिशील निर्यात नीति तैयार करने का आह्वान किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिए योजना आयोग द्वारा किन्हीं उपायों का सुझाव दिया गया है, तो वे क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख). इस वर्ष क्षेत्रकीय विकास की समीक्षा करते हुए योजना आयोग ने वर्ष 1985-86 में भुगतान संतुलन की स्थिति पर भी विचार किया। विदेश व्यापार में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने सातवीं योजना के लक्ष्य के अनुरूप निर्यात में और तेज गति से संवृद्धि के जरिये व्यापार घाटा न होने देने के लिए दीर्घकालीन और प्रभावशाली प्रयत्नों की आवश्यकता पर बल दिया।

(ग) विदेशी मुद्रा उपार्जन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में, विदेश व्यापार, निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन और लाभांश बढ़ाने के लिए औद्योगिक और राजकोषीय नीति उपाय तथा आवश्यक संस्थागत समर्थन उपलब्ध कराना, शामिल है। इन उपायों से अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात उत्पादन के लिए आयातित निवेशों की सुलभता, करों में अधिक छूट तथा निर्यातकों के लिए छूट, निर्यात संभाव्यता वाले क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिए लाइसेंस सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करना और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए उपस्करों के आयात का प्राधिकार देना सुनिश्चित होगा।

पश्चिमी घाटों के लिए विश्व बैंक से सहायता

2884. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का पश्चिमी घाटों के विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : योजना आयोग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में श्रेणी तीन तथा चार के पदों को भरना

2885. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न विभागों में श्रेणी तीन और चार के विभागवार कितने पद खाली पड़े हैं ; और

(ख) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों में छूट

2886. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक विभाग ने यह निर्णय किया है कि जहां भर्ती नियमों में न्यूनतम शैक्षिक स्तर निर्धारित हो; वहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उसमें कोई छूट नहीं जाएगी ;

(ख) क्या इस नए नियम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवारों की संख्या कम होकर उस स्तर पर नहीं पहुंच जायेगी जबकि आरक्षित कोटा भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार ही उपलब्ध नहीं होंगे ; और

(ग) क्या भर्ती नियम बनाते समय शैक्षिक अर्हता और शैक्षिक स्तर में कोई फर्क नहीं किया जा सकता और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को शैक्षिक स्तर से छूट नहीं दी जा सकती ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऍंगती): (क) से (ग). कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि भर्ती नियमों में जहां कहीं भी न्यूनतम शैक्षिक स्तर निर्धारित है, उसे शैक्षिक अर्हता के एक भाग के रूप में माना जाना है। जहां भर्ती नियमों में कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित है, वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट दिए जाने के इस समय कोई सरकारी अनुदेश नहीं हैं। उप-सिद्धान्त के रूप में यह कहा जा सकता है कि जहां कहीं न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के एक भाग के रूप में न्यूनतम स्तर निर्धारित है वहां एक समान रूप से लागू होगा तथा प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित न्यूनतम स्तर

में छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। चूंकि शैक्षिक अर्हताओं तथा स्तरों के मामले में नए प्रतिबंधों को लागू करते हुए कोई नए नियम नहीं बनाए गए हैं इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों की संख्या पर इन अर्थों मे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि स्पष्ट करने वाले अनुदेशों से पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार भर्ती नियमों के अनुसार पात्र थे उनमें से कोई भी उम्मीदवार स्पष्टीकरण के पश्चात् अपात्र नहीं हुआ है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

2887. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :**

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम स्तर पर लाने के भरसक प्रयास किए जाने के बावजूद राजधानी में प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान अपराधी कर्मियों को अभी तक कोई दण्ड दिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उनमें से कितने साफ बच निकले हैं ;

(ग) क्या खराब यातायात बत्तियों के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं ; और

(घ) पुलिस द्वारा विशेष रूप से सड़कों पर जीवन रक्षा के लिए दुर्घटनाओं को और कम करने के लिए क्या सुधारात्मक/निवारक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्। चालू वर्ष के दौरान 2,91,713 मामलों में, मुकदमा चलाया गया और 1,41,42,526.00 रु० की राशि कम्पाउंडिंग फीस के रूप में वसूल की गई। यातायात पुलिस द्वारा पता लगाए गए यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाता है और किसी को साफ बचने नहीं दिया जाता।

(ग) खराब यातायात बत्तियां भी सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी हो सकती है।

(घ) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. प्रत्येक बार यातायात के उल्लंघन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को पंच करने/स्टैंप लगाने की एक नयी प्रणाली शुरू की गई है और यदि ड्राइवर तीन से अधिक बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है या जहां अंधाधुंध और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण घातक दुर्घटनाएं होती हैं तो लाइसेंस को निलम्बित किया जा सकता है।

2. दिल्ली पुलिस, यातायात के नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध समय-समय पर विशेष अभियान चलाती है।

3. सड़क अनुशासन की भावना को मन में बैठाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस रेडियो, दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दे रही है। फिल्मों, सड़क सुरक्षा साहित्य का वितरण करके और यातायात प्रदर्शनियों के माध्यम से स्कूलों और कालेजों में सड़क सुरक्षा पर छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. यातायात को नियन्त्रित करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने के लिए यातायात पुलिस की सहायता के लिए आम जनता में से ट्रैफिक वार्डनों की भर्ती की जाती है।

5. हाल ही में 12-2-86 से दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर व्यवसायिक ड्राइवरों के लिए ए० ए० यू० आई० की मदद से तीन नेत्र शिविर आयोजित किए गए थे। जिन व्यक्तियों की दृष्टि खराब थी उन्हें मुफ्त चश्में दिए गए थे।

धान की विवश होकर बिक्री

2888. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कुछ राज्यों में दलुआ धान की विवश होकर बिक्री की जाती है ; यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ; और

(ख) धान की विवश होकर बिक्री रोकने और समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप धान की मजबूरन बिक्री करने के बारे में कोई समाचार नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिविल सेवाओं में सुधार

2889. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिविल सेवाओं में सुधार लाने के लिए कोई नई प्रणाली प्रारंभ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). सिविल सेवाओं में सुधार लाने के लिए कोई एक ही बार किया जाने वाला या एकल उपाय नहीं है। सिविल सेवाओं में सुधार लाना एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और इसके कार्यकरण में कोई प्रत्यक्ष बदलाव लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर काफी लम्बे समय तक प्रयास किए जाने होते हैं। भर्ती प्रवेश प्रशिक्षण, स्थानन, कैरियर विकास, सेवा-कालीन प्रशिक्षण, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और सेवा में उन्नति आदि के क्षेत्रों में बहुत से उपाय किए गए हैं। इन मुद्दों की नियतकालिक पुनरीक्षा भी की जाती है।

पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा हवाई पट्टियों का निर्माण

2890. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम समाचारों के अनुसार पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर में तीन नयी हवाई पट्टियों का निर्माण कर रहा है, जहां शक्तिशाली राडार व्यवस्था होगी ;

(ख) इन स्थानों के नाम क्या हैं और ये भारतीय सीमा से कितनी दूर हैं ;

(ग) क्या हवाई पट्टियां किसी दूसरे देश के रक्षा विशेषज्ञों की सहायता से बनाए जाने के समाचार हैं और यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह मामला उन देशों के समक्ष उठाया गया है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मुज्जफराबाद, रावलकोट और मीरपुर। वास्तविक नियन्त्रण रेखा से इन हवाई पट्टियों की दूरी क्रमशः 30, 40, और 30 किलोमीटर है।

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नही है। इसलिए इस मामले को अन्य देशों के साथ उठाए जाने का प्रश्न नही उठता।

भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध से छूट प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा भेजे गए मामले

2891 **श्री शान्ता राम नायक :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ सरकार ने, उनके मन्त्रालय को सरकारी पदों पर भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध से छूट प्राप्त करने के लिए कितने मामले भेजे हैं ; और

(ख) कितने मामले में छूट दे दी गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 17

(ख) 5

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के भण्डारण की सुविधा

2892. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किसानों को खाद्यान्नों के वैज्ञानिक रीति से भंडारण की क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ; और

(ख) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खाद्यान्नों के वैज्ञानिक रीति से भंडारण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) किसानों को समर्थन मूल्य देने के उद्देश्य से और इस प्रयोजन से कि वे अपने स्टाक को बेच सकें, सरकारी एजेन्सियों द्वारा खाद्यान्नों की वसूली समर्थन मूल्यों पर की जाती है। भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारें और उनकी एजेन्सियां वसूल किए गए खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता सुलभ करती हैं। इसके अलावा, सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, जो कि इस मन्त्रालय का एक प्रतिष्ठान है, और राज्य भाण्डागार निगम, जिसमें सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन निवेश कर रहा है, ने वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था की है। ये सुविधाएं किसानों सहित विभिन्न

जमाकर्ताओं से लिए उपलब्ध हैं। सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन किसानों को भण्डारण प्रभारों में 10 प्रतिशत का रिबेट देती है।

(ख) इस मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन दो प्रतिष्ठान भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन के पास कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 59,140 मीटरी टन की वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता है।

[अनुवाद]

राज्यपालों के लिए आचार संहिता

2893. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यपालों के लिए कोई आचार संहिता तैयार करने अथवा इस मामले में कोई अन्य मार्ग-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में सरकारिया आयोग भी राज्यपालों की भूमिका पर विचार कर रहा है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

पश्चिमी बंगाल में सीमा सुरक्षा बल को मजबूत करना

2894. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल को मजबूत करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की यूनिटों को मजबूत किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार ने पश्चिम बंगाल सीमा सहित भारत-बंगला देश सीमा पर निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए 5 वर्षीय कार्यक्रम, जो 1986-87 से आरम्भ होगा, को मंजूरी दी है। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल को सशक्त करना, अतिरिक्त सीमा-बाह्य चौकियां स्थापित करना और अधिक निगरानी-बुर्जों का निर्माण करना, सीमा पर गश्त को अधिक गतिशील बनाना और उन्हें अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करना शामिल है।

मिजो नेशनल फ्रंट के संविधान में संशोधन

2895. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो नेशनल फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मिजो समझौते के अनुसार अपने संविधान में संशोधन कर लिया है ताकि इसे देश के संविधान के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख). मिजो राष्ट्रीय मोर्चा दल ने संयोजन के अनुच्छेदों को कानून के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया है। दल ने "मिजोरम के संविधान" को त्याग दिया है तथा "स्वतन्त्रता की घोषणा" को निरस्त कर दिया है तथा त्याग दिया है। उसने अपने संविधान को इस प्रकार संशोधित किया है :

> "मिजो राष्ट्रीय मोर्चा संविधान के अध्याय-II को हटाकर इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :—
>
> अध्याय-II दल के मुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य इस प्रकार हैं :
>
> 1. भारतीय संविधान के ढांचे के अन्तर्गत मिजोरम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भाषायी पहचान की रक्षा करना तथा उसे बनाये रखना।
> 2. भारतीय संघ में एक प्रशासनिक इकाई के तहत निकटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे मिजो लोगों का संविधानिक तथा शांतिपूर्ण साधनों से एकीकरण।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल के स्वतन्त्रता सेनानियों के लम्बित आवेदनों पर विचार करने के लिए समिति

2896. **डा० फूल रेणु गुहा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के स्वतन्त्र सेनानियों के सभी आवेदनों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम और निदेश पद क्या हैं ; और

(ग) समिति अपना कार्य कब से शुरू करेगी ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल राज्य से अधिक संख्या में (लगभग 25000) लम्बित आवेदनों तथा राज्य सत्यापन रिपटों की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए सरकार, आवेदनों की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों की एक समिति गठित करने के बारे में विचार कर रही थी। फिर भी प्रस्तावित समिति के दिशा निदेश तथा कार्य करने की रूपरेखा पर सरकार द्वारा अभी विचार किया जाना था।

तथापि कुछ विशिष्ट प्रकृति के आवेदनों को छोड़कर तारीख 31-3-82 तक पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों से प्राप्त लम्बित आवेदनों पर 15 अगस्त, 1986 तक कार्रवाई करने के लिए एक अभियान चलाया गया है तथा इस उद्देश्य के लिए राज्य से सत्यापन रिपोर्टों की प्रतीक्षा किये बिना आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

इसलिए, पश्चिम बंगाल के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अब समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

केन्द्रीय वक्फ परिषद्

2897. श्री सी० जंगा रेड्डी :

डा० ए० के० पटेल :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय वक्फ परिषद् को केन्द्र/राज्य सरकारों से सहायता के रूप में अथवा अन्य अंशदानों के रूप में तीन वर्षों में कितना अनुदान प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या कोई ऐसे भी मामले हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार को धन-प्राप्त करने वालों से किसी अवधि के लेखा-परीक्षित लेखे नियमित रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कितने राज्यों में वक्फ बोर्डों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के निर्वाह का भार वहन कर सकें ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8-ए के अन्तर्गत दिसम्बर, 1964 में स्थापित केन्द्रीय वक्फ परिषद् को 31-3-86 को समाप्त पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान 145.64 लाख रुपए (एक करोड़ पैंतालीस लाख चौंसठ हजार रुपए) की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। केन्द्रीय वक्फ परिषद् को किसी भी राज्य सरकार से कोई अनुदान सहायता प्राप्त नहीं हुई।

(ख) जी, नहीं। परिषद् से विधिवत् लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त हो गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) यह पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अनुरक्षण का वक्फ बोर्ड को कहां तक भार वहन करना होगा।

दिल्ली में चरस का पकड़ा जाना

2898. श्री महेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली में 302 किलो चरस पकड़ी है जो एक रिकार्ड है और जिसका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य 2 करोड़ रुपए है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पकड़े गए लोगों का ब्यौरा क्या है और यह चरस किन परिस्थितियों में पकड़ी गई ;

(ग) क्या इसके पकड़े जाने से तस्करों और नशीले पदार्थों का धन्धा करने वालों के एक संगठित गिरोह का पता चला है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिनांक 5-7-1986 को अपराध शाखा के खोजकर्त्ताओं ने विजयघाट के निकट एक ट्रक सं० एच० आई० एन०-4555 को रोका। भारी यातायात का लाभ उठाते हुए, ट्रक का चालक, रतन

सिंह बच निकलने में सफल हो गया, किन्तु ट्रक में बैठा दूसरा व्यक्ति, जिसका नाम जगतार सिंह था, पकड़ा गया। ध्यानपूर्वक तलासी करने पर ट्रक की बाडी में एक गड्ढा पाया गया जिसमें से 5-1/2 कि० ग्रा० के 47 पैकेटों और 2-1/2 कि० ग्रा० के 21 पैकेटों में 302 कि० ग्रा० चरस पकड़ा गया था।

(ग) और (घ). जांच पड़ताल के दौरान यह पता चला कि जगतार सिंह का सम्बन्ध पंजाब में नशीले पदार्थों के एक कुख्यात तस्कर से है। मामले की छानबीन की जा रही है।

गुजरात से स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन-पत्र

2899. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 से 15 जुलाई, 1986 तक गुजरात से स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिन पर अब तक निर्णय ले लिये गये हैं ; और

(ग) क्या किसी आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 जो पहले स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी, के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 31-3-1982 थी। निर्धारित तारीख के पश्चात प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को विलम्ब से प्राप्त हुए माना जाता है, और उनके ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। देर से प्राप्त आवेदन पत्रों पर केवल तभी विचार किया जाता है, जब यातनाओं के दावों के समर्थन में सरकारी रिकार्ड से साक्ष्य आवेदन के साथ लगा होता है। तथापि, ऐसे मामले बहुत कम हैं।

(ख) और (ग). स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 और स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अन्तर्गत प्राप्त 6748 आवेदन-पत्रों में से 3419 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गयी हैं और 3246 मामले रद्द किए गए। आर्य समाज के आन्दोलनों में भाग लेने वालों से जो नए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसके लिए अन्तिम तारीख 30-6-1986 थी, पर अभी कार्रवाई की जानी है।

आवेदन पत्र को उसी हालत में रद्द किया जाता है जब दावा योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के मानदण्ड के अनुसार न हो, अथवा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से पुष्टि न हो।

गेहूं की ढुलाई

2900. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम सहित एजेंसियों द्वारा खरीदे गये गेहूं की ढुलाई उनके भण्डारण स्थानों को की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ढुलाई के लिए उपयोग में लाये गये वाहन तथा रेल और ट्रकों आदि जैसे वाहनों से अब तक ढोये गये गेहूं की मात्रा सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गेहूं की ढुलाई सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है ;

(घ) यदि हां, तो गेहूं की ढुलाई के लिए प्रति दिन कितने वैगन, ट्रक आदि उपलब्ध कराये

गये और खरीदे गये भण्डार, जिसकी ढुलाई की जानी है, की निकासी के लिए वाहनों की वर्तमान संख्या में और कितने वाहन जोड़ने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ढुलाई आदि के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश गेहूं की वसूली करने वाले प्रमुख राज्य हैं। वसूल किये गये स्टाक को ढके हुए गोदामों और कवर तथा प्लिंथ भण्डारण काम्प्लेक्सों में भेज दिया जाता है और उसके बाद स्टाक को विभिन्न क्षेत्रों को भेज दिया जाता है। चालू रबी मौसम के दौरान अप्रैल से जून, 1986 तक रेल और सड़क द्वारा गेहूं के अन्तर और अन्तः राज्यीय संचलन का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

	रेल द्वारा	सड़क द्वारा	जोड़
पंजाब	17·06	0·45	17.51
हरियाणा	3.77	1.00	4.77
उत्तर प्रदेश	3.06	—	3.06
जोड़ :	23.89	1·45	25.34

(ग) जी, हां।

(घ) अप्रैल से जून, 1986 की अवधि के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लादे गए वैगनों और ट्रकों की दैनिक औसत संख्या निम्नानुसार थी :

	बी० जी०	एम० जी०	जोड़
वैगन	998	188	1186
ट्रक			16

(ङ) खाद्यान्नों का परिवहन करने के लिए आधुनिक टेक्नोलाजी को शुरू करने की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उपभोक्ताओं को आयातित चीनी की सप्लाई

2901. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आयातित चीनी उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर सप्लाई नहीं की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को आयातित चीनी निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कोई उपाय करने का है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख). सरकार ने राज्य सरकारों के नियन्त्रित माध्यमों के जरिये बेची जा रही आयातित चीनी के लिए 5·80 रुपये प्रति किलोग्राम की सीमा लगाने के अलावा उपभोक्ताओं को आयातित चीनी की बिक्री करने के लिए खुदरा मूल्य की कोई दर निश्चित नहीं की है। इसके अलावा, मुक्त बिक्र की चीनी का वितरण करने के प्रयोजन हेतु आयातित चीनी की बिक्री करने के मामले में आयातित चीनी की मामूली मात्रा लेवी वितरण के लिए भी विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित की जाती है। लेवी वितरण के लिए इस प्रकार आवंटित की गई इस आयातित चीनी को देशी चीनी की तरह 4.80 रुपये प्रति किलो के एक समान खुदरा मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा बेचा जाना अपेक्षित होता है।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों की सुरक्षा के लिए उपाय

2902. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी तत्वों के तोड़फोड़ के प्रयासों को रोकने के लिए देश के परमाणु संयंत्रों के भीतर और उनके आसपास और उनके चारों ओर सुरक्षा प्रबन्ध सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : देश में न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए पहले ही पर्याप्त सुरक्षात्मक प्रबन्ध मौजूद हैं। सरकार ऐसी सभी कार्रवाईयों पर लगातार निगरानी रखती है जिनका देश के परमाणु संयन्त्रों पर असर पड़े।

परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों में विकिरण का रिसना

2903. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों के आरम्भ होने के बाद उनमें (संयन्त्र वार) विकिरण रिसाव की, यदि कोई घटनायें हुई हों तो, उनकी संख्या कितनी है और इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों को शारीरिक नुकसान पहुंचा है ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि परमाणु संयन्त्रों के सम्भावित खतरों और सोवियत संघ में हाल ही की चेरनोबाइल विनाश की दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए कई विकसित यूरोपीय देशों ने परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों के निर्माण पर रोक लगा दी है और संयुक्त राज्य अमरीका में कुछ राज्यों ने पहले से ही निर्मित परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों को चालू करने पर रोक लगा दी है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों को किस तरह से सुरक्षित माना जाता है और क्या सरकार का विचार विखण्डन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा के उत्पादन के सम्पूर्ण प्रश्न पर फिर से मूल्यांकन करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हमारे देश में परमाणु बिजलीघरों में विकिरण के रिसाव की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे किसी भी बिजलीघर के किन्हीं कर्मचारियों को शारीरिक नुकसान पहुंचा हो।

(ख) अधिकांश उन्नत देशों ने चेरनोबिल की दुर्घटना के बावजूद सरकारी स्तर पर इस बात की पुष्टि पुनः की है कि वे परमाणु बिजली के उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध हैं। तथापि, ऐसे समाचार मिले हैं कि एक या दो देशों में जनता की मांग के कारण परमाणु बिजली सम्बन्धी कुछ परियोजनाओं का काम आस्थगित कर दिया गया है।

(ग) सरकार बिजलीघरों की सुरक्षा की समीक्षा लगातार करती रहती है और इन बिजलीघरों के डिजाइन और परिचालन की प्रक्रियाओं में विशेषज्ञों द्वारा दिए गए तकनीकी परामर्श के आधार पर सुधार किए जाते हैं ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित रखी जा सके। परमाणु बिजलीघरों की सुरक्षा—प्रक्रियाओं को और भी मजबूत बनाने की दृष्टि से सभी सम्बन्धित मसलों का अध्ययन फिर से किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में चोरी की घटनाओं की कुल संख्या

2904. **श्री राजकुमार राय :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1984-85 और वर्ष 1985-86 के दौरान अलग-अलग विभिन्न पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार के अधीन चोरी की कितनी घटनायें घटित हुई ;

(ख) चोरी की उक्त घटनाओं में कितने मूल्य की सम्पत्ति की चोरी हुई और कितने लोग मारे गये तथा पुलिस द्वारा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और चोरी का कितना सामान पकड़ा गया ; और

(ग) चोरी और डकैती की घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 1984-85 और 1985-86 के दौरान दिल्ली पुलिस को सूचित किए गए चोरी के कुल मामलों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	संख्या
1984-85	14,100
1985-86	13,438

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) चोरी और डकैती की घटनाओं को नियन्त्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे पैदल और चलती फिरती गश्त में बढ़ोतरी, होटलों और अतिथि गृहों की गहन जांच, संवेदनशील स्थानों पर टुकड़ियों की तैनाती, बदमाशों और ज्ञात अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी, इस प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध निष्कासन की कार्रवाई शुरू करना, विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और अन्तर्राज्यीय/अन्तर्जिला स्तरीय अपराध पुनरीक्षा बैठकें।

विवरण

चुराई गई सम्पत्ति की कीमत, मारे गये व्यक्तियों की संख्या, दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या और बरामद की गई वस्तुओं की मात्रा की कीमत के ब्यौरे निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	चुराई गई सम्पत्ति की कीमत	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	बरामद की गई चोरी की सम्पत्ति की कीमत
1984-85	6,68,08,568	—	1,788	2,41,80,289 रुपये
1985-86	6,11,53,611	—	3,422	2,95,33,034 रुपये

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की खरीद और वितरण में कथित अनियमितताएं

2905. **श्री नारायण चौबे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाद्यान्नों की खरीद और लोगों में उनके वितरण में बरते गये अनेक कदाचारों और अनियमितताओं के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निवारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के पास पीछे हाल ही में इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं कि खाद्यान्नों की वसूली और वितरण में कदाचार और अनियमितताएं हुई हैं।

राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा, जैसो भी स्थिति हो; वसूली और वितरण केन्द्रों में पर्याप्त देख-रेख की जाती है।

रक्षा सेवाओं को खाद्य सामग्री की आपूर्ति

2906. **श्री नारायण चौबे** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं को ठेकेदारों द्वारा घटिया खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति किये जाने के बारे में की गई अनेक शिकायतें हाल में प्रकाश में आई हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान पानीटोला फील्ड सप्लाई डिपो, डिब्रूगढ़ को तथाकथित घटिया खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति के सम्बन्ध में संडे वीकली (13-19, जुलाई, 1986) में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) ठेकेदारों द्वारा रक्षा सेनाओं को घटिया किस्म की खाद्य सामग्रियों की सप्लाई के बारे में प्राय: शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) रक्षा सेनाओं को दिये जाने वाले राशन की किस्म को बनाए रखने के बारे में उपयुक्त पद्धतियां अपनाई जाती हैं। निश्चित शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी जांच की जाती है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिधान के सम्बन्ध में नई व्यवस्था

2907. **श्री सोमनाथ रथ** :

श्री एच० बी० पाटिल :

श्री एन० डेनिस :

श्रीमती बसव राजेश्वरी :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

डा० बी० एल० शैलेश :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का अपने कर्मचारियों के परिधान के सम्बन्ध में नई व्यवस्था लागू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसे कब से लागू किए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए इस प्रस्ताव को उन्हें भेजने का है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई नया परिधान लागू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में उप-मंडलीय मुख्यालयों में भंडारण डिपुओं का खोला जाना

2908. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई निदेश भेजा है कि वह भारतीय खाद्य निगम को कहे कि वह निगम और उड़ीसा सरकार को अतिरिक्त राज सहायता से बचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जमा वस्तुओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने हेतु उप-मंडलीय मुख्यालयों में भंडारण डिपों खोले ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) उड़ीसा सरकार से इस आशय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि भारतीय

खाद्य निगम को परामर्श दिया जाये कि वे समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में राज्य के 16 उप मण्डलों में डिपो खोलें।

(ख) यह मामला भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है।

बांग्लादेश से लोगों के निष्क्रमण के सम्बन्ध में अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय दल

2909. **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश से लोगों के निष्क्रमण के बारे में अध्ययन करने हेतु एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल गठित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के निदेश पद क्या है और इस दल की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध होने की आशा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). बंगला देश से लोगों की भारत में घुसपैठ की समस्या से एकीकृत ढंग और दूरगामी परिप्रेक्ष्य से निपटने की दृष्टि से भारत में घुसपैठ रोकने के लिए उपायों की सावधिक समीक्षा करने हेतु और जब कभी आवश्यक हो, उनको अद्यतन बनाने का सुझाव देने के लिए एक अन्तर मन्त्रालय अधिकारियों का समूह नियुक्त किया गया है। यह समूह स्थायी स्वरूप का होगा और सावधिक रूप से बैठकें करता रहेगा। इसको कोई अन्य विचारार्थ विषय नहीं दिए गए हैं और किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक इसके द्वारा कोई रिपोर्ट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

"गंधमर्दन बोक्साइट खनन परियोजना"

2910. **श्री के० वी० शंकरगौड़ा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यावरण विभाग ने उड़ीसा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 52.6 करोड़ रुपए की गंधमर्दन बोक्साइट खनन परियोजना रोक रखी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पर्यावरण विभाग ने वर्ष 1983 में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को अनन्तिम मंजूरी दी थी ;

(घ) क्या इस परियोजना को वर्ष 1985 तक पूरा किया जाना था ;

(ङ) यदि हां, तो क्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस परियोजना के वर्ष 1987 में पूरा होने की सम्भावना है ; और

(च) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). इस परियोजना को पर्यावरण विभाग द्वारा 1982 में इस शर्त पर अस्थायी तौर पर मंजूरी दी गई थी कि बाल्को द्वारा प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को रोकने/कम करने के लिए एक विस्तृत पर्यावरणीय प्रबंध योजना (ई० एम० पी०) प्रस्तुत की जायेगी तथापि, पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना की विस्तार से छानबीन

करने पर यह पाया गया कि परियोजना के गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। इस परियोजना के पर्यावरणीय अनुमोदन के लिए अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(घ) से (च) परियोजना को पूरा करने की अवधि का पता इस निर्णय के पश्चात् ही लगाया जा सकता है कि क्या परियोजना को आरम्भ किया जाना चाहिए।

सोवियत संघ के साथ सहयोग करार

2911. **श्री के० बी० शंकरगौड़ा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ और एसोसिएशन आफ इण्डियन इन्जिनियरिंग इण्डस्ट्री के बीच सहयोग करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के संबंध में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु अवसर पैदा होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सोवियत संघ और भारत के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में एक पंच-वर्षीय सहयोग करार पर सोवियत संघ की विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य समिति के उपाध्यक्ष तथा भारतीय इन्जीनियरी उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा जून, 1986 में मास्को में हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) करार में नए प्रकार के उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान और विकास की व्यवस्था है।

(ग) करार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

—विशेषज्ञों के शिष्ट मण्डलों का आदान-प्रदान,

—वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना का आदान-प्रदान,

—तकनीकी व्याख्यानों का आयोजन और विचार-गोष्ठियों तथा सेमिनारों का संचालन,

—मशीनों और सामग्रियों के परीक्षणों का आयोजन,

—वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान तथा विकास के संयुक्त कार्य का संचालन,

—विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निकट सहयोग को बढ़ाने के लिए अन्य ऐसे उपाय, जिनमें आपसी सहमति हो।

—वर्तमान करार पांच वर्षों के लिए 1991 तक वैध है।

चीनी का भंडार

2912. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी की वर्तमान आवश्यकता कितनी है ;

(ख) क्या सरकार के पास खुली बिक्री और लेवी चीनी दोनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार है ; और

(ग) चीनी निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलना करने वाले कारखानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) 1985-86 के चालू मौसम के दौरान देश में चीनी की अनुमानित आवश्यकता लगभग 85 लाख मीटरी टन है ।

(ख) देश में चीनी की वर्तमान समूची उपलब्धता, जिसमें स्वदेशी और आयातित चीनी का स्टाक शामिल है, 1985-86 के चालू चीनी वर्ष में आन्तरिक खपत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

(ग) जून, 1979 के लिए खुली बिक्री की चीनी से सम्बन्धित निर्मुक्ति आदेश के प्रति व्यपगत मात्राओं के बारे में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए चुनिंदा आधार पर मुख्य दोषियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जरिए 1980 में प्रारम्भिक मुकदमे चलाए गए थे। इनमें से एक चीनी फैक्ट्री ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा जारी की गई आदेशिका को चुनौती दी गई थी। 1980 के आपराधिक आवेदन सं० 1472 पर इस मामले में 16-11-1981 को बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की दृष्टि में, दिनांक 9 मई, 1980 के आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों के विरुद्ध मुकदमे दायर नहीं किए जा सके। बम्बई उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक विशेष इजाजत याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है और यह मामला न्यायाधीन है।

वीडियो कैसेट रिकार्डरों का निर्माण

2913. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :**

श्रीमती किशोरी सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वीडियो कैसेट रिकार्डरों के उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माता यूनिटों को लाइसेंस देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कम्पनियों ने वीडियो कैसेट रिकार्डरों की नवीनतम प्रौद्योगिकी लाने का वायदा किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में वीडियो कैसेट रिकार्डरों के निर्माण के लिए अन्य क्या कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ). सरकार ने वीडियो कैसेट रिकार्डरों (वी० सी० आर०/वीडियो कैसेट प्लेयरों) वी० सी० पी० के विनिर्माण के इच्छुक उद्यमकर्ताओं से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए थे। सरकार का केवल ऐसी इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का इरादा है, जो एक गतिशील चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के साथ एक ही स्थान

पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी-निवेश करने के लिए तैयार हो तथा जिनके पास अपेक्षित मात्रा में स्वयं विनिर्माण करने की क्षमता हो और जो बदलती हुई प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सरकार ने अभी इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का विस्तार

2914. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का भारी पैमाने पर विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) सरकार ने इस बात पर कोई विचार नहीं किया है कि क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की आवश्यकता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आयोगों की नियुक्ति

2915. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान (जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत) नियुक्त किए गए चांज आयोगों और इन आयोगों के चेयरमैनों के नाम क्या हैं;

(ख) आयोगों के नाम, उनकी नियुक्ति की तारीखों और उनके रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीखें क्या थीं;

(ग) किन-किन आयोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया और वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं; और

(घ) उन आयोगों के नाम क्या हैं जिनकी रिपोर्ट या तो सरकार द्वारा अथवा भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा रोक दी गई थीं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन्टार्कटिका में तेल की खोज

2916. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन्टार्कटिका में तेल की खोज करने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए/उठाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अंटार्कटिक संधि के अधीन केवल आधारभूत भू-भौतिकीय और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों को हाथ में लिया जा सकता है। अंटार्कटिक खनिज संसाधन व्यवस्था को स्थापित किए जाने तक हाइड्रो-कार्बन संसाधनों के संभावित क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए भूवैज्ञानिक अन्वेषण किए जा रहे हैं। इसलिए तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण करना अभी समय-पूर्व होगा।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी सलाहकार समिति

2917. **श्री बृजमोहन महंती** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परियोजनाओं की लागत और उनके कार्यान्वयन के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए कोई सलाहकार समिति गठित की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए०गनीखान चौधरी) : जी, नहीं। माननीय सदस्य के प्रश्न का संकेत शायद परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सलाहकार परिषद की ओर है जिसका गठन परियोजना से सम्बन्धित बड़े मसलों को हल करने में कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय की मदद और (क) परियोजना कार्यान्वयन प्रणाली में सुधार और (ख) संगठनात्मक विकास के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए किया गया है।

तेलों का आयात करने से पहले परीक्षण

2918. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित तेलों की जांच करने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं जिससे कि यह पता लग सके कि वह तेल लोगों द्वारा खाये जाने के लिए उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा उन प्रयोग-शालाओं के नाम क्या हैं जहां पर जांच की गई है;

(ग) क्या आयात से पहले कोई जांच की जाती है; और

(घ) क्या तेल की किसी खेप को अस्वीकार किया गया था और यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग). राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी सप्लायरों के साथ किए जाने वाले आयात करार में गुणता तथा विशिष्टियों के बारे में विस्तृत व्यवस्था रहती है इसमें यह भी व्यवस्था रहती है कि तेल, उल्लिखित गुणता तथा विशिष्टियों के अनुरूप होना चाहिए। परिशोधित तेलों के मामले में, विक्रेताओं के खर्च पर क्रेताओं द्वारा नामित किए गए सर्वेक्षकों/विश्लेषकों द्वारा लदान के समय जहाज के टैंकों में से लिए गए तथा प्रमाणित किए गए नमूनों के अनुसार गुणता को अन्तिम माना जाता है। यह देखने के लिए कि तेल निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप है, लदान तथा उतराई दोनों पत्तनों पर आयातित तेलों का परीक्षण की व्यवस्था होती है। इसके अलावा, सरकार के क्रेताओं के स्थल-टैंकों में तेल उतारने के लिए सीमा-शुल्क अधिकारियों को अनुमति दिए जाने से पूर्व, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों, जो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की दृष्टि से इनका अनुमोदन करते हैं, द्वारा नमूने लेने व जन स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रयोगशालाओं अथवा उनके द्वारा अनुमोदित विभिन्न सरकारी प्रयोगशालाओं से उनका विश्लेषण कराने और इन तेलों के मानव उपयोग के उपयुक्त होने के

बारे में स्वीकृति दिए जाने की व्यवस्था भी की है। परिष्कृत तथा कच्चे तेलों दोनों के लिए पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकारियों की स्वीकृति बहुत आवश्यक है।

(घ) राज्य व्यापार निगम ने अपनी ओर से दो खेपों को नामंजूर कर दिया था। एक मामले में, जहां लदान करने वाले पत्तन के सर्वेक्षकों द्वारा भेजी गयी खेप विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाई गयी थी, सप्लायर से माल को अपने जोखिम तथा लागत पर वापिस लेने के लिए कहा गया था और सप्लायर द्वारा माल को बदल दिया गया था। एक दूसरे मामले में जहां पतन स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुमोदन के बाद सामग्री दूषित पाई गई, राज्य व्यापार निगम ने सामग्री को औद्योगिक उपयोग के लिए साबुन विनिर्माताओं को बेच दिया और उसे सीधी खपत के लिए उपभोक्ता को वितरित नहीं करके दिया गया।

मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र

2919. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र के यूनिट II को 31 मार्च, 1986 को वाणिज्यिक रूप से चालू करने का निश्चय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं तथा उसे कब तक चालू कर दिए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). मद्रास परमाणु बिजलीघर की दूसरी यूनिट 21 मार्च, 1986 को वाणिज्यिक स्तर पर काम शुरू कर चुकी है।

"राजस्थान में वनरोपण"

2920. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान में कोई वनरोपण योजना कार्यान्वित की जा रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : जी, हां। वनरोपण की स्कीमें इस प्रकार है :

(I) पारिस्थितिकीय संवेदनशील गैर-हिमालयन क्षेत्रों में ग्रामीण ईंधन की लकड़ी हेतु पौधरोपण को शामिल करके सामाजिक वानिकी ; और

(II) (विश्व बैंक/संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण) विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाएं। इनमें फार्म वानिकी अर्थात निजी भूमि पर पौधरोपण हेतु बाल-पौधों का वितरण, सामुदायिक वृक्ष क्षेत्रों और पट्टियों पर पौधरोपण सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वनरोपण का कार्य किया जाता है।

फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकरण

2921. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिस्कुट कारखाने आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लि०, में पिछले 2 वर्ष से लाभ हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, जोकि मन्त्रालय का एक प्रतिष्ठान है, का फिलहाल कोई बिस्कुट फैक्ट्री स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें 1983-84 और 1984-85 के दौरान कंपनी की विभिन्न यूनिटों के बारे में लाभ/हानि के ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण

(लाखों रुपयों में)

क्रम सं०	यूनिटों का नाम	1983-84	1984-85
ब्रेड			
1.	दिल्ली	(+) 111.23	(+) 99.62
2.	कोचीन	(+) 73.48	(+) 71.43
3.	बम्बई	(+) 71.61	(+ 82.75
4.	मद्रास	(+) 40.01	(+) 34.33
5.	बंगलौर	(+) 39.83	(+) 28.51
6.	चण्डीगढ़	(—) 15.50	(—) 6.30
7.	इन्दौर	(—) 6.05	(—) 4.70
8.	जयपुर (एक्टूडर फूड यूनिट समेत)	(+) 1.18	(—) 7.23
9.	कलकत्ता	(—) 14.45	(—) 29.55
10.	हैदराबाद	(+) 11.27	(—) 3.31
11.	रांची	(—) 8.53	(—) 11.51
12.	कानपुर	(—) 6.26	(—) 15.46
13.	अहमदाबाद	(—) 0.42	(—) 2.83
14.	पेय यूनिट	(—) 19.88	(—) 22.58
15.	मक्का मिल	(—) 2.20	(—) 2.41
16.	खाद्य तेल संयंत्र, उज्जैन	(—) 29.78	(—) 52.59
17.	फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट	(—) 22.25	(—) 18.81

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश

2922. श्री अनादि चरण दास : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन

वर्षों के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कितने प्रवेश दिए गए और उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 1910 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडिटों की जातियों के बारे में ब्यौरे देना जनहित में ठीक नहीं होगा।

वैज्ञानिक पैनलों की बैठकों के परिणाम

2923. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका में गांधी-रीगन विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिक्रम के अन्तर्गत गठित उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक पैनलों की पिछले 12 महीनों के दौरान कोई संयुक्त बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो बैठक क परिणामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). भारत-अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिक्रम के अन्तर्गत उच्च-स्तरीय पैनलों की कोई वार्षिक बैठक बुलाने का निश्चय नहीं किया गया है। पिछले वर्ष के आरम्भ में, यू० एस० ओवर व्यू पैनल और भारतीय वरिष्ठ वैज्ञानिक पैनल के कुछ सदस्यों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हुआ था और उसमें "भारत-अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिक अभिक्रम" के विस्तार का सुझाव दिया गया था। पिछले वर्ष, प्रधान मन्त्री जी की अमरीका यात्रा के दौरान इस विस्तार पर संयुक्त रूप से सहमति हो गई थी। इन दो उच्च स्तरीय पैनलों की संयुक्त बैठक अस्थाई तौर पर 25-26 सितम्बर, 1986 को होनी निश्चित हुई है।

"बाघ अभयारण्यों को लेंटाना झाड़ से खतरा"

2924. **श्री पी० नामग्याल** :

डा० बी० एल० शैलेश :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अभयारण्यों में "लेंटाना केमारा" झाड़ से बाघों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बाघों की इस झाड़ से रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) लेंटाना से बाघों के लिए सीधा खतरा पैदा नहीं होता है। तथापि, चूंकि यह जंगली शाकाहारी पशुओं की प्रिय खाद्य पौध प्रजाति नहीं है, जिन क्षेत्रों में यह उगती है वहां प्रिय खाद्य प्रजातियों की वृद्धि कम हो जाती है। अतः इसका अधिक विस्तार, जंगली शाकाहारी पशुओं, जिन पर बाघ पलते हैं, पर विपरीत प्रभाव डालता है। तथापि अभी तक लेंटाना हमारे राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के प्रमुख हिस्सों में कब्जा नहीं करते हैं।

(ख) अभयारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों तथा बाघ रिजर्वों के प्रबन्ध के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अन्यस्थानिक अपतृणों के नियन्त्रण के लिए निधियां सम्मिलित हैं।

भारतीय वायु सेना का इंजीनियरी कालेज

2925. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय वायु सेना द्वारा एक इंजीनियरी कालेज आरम्भ किए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : जी, हां।

समुद्री अनुसंधान और विकास निधि से केरल के संस्थानों को दी गई सहायता

2926. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महासागर विकास विभाग के अधीन समुद्री अनुसन्धान और विकास निधि से वर्ष 1985-86 के दौरान केरल में कितने संगठनों तथा संस्थानों को सहायता दी गई ;

(ख) प्रत्येक संस्थान/संगठन द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन संस्थानों तथा संगठनों के अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान केरल में तीन संगठनों को सहायता दी गई।

(ख) जलीय जैविकी एवं मात्स्यकी विभाग, केरल विश्वविद्यालय को तीन वर्षों के लिए 7,30,370 रुपए दिए गए। केन्द्रीय मात्स्यकी, नाविक तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन को 15,000 रुपए और कोचीन विश्वविद्यालय को 10,000 रुपए दिए गए।

(ग) केरल विश्वविद्यालय को दिए गए अनुदान का उपयोग समुद्री परिदूषण की पारिस्थितिकी पर एक परियोजना और तटीय क्षेत्र के साथ-साथ वुड बॉरिंग आर्गेनिज्म के लिए किया जाएगा। केन्द्रीय मात्स्यकी, नाविक तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन को दिया गया अनुदान समुद्री मात्स्यकी प्रबन्ध एवं विकास के लिए प्रशिक्षण और शिक्षण पर सेमिनार के लिए और कोचीन विश्वविद्यालय को दिया गया अनुदान समुद्री प्रदूषण मानीटर करने के लिए "मसल वाच कार्यक्रम" पर सेमिनार के लिए था।

सुपर बाजार के कार्यकरण और उसकी उपयोगिता पर प्रश्नावली

2927. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार ने अनेक मुद्दों पर जनता से जानकारी प्राप्त करने के लिए मई/जून, 1986 में सुपर बाजार आने वाले लोगों को प्रश्नावली परिचालित की थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों ने प्रश्नावली के उत्तर दिए और सुपर बाजार की उपयोगिता और इसके कार्यकरण के बारे में जनता की सामान्य प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ;

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार को क्या भूमिकाएं

सौंपी गई हैं और क्या इन भूमिकाओं को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से निभाया जा रहा है अथवा उसमें किसी प्रकार की कमी है ;

(घ) क्या सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार के लिए अपनी आवश्यकता का सभी सामान विशेषकर चावल और दालें राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से खरीदना अनिवार्य है और यदि हां, तो क्या वे इन मदों को इससे खरीद रहे हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो वे यह मदें किन से खरीद रहे हैं और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से खरीद न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) और (ख). जी हां । दी कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड (जो सुपर बाजार के नाम से लोकप्रिय है) दिल्ली ने अपने कार्य के बारे में ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने तथा उसने द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार करने के लिए उनसे सुझाव मंगाने की दृष्टि से एक प्रश्नावली के जरिए ग्राहकों के विचार जानने का निर्णय किया था । इस प्रश्नावली को लोगों के बीच वितरित किया गया और लगभग 750 ग्राहकों ने उसे भरा । अधिकांश ग्राहकों ने मत व्यक्त किया कि कुल मिलाकर वे भण्डार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं, विशेषकर प्रयोगशाला में परीक्षित खाद्य वस्तुओं की उचित दरों पर बिक्री किए जाने के बारे में, सन्तुष्ट हैं । कुछ उपभोक्ताओं द्वारा भण्डार की सेवाओं की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए थे ।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता सहकारी समितियों को आपूर्ति में सहायता प्रदान करना तथा सहकारी समितियों के कार्यकरण में प्रबन्धकीय अकुशलता को दूर करने के लिए उन्हें परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना है । इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ अपने से सम्बद्ध संस्थाओं को विभिन्न आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने की दिशा में प्रयास कर रहा है । इसने उपभोक्ता सहकारी समितियों को उनकी प्रबन्ध प्रणालियों के विकास के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश देने हेतु एक पूर्णांग परामर्शदात्री तथा प्रोत्साहानात्मक सेल की भी स्थापना की है ।

सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भण्डार का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित दरों पर क्वालिटी के उत्पाद उपलब्ध कराना तथा उचित व्यापार पद्धतियों को प्रोत्साहन देना है । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों भण्डारों ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लगभग 141 शाखाएं खोली हुई हैं, जिनके जरिए वे आम जनता को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं सप्लाई कर रहे हैं ; सही तोल देने के साथ-साथ अपनी क्वालिटी को बनाए हुए हैं । इस प्रकार ये दोनों भण्डार इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी सीमा तक सफल हुए हैं ।

(घ) और (ङ). सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे अपनी सारी आवश्यकताएं, विशेषकर चावल तथा दालें भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड से खरीदें । तथापि, सुपर बाजार अपनी आवश्यकता की दालें राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से खरीद रहा है और चावल, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के पास उपलब्ध नहीं है, भारतीय खाद्य निगम तथा हरियाणा कृषि सहकारी विपणन संघ (हेफेड) से खरीद रहा है । सुपर बाजार ने हाल ही में दालों की सप्लाई के बारे में मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ से भी बातचीत की है । केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ विगत में अक्सर समिति की आवश्यकताएं पूरी करने में असमर्थ रहा है और समिति को ग्राहकों की मांग व क्वालिटी को ध्यान में रखते

हुए प्रतिस्पर्धी दरों पर थोक बाजार से सप्लाई को बनाए रखने के लिए मजबूरन दूसरे स्रोतों का सहारा लेना पड़ा है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित करना

2928. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे में श्रेणी-एक, श्रेणी-दो तथा श्रेणी-तीन के कितने पदों को वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान अनारक्षित किया गया ;

(ख) इन पदों को अनारक्षित करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन पदों को सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा भरा गया था ; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्यूनतम योग्यता रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध होते ही, उनके लिए इतने ही अतिरिक्त रिक्त स्थान उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्ष 1983-85 के दौरान ऐसी आरक्षित रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है जिन्हें उसी अवधि के दौरान अनारक्षित किया गया है।

(ख) और (ग). आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न हो पाने के कारण अनारक्षित किया गया था। वास्तविक नियुक्तियां उन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा की जाती हैं जिनके अधीन रिक्तियां होती हैं और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में केन्द्रीकृत रूप से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) अनारक्षण के बाद, आरक्षणों को तीन अनुवर्ती भर्ती वर्षों के लिए अग्रेनीत किया जाना आवश्यक होता है और उसमें अग्रेनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के बीच में पारस्परिक अदला-बदली की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। तथापि समूह "ग" से समूह "ख" में, समूह "ख" के भीतर तथा समूह "ख" से समूह "क" के निम्नतम स्तर तक चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के मामले में आरक्षण के अग्रेनीत किए जाने की अनुमति नहीं दी गई है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच पारस्परिक अदला-बदली भर्ती के उसी वर्ष में का जा सकती है। जिन आरक्षित रिक्तियों के लिए पारस्परिक अदला-बदली का सिद्धान्त लागू किए जाने के बावजूद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं केवल उन्हीं रिक्तियों में आरक्षण समाप्त किया जाता है।

विवरण

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण

वर्ष	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"
1983	202	585	1744
1984	199	393	1491
1985	236	396	1788

II

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण

वर्ष	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"
1983	167	239	2592
1984	169	359	2131
1985	172	424	2444

वैज्ञानिक पदों को संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर करना

2929. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक पदों को संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने का निर्णय लेने का आयोग से परामर्श किया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से पदों को बाहर रखे जाने का कोई भी प्रशासनिक निर्णय तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली विधिवत रूप से संशोधित न कर दी गई हो। वैज्ञानिक विभागों के वैज्ञानिक पदों को बाहर रखे जाने के बारे में आयोग के विचार मांगे गए हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रिटेन से एच० एम० एस० हर्मिस की खरीद

2930. **श्री सी० माधव रेड्डी :**

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० एस० हर्मिस का, जिसे खरीदने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ पिछले अप्रैल में समझौता किया था, मरम्मत और वैकल्पिक आवश्यकताओं का विस्तार से मूल्यांकन करने के लिए जांच कर ली गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या मरम्मत का काम ब्रिटेन में किया जाएगा या भारत में ;

(ग) मरम्मत के काम में कितना समय लगने की सम्भावना है ;

(घ) आई० एन० एस० विक्रान्त के कितने नौसेना अधिकारियों को विमान वाहक हर्मिस में स्थानांतरित किया गया है ; और

(ङ) विमान वाहक हर्मिस को चलाने के लिए कुल कितने कर्मियों की आवश्यकता है ?

रक्षा अनुसन्धान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटेन में।

(ग) लगभग 7 महीने।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) लगभग 1400 कार्मिक।

उद्योगों तथा कृषि के लिए और राशि का जुटाया जाना

2931. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का उद्योगों तथा कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सातवीं योजना के परिव्यय में 10,000 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि मिलाकर इसे 40,000 करोड़ रु० तक करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अतिरिक्त राशि को किस प्रकार जुटाये जाने का प्रस्ताव है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सीधी भर्ती

2932. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों की सेवाओं में कार्य कर रहे कुल कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सीधी भर्ती की गई है ;

(ख) राज्य सेवाओं से आई० ए० एस० संवर्ग में प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों की संख्या क्या है ;

(ग) सीधे भर्ती किए गए आई० ए० एस० अधिकारियों तथा जिन्हें उनके अपने राज्यों में ही सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया, की प्रतिशतता क्या है ; और

(घ) क्या अपने गृह राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में कार्य करने वाले आई० ए० एस० अधिकारियों के लिए उस राज्य की भाषा को सीखना आवश्य होता है जिस राज्य में उन्हें नियुक्त किया जाता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति　　719

राज्य　　2967

(ख) 863

(ग) सीधी भर्ती के 36 प्रतिशत अधिकारियों को उनके अधिवास से राज्यों में आवंटित किया गया है।

(घ) जी हां।

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अर्धसैनिक बलों का तैनात करना

2933. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 से 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए कितनी बार अर्ध सैनिक बलों की सहायता मांगी ; और

(ख) विभिन्न स्थानों पर समय बार तैनात की गई बटालियनों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा सरकारों ने समय-समय पर अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती के लिए अनुरोध किए हैं। अनुरोधों के अनुसरण में, पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा सरकारों को 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1986 तक की अवधि के दौरान प्रदान की गई अर्द्ध सैनिक बलों की कम्पनियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा में 1-4-1983 से 31-3-1986 तक की अवधि के दौरान तैनात किए गए अर्द्ध सैनिक बल

राज्य का नाम	बल का नाम	वर्ष तथा मास	स्थायी गार्ड ड्यूटी सहित कानून तथा व्यवस्था ड्यूटी पर अर्द्ध स्थायी आधार पर तैनात कंपनियों की संख्या	स्थायी आधार पर स्थाई गार्ड ड्यूटियों समेत कानून और व्यवस्था ड्यूटियों पर तैनात की गई कम्पनियों की संख्या	विधान मण्डल/लोक सभा चुनावों के संबंध में कानून और व्यवस्था ड्यूटियों पर तैनात कंपनियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	सी आर पी एफ	1983			
		अप्रैल	8	—	—
		मई	8	—	—
		जून	8	—	—
		जुलाई	8	—	—

1	2	3	4	5	6
		अगस्त	8	—	—
		सितम्बर	10	—	—
		अक्तूबर	8	—	—
		नवम्बर	8	—	—
		दिसम्बर	8	5	—
		1984			
		जनवरी	8	5	—
		फरवरी	8	—	—
		मार्च	9	—	—
		अप्रैल	9	—	—
		मई	8	—	—
		जून	9	—	—
		जुलाई	10	—	—
		अगस्त	10	—	—
		सितम्बर	10	—	—
		अक्तूबर	10	—	—
		नवम्बर	10	—	—
		दिसम्बर	10	—	14 लोक सभा चुनाव
		1985			
		जनवरी	10	—	—
		फरवरी	8	—	—
		मार्च	8	—	—
		अप्रैल	10	—	—
		मई	10	—	—
		जून	8	—	—
		जुलाई	8	—	—
		अगस्त	11	—	—
		सितम्बर	11	—	—
		अक्तूबर	11	—	—

1	2	3	4	5	6
		नवम्बर	8	—	—
		दिसम्बर	9	—	—
		1986			
		जनवरी	9	—	—
		फरवरी	9	—	—
		मार्च	9	—	—
त्रिपुरा	सी आर पी एफ	1983			
		अप्रैल	20	—	—
		मई	20	—	—
		जून	20	—	—
		जुलाई	24	—	—
		अगस्त	24	—	—
		सितम्बर	21	—	—
		अक्तूबर	20	—	—
		नवम्बर	21	—	—
		दिसम्बर	22	—	—
		1984			
		जनवरी	22	—	—
		फरवरी	24	5	—
		मार्च	23	—	—
		अप्रैल	23	—	—
		मई	24	—	—
		जून	24	—	—
		जुलाई	29	—	—
		अगस्त	29	—	—
		सितम्बर	29	—	—
		अक्तूबर	29	—	—
		नवम्बर	29	—	—
		दिसम्बर	24	—	11 लोक सभा चुनाव

1	2	3	4	5	6
		1985			
		जनवरी	24	5	—
		फरवरी	24	3	—
		मार्च	33	—	—
		अप्रैल	33	—	—
		मई	36	—	—
		जून	31	—	—
		जुलाई	36	—	—
		अगस्त	36	—	—
		सितम्बर	30	—	—
		अक्तूबर	30	—	—
		नवम्बर	30	—	—
		दिसम्बर	30	—	—
		1986			
		जनवरी	30	—	—
		फरवरी	36	—	—
		मार्च	36	—	—
पश्चिम बंगाल	बी एस एफ	1983			
		अप्रैल	—	—	—
		मई	—	6	—
		जून	—	5	—
		जुलाई	—	—	—
		अगस्त	—	—	—
		सितम्बर	—	—	—
		अक्तूबर	—	—	—
		नवम्बर	—	—	—
		दिसम्बर	—	—	—
		1984			
		जनवरी	—	—	—

1	2	3	4	5	6
		फरवरी	—	—	—
		मार्च	—	1	—
		अप्रैल	—	1	—
		मई	—	—	—
		जून	—	1	—
		जुलाई	—	—	—
		अगस्त	—	—	—
		सितम्बर	—	—	—
		अक्तूबर	—	1	—
		नवम्बर	—	1	—
		दिसम्बर	—	—	11 लोक सभा चुनाव
		1985			
		जनवरी	—	—	—
		फरवरी	—	—	—
		मार्च	—	1 × कम्पनी 2 प्लाटूनस	—
		अप्रैल	—	—	—
		मई	—	—	—
		जून	—	—	—
		जुलाई	—	—	—
		अगस्त	—	2 प्लाटूनस	—
		सितम्बर	—	—	—
		अक्तूबर	—	1 प्लाटून	—
		नवम्बर	—	—	—
		दिसम्बर	—	—	—
		1986			
		जनवरी	—	—	—
		फरवरी	—	1	—
		मार्च	—	1	—

1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा	बी एस एफ	1983			
		अप्रैल	—	1	—
		मई	—	—	—
		जून	—	—	—
		जुलाई	—	—	—
		अगस्त	—	—	—
		सितम्बर	—	—	—
		अक्तूबर	—	—	—
		नवम्बर	—	—	—
		दिसम्बर	—	—	—
		1984			
		जनवरी	—	—	—
		फरवरी	—	—	—
		मार्च	—	—	—
		अप्रैल	—	—	—
		मई	—	5	—
		जून	—	5	—
		जुलाई	—	2	—
		अगस्त	—	2	—
		सितम्बर	—	—	—
		अक्तूबर	—	1	—
		नवम्बर	—	2	—
		दिसम्बर	—	—	6 (लोक सभा चुनाव)
		1985			
		जनवरी	5	—	—
		फरवरी	5	—	—
		मार्च	5	—	—
		अप्रैल	5	—	—
		मई	5	—	—

1	2	3	4	5	6
		जून	—	2	—
		जुलाई	—	—	—
		अगस्त	—	—	—
		सितम्बर	—	—	—
		अक्तूबर	—	—	—
		नवम्बर	—	—	—
		दिसम्बर	—	—	—
		1986			
		जनवरी	—	—	—
		फरवरी	—	—	—
		मार्च	—	—	—
पश्चिम बंगाल	आसाम राईफल्स	1983			
		अप्रैल	—	—	—
		मई	—	—	—
		जून	—	—	—
		जुलाई	—	—	—
		अगस्त	—	—	—
		सितम्बर	—	—	—
		अक्तूबर	—	—	—
		नवम्बर	—	—	—
		दिसम्बर	—	—	—
		1984			
		जनवरी	—	—	—
		फरवरी	—	—	—
		मार्च	—	—	—
		अप्रैल	—	—	—
		मई	—	—	—
		जून	—	—	—
		जुलाई	—	—	—

1	2	3	4	5	6
		अगस्त	—	—	—
		सितम्बर	—	—	—
		अक्तूबर	—	—	—
		नवम्बर	—	—	—
		दिसम्बर	—	—	6 (लोक सभा चुनाव)
		1985			
		जनवरी	—	2	—
		फरवरी	—	—	—
		मार्च	—	—	—
		अप्रैल	—	—	—
		मई	—	—	—
		जून	—	—	—
		जुलाई	—	—	—
		अगस्त	—	—	—
		सितम्बर	—	—	—
		अक्तूबर	—	—	—
		नवम्बर	—	—	—
		दिसम्बर	—	—	—
		1986			
		जनवरी	—	—	—
		फरवरी	—	—	—
		मार्च	—	—	—
त्रिपुरा	आसाम राईफल्स	1983			
		अप्रैल	—	—	—
		मई	—	—	—
		जून	—	—	—
		जुलाई	—	—	—
		अगस्त	—	—	—
		सितम्बर	—	—	—

1	2	3	4	5	6
		अक्तूबर	—	—	—
		नवम्बर	—	—	—
		दिसम्बर	—	—	—
		1984			
		जनवरी	—	—	—
		फरवरी	—	—	—
		मार्च	—	—	—
		अप्रैल	—	—	—
		मई	—	—	—
		जून	—	—	—
		जुलाई	—	—	—
		अगस्त	—	—	—
		सितम्बर	—	—	—
		अक्तूबर	—	—	—
		नवम्बर	—	—	—
		दिसम्बर	—	—	—
		1985			
		जनवरी	—	—	—
		फरवरी	—	—	—
		मार्च	—	—	—
		अप्रैल	—	—	—
		मई	—	—	—
		जून	—	2	—
		जुलाई	—	2	—
		अगस्त	—	—	—
		सितम्बर	—	—	—
		अक्तूबर	—	—	—
		नवम्बर	—	—	—
		दिसम्बर	—	—	—

1	2	3	4	5	6
		1986			
		जनवरी	—	—	—
		फरवरी	—	—	—
		मार्च	—	—	—

[हिन्दी]

"नए पौधों की देखभाल"

2934. प्रो० चन्द्र भानु देवी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष आयोजित "वन महोत्सव" के दौरान लगाए जाने वाले नये पौधों को उचित देखभाल के अभाव में बढ़ना संदेहास्पद हो गया है ; और

(ख) लगाए गए पौधों की उचित देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वन-महोत्सव के दौरान पौधरोपण, व्यक्तियों, स्कूल और कालेज जैसी संस्थाओं, राज्य और केन्द्र सरकार के विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योगों, सहकारिताओं, ग्रामीण समुदायों और स्वैच्छिक अभिकरणों द्वारा निजी और सार्वजनिक भूमि पर किया जाता है। पानी देने के अपर्याप्त प्रबन्धों, अवांछित सूखे, बाढ़ की कमी, पशुओं द्वारा नष्ट किए जाने और कटाई पर नियन्त्रण की कमी के कारण सार्वजनिक भूमि पर पेड़ों के नष्ट होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है।

(ख) पशुओं द्वारा चराई न करने योग्य प्रजातियों का पौधरोपण करना, खाइयों के चारों ओर बाड़ लगाना तथा अन्य संरक्षण उपाय उन कदमों में से हैं जो सरकार द्वारा पौध संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सुझाए गए हैं। कुछ वानिकी और वृक्षारोपण स्कीमों के माध्यम से पेड़ों के व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार के परिणामस्वरूप भी रोपे गए पौधों की उचित देखभाल होगी। स्वैच्छिक अभिकरणों, युवा दलों और महिला मंगल दलों, की संलग्नता और सामुदायिक प्रयासों से सामाजिक फेन्सिंग की धारणा को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

"अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति"

2935. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जिले में उन सड़कों के नाम क्या हैं जिसके निर्माण के सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय में पिछले दो वर्षों से अब तक स्वीकृति देने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) उन सड़कों के क्या नाम हैं जिसके निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृति दी गई है और शेष सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र हैक्टेयर में	सड़क का नाम	प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	11.87796	नारायण-तिवारी-देवाल-कटारखान मोटर मार्ग।	अधिनियम लागू नहीं होता 19-12-84 को पत्र जारी किया गया।
2.	1.2368	गनिया धौली-सिंगौरी अकबारी मोटर मार्ग।	26-11-84 को अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई। उत्तर निर्धारित समय पर प्राप्त नहीं हुआ अतः इस मामले को बन्द माना गया।
3.	0.6804	सिलेन्धर-धामल पुल के लिए संपर्क मार्ग निर्माण	अधिनियम लागू नहीं होता है 12-11-84 को पत्र जारी किया गया।
4.	15.76	कापकोट पिंडारी ग्लेसियर मोटर मार्ग।	अधिनियम लागू नहीं होता 12-11-84 को पत्र जारी किया गया।
5.	0.6045	हरदा-विकियासेन मोटर मार्ग।	20-11-84 को अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई। उत्तर निर्धारित समय पर नहीं मिला अतः इस मामले को बन्द माना गया।
6.	2.6722	पिसया-पिपना मोटर मार्ग।	स्वीकृत 10-1-1985 को पत्र जारी किया गया।
7.	0.044	कलना-बैण्ड-पंत क्वैराली मोटर मार्ग	22-11-84 को अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई। उत्तर निर्धारित समय पर नहीं मिला अतः इस मामले को बन्द माना गया।
8.	3.21	थमखाला-कोईराला-देवेरा मोटर मार्ग।	28-7-84 को अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई। उत्तर निर्धारित समय पर नहीं मिला अतः इस मामले को बन्द माना गया।

1	2	3	4
9.	3.1845	सियोली-दयोली खेत सिलोर महादेव मोटर मार्ग का विस्तार।	28-7-84 और 12-5-86 को अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई। उत्तर निर्धारित समय पर प्राप्त नहीं हुआ अतः इस मामले को बन्द माना गया।
10.	3.98	कापकोट-कारमी मोटर मार्ग	अधिनियम लागू नहीं होता। पत्र 12-4-84 को जारी किया गया।
11.	5.5861	बरकांदा-मनिला डोटि-याल मोटर मार्ग।	12-11-84 को अपेक्षित जान-कारी राज्य सरकार से मांगी गई। उत्तर निर्धारित समय पर नहीं मिला अतः मामले को बन्द समझा गया।
12.	5.4494	भिक्यासन-मनिला डोटि-याल मोटर मार्ग।	अधिनियम लागू नहीं होता पत्र 12-11-84 को जारी किया गया।
13.	0.59768	खुन्त-काकरीघाट मोटर मार्ग।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करके कार्य मार्च, 1982 में पूरा कर लिया गया। कारण पूछने के लिए 19-12-84 को पत्र जारी किया गया।
14.	2.4597	मसी-गैरखेत मोटर मार्ग।	1-1-85 और 21-3-86 को अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई। उत्तर निर्धारित समय पर नहीं मिला, अतः मामले को बन्द माना गया।
15.	0.7181	जालीखान-उत्तम-छानी-नौबेरा मोटर मार्ग।	सम्पूर्ण प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए अधूरे प्रस्ताव को 5-1-85 को वापिस भेजा गया।
		1985	
1.	3.84	देवलीखेत डेंडोखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग।	अधिनियम लागू नहीं होता 5-2-85 को पत्र जारी किया गया।

1	2	3	4
2.	0.1062	सिलोर महादेव के पास गंगा नदी पर मोटर मार्ग पुल ।	26-3-85 को अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई 15-5-85 को तार द्वारा याद दिलाया गया । उत्तर निर्धारित समय में नहीं मिला । अतः इस मामले को बन्द माना गया ।
3.	1.28	भानी-रीठा बगड़र-हर-सिनिया बगड़र-विनायक मोटर मार्ग	22-6-85 और 18-7-85 को अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई। उत्तर निर्धारित समय में प्राप्त नहीं हुआ अतः इसे बन्द माना गया ।
4.	6.1319	धार्चुला-मैरंग खाल बोटियाल मोटर मार्ग ।	16-7-85 और 20-6-86 को अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई । उत्तर निर्धारित समय में नहीं मिला अतः इस मामले को बन्द माना गया ।
5.	3.8128	कालाबेंड-प्रंत और बवैराली मोटर मार्ग	पूर्ण रूप से प्रस्ताव पेश करने के लिए अधूरे प्रस्ताव को 15-7-85 की मूल प्रति वापिस कर दी गई ।
6.	20.7762	मनाली-जैती मोटर मार्ग	अधिनियम लागू नहीं होता 23-7-85 को पत्र जारी किया गया ।
7.	0.6386	मझाली-बटूलिया मोटर मार्ग ।	17-7-85 को अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई । उत्तर निर्धारित समय में नहीं मिला अतः इसे बन्द माना गया ।
8.	0.6285	द्वाराहाट-आसगोली मोटर मार्ग ।	20-11-85 को अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई । उत्तर समय पर न मिलने के कारण मामले को बन्द माना गया ।

1986 (31-7-86 तक)

—शून्य—

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भांडागारों का निर्माण

2936. श्री हरीश रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए खरीदे गए खाद्यान्नों के भंडारण के लिए 5000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता के भांडागारों का निर्माण किया जाएगा ; और

(ख) क्या इन भांडागारों के लिए भूमि के अर्जन और उनका निर्माण आरम्भ करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) भारतीय खाद्य निगम का पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए 5000-5000 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ख) निगम इन दो केन्द्रों पर उपयुक्त स्थानों का चयन करने सम्बन्धी कार्य में लगा हुआ है। स्थल का चयन करने के पश्चात् भूमि का अधिग्रहण करने विषयक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

घाटे में चल रही चीनी मिलें

2937. श्री हरीश रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं और इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए तथा इनमें घाटा न होने देने हेतु राज्य सरकार को कितनी सहायता देने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : सरकार उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों, जोकि मुख्यतया निजी अथवा सहकारी क्षेत्र में हैं, के बारे में लाभ और हानि के लेखे नहीं रखती है।

चीनी विकास निधि नियम, 1983 के अधीन राज्य सरकारें मिलों का आधुनिकीरण करने के लिए सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, इन्हीं नियमों के अधीन उन चीनी फैक्ट्रियों को सहायता सुलभ की जा सकती है जो अपने कमाण्ड क्षेत्र में गन्ना विकास के प्रयोजन हेतु तथा अपने प्लांट और मशीनरी का आधुनिकीकरण/पुनर्वासन करने के उद्देश्य से ऋण मंजूर करने के लिए आवेदन करती हैं। इससे पर्याप्त हानियों से बचने के लिए उनको मदद मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

वर्ष 1985-86 में चीनी की खपत/उत्पादन

2939. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान देश में चीनी की कुल खपत कितनी थी ; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) चीनी वर्ष 1985-86 के दौरान चीनी की खपत के लिए कुल अनुमानित आवश्यकता लगभग 85 लाख मीटरी टन बैठती है।

(ख) 1985-86 मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान अनुमानित घरेलू उत्पादन 69 लाख मीटरी टन के आस-पास हो सकता है।

1-10-1985 को लगभग 14 लाख मीटरी टन के अधशेष स्टाक होने से, और उपर्युक्त स्वदेशी उत्पादन और उपलब्ध आयातित चीनी होने से, सरकार के पास चीनी वर्ष 1985-86 की आन्तरिक खपत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक स्टाक है।

"उत्तरी बंगाल में वनों का कटान"

2940. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि गत एक दशक से बड़े पैमाने पर वनों के कटान और सामाजिक वानिकी के लिए कार्यवाही न किए जाने के कारण उत्तरी बंगाल के तराई और डूअर के क्षेत्र में अब समस्त पारिस्थितिकी संतुलन खतरे में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 25-10-1982 से 429.265 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए दिक्परिवर्तित किया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कोई अन्य निर्वनीकरण नहीं हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी की रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि 1972-75 से 1980-82 तक की अवधि के दौरान 1864 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र रिक्त हुए हैं।

(ख) छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में 3188 बालपौधे रोपित किए गए थे तथा 1985-86 में 115 लाख बाल पौधे रोपित किए गए। 1986-87 के लिए 1400 लाख बाल पौधे लगाने का लक्ष्य है।

सीमा सड़कों के निर्माण और रखरखाव में लगे श्रमिक

2941. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमा सड़कों के निर्माण और रखरखाव के कार्य में राज्यवार कुल कितने श्रमिक लगे हुए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : 30-6-1986 की स्थिति के अनुसार, सीमा सड़क संगठन ने भारत में सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए 82,761 कैजुअल श्रमिकों को लगाया गया था। कैजुअल श्रमिकों के राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

राज्य/संघ शासित प्रदेश	काम में लगाए गए कैजुअल श्रमिकों की संख्या
1	2
असम	2206
अरुणाचलम प्रदेश (सं० शा० प्र०)	12095

1	2
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (सं० शा० प्र०)	878
बिहार	2014
जम्मू और कश्मीर	14288
महाराष्ट्र	468
हिमाचल प्रदेश	7171
उत्तर प्रदेश	4024
पंजाब	1935
सिक्किम	6057
राजस्थान	7219
पश्चिम बंगाल	1285
हरियाणा	54
तमिलनाडु	6
त्रिपुरा	1137
नागालैंड	5789
मणिपुर	5777
मिजोरम (सं० शा० प्र०)	7667
मेघालय	2691
योग —	82,761

[हिन्दी]

ध्रुव परमाणु रिएक्टर में खराबी

2942. श्री शांति धारीवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ध्रुव" परमाणु रिएक्टर के डिजायन में किसी मूल खराबी का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त खराबी को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके डिजाइन में पूरी तरह परिवर्तन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). जी नहीं तथापि परीक्षण के तौर पर नाभिकीय इंधन का किरणन करते समय, जो कि ध्रुव रिएक्टर में किए जाने वाले

अभियांत्रिक सम्बन्धी परीक्षणों का अनिवार्य अंग है, यह पाया गया कि इंधन के पिनों की एल्यूमीनियम क्लैडिंग छीज गयी है। इसके परिणामस्वरूप, इंधन की क्लैडिंग में सुधार किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर टर्मिनल का निर्माण

2943. कुमारी पुष्पा देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का विचार एक ऐसे कम्प्यूटर टर्मिनल का निर्माण करने का है, जिसमें पांच भारतीय भाषाएं प्रयोग की जा सकती हैं ;

(ख) क्या इस कम्प्यूटर टर्मिनल का कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों के सहयोग से निर्माण करने का विचार है ;

(ग) इस कम्प्यूटर टर्मिनल से कौन सी पांच भाषाओं में जानकारी मिल सकती है ; और

(घ) उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क), (ख) और (घ). ग्राफिक्स तथा भारतीय लिपि पर आधारित टर्मिनल का विकास करने के लिए, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई० टी०) में प्रौद्योगिकी विकास की एक परियोजना प्रायोजित की थी ताकि देश में कम्प्यूटरों पर भारतीय लिपियों में इनपुट तथा आउटपुट विषयक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इस परियोजना के अन्तर्गत विकसित की गई प्रौद्योगिकी को हाल ही में छः भारतीय विनिर्माणकर्ताओं को अन्तरित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का स्वयं इस प्रकार के टर्मिनल का विनिर्माण करने का कोई इरादा नहीं है।

(ग) इस समय इस टर्मिनल से निम्नलिखित भारतीय लिपियों को सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है :

देवनागरी, तमिल, तेलगू, बंगाली तथा असमिया।

किन्तु, इन लिपियों में इनपुट तथा आउटपुट सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त की गई प्रौद्योगिकी सभी भारतीय लिपियों द्वारा आसानी से अपनाई जा सकती है।

वनस्पति और जीव-जंतुओं का संरक्षण

2944. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वनस्पति और जीव जन्तुओं के संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम को तेज करने का है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कर्नाटक में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) वानिकी के तहत प्राणिजात और वनस्पतिजात के संरक्षण के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, छठी योजना के दौरान आबंटित 3075 लाख रुपये की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक राज्य को 6,200 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कर्नाटक राज्य में वानिकी कार्यक्रम के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	विकास कार्यक्रम	सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए स्वीकृत परिव्यय (लाख रुपयों में)
1.	निर्देशन एवं प्रशासन	10.00
2.	शिक्षा एव प्रशिक्षण	17.50
3.	वन संसाधनों का सर्वेक्षण	75.00
4.	सामाजिक एवं कृषि वानिकी	4899.75
5.	संचारण एवं भवन	140.00
6.	सार्वजनिक क्षेत्र एवं उपक्रमों में निवेश	55.00
7.	पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्यजीव :	
	(क) वन्यजीव	257.50
	(ख) प्राणि उद्यान	70.00
	(ग) अन्य व्यय	675.25
	कुल योग :	6200.00

सेवा में आगे बने रहने के बारे में पुनरीक्षा

2945. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फिजीकल लेबोरेटरी में भी उन्हीं नियमों का अनुपालन किया जाता है जिनका भारत सरकार उन व्यक्तियों के सेवा में आगे बने रहने के मामलों की पुनरीक्षा करने के सम्बन्ध में अनुपालन करती है ; जिन्होंने पचास वर्ष की आयु पूरी कर ली थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों का समानता से अनुपालन किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जीव-प्रौद्योगिकी के विकास के लिए योजना

2946. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सातवीं योजना के दौरान जीव-प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए राज्यवार कितना परिव्यय प्रस्तावित है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 27 फरवरी, 1986 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की है जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के माध्यम से विनिर्माण यूनिटों की अनुसंधान और विकास संस्थाओं के संवर्धन और थ्रस्ट क्षेत्रों के लिए अपेक्षित जनशक्ति को प्रशिक्षण देने केप्रयोजन से कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्रों में जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए एक मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य करना है। देश के विभिन्न भागों की अनुसंधान और विकास संस्थाओं में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। राज्य-वार और कार्यक्रम-वार परिव्यय संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सातवीं योजना अवधि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य-वार परिव्यय संलग्न विवरण--II में दिया गया है। यह विभाग आगामी सातवीं और आठवीं योजना अवधि में विभिन्न राज्यों में टीकों, प्रतिरक्षा निदान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर आधारित विनिर्माण यूनिटों की स्थापना, भ्रूण अन्तरण प्रौद्योगिकी के द्वारा पशु प्रजनन में सुधार तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलों के ऊतक संवर्धन के आधार पर सुधार को बढ़ावा देगा।

विवरण I

सातवीं योजना में जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित राज्यवार परिव्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रमांक	राज्य का नाम	परियोजना और संस्था का नाम	परिव्यय जोड़
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, में पशु गृह सुविधा।	2.01

1	2	3	4
		2. सैन्टर फार सैलुलर एंड मोलिकुलर बायलोजी, हैदराबाद, में पोली पैप्टाइड और आलिगोन्यूक्लियो-टाइड्स।	0.85
		3. सैन्टर फार सैलुलर एंड मोलिकुलर बायलोजी, हैदराबाद, में बायो-इन्फार्मेटिक्स केन्द्र।	0.93
			3.79
2.	दिल्ली	1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में नील हरित शैवाल सुविधा।	1.24
		2. नैशनल ब्यूरो आफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिज, नई दिल्ली, में पादप ऊतक संवर्धन।	2.96
		3. जैव-रसायन केन्द्र, दिल्ली, में ओलिगान्यूक्लिओटाइड्स।	0.23
		4. राष्ट्रीय रोग-प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, में बायोग-इन्फार्मेटिक्स केन्द्र।	0.93
		5. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, में बायो-इन्फार्मेटिक्स केन्द्र।	0.93
		6. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में ओलिगोन्यूक्लिओटाइड्स तथा पेप्टाइड्स संश्लेषण।	0.20
		7. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में विज्ञान स्नातकोत्तर/प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव-प्रौद्यगिकी)।	1.09
		8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में विज्ञान स्नातकोत्तर/	0.53

1	2	3	4
		प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव-प्रौद्योगिकी)।	
		9. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, में विज्ञान स्नातकोत्तर प्रोद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव-प्रौद्योगिकी)।	1.31
		10. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में विज्ञान स्नातकोत्तर/ प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव-प्रौद्योगिकी)।	1.20
		11. जैव-रसायन केन्द्र, दिल्ली में रैस्ट्रिक्शन एन्जाइम्स।	0.13
		12. मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली में बायोसिड एस परियोजना।	0.01
			10.76
3.	कर्नाटक	1. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में पशु गृह सुविधा।	0.15
		2. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में ओलिगोन्यूक्लिओटाइड्स संश्लेषण।	0.80
		3. भारतीय विज्ञान संस्थान, बगलौर, में बायो-इन्फार्मेटिक्स केन्द्र।	0.93
		4. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, में पोस्ट-डाक्टोरल (जैव प्रौद्योगिकी)।	1.07
		5. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, में वी० ए० एक्स० कम्प्यूटर।	0.98
			3.93
4.	महाराष्ट्र	1. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे में पशु ऊतक/ कोशिका लाइन सुविधा	3.77
		2. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे बायो-इन्फार्मेटिक्स केन्द्र।	0 93
		3. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे में विज्ञान स्नातकोत्तर/प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव-प्रौद्योगिकी)।	1.16

1	2	3	4
		4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई में विज्ञान स्नातकोत्तर/प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव-प्रौद्योगिकी)।	0.59
		5. महाराष्ट्र एसोसिएशन फार कल्टीवेशन आफ साइंस में कापर लीच परियोजना।	0.16
			6.61
5.	गुजरात	1. बड़ौदा एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा में विज्ञान स्नातकोत्तर/प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव-प्रौद्योगिकी)	0.98
			0.98
6.	पंजाब	1. इन्स्टीट्यूट आफ माइक्रोबिअल टैक्नोलोजी, चंडीगढ़ में माइक्रोबिअल संवर्धन संचयन सुविधा।	3.00
		2. इन्स्टीट्यूट आफ माइक्रोबिअल टैक्नोलोजी, चंडीगढ़ में जैव-रसायन इंजीनियरी पायलट संयंत्र सुविधा	3.49
		3. इन्स्टीट्यूट आफ माइक्रोबिअल टैक्नोलोजी, चण्डीगढ़ में बायो-इन्फार्मेटिक्स केन्द्र।	0.93
			7.42
7.	तमिलनाडु	1. मदुराइ कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई में विज्ञान स्नातकोत्तर/ प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव-प्रौद्योगिकी)।	1.15
		2. अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास में बायोसाइड एस परियोजना।	0.03
		3. मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई में बायो-इन्फार्मेटिक्स केन्द्र।	0.93
			2.11
8.	उत्तर प्रदेश	1. केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में पशु गृह सुविधा	0.98

1	2	3		4
		2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में विज्ञान स्नातकोत्तर/प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव-प्रौद्योगिकी)।		1.07
		3. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में विज्ञान स्नातकोत्तर/प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव प्रौद्योगिकी)		1.10
				3.15
9.	पश्चिम बंगाल	1. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता में विज्ञान स्नातकोत्तर/प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव-प्रौद्योगिकी)		0.99
		2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, में विज्ञान स्नातकोत्तर/प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (जैव-प्रौद्योगिकी)।		0.62
		3. बोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता में बायो-इन्फार्मेटिक्स केन्द्र।		0.93
				2.54
बायो-इन्फार्मेटिक्स कार्यक्रम				
	—प्रयोगकर्ता केन्द्र में सुविधाओं में सुधार		2.70	270
	—प्रयोगकर्ता विश्वविद्यालयों में सुविधाओं में सुधार (जो राज्य शामिल किए जाने हैं उनके बारे में निर्णय लिया जाना है)		0.43	0.43
जनशक्ति विकास				
	—अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम		1.00	1.00
	—राष्ट्रीय/ओवरसीज एसोशियशनशिप (प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से आमन्त्रित विभिन्न राज्यों में स्थित संस्थाओं की सहभागिता)		7.00	7.00
अनुसंधान और विकास विनिर्माण यूनिट				
	—प्रस्ताव अभी आरम्भिक चरणों में है क्योंकि राज्यों की सहभागिता के बारे में फैसला नहीं हुआ है		24.00	24.00
		कुल जोड़ :	76.42	

विवरण II

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सभी राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर परिव्यय

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सातवीं योजना परिव्यय (1985-90) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (लाख रुपयों में)
1	2
राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	610
असम	300
बिहार	300
गुजरात	450
हरियाणा	165
हिमाचल प्रदेश	100
जम्मू और काश्मीर	100
कर्नाटक	200
केरल	1700
मध्य प्रदेश	650
महाराष्ट्र	200
मणिपुर	200
मेघालय	150
नागालैण्ड	80
उड़ीसा	216
पंजाब	400
राजस्थान	344
सिक्किम	22
तमिलनाडु	450
त्रिपुरा	200

1	2
उत्तर प्रदेश	1000
पश्चिम बंगाल	320
जोड़ :	8157
संघ शासित क्षेत्र	
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	26
अरुणाचल प्रदेश	12
चण्डीगढ़	20
दादर और नगर हवेली	14
दिल्ली	56
गोवा, दमन और दीव	110
लक्षद्वीप	25
मिजोरम	10
पांडीचेरी	36
जोड़ :	309
कुल जोड़ :	8466

मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के लिए धनराशि

2947. **श्री सुभाष यादव** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में छोटी और मझौली 1746 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से 6000 करोड़ रु० आबंटित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुरोध पर इस बीच विचार किया गया है ; और

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को कब तक वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

वनस्पति तेल का आयात

2948. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार आयात किए गए वनस्पति तेल की मात्रा कितनी है ;

(ख) क्या निजी क्षेत्र को वनस्पति तेल आयात करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक एकक द्वारा कितनी कितनी मात्रा में वनस्पति तेल का आयात किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि आयात और वनस्पति तेल के वर्तमान उत्पादन से देश में इसकी मांग की पूर्ति नहीं हो सकी थी यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान वनस्पति तेल के आयात के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ङ) राज्यों में वनस्पति तेल का वितरण तथा देश में वनस्पति का उत्पादन करने के लिए कौन से उपाय अपनाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) पिछले तीन तेल वर्षों (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान खाद्य तेल का आयात निम्नवत है :—

तेल वर्ष	आयातित मात्रा (लाख मीटरी टन में)
1983-84	16.34
1984-85	13.68
1985-86 (नवम्बर 1985-जून 1986)	5.15 (अनन्तिम)

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) देशीय तेल की मांग तथा उसकी उपलभ्यता के बीच अन्तर है। इस अन्तर को आंशिक रूप से आयात द्वारा पूरा किया जाता हैं । सरकार द्वारा आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों की मात्रा का निर्धारण देशीय खाद्य तेलों की उपलभ्यता, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य सम्बन्धित बातों को मद्देनजर रखते हुए समय-समय पर किया जाता है। तेल वर्ष 1986-87 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान आयात की जाने वाली मात्रा का अभी से आकलन करना सम्भव नहीं है।

(ङ) राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, कुछ बातों, जैसे खुले बाजार में देशीय खाद्य तेलों के मूल्य, देशीय खाद्य तेलों की उपलभ्यता आदि, को मद्देनजर रखते हुए माह दर माह आधार पर किया जाता है। आगे उपभोक्ताओं में वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, उनके द्वारा पिछली तिमाही के दौरान किए गए औसत मासिक उत्पादन के आधार पर किया जाता है। इस समय उन्हें उनके मौजूदा उत्पा-

दन के आधार पर 60 प्रतिशत नियमित आबंटन 13500 रुपए प्रति मीटरी टन की दर से तथा 20 प्रतिशत वाणिज्यिक आबंटन 13,000 रुपए प्रति मीटरी टन की दर से किया जा रहा है।

"सिक्स सीरीज सेटेलाइट्स" का छोड़ा जाना

2949. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इन्सैट" प्रणाली के "सिक्स सीरीज सेटेलाइट्स" छोड़े जाने की निर्धारित तारीख क्या है ;

(ख) क्या "सिक्स सीरीज सेटेलाइट्स" के छोड़े जाने में विलम्ब हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके किस तारीख को छोड़े जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इन्सैट प्रणाली में कोई भी "सिक्स सीरीज सेटेलाइट्स" नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

गैर-सरकारी क्षेत्र में हथियार और गोलाबारूद का उत्पादन

2950. **श्री के० मोहनदास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र में भी हथियार और गोला बारूद के उत्पादन की अनुमति देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) हथियारों के निर्माण के बारे में नीति में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण में संसद् का सत्र

2951. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** :

श्री मानिक रेड्डी :

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेकों दशकों से दक्षिण में संसद के सत्र आयोजित करने की मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले पर नये सिरे से विचार करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) दक्षिण में इस प्रकार का सत्र करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस समय सरकार का दिल्ली से बाहर संसद का कोई सत्र आयोजित करने का कोई विचार नहीं है।

गुजरात के जिलों से स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्र

2952. **श्री यू० एच० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के बलसाड, बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, जिलों और दादरा तथा नागर हवेली से 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1986 तक की अवधि के दौराम स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के मंजूर किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गुजरात के उपरोक्त जिलों से उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ;

(ग) विचाराधीन लम्बित मामलों में निर्णय कब तक लिया जाएगा ; और

(घ) गुजरात के प्रत्येक जिले में स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतन्त्रता सेनानियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) स्वीकृत मामलों का जिला-बार रिकार्ड नहीं रखा जाता है। फिर भी, 1-1-1985 से 30-6-1986 तक की अवधि के दौरान गुजरात राज्य से 29 मामलों और दादरा नगर हवेली से 1 मामले में पेंशन स्वीकृति की गई है।

(ख) केन्द्रीय योजना के अधीन आवेदन जमा कराने की अन्तिम तिथि 31-3-1982 थी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को विलम्ब से प्राप्त हुआ माना जाता है तथा उनके ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) विशिष्ट प्रकृति के कुछ आवेदनों को छोड़कर 31-3-1982 से पहले प्राप्त सभी लम्बित आवेदनों को निपटाने के लिए लक्ष्य तिथि 15 अगस्त, 1986 निश्चित की गई है तथा इस उद्देश्य के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं तथा विशेष कदम उठाए गए हैं।

(घ) गुजरात राज्य से 30-6-86 तक 3419 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है।

विद्रोहियों द्वारा असम राइफल्स के जवानों का मारा जाना

2953. **श्री पी० के० थुंगन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के तीरप जिले में विद्रोहियों द्वारा हाल ही में असम राइफल्स के छः जवान मार दिए गए थे ; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्। भूमिगत नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड तथा असम राइफल्स दल के बीच मनमाओं सर्कल (जिला तिराप) के तेंगमान गांव में 4/5 जुलाई, 1986 को मुठभेड़ में असम राइफल्स के 6 जवान मारे गए।

(ख) संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को अर्ध सैनिक बल सौंपे गए हैं। सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। उग्रवादियों की गतिविधियां रोकने के लिए संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-बर्मा सीमा पर "दंगाग्रस्त क्षेत्र" को नागालैंड

और अरुणाचल प्रदेश में 5 कि० मी० से बढ़ाकर 20 कि० मी० कर दिया गया है। इस क्षेत्र में उग्रवादी तत्वों से कारगर ढंग से निपटने के लिए आसूचना तंत्र को चुस्त किया जा रहा है।

भारत-बर्मा सीमा पर अशान्त क्षेत्र में विस्तार

2954. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के बारे में 9 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5884 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बर्मा सीमा पर अशान्त क्षेत्र में विस्तार उग्रवादियों और उनकी गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने और उनसे निपटने में प्रभावकारी साबित हुआ है ;

(ख) क्या विस्तारण के बारे में निर्णय की पुनरीक्षा की गई है जैसा कि नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश सरकारों द्वारा अनुरोध किया गया है ; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह पर नियन्त्रण रखने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) चूंकि भारत बर्मा सीमा पर अशान्त क्षेत्र को अक्तूबर, 1985 में ही बढ़ाकर 20 कि० मी० किया गया था, अतः इस उपाय के प्रभाव को इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) मिजोरम पर हुए समझौता ज्ञापन से दो दशक पुरानी मिजोरम समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान हुआ है। वर्ष के दौरान (1-8-1986 तक) सुरक्षा बलों ने 57 एन० एम० सी० एन० कार्मिकों को गिरफ्तार किया और 24 कार्मिकों ने आत्मसमर्पण किया। हालांकि एन० एस० सी० एन० गतिविधियों में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन मैतयी उग्रवादियों की गतिविधियों में पिछले तीन महीनों के दौरान कमी आयी है। इसी प्रकार टी० एन० वी० की गतिविधियों की प्रवृत्ति में भी पिछले तीन महीनों के दौरान कमी आयी है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में लोक प्रतिनिधित्व

2955. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों में लोक प्रतिनिधियों को शामिल करना प्रभावी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों में लोक समितियों में लोक प्रतिनिधियों और राजनैतिक दलों को निचले स्तर पर शामिल करने तथा इस प्रकार की समिति को अधिक शक्तियां देने की कोई समान योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग). राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को राज्य, जिला और खंड स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रबोधन और कार्यान्वयन समितियों का गठन करने की सलाह दी गई है। यह भी सुझाव दिया गया था कि जिला और खंड स्तर की समितियों में संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडल के सदस्यों (उनके पार्टी सम्बन्ध का लिहाज किए बिना) और अल्प संख्यकों के प्रतिनिधियों समेत गैर सरकारी जन-प्रतिनिधियों की इन

समितियों के लिए नियुक्ति की जानी चाहिए। उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग सभी राज्यों ने ऐसी समितियों का गठन कर लिया है। इस तथ्य से कि राज्यों के संसद सदस्यों और विधान मण्डल के सदस्यों के (उनके पार्टी सम्बन्ध का लिहाज किए बिना) नियुक्त करने की सलाह दी गई है, पता चलता है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समान नीति अपनाई है। इन समितियों का आशय कार्यक्रम कार्यान्वयन का प्रबोधन करना है और इन समितियों को और अधिक शक्तियां देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस बारे में कि क्या इन समितियों में जन-प्रतिनिधियों का शामिल करना कारगर है या नहीं संक्षिप्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

"दिल्ली चिड़ियाघर में सर्प दंश की घटना"

2956. **श्री अजय विश्वास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शेरों की जान बचाते समय राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान उद्यान, दिल्ली के निदेशक को सांप द्वारा काटे जाने की घटना की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सेवाओं जैसे कृषि संस्था विश्वविद्यालयों, वन और वन्य जीवन विभागों आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के इस प्रकार के व्यावहारिक खतरों का सामना करने में उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिदंशविष सीरम को उचित तरीके से रखना पड़ता है और इसे पीड़ित व्यक्ति को देने के लिये एक डाक्टर की आवश्यकता होती है। सीरम उपर्युक्त अस्पतालों में रखा जायेगा तथा सांप काटे जाने पर पीड़ित व्यक्ति को अविलम्ब ऐसे अस्पतालों मे पहुंचाया जायेगा।

आंध्र प्रदेश से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लम्बित मामले

2957. **डॉ० टी० कल्पना देवी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के कितने मामले स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं ;

(ख) गत छः महीनों के दौरान कितने मामले निपटाये गए ;

(ग) शेष मामलों को किस तारीख तक निपटाये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) जिले वार कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी गई है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह): (क) 30-6-1986 को निपटान के लिए आंध्र प्रदेश के 3301 आवेदन लम्बित थे जिनमें हैदराबाद विशेष जांच समिति को भेजे गए 2291 मामले शामिल हैं।

(ख) 1-1-1986 से 30-6-1986 तक आन्ध्र प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों के कुल 1628 मामले निपटाए गए।

(ग) सभी लम्बित आवेदनों पर कार्यवाही करने और अन्तिम निर्णय करने के लिए लक्षित तारीख 15 अगस्त, 1986 निश्चित की गयी है और इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं और विशेष कदम उठाए गए हैं। जहां तक समिति को भेजे गए मामलों का सम्बन्ध है, उनका अन्तिम निर्णय समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

(घ) 30-6-1986 तक आन्ध्र प्रदेश के 7632 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है जिनमें

हैदराबाद विशेष जांच समिति द्वारा सिफारिश किए गए मामले शामिल हैं। स्वीकृत मामलों का रिकार्ड केवल राज्यवार रखा जाता है और जिले वार ब्यौरा नहीं रखे जाते हैं।

उत्तरी बंगाल क्षेत्र का विकास

2959. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि उत्तरी बंगाल के पांच जिले, अर्थात् पश्चिमी दीनाजपुर, मालदा, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, और दार्जिलिंग अब तक सभी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक एककों की स्थापना के मामले में काफी पीछे रह गए हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में भारी असंतुलन पैदा हो गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए विशेष ध्यान देने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) यह सच है कि माननीय सदस्य ने उत्तरी बंगाल के जिन पांच जिलों का उल्लेख किया है वे राज्य के शेष जिलों की तरह अद्योगीकृत नहीं है। फिर भी उत्तरी बंगाल आवश्यक रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है। अतः यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि औद्योगीकरण के अभाव से आर्थिक उत्पादन में किसी प्रकार का कोई असंतुलन उत्पन्न हुआ है।

(ख) और (ग). कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा तथा दार्जिलिंग जिलों को वर्ग "क" के अधीन "उद्योग विहीन" जिलों के रूप में तथा पश्चिमी दीनाजपुर को वर्ग "ग" के रूप में वर्गीकृत किया गया है सभी पांचों जिले पिछड़े जिलों को मिलने वाली विभिन्न आर्थिक सहायता तथा रियायत प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इससे उनके औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार ने पश्चिमी दीनाजपुर में 25,000 तकलियों की क्षमता की एक कताई मिल की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसे स्वीकृति दे दी गई थी और मिल चालू हो चुकी है। सातवीं पंच-वर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के दौरान, राज्य सरकार ने उत्तरी बंगाल में एक कृषि आधारित उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट कर लिया गया है और वार्षिक योजनाओं में उपयुक्त परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पहाड़ी क्षेत्र विकास की पृथक उप-योजनाओं के अधीन दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था कुछ तो राज्य योजना द्वारा तथा कुछ विशेष केन्द्रीय सहायता से की गई है। पहाड़ी क्षेत्र उप योजना तथा वहां के उद्योग क्षेत्र के लिए परिव्यय निम्न प्रकार है।

(करोड़ों रु०)

योजना	पहाड़ी क्षेत्र उपयोजना			उद्योग संघटक		
	विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य योजना से प्राप्त	योग	विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य योजना से प्राप्त	योग
पांचवी योजना	15.06	18.84	33.90	2.14*	1.91*	4.05*
छठी योजना	30.46	49.71	80.17	4.48	9.52	14.00
सातवीं योजना	44.55	78.43	122.98	5.12	12.96	18.08
1985-86	9.21	14.50	23.71	1.08	2.67	3.75
1986-87	9.50	13.68	23.18	1.15	2.25	3.40

*व्यय से सम्बद्ध है।

दिल्ली में विस्फोट

2960. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1-5-1986 से अब तक हुए विस्फोटों का ब्यौरा क्या है और विस्फोटों का कारण क्या है, प्रत्येक विस्फोट में कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए तथा कितनी हानि हुई ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और कितने अपराधियों को हिरासत में लिया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) ऐसे क्षेत्रों में जहां उद्योग के साथ-साथ रिहायशी मकान भी है, विस्फोट की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(घ) क्या ऐसे क्षेत्रों से औद्योगिक एककों और कारखानों को अन्यत्र ले जाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो विशेष रूप से त्रिनगर क्षेत्र के सन्दर्भ में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) 13-5-1986 को त्रिनगर दिल्ली में ढलाई मशीन के दाब चैम्बर में रासायनिक क्रिया के कारण केवल एक गैस सिलेण्डर में विस्फोट हुआ जिसमें 4 व्यक्ति मारे गए और 7 घायल हुए । लगभग 65,000 रु० के मूल्य की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई ।

(ख) इस सम्बन्ध में पुलिस थाना लारेन्स रोड़ मे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337/427/304 क के अन्तर्गत 13-5-86 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 109 के तहत एक मामला दर्ज किया गया । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है क्योंकि फैक्ट्री का मालिक, जो इस मामले में अन्तर्ग्रस्त था, भी इस विस्फोट में मारा गया ।

(ग) से (ङ). मसौदा परिप्रेक्ष विकास योजना दिल्ली-2001 में आवासीय क्षेत्रों में असंगत कारखानों को अनुरूप क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ।

[हिन्दी]

सीमाओं पर झड़पें

2961. **श्री राज कुमार राय : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान देश की सीमाओं पर कुल कितनी बार झड़पें हुई और इनके फलस्वरूप जान माल की यदि कोई हानि हुई, तो वह कितनी हुई है ; और

(ख) सीमाओं पर बार-बार होने वाली झड़पों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) 1983-84 के दौरान हमारी सीमाओं पर कोई झड़पें नहीं हुई। लेकिन 1984-85 और 1985-86 के दौरान इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं। इस सम्बन्ध में ब्यौरे बताना वांछनीय नहीं होगा।

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जब भी आवश्यकता होती है स्थानीय कमाण्डरों के स्तर पर "फलैग बैठकों" का आयोजन किया जाता है और थलसेना मुख्यालयों एवं राजनयिक चैनलों के उच्च माध्यमों से भी सम्पर्क किया जाता है।

[अनुवाद]

असम में विदेशियों का पता लगाना

2962. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :**
श्री अब्दुल हमीद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम समझौते की शर्तों के अनुसार असम में विदेशियों का पता लगाने का कार्य प्रगति पर है ;

(ख) कितने मामलों की जांच की गई है और क्या जांच का कार्य राज्य सरकार के रिकार्डों के अनुसार प्रगति पर है ;

(ग) क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 में संशोधन करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार 1-1-66 और 24-3-1971 (दोनों दिन शामिल है) के दौरान असम में आए विदेशियों के बारे में 678 मामलों की जांच पूरी हो गई है, जबकि 25 मार्च, 1971 को अथवा उसके बाद असम में आए विदेशियों के बारे में 30 जून, 1986 तक 7660 मामलों की जांच पूरी हुई है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) असम सरकार द्वारा अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 में संशोधनों के लिए भेजा गया प्रस्ताव विचाराधीन है।

पाकिस्तान सीमा पर मारे गए और पकड़े गए घुसपैठियों, आतंकवादियों और तस्करों की संख्या

2964. **श्री पी० नामग्याल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई, 1986 तक राजस्थान, पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर से भारत-पाक सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में मारे गये घुसपैठियों, आतंकवादियों और तस्करों की संख्या क्या है और गिरफ्तार किये गये ऐसे अपराधियों की संख्या क्या है ;

(ख) उनसे पकड़े गये हथियारों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बल सतर्क हैं। भारत-पाकिस्तान सीमा पर निगरानी कड़ी करने के लिए किए गए उपायों में सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना, अतिरिक्त सीमा बाह्य चौकियां स्थापित करना, निगरानी चौकी बुर्जों का निर्माण तथा घुसपैठ रोकने के लिए सीमा गश्त की गतिशीलता बढ़ाना तथा सीमा सुरक्षा बल को आत्याधुनिक उपकरणों से सज्जित करना शामिल है।

कर्नाटक से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए प्राप्त हुए मामले

2965. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य से विशेषकर बिदर जिले से वर्ष 1984-85, 1985-86 में जून, 1986 तक स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए कितने मामले प्राप्त हुए ;

(ख) उनमें से कितने मामले निपटा दिये गये ; और

(ग) शेष मामलों को निपटाने में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग). स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31-3-1982 थी। उस तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को देर से प्राप्त हुए आवेदन पत्र माना जाता है और उनके ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब को तभी माफ किया जाता है, जब आवेदन पत्र के साथ यातना के समर्थन में सरकारी साक्ष्य संलग्न हो। ऐसे मामले बहुत कम हैं।

तथापि कर्नाटक क्षेत्र के भूतपूर्व हैदराबाद राज्य से, जिसमें बिदर जिला सम्मिलित है और जिन्होंने सीमा शिविरों में भाग लिया था, से 31-3-1982 के पश्चात लगभग 500 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन मामलों की संवीक्षा हैदराबाद विशेष जांच समिति द्वारा की जाती है, जिन्हें उचित मामलों में विलम्ब को माफ करने की सिफारिश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। समिति ने अब तक इस प्रकार के मामलों में से 109 में पेंशन स्वीकृति की सिफारिश की है। इस श्रेणी के शेष मामलों को समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर, निपटाया जाएगा।

"केरल में वनरोपण"

2966. **श्री सुरेश कुरुप :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अन्य राज्यों की तुलना में वानिकी की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ख) केरल में वनरोपण की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भारतीय औसत 22.7 प्रतिशत की तुलना में केरल में भौगोलिक क्षेत्र का 24.18 प्रतिशत वन क्षेत्र है।

(ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजना केरल राज्य में कार्यान्वित की जा रही है। 1984-90 की अवधि के दौरान 599.1 लाख रुपये के कुल परिव्यय से 85300 हेक्टेयर का वास्तविक लक्ष्य है।

हरियाणा की राजधानी बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता

2967. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य की राजधानी बनाने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). राज्य सरकार से इस बारे में कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, न्यायमूर्ति श्री वेंकटरमैय्या आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत सरकार को हरियाणा के राजधानी नगर के लिए भूमि अधिग्रहण करने और इसके विकास की लागत और राजधानी के लिए आवश्यक सरकारी भवनों के निर्माण की लागत भी वहन करनी चाहिए और यदि कुल लागत दो सौ करोड़ रुपये से अधिक हो तो भारत सरकार राजधानी परियोजना क्षेत्र में भूखंडों की बिक्री कर के अधिक खर्च को पूरा कर सकती है। आयोग द्वारा दिए गए सुझाव पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

ट्रेवल एजेंसियों द्वारा जाली आप्रवास अनुमति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

2968. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ ट्रेवल एजेन्सियां जाली आप्रवास अनुमति प्रमाण-पत्र जारी कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ; और

(ग) केरल में ऐसे कितने मामले हुए हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उपभोग व्यय का स्वरूप

2969. **श्री नारायण चौबे :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विभिन्न व्यय-समूहों के लिए उपभोग व्यय का स्वरूप क्या है ;

(ख) इन आंकड़ों तथा पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ;

(ग) क्या छठी योजनावधि में तथा सातवीं योजना के पहले वर्ष के अन्त में उपभोग में असमानताएं बढ़ी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन असमानताओं को कम करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (रा० प्र० सर्व० सं०) द्वारा एकत्रित उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी अद्यतन उपलब्ध आंकड़े जनवरी-दिसम्बर, 1983 अवधि से सम्बन्धित हैं। मासिक प्रति व्यक्ति व्यय श्रेणियों के अनुसार जनसंख्या का वितरण तथा विभिन्न व्यय वर्गों में औसत प्रति व्यक्ति व्यय दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इस समय उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी आंकड़े प्रत्येक पांच वर्षों में एकत्र करता है। अत: 1983 से पूर्व वर्ष के दौरान इस विषय पर कोई आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे। वर्ष 1983 से पूर्व आंकड़े 1977-78 में एकत्र किए गए थे। वर्ष 1983 आंकड़ों (जैसा कि विवरण-I में दिया गया है) के सम्बन्ध में तुलनीय आंकड़े दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। विभिन्न व्यय श्रेणियों के लिए उपयुक्त अवमूल्यकों की अनुपस्थिति में मूल्य वृद्धि के कारण उपरोक्त दो समय बिन्दुओं पर आंकड़ों की वास्तविक तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ग) समय के दो बिन्दु जिनके लिए उपलब्ध आंकड़े उपलब्ध हैं, छठी योजना में नहीं आते। अद्यतन उपलब्ध आंकड़े भी सातवीं योजना के प्रथम वर्ष से सम्बन्धित नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़े से उपभोग में असमानताएं (I) कुल उपभोग में जनसंख्या के निम्नतम 10 प्रतिशत तथा सर्वोच्च 10 प्रतिशत के अंश, और (II) केन्द्रीकरण अनुपात द्वारा मापी जा सकती है। आंकड़ों के दो सेट निम्न-लिखित तालिका में दिए गए हैं :—

असमानता माप	1977-78		1983	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1. जनसंख्या का भाग				
(I) निम्नतम 10%	3.5	3.3	3.8	3.5
(II) सर्वोच्च 10%	28.5	28.2	24.5	26.8
2. केन्द्रीकरण अनुपात	0.34	0.35	0.30	0.33

ये संकेत देते हैं कि सन्दर्भाहीन अवधि के दौरान उपभोग असमानताओं में कुछ गिरावट आई है।

(घ) गरीबी और असमानता में कमी योजना का बुनियादी लक्ष्य रहा है। सातवीं योजना मुख्यत: परिसम्पत्तियों तथा दक्षताओं का स्थानान्तरण करके तथा वर्ष के मन्दे समय में रोजगार प्रदान करके गरीबी उपशमन कार्यक्रम जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए० ग्रा० वि० कार्य०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा० ग्रा० रो० कार्य०) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (ग्रा० भू० रो० गा० कार्य०) प्रदान करती है। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने के आवंटन के गाडगिल फार्मूले का कम विकसित राज्यों को अधिक सहायता देने के उद्देश्य से अगस्त, 1980 में संशोधन किया गया था ताकि वे तेजी से विकास, गरीबी अनुपात में शीघ्र कमी प्राप्त कर

सकें और अपनी प्रति व्यक्ति आय में सुधार कर सकें और इस प्रकार आर्थिक असमानता को कम कर सकें।

विवरण I

30 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के अनुमान तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 38वें दौर (जनवरी-दिसम्बर, 1983) के लिए प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय श्रेणियों के अनुसार व्यक्तियों की प्रतिशतता-समस्त भारत

प्रति व्यक्ति व्यय श्रेणी (रु०)	ग्रामीण		शहरी	
	उपभोक्ता व्यय रुपयों में (0.00)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	उपभोक्ता व्यय रुपयों में (0.00)	व्यक्तियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
0-30	24.86	0.92	21.92	0.21
30-40	35.84	2.47	35.81	0.51
40-50	45.44	5.11	45.70	1.40
50-60	55.24	7.90	55.54	2.93
60-70	65.17	9.69	65.25	4.92
70-85	77.40	15.24	77.41	9.52
85-100	92.27	13.64	92.53	10.64
100-125	111.58	16.99	112.00	17.17
125-150	136.56	10.00	137.19	13.13
150-200	171.14	9.78	171.96	16.31
200-250	221.52	3.96	222.64	8.75
250-300	272.12	1.81	273.08	5.19
300 और अधिक	437.34	2.49	452.05	9.32
सभी श्रेणियां	112.45	100.00	164.03	100.00

विवरण III

30 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय के अनुमान तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 32वें दौर (जुलाई 77-जून 1978) के लिए प्रति व्यक्ति व्यय श्रेणियों के अनुसार व्यक्तियों की प्रतिशतता-समस्त भारत

मासिक प्रति व्यक्ति व्यय श्रेणियां (रु०)	ग्रामीण		शहरी	
	औसत प्रति व्यक्ति व्यय (रु०)	जनसंख्या की प्रतिशतता	औसत प्रति व्यक्ति व्यय (रु०)	जनसंख्या की प्रतिशतता
0-10	4.57	0.19	4.46	0.14
10-15	13.16	0.46	12.64	0.12
15-20	17.80	1.21	17.93	0.34
20-30	25.87	8.24	26.06	2.59
30-35	32.56	7.21	32.67	3.00
35-40	37.59	8.33	37.58	4.25
40-50	44.94	17.24	45.16	10.87
50-60	54.80	14.90	54.89	12.23
60-70	64.66	11.46	64.88	11.37
70-80	71.68	8.12	74.77	9.95
80-100	88-82	9.80	89.13	14.59
100-150	118.82	8.82	120.56	17.43
150-200	170.27	2.28	170.95	6.62
200-300	489.50	1.74	238.75	4.35
300 और अधिक			519.75	2.03
सभी श्रेणियां	68.89	100.00	96.15	100.00

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में वैज्ञानिक स्टाफ के कर्मचारियों का शामिल करना

2971. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को शीघ्रता से न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक

और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में, केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जैसे संगठनों के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में लाए जाने की व्यवस्था है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसकी कि स्थापना अभी हाल ही में की गई थी ज्योंही अतिरिक्त कार्य को संभालने के लिए तैयार होगा, इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

बाल कल्याण संस्थान

2972. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बाल कल्याण संस्थान केन्द्रीय सरकार से और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी काफी सहायता प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु वे बाल कल्याण पर खर्च नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सुरक्षा और देखभाल को जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुदान सहायता राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के माध्यम से दी जाती है और उनसे इन संगठनों का निरीक्षण किए जाने की आशा की जाती है। ऐसे संगठनों के विरुद्ध जब कभी कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है तो समुचित कार्रवाई की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त 19 संगठनों के बारे में शिकायतें मिली थीं और राज्य सरकारों ने उन्हें और धनराशि देना बन्द कर दिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को दी गई कुल राशि की मात्रा अभी उपलब्ध नहीं है।

"तेल शोधक कारखानों और तेल उद्योग के कारण होने वाला प्रदूषण"

2973. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

श्री एन० डेनिस :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में लगे लोगों के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और उसमें सुधार करना पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और प्रदूषण को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि किसी स्वतंत्री अधिकरण द्वारा तेल शोधक कारखानों और तेल उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से होने वाले वायुमंडलीय प्रदूषण पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) किए गए प्रयासों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

—वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, कीटनाशक दवाओं पर नियन्त्रण तथा जल और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियमों के प्रवर्तन के जरिए नियामक उपाय ; और

—वनरोपण, मृदा एवं जल संरक्षण, प्रदूषण, नियन्त्रण, अवक्रमित क्षेत्रों का पारि-पुनर्जनन और जन-जागरूकता अभियानों के लिए प्रोत्साहक कार्यक्रम।

(ख) और (ग). जी हां, सम्बन्धित राज्य प्रदूषण बोर्ड तेल-शोधक कारखानों तथा तेल उद्योग से होने वाले उत्सर्जन का प्रबोधन करते हैं।

परमाणु प्रौद्योगिकी

2974. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं ; जो परमाणु प्रौद्योगिकी हासिल करने के समस्त राष्ट्रों के अधिकार के बारे में भारत सरकार के परमाणु प्रौद्योगिकी सम्बन्धी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं ; और

(ख) क्या ये देश आर्थिक विकास और मानव कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल के महत्व और इस बात को स्वीकार करते हैं ; कि शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के लाभ केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहने चाहिए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) आर्थिक विकास और मानव कल्याण के लिए न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के वास्ते न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए सभी राष्ट्रों के अधिकार का समर्थन सभी राष्ट्र करते हैं।

(ख) जी, हां।

रोजगार पर लगे और बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात

2975. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में रोजगार पर लगे और बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 38वें दौर (जनवरी-दिसम्बर 1983) के प्रथम दो उपदौरों (जनवरी-जून, 1983) के आंकड़ों पर आधारित रोजगार पर लगे और बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात 47 : 6 के रूप में परिकलित किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में वितरण के लिए गेहूं

2976. **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री नित्यानंद मिश्र :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में वितरण के लिए गेहूं का कोटा 1 लाख टन से बढ़ाकर 3 लाख टन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 के दौरान उड़ीसा को वितरण के लिए गेहूं की कितनी मात्रा आवंटित की गई थी ; और

(ग) वर्ष 1986 में उड़ीसा के लिए गेहूं की कितनी मात्रा का आवंटन रखा गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी-बहुल राज्यों में रह रही जनता को विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न सप्लाई करने की योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की आवश्यकता को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटे से पूरा किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किए जाते हैं।

(ख) और (ग). वर्ष 1985 और 1986 (जुलाई, 1986 तक) के दौरान उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का मासिक आवंटन 23,000 मीटरी टन रहा है।

"परती भूमि का विकास"

2977. **श्री कुंभार सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परती भूमि के विकास के लिए व्यक्तियों, सहकारी समितियों, लिमिटेड कम्पनियों और अर्धसरकारी संगठनों जैसी कितनी एजेंसियां नियोजित करने का विचार हैं ;

(ख) इन एजेंसियों को किन शर्तों पर नियुक्त किया जाना है ;

(ग) क्या परती भूमि के विकास के लिए परामर्शदायी सेवा का भी प्रस्ताव किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों के अलावा समस्त अन्य एजेंसियों जैसे स्कूल, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियां, स्थानीय निकाय, राज्य एवं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वैच्छिक संगठनों को भी परती भूमि विकास कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वन आधारित उद्योगों को न केवल उनको उद्योग के उपयोग के लिए कच्चा माल प्राप्त करने हेतु परती भूमि पर वनरोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि उनको पट्टे पर दी गई जमीन के एक हिस्से पर स्थानीय समुदाय के उपयोग के लिए ईंधन की लकड़ी और चारे के लिए पौधरोपण के लिए वचनबद्ध होने के लिए भी कहा जा रहा है।

(ख) आशा है कि उपरोक्त सभी एजेंसियां इस गतिविधि को अपने संसाधनों एवं संस्थागत वित्त से चलाएंगी। यथापि, स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायक अनुदान सहायता की एक योजना है,

जो कि सामुदायिक भूमि या ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों और अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्बन्धित भूमि पर पौधशाला लगाने और ब्लाक पौध-रोपण की प्रदर्शन परियोजनाएं के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने, विस्तार एवं प्रशिक्षण की परियोजनाएं भी चलाएं। उद्योगों को व्यवहार्य आधार पर अपने कच्चे माल की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों और छोटे किसानों के साथ अनुबन्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्योगों द्वारा ऐसी पौध-रोपण बस्तियों से दूर परती भूमि पर की जानी चाहिए, जिससे विद्यमान सामुदायिक उपयोग में बाधा न पड़े।

(ग) और (घ). जी, नहीं। यदि परती भूमि विकास में विशेष मुद्दों पर विशेषज्ञ आंकलन या क्षेत्र सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी तो ऐसा करने के लिए यदा-कदा परामर्श सेवा का प्रावधान भी है।

विकलांगों का पुनर्वास

2978. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांगों के पुनर्वास और स्वरोजगार के लिए शिक्षा तथा पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कुछ प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के शैक्षिक संस्थान भिन्न-भिन्न राज्यों में खोले हैं ;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में ऐसे कितने संस्थान खोले गए हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां। भारत सरकार ने 4 राष्ट्रीय संस्थान खोले हैं – प्रत्येक दृष्टिबाधितार्थों, श्रवण विकलांगों, अस्थि विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए एक-एक संस्थान है। ये सर्वोच्च स्तर के संस्थान हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य व्यावसायियों को प्रशिक्षण देना है और ये संस्थान क्रमशः देहरादून (उत्तर प्रदेश), बम्बई (महाराष्ट्र), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) और हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

12.00 मध्याह्न

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोपिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण सूचना दी है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : गोरखालैण्ड मामले पर…

अध्यक्ष महोदय : इससे आप स्वयं ही निबटिये।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अमल दत्त जी, आप बीच में खड़े होकर बात मत कीजिये, अच्छा नहीं लगता।

[अनुवाद]

आप एक सांसद हैं। कृपया अपने स्थान पर जाइये। यह आपको शोभा नहीं देता। आप अपने स्थान पर क्यों नहीं जाते हैं ? यदि व्यवस्था का कोई वैध मुद्दा है; तो मैं सुनूंगा। यदि नहीं होगा, तो मैं नहीं सुनूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, गोरखालैण्ड के स्वयंसेवक नेपाल में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य; मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार यथासंभव कठोर कदम उठाये और इसे समाप्त कर दे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे हल कर सकते हैं। आप जो चाहे, वह कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

[हिन्दी]

खतम हो गया।

[अनुवाद]

अब पीछे मत पड़िये।

श्री बसुदेव आचार्य : केन्द्रीय सरकार को राष्ट्र विरोधी गतिविधि की भर्त्सना करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो हम हमेशा ही यहाँ करते हैं। इस सभा का यह सर्वसम्मत संकल्प है कि हर पृथकतावादी गतिविधि की भर्त्सना की जानी चाहिये।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : गृहमंत्री इस मामले पर एक वक्तव्य दें। इस पर एक चर्चा की जाये।

श्री बसुदेव आचार्य : आप इस पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं देते ?

श्री अमल दत्त : अन्ततोगत्वा यह बात दूसरी जगह भी तेजी से फैलेगी··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस स्थिति से राज्य सरकार को निपटना होगा। आप इसे ढंग से क्यों नहीं निपटाते हैं ? बस इतनी सी बात है।

श्री अमल दत्त : यह राज्य सरकार का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

आप केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं। आप कहते हैं कि यह कानून और व्यवस्था बनाये रखने का मामला है और इससे राज्य सरकार को निपटना होगा। हमारा कहना है कि यह एक राष्ट्रीय मामला है। यह कानून और व्यवस्था बनाये रखने का मामला नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलनदईवेलू।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, श्री जयवर्द्धने कल··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कुलनदईवेलू को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य को बोलने क्यों नहीं देते हैं? मैंने उन्हें पुकारा है। आपको एकाधिकार प्राप्त नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : हम इसके बारे में स्पष्ट व्यवस्था चाहते हैं। यदि आप यह कहते हैं कि यह राष्ट्रीय मामला नहीं है बल्कि राज्य से संबंधित मामला है, तो हमें दूसरे तरीके से विचार करना होगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था बनाये रखने की समस्या है। समस्या क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य : यह कानून और व्यवस्था बनाये रखने की समस्या नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या समस्या है?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने प्रशिक्षण के लिए स्वयंसेवक भेजे हैं। आप यहां एक दूसरा खालिस्तान बनाना चाहते हैं? **(व्यवधान)**

वे ऐसा कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रविरोधी गतिविधि है और केन्द्रीय सरकार को इसकी भर्त्सना करनी होगी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि आप ऐसे काल्पनीक मामले यहां क्यों उठाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सूचना मांगी है और यदि मैं इस बात से संतुष्ट हो गया कि इसपर केन्द्रीय सरकार का ध्यान भी आकर्षित होता है, तो मैं इसपर चर्चा करने की अनुमति दे दूंगा। अन्यथा आप इसे ढंग से निपटायें और इसे समाप्त करें। यह तो सीधी सी बात है।

श्री पी० कुलनदईवेलु : महोदय, श्री जयवर्द्धने ने कल सभी समझौते प्रस्ताव ठुकरा दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे हम 11 तारीख को लेंगे।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वह युद्ध की घोषणा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह जो चाहें करें।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वह सैनिक समाधान चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर 11 तारीख को चर्चा करना निश्चित हो चुका है। आप और क्या चाहते हैं ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैंने एक ध्यानाकर्षण सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : अर्थात् 11 तारीख को।

अध्यक्ष महोदय : तब क्या हो रहा है ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : कल, उन्होंने युद्ध की घोषणा की थी।

अध्यक्ष महोदय : तब, क्या मैं इसे समाप्त कर दूंगा ? क्या मैं नियम 193 के अधीन चर्चा वापिस ले लूं और आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे दूं। क्या यह ठीक होगा ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : हम नियम 193 के अन्तर्गत भी चर्चा चाहते हैं और ध्यनाकर्षण पर भी।

अध्यक्ष महोदय : दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कृपया मेरी बात सुनिये। यह एक ऐसा मामला है जिसका प्रभाव पूरी सभा पर पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता लगाना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : दक्षिण अफ्रीका के विरूद्ध आर्थिक प्रतिबन्धो के बारे में लन्दन से दिये गये प्रधान मंत्री के वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूँ···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। यह कोई व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। यह व्यवस्था से परे का प्रश्न है।

प्रो० मधु दंडवते : वहाँ गैर सरकारी हीरे के व्यापारी हैं; जो कच्चे हीरे लाते हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय ले लिया है। मैं पता लगाऊँगा।

प्रो० मधु दंडवते : यह तो ठीक है। मैं यही कह रहा था कि उसे किसी न किसी रूप में ले लिया जाये। **(व्यवधान)**

मैंने नियम 115 के अधीन सुचना दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मामले को बार-बार क्यों उठा रहे हैं। आप मुझे इस तरह भाषण क्यों दे रहे हैं ? मैं देखूंगा।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : महोदय, मद्रास बंदरगाह क्षेत्र में रेत जमा हो रही है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके, कृपया।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं यह बात कहता रहा हूं कि पूरा पटसन नहीं खरीदा जा रहा है। प्रधान मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन पर सरकार विचार नहीं कर रही है। भारतीय पटसन निगम पूरा पटसन नहीं खरीद रहा है। यह एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

श्री एन० वी० एन० सोमू : महोदय, मद्रास बंदरगाह में रेत के जमा हो जाने से मछली पकड़ने की नावें रुक गई हैं। हजारों मछुआरे परेशान हैं। मैं एक ध्यानाकर्षण दे रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमू, आप यह बात महसूस क्यों नहीं करते कि ध्यानाकर्षण सूचनाओं का उत्तर सभा में नहीं दिया जाता है ?

श्री एन० वी० एन० सोमू : तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये। मैंने स्वयं देखा है, मत्स्य नावें हिल नहीं सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह बात इतनी आवश्यक है तो आप मुझे स्पष्ट क्यों नहीं करते ? इस तरह नहीं।

डा० डी० एन० रेड्डी (कडप्पा) : पंजाब में कांग्रेस नेता का पुत्र गिरफ्तार किया गया था···

अध्यक्ष महोदय : यदि स्वयं कांग्रेस का आदमी गिरफ्तार किया जाये; तो भी कोई बात नहीं है। आसमान थोड़े ही गिर जाएगा। कानून को अपना काम करने दीजिये। उसे फांसी भी दी जा सकती है। मैं इस बात पर चिंता क्यों करूँ ? इस देश में जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा, वही दंड का भागी होगा। आप इसे इस प्रकार क्यों ले रहे हैं।

डा० डी० एन० रेड्डी : वह एक कांग्रेसी नेता का पुत्र है···

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या होता है ? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है वह कांग्रेस का आदमी है अथवा तेलगूदेशम् का। मनुष्य मनुष्य होता है। यदि वह भारतीय है और यदि वह कानून का उल्लंघन करेगा; तो उसे अवश्य ही दंड मिलेगा। बस इतनी सी बात है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : उच्चतम न्यायालय के हाल में दिये गये निर्णय के कारण केरल में मुकदमेंबाजी के हजारों मामले हो सकते हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में निर्णय दिया गया है। इसके कारण हजारों मुकदमों की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अधीन मुझे सूचना दीजिये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं दे चुका हूं···

अध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है···

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आप इस चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें, तो मैं 377 के अधीन इसकी अनुमति दे सकता हूं। इस प्रकार मत कीजिये। अवसर का दुरुपयोग मत करिए···

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें, तो मैं 377 के अधीन अनुमति दे दूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : तब आप ऐसा क्यों करना चाहते थे ?

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : कल प्रातः काल छोटी लाइन पर जबलपुर में एक बड़ी ही भयंकर दुर्घटना होने से बची है···

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री वहां के लिये चल पड़े हैं···

श्री अजय मुशरान : महोदय, कृपया मेरी बात एक मिनट के लिये तो सुनिये। उसी लाइन पर तीन वर्ष पूर्व, 400 व्यक्ति मारे गये थे। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था···

अध्यक्ष महोदय : कोल···

श्री अजय मुशरान : महोदय, कृपया मेरी बात एक मिनट के लिए तो सुनिये। आप मेरी बात कभी नहीं सुनते···

अध्यक्ष महोदय : इसमें सुनने की बात ही क्या है ? नियम में इसकी अनुमति नहीं है।

श्री अजय मुशरान : रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि रेल मार्ग का आधुनिकीकरण किया जायगा, किन्तु कुछ भी नहीं किया गया है।

श्री नारायण चौबे : हाल की रेल दुर्घटना पर एक पूर्ण कालिक चर्चा होनी चाहिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा था कि मंत्री महोदय दुर्घटना स्थल के लिये जा चुके हैं और हमारे पास इससे अधिक कोई सूचना नहीं है। मैंने मंत्री महोदय से पूछा है। जब वह वापिस आयेंगी तब वह वक्तव्य देंगी और उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे।

श्री अजय मुशरान : इसी मौसम में, तीन वर्ष पूर्व, 400 व्यक्ति मारे गये थे। अब फिर कुछ व्यक्ति मर जायेंगे···

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात पहले ही कह चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मंत्री महोदय वक्तव्य देने वाले हैं।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : मैंने मलेरिया और काला ज्वर बढ़ने की घटनाओं के बारे में एक सूचना दी थी···

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाये रखिये। आगे की बैंचों के सदस्य बहुत अधिक बातें कर रहे हैं और मुझे सुनने नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

आप दोनों में से कौन बोलेगा ?

श्री सी० पी० ठाकुर : सारे देश में मलेरिया और कालाजार बहुत बढ़ रहा है, उस पर हम लोगों ने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिये, ऐसे मलेरिया थोड़े ही जायेगा, दवा से जायेगा।

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : इसके लिये डिस्कशन कुछ नहीं होता है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : निष्कासित और उत्पीड़ित किये जाने के कारण, असम

में करीमगंज के अल्प संख्यक समुदाय के लोग अब बंगला देश के शरणार्थी कैम्पों में शरण ले रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मुझे लिखित में दीजिये।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं सूचना दे चुकी हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास क्यों नहीं आती और मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करती ? श्री थाम्बी दुराई। अगली मद।

12.09 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

22वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० थाम्बी दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.09 म० प०

गढ़वा रोड और तोलरा स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी और अमृतसर-टाटानगर एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, आप वक्तव्य दीजिये।

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : अध्यक्ष महोदय, मुझे रेल दुर्घटना पर यह वक्तव्य देते हुये दुःख हो रहा है। श्रीमती मोहसीना किदवई दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गई हैं। उनके स्थान पर मैं सभा को यह सूचना दे रहा हूं।

मुझे बड़े ही दुःख के साथ सदन को आज सुबह लगभग 3.05 बजे एक मालगाड़ी के अलग हुये हिस्से तथा 162 डाउन अमृतसर-टाटानगर एक्सप्रेस के बीच हुई दुर्भाग्यपूर्ण टक्कर के बारे में सूचित करना पड़ रहा है···

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक अन्य घटना है।

अध्यक्ष महोदय : यही बात है जो मैं पूछ रहा था। आप इसके बारे में नहीं जानते थे। मैं इसके बारे में जानता था।

श्री राजेश पाइलट : पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल के गढ़वा रोड़—बरकाकाना बड़ी लाइन के दोहरी लाईन वाले खण्ड पर गढ़वा रोड और तोलरा स्टेशनों के बीच यह दुर्घटना हुई।

यद्यपि पूरे ब्यौरे की प्रतीक्षा है, लेकिन प्राप्त प्रथम सूचना के अनुसार इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप दो खाली बी० ओ० एक्स० माल डिब्बे और 162 डाउन का इंजन, पहले दो

सवारी डिब्बे पुल से गिर गये तथा अगले तीन सवारी डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गये। इसके अलावा मालगाड़ी के दो बी० ओ० एक्स० खाली माल डिब्बे भी गिर गये।

सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद, महाप्रबन्धक, पूर्व रेलवे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हावड़ा से 7.48 बजे एक विशेष गाड़ी से रवाना हो गये थे। मंडल रेल प्रबन्धक, धनबाद भी मंडल अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल को रवाना हो गये हैं। दिल्ली से रेलवे बोर्ड के सदस्य यातायात पहले ही दुर्घटना स्थल को रवाना हो चुके हैं। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 32 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 37 व्यक्तियों को चोटें आयी हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाये जाने वाले व्यक्तियों को माफ नहीं किया जायेगा।

पूर्वी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त इस दुर्घटना की सांविधिक जांच करेंगे।

सिविल और रेलवे स्रोतों से तत्काल चिकित्सा सहायता भेजी गयी। बरवाडीह और गोमो से चिकित्सा गाड़ियां भेजी गयी थीं।

श्री राजेश पाइलट : महोदय, श्रीमती किदवई हवाई जहाज द्वारा रवाना हो गई थीं। वे घटनास्थल का मुआयना करते ही वापस आ जायेंगी तथा बाद में हम सभा को सूचित कर देंगे। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : संसद का सत्र शुरू होने के बाद हर सप्ताह एक दुर्घटना हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा करने का निर्णय मैं पहले ही ले चुका हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दी है।

12.11 म० प०

लोक लेखा समिति

53वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : मैं विभिन्न एक्सचेंजों के लिए क्रास-बार टेलिफोन एक्सचेंज के उपस्कर की खरीद पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 53वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.11-1/2 म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

5वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

समिति का पांचवां प्रतिवेदन। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.12 म० प०

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा संघ के मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में सर्वश्री आर० मोहन रंगम और सुलतानसिंह के राज्य सभा से निवृत्त हो जाने पर रिक्त हुये स्थानों के लिए राज्य सभा से दो सदस्य नियुक्त करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में सर्वश्री आर० मोहनरंगम और सुल्तान सिंह के राज्य सभा से निवृत्त हो जाने पर रिक्त हुए स्थानों के लिए राज्य सभा से दो सदस्य नियुक्त करे और संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.14 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) देश में सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 10+2 पद्धति लागू करने की आवश्यकता

श्री मोहन लाल झिकराम (मंडला) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन अत्यन्त लोक महत्व के विषय को सदन के समक्ष रख रहा हूं। नई शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 की योजना में अनेक होनहार छात्र-छात्राओं के भविष्य पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है क्योंकि इस वर्ष 10+2 का दर्जा सभी उच्च माध्यमिक शालाओं को न दे कर कुछ ही शालाओं को दिया गया है। इससे उन शालाओं के छात्र-छात्राओं को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें 10+2 के अंतर्गत नहीं लिया गया है। वे दाखिले के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं।

12.15 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, छात्रों से अधिक शोचनीय स्थिति छात्राओं की हैं। वे बाहर 10+2 की शालाओं में आ कर पढ़ने में मजबूर हैं। इससे वे पढ़ाई छोड़ रही हैं। उदाहरण-स्वरूप मेरा जिला मंडला में ग्राम 3 कन्या उच्चतर माध्यमिक शालाओं को 10+2 का दर्जा दिया गया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि संसाधन की कमी से म० प्र० में इस वर्ष मात्र 55 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शालाओं को 10+2 का दर्जा दिया गया है। संसाधन के अनुसार प्रति वर्ष शनै: शनै: सारी शालायें ले ली जायेंगी। परन्तु जब तक उन होनहार छात्र-छात्राओं को दाखिला नहीं मिलता उनका कीमती वर्ष खराब होगा, जिसका असर शासकीय सेवा शर्तों के अनुसार निश्चित की गई सेवा अवधि पर पड़ेगा।

क्या शासन उनके इन खराब हुए वर्षों की छूट उन्हें देगा? साथ ही उनको दुबारा भर्ती हेतु अलग से शुल्क की जरूरत पड़ेगी। क्या इसे माफ किया जायेगा ? उपरोक्त गंभीर समस्यायें हैं, हमारे छात्र वर्ग की जिससे छात्र वर्ग ही नहीं उनके अभिभावकगण भी परेशान हैं। उनमें रोष एवं आक्रोश की भावना पनप रही है।

मान्यवर, यह समस्या न केवल मंडला जिला व मध्य प्रदेश की है वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र की है। अतः मेरा निवेदन है कि इस समस्या का निदान गम्भीरता से करें।

[अनुवाद]

(दो) राजस्थान और हरियाणा को पानी का नियमित और पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए रोपड़ हरिके और फिरोजपुर स्थित हैडवर्क्स का नियन्त्रण भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सौंपने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : रोपड़, हरीके तथा फिरोजपुर के मुख्यालय इस समय पंजाब रिआर्गनाईजेशन एक्ट, 1966 के नियन्त्रण में हैं जबकि उनका रख रखाव और संचालन तथा ऐसे ही अन्य कार्य जिनका उल्लेख केन्द्र सरकार करती है, भांखड़ा व्यास प्रबन्ध मंडल के नियन्त्रण में होने चाहियें।

काफी लम्बे समय से विभिन्न स्तरों पर यह मामला राजस्थान तथा हरियाणा सरकार द्वारा आगे लाया जाता रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा यह मामला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में भी उठाया गया था। परन्तु यह अभी तक लागू नहीं किया गया है।

बोर्ड विभिन्न राज्यों को पानी का हिस्सा तय कर रहा है परन्तु यह हिस्से के अनुसार पानी देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हेडवर्क्स का नियन्त्रण अभी तक पंजाब के पास है जिसके कारण राजस्थान और हरियाणा को पानी की अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई होती है तथा जिसके कारण फसलों को क्षति होती है।

इस विषय में सरकार का रवैया सख्त नहीं है।

इसलिए, यह निवेदन है कि केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा पंजाब सरकार पर रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर मुख्यालयों का नियन्त्रण भांखड़ा-व्यास प्रबन्ध मंडल को सौंपने के लिए दबाव डालना चाहिए।

(तीन) तमिलनाडु में रानीपेट और उसके आसपास की चर्मशोधन शालाओं से निकलने वाले अवशिष्ट द्रव पदार्थ से होने वाले पेयजल के प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता

श्री आर० जीवरत्नम (अराकोनम) : महोदय, उत्तरी अरकोट जिले में रानीपेट, अम्बर तथा वनियमबाड़ी में तथा इनके आसपास कई छोटे-बड़े चर्मशोधन कारखाने हैं। इन चर्मशोधन कारखानों का नि:स्रवण अर्थात् रासायनिक रूप से संसाधित गन्दा पानी रानीपेट के आसपास विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। इन चर्मशोधन कारखानों के नि:स्रवण के फैलने से लगभग 1000 एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई है। इससे भी अधिक रासायनिक रूप से संसाधित गन्दा पानी भूमि में काफी नीचे तक चला जाता है इस प्रकार रानीपेट के आसपास कई गांवों में अवमृदा जलस्तर तक पीने के पानी को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, चर्मशोधन कारखानों का नि:स्राव नजदीकी "पालारू" नदी के अवमृदा जलस्तर को प्रभावित करता है। आसपास के गांवों में रहने वाले लोग बहुत व्यथित हैं और पीने के पानी के बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर बहुत घबराये हुए हैं।

इसलिए पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए, जो अक्षुण्ण बढ़ता जा रहा है, केन्द्र सरकार को शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए और यह आदेश देना चाहिए कि प्रत्येक चर्मशोधन कारखाने के मालिक को अवशिष्ट द्रव पदार्थ को कारखाने के परिसर में ही रोकने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना चाहिए तथा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध संयन्त्र द्वारा इस अवशिष्ट द्रव को ठोस आकार में दूर दराज के क्षेत्रों में निकाल दिया जाना चाहिए। मैं माननीय उद्योग मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं, वे इस सम्बन्ध में उन कारखानों को आवश्यक निर्देश जारी करें। अन्यथा इन क्षेत्रों में लोग किसी छूत की बीमारी से पीड़ित हो जायेंगे। यह देखने के लिए कि आसपास के क्षेत्रों में खेती तथा अन्य पौधों और पेड़ों की बर्बादी की रक्षा की जाती है तथा जिले में पारिस्थितिक संतुलन बनाया रखा जाता है, सरकार को इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

(चार) उत्तर प्रदेश और बिहार में बारम्बार होने वाले बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निवारक उपाय करने का निदेश देने की आवश्यकता

श्री मदन पांडेय (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

सम्पूर्ण देश में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष पुन: बाढ़ की समस्या उठ खड़ी हुई है। देश के कोने-कोने से बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है। हमारी सरकार प्रति वर्ष इस कार्य पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है लेकिन खेद है कि यह कार्य तभी होता है जब बाढ़ आती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थित देवरिया जिले में बड़ी गण्डक के पश्चिम तरफ बिहार सरकार द्वारा बांध न बनवाये जाने के कारण बाढ़ आती है और उत्तर प्रदेश सरकार गण्डक से कटाव रोकने के लिए 35 लाख रुपया अब तक खर्च कर चुकी है परन्तु बिहार सरकार द्वारा इस ओर ध्यान न दिये जाने के कारण गोरखपुर और देवरिया जिलों के बड़े भू-भाग पर बाढ़ का पानी आ जाने की आशंका है। इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 32 करोड़ रुपये बाढ़ से रक्षा व राहत कार्य हेतु रखा हुआ है। इसी प्रकार बिहार सरकार ने भी बचाव हेतु अपने यहां व्यवस्था कर रखी होगी, परन्तु यदि यही रुपया बड़ी गण्डक एवं अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में समय से स्थायी बचाव कार्यों पर व्यय कर दिया जाय तो इस मद पर खर्च

की जाने वाली लाखों की धनराशि बच सकती है तथा सदा के लिए बाढ़ से छुटकारा भी मिल सकता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेश की सरकारों को निर्देश दे कि वे संयुक्त रूप से उपयुक्त योजनाबद्ध कार्यक्रम द्वारा बड़ी गण्डक व घाघरा तथा अन्य नदियों के बाढ़ से बचाव हेतु स्थायी रूप से संयुक्त कार्यवाही करें जिस में धन का अपव्यय रुके।

(पांच) देश के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं मंजूर करने की आवश्यकता

श्री मनकूराम सोढी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के किसी भी पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु आज सबसे पहले आवश्यक है चलने का रास्ता, पीने का पानी, बच्चों की शिक्षा, दवाई का इन्तजाम, बिजली की लाइन सिंचाई की व्यवस्था तथा कृषि उपज की उपयुक्त मार्केट आदि की। आजादी की इस लम्बी अवधि में पंचवर्षीय योजना की निगाह अब इस ओर अग्रसर हुई है। पिछड़े क्षेत्रों के लोग देश की विकास गति में अपने को जोड़ते हुए आगे बढ़ने का स्वप्न संजोये हैं पर उन्हें क्या मालूम कि बहुत जल्दी उनकी आशाओं के विपरीत देश का वातावरण अनायास बाधक होगा। आज जिस बीहड़ जगह को मुख्य मार्ग से जोड़ना चाहते है वह कार्य रुक जाता है, जहां स्वच्छ पानी का स्रोत मिलता है वह वन सीमा में आता है, जहां विद्यालय एवं महाविद्यालय भवन निर्माण करना है वह रिकार्ड में बड़े झाड़ का जंगल है। जिस प्रमुख गांव को बिजली लाइन से जोड़ना चाहते हैं वहां लाइन में झाड़ खड़े हैं, जिन जगहों में छोटे-छोटे बांध से कुछ खेतों को सींचना चाहते हैं उसे स्वीकृति नहीं मिलती। यह सब पर्यावरण की आड़ में तमाम योजनायें जहां की तहां रुक गई हैं। इसका शिकार बस्तर की बोधघाट परियोजना एक उदाहरण है। जिस क्षेत्र के राजनेता सक्षम हैं उन्हें पर्यावरण की कोई ताकत रोक नहीं पा रही है। उन क्षेत्रों में छोटी से लेकर बड़ी-बड़ी स्कीमें जोरों से चल रही हैं।

इस पर मेरा केन्द्र शासन से अनुरोध है कि पिछड़े क्षेत्र के जनहित के कार्य तथा योजनाओं को पर्यावरण की आड़ लेकर रोकने की नीयत न बनावें और देश के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों को आज की विकास गति में जोड़ते हुए उन्हें मुख्य धारा में शामिल कर देश की अखण्डता को और मजबूत बनावें।

[अनुवाद]

(छः) कल्याण से बम्बई वी० टी० तक और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता

श्री एम० जी० घोलप (थाणे) : यह सच है कि कल्याण से बम्बई वी० टी० की स्थानीय रेलगाड़ियों में हमेशा भीड़ रहती है और इस समय कल्याण से और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता है और इसलिए रेलवे ने कल्याण रेलवे गोदाम को पश्चिम से पूर्व में बदलने का निर्णय लिया है, जिससे कि कल्याण पर स्थानीय प्लेटफार्म उपलब्ध हो सके और कल्याण से अधिक रेलगाड़ियां चलाई जा सकें।

अब माल यातायात को पश्चिम से पूर्व की ओर बदला जा रहा है और मालगोदाम शेड को स्थानीय गाड़ियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि थाणे में किया जा रहा है।

यह भी सच है कि तत्कालीन प्रभागीय प्रबन्ध, बम्बई ने डोम्बीवली पर पैदल चलने वालों के लिए ऊपरी पुल का उदघाटन करते समय यह घोषणा की थी कि जून, 1986 से पहले कल्याण को उक्त बताई गई सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी और प्रत्येक पांच मिनट के बाद गाड़ी होगी।

उक्त परिस्थितियों को देखते हुए कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है ताकि कल्याण से बम्बई वी० टी० तक अधिक रेलगाड़ियां चलाई जा सके।

(सात) हुगली पर दूसरे पुल का निर्माण यथाशीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर): कलकत्ता में हुगली पर दूसरा पुल पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा। इस पुल को 15 वर्ष पूर्व प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की स्वीकृति दे दी गई थी। असाधारण देरी के कारण और इस कारण मूल्यवृद्धि की वजह से इस पुल की अनुमानित लागत 9 करोड़ रुपये से बढ़कर 175 करोड़ रुपये हो गई है और इस कारण अभी तक इसके पूरा होने के आसार नजर नहीं आते। भारत में कलकत्ता एक बहुत भीड़भाड़ वाला शहर है। भीड़ को कम करने के लिए इस पुल को शीघ्र पूरा करना बहुत आवश्यक है। यह दुःख की बात है कि पहले इसे पूरा करने के लिए कई लक्ष्य—कई तारीखें निर्धारित की गई थी। जिससे लोगों के मस्तिष्क में काफी आशाएं पैदा हुई थी। लेकिन अन्ततः सभी आशाएँ झूठी सिद्ध हुई हैं। मैं सरकार से इस मामले को हाथ में लेने और इस पुल को जितनी जल्दी हो सके पूरा करने का अनुरोध करता हूं जिससे राज्य सरकार को विश्वास में लिया जा सके।

(आठ) कर्नाटक में प्रस्तावित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

डा० वी० वेंकटेश (कोलार): पिछले चार वर्षों के दौरान भीषण सूखे के कारण कर्नाटक में बिजली की बहुत कमी है। इस वर्ष भी राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। छोटे व मध्यम किसान निराश हो गये हैं। उनके पम्पसेट बिजली की कमी के कारण बेकार हो गये हैं।

कर्नाटक के पास बिजली उत्पादन की कई योजनाएँ है। बंगलौर में 120 मेगावाट की क्षमता का गैस टरबाइन संयंत्र लगाने का एक प्रस्ताव । दस-दस मेगावाट की क्षमता की चार बिजली उत्पादन इकाइयां बीदर, इंडी, कोलार और तामपुर में लगाई जाने वाली हैं। ये केन्द्र लघु उद्योगों और कृषि के लिए बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इन विद्युत उत्पन्न केन्द्रों की तुरंत स्थापना में राज्यों सरकारों की सहायता करने का अनुरोध करता हूं।

12.26 म० प०

देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम देश में नई वित्तीय नीति के संदर्भ में देश में आर्थिक स्थिति के बारे में आगे चर्चा हेतु मद संख्या 6 लेंगे। श्री शांति धारीवाल।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, देश की आर्थिक स्थित पर सदन में जो चर्चा चल रही है, इस बाबत कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। मैं भी

संक्षेप में दो-तीन सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मैं सरकार से इस बात के लिए आश्वासन चाहता हूं कि कम से कम जो एसेंशियल कामोडिटिज हैं, उनके दाम निश्चित हों। कम से कम तीन-चार साल तक उनके दाम एक से होने चाहिए। जैसे कहीं पर मिट्टी का तेल एक-दो दिन डिले हो जाता है तो मिट्टी के तेल के दाम आठ-आठ आने या एक रुपए तक प्रति लिटर फर्क पड़ जाता है। इसी प्रकार यदि कहीं पर सब्जी का ट्रक देर से पहुंचता है, तो उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं एसेसियल कामोडिटिज की बाबत सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे यह काम सार्वजनिक वितरण के द्वारा हो, यदि कोई दाम बढ़ाता है तो उसके खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए, चाहे वह राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा या किसी एजेंसी द्वारा कार्यवाही की जाए।

आज की परिस्थितियों में ट्रेड-गैप काफी बढ़ गया है। हमने टैक्नोलॉजी इम्पोर्ट करने के नाम पर ट्रेड गैप को काफी बढ़ा दिया है। यह इस वजह से हुआ है, क्योंकि सरकार ने लिलियेंसी बरत कर और दिल खोल कर आयात को प्रोत्साहन दिया है, लेकिन यह आगे जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति आपके आने के बाद और आपके वित्त मंत्री बनने के बाद मजबूत हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कर चोरी करने वालों को पकड़ा है और आगे भी इस तरह के कदम उठाते जा रहे हैं। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। हो सकता है कि यह बात कुछ लोगों को बुरी लगे और उनको बुरी लगनी भी चाहिए। लेकिन आप जो बराबर कस्टम और एक्साइज के लोगों को छूट दे रहे हैं, यह आपको बन्द करनी चाहिए। आपने कहा है कि इतनी तारीख तक यदि आप रकम जमा करा देते हैं, तो आपको किसी प्रकार की पैनल्टी नहीं लगेगी, यह उचित नहीं है। जो बड़े चोर हैं, जो कर की चोरी करके पांच-छः सालों में जिन्होंने अपनी सम्पत्ति को दस-दस पचास-पचास गुणा कर लिया है, आखिर कब तक आप इन लोगों को छूट देते रहेंगे। छोटे-अधिकारी या छोटा बिजनेस मैन को पकड़ने के लिए कई तरह के इन्स्ट्रक्शन्स दिए हैं, लेकिन वह तो बेचारा पहले से ही परेशान हैं। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, ये येनकेन प्रकारेण किसी भी प्रकार से बच जाते हैं। बड़े उद्योगपति जैसे किलोस्कर, रिलायंस ओरके इत्यादि ये सब कर चोरी करने में एक्सपर्ट हैं। सरकार को इन लोगों के खिलाफ जबरदस्त कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि वे बचकर न निकल पायें। सरकार कार्यवाही करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा वे स्टे-आर्डर ले लेते हैं। इस प्रकार सरकार के पास सबूत होने के बावजूद भी न्यायालयों की शरण लेनी पड़ रही है। इसलिए इस से संबंधित कानूनों और नियमों में परिवर्तन आवश्यक है।

मेरा इतना ही निवेदन है कि श्री राजीव गांधी के प्रधान मंत्री बनने के बाद और खास कर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के वित्त मंत्री बनने के बाद देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है परन्तु मैं यह चाहूंगा कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर आप जरूर ध्यान देते रहें। ये मूल्य बढ़ने न पावें और स्थिर रहें।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इस देश की एकोनामिक सिचुएशन में काफी इम्प्रूवमेंट लाए हैं। आज से पूर्व में बराबर इस बात की चर्चा होती थी कि हमारी एकोनामिक सिचुएशन ठीक नहीं है और इस कारण हम कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर सकते लेकिन एकोनामिक सिचुएशन के जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं, उन से प्रतीत होता है कि हमारी एकोनामिक सिचुएशन अच्छी है। ये आंकड़े इस

प्रकार हैं। जी० एन० पी० ग्रोथ 5 पर सेन्ट, इन्डस्ट्रियल ग्रोथ 6 पर सेन्ट, फूडग्रेन्स 1500 लाख मीट्रिक टन और इमर्जेन्सी पीरिड के लिए जैसे सुखाड़ या बाड़ नेचुरल केलेमिटीज को मीट करने के लिए 250 लाख मीट्रिक टन का स्टाक रखा है। फोरेन एक्सचेन्ज 6500 करोड़ रुपये है। इन इकोनामिक हालात को देखते हुए मैं वित्त मंत्री से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

आज देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो वे हैं जो 80 फीसदी गांवों में रहते हैं। वे किसान और मजदूर हैं और खेती पर निर्भर रहकर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं और 20 पर सेन्ट पापूलेशन उन लोगों की है जो शहरों में रहते हैं और शहरों की जो माडर्न टेक्नालोजी है, उसका वे उपभोग करते हैं। भारत 7 लाख गांवों का देश है। जब तक आप गांवों का स्वरूप नहीं बदलेंगे, मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे जितना इकोनोमिक एचीवमेंट आप के नेतृत्व में और प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ हो; वह कुछ मायने नहीं रखता है। आज 54 करोड़ की जो आबादी है, वह निरक्षर है। आज गांवों में स्कूलों की स्थिति खराब है, आवागमन के साधन खराब हैं। इसलिए जो इकोनामी सुधरी है, इसमें मेरा अनुरोध यह होगा कि एक ही भारत में दो स्तर के लोग न रखें जाएं, एक ही देश में दो स्टैन्डर्ड के नागरिक न रहें। एक गांव का नागरिक है, जो माडर्न टेक्नोलाजी से वंचित रहता है और दूसरी तरफ शहर का नागरिक है, जिसको माडर्न टेक्नोलोजी का फायदा मिल रहा है। बैंकों का नेशनेलाइजेशन करके आप ने एक बहुत बड़ा एचीवमेंट किया है और आज हिन्दुस्तान के गांवों में बैंक काम कर रहे हैं। आज सोशल चेंज का इन्स्ट्रूमेंट आप ने बैंकों को बनाया है। आप ने हर साल 500 से 600 परिवार प्रति ब्लाक को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात की है लेकिन हम समझते हैं कि बैंक इसमें बहुत सहयोग नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि जो आर्थिक मजबूती देश में आई है, उसका उपयोग आप गांवों के लिए करें। रिमोट विलेजेज में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करे, इसकी व्यवस्था भी ठीक से होनी चाहिए। अभी आपकी एजूकेशन पालिसी बनी है और उस एजूकेशन पालिसी में आप ने गांवों की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। बच्चों में माडर्न साइंस, माडर्न शिक्षा विकसित करें, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं वह है औद्योगिक असंतुलन के बारे में। आज इण्डस्ट्रीज के बारे में रीजनल इंबैलेंस बहुत अधिक है। खासतौर से बिहार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वहां पूरे देश की औद्योगिक स्थिति के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। देश की इकनामिक स्थिति सुधरी है, उसकी स्थिति अच्छी बनी है परन्तु उसका उपयोग, उपभोग बिहार की 7 करोड़ जनता नहीं कर पा रही है। अगर इस ओर कुछ किया जाए तो बिहार के लिए यह बहुत लाभदायक होगा। पिछले तीन-चार दिनों से जो चर्चा चल रही है, उसमें मैं आपका ध्यान रोहतास इंडस्ट्री की ओर दिलाना चाहता हूं। रोहतास काम्प्लेक्स बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह तीन साल से बन्द पड़ा हुआ है, उसके मालिक सारे इक्विपमेंट्स तिरूपति ले जा रहे हैं और सरकार मूकदृष्टा बनकर देख रही है। अशोक जैन इसके मालिक हैं और तीस हजार लेबर उसमें काम करती है। 30 हजार लेबर इधर-उधर ठोकरें खा रही है, बिहार जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार इस चीज को चुपचाप देख रही है। यह हमारे लिए चुनौती का विषय है। मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि रोहतास इण्डस्ट्री को चालू कराने के लिए आप सहायता करें ताकि बिहार के लोगों का विकास हो सके।

दूसरी चीज उपाध्यक्ष महोदय सिंचाई की समस्या है। आज बिहार प्रदेश में सिर्फ 30 परसेन्ट क्षेत्र में सिंचाई होती है। हमारे यहां की जमीन इतनी उपजाऊ है कि अगर वहां पर पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो हम सारे देश के खाने के लिए अनाज पैदा कर सकते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपने यह कहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है और हम हर तरह से सक्षम हैं। अत: मेरा आप से निवेदन है कि आप बिहार की स्थिति में सुधार लाएं और इस सुदृढ़ स्थिति का वहां की जनता लाभ प्राप्त कर सके।

इन शब्दों के साथ बिहार को नेशनल रेसोर्सेस का इक्वल शेयर देने, और इबेलेन्सेस समाप्त करने और इरीगेशन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नियंत्रणाधीन विषयों पर बोलता हूं तो मैं प्यार और नफरत की मिश्रित भावना से अभिभूत हो जाता हूं। उनको सौंपे गए कार्य को जिस गम्भीरता और ईमानदारी से वह करते हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और पूर्ण सम्मान करता हूं। लेकिन मैं उनकी दक्षिणपंथी विचारधारा की प्रशंसा नहीं करता हूं। अगर उनको अमरीकन अर्थशास्त्री का अनुसरण भी करना है तो मेरी इच्छा थी कि वह मिल्टन फ्रेडमेन की बजाय गालब्रेथ का अपना आदर्श बनाते। आज का विषय इतना व्यापक है इसके लिए मुझे दिया गया समय बहुत ही कम है इसलिए मैं अपने को दो मुख्य पहलुओं तक ही सीमित रखूंगा।

पहला, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्वतन्त्रता का अदृश्य परन्तु बहुत अधिक नुकसान है और दूसरा अपराधों की बढ़ोतरी या भारतीय अर्थव्यवस्था का गलत ढंग से इस हद तक चलना है कि हमारी वित्तीय अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाये और बैंक दिन दहाड़े लूटे जायें। हमारे देश की नीतियों का प्रभाव समाज और राजनीति पर पड़ रहा है। जिसके कारण रोजगार पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। या गरीब और अमीर के बीच अन्तर बढ़ता जाता है आदि-आदि। इससे होने वाले खतरनाक परिणामों में मैं नहीं जाऊंगा और न ही मैं उस ढंग का उल्लेख करूंगा जिससे सरकारी क्षेत्रों को जान बूझकर नीचा दिखाया जा रहा है।

श्री वसन्त साठे जो कभी राष्ट्रपति प्रणाली की वकालत करने के लिए प्रसिद्ध थे अब सार्वजनिक क्षेत्र को नीचा दिखाने के सिद्धान्त की बात कर रहे हैं।

हमारी आर्थिक व्यवस्था को खतरा आवश्यक रूप से दो कारणों से है। पहला व्यापार सन्तुलन में बहुत अधिक अन्तर से और दूसरा विदेशी तकनीकी, विदेशी सहायता और विदेशी कुशलता व परामर्श के आयात पर अत्यधिक निर्भरता से।

महोदय, ऐसा लगता है हमने आयात पर आधारित विकास के आदर्श को अपनाया है इस बात को बताना मेरे लिए अनावश्यक होगा कि आयात पर आधारित विकास को छोड़कर आयात-स्थान्नापन या आत्मनिर्भरता को अपनाना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए असम्भव होगा। विशेष रूप से विश्वव्यापी व्यापार और वातावरण के दुष्परिणामों के कारण यह बहुत कठिन होगा।

जी० ए० टी० टी० की 1984-85 की रिपोर्ट बताती है कि विश्वव्यापी व्यापार की विकास दर 1983-84 में 9 प्रतिशत के मुकाबले में 1984-85 में 4 प्रतिशत से कम थी।

महोदय, पिछले कुछ दिनों से अमरीकी अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार में लोकोमोटिव का कार्य कर रही है। यह विचार भी आता है कि इस लोकोमोटिव की चलने की शक्ति क्षीण हो गई है। अमरीका की अपनी विकास दर भी 1985 में गिरकर 2.4 प्रतिशत हो गई है। इन परिस्थितियों में भारत के लिए अपना निर्यात बढ़ाना सम्भव नहीं होगा। महोदय, एफ० आई० आई० सी० आई० के आर्थिक पूर्वानुमान 1986-87 के लिये आर्थिक पूर्वानुमानों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि इस सरकार द्वारा हाल ही में नीति में किए गये परिवर्तन से हमारी अर्थव्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हुआ है जिसका एफ० आई० आई० सी० आई० स्वयं कुछ दिनों से वकालत कर रही थी लेकिन इसने बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीयकरण गलत समय पर किया जा रहा है।

यह दो गलत कारणों से है—प्रथम जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है विश्वव्यापी प्रवृत्ति, जो बहुत खतरनाक है—हमारे बिल्कुल विरुद्ध रही है और दूसरा अब विकसित देशों ने करों से रुकावटों को बढ़ा दिया है। इसलिए आने वाले समय में हमारा भुगतान सन्तुलन अवश्य ही खराब हो जाएगा। इस समय हमारा व्यापार घाटा 8000 करोड़ रुपये है जो इतना पहले कभी नहीं रहा है। लेकिन निकट भविष्य में इसके लगातार बढ़ते रहने की उम्मीद है। निस्सन्देह उस स्थिति में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाना पड़ेगा। और अगर हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाते हैं तो हमें उनके द्वारा थोपी गई कड़ी शर्तों को मानना पड़ेगा। विश्व बैंक ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को "निर्यात बिक्री के सापेक्ष लाभ को बढ़ाने वाली एक विनिमय दर नीति" अपनानी चाहिए। यह अवमूल्यन के लिए एक शब्दाडम्बर को छोड़कर कुछ भी नहीं है। अगर देश में सम्मान या राजनीतिक प्रतिष्ठा की वजह से आप अवमूल्यन को टालते हैं तो हमें आर्थिक ऋणों का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो हमें ऋण के फन्दे की तरफ ले जायेगा। देश का विदेशी मुद्रा भण्डार जिसमें 1984-85 में 1319 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। उसकी तुलना में 1985-86 वर्ष में 204 करोड़ रुपये घट गया। 1985-86 वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा भण्डार का स्तर हमारे चार महीनों के आयात के बराबर या एक वर्ष के व्यापार घाटे के बराबर है। विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आकस्मिक गिरावट के कारण और हमारे आयातों जैसे चीनी और खाद्य तेलों में जानबूझ कर की गई कटौती के कारण आई तेल समृद्धि के बावजूद भी हमारी भुगतान सन्तुलन की स्थिति बहुत खराब है।

हमारी आयात नीति ऐसी नहीं है कि वह भारत को आयातित तकनीक को उच्च बनाने व अपने अनुसार ढालने में सक्षम कर सके। उदाहरण के तौर पर सिर्फ दो वस्तुएं—रंगीन टेलिविजन एवं मोटरगाड़ियों को लें। पिछले सत्र में ही सरकार का उत्तर यह था कि भारत में रंगीन टेलिविजन के अतिरिक्त पेंच-पुर्जों का आयात 80 प्रतिशत से अधिक था। और मोटरगाड़ियों के लिए आपने कई कंपनियों को लाईसेंस दिये हैं। परन्तु उनमें से कोई भी अपेक्षित आर्थिक स्तर को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। अपेक्षित आर्थिक स्तर को प्राप्त किये बगैर स्वदेशीकरण की प्रक्रिया या अनुसंधान तथा विकास हेतु अधिक पूंजी के नियतन को बढ़ाया न जा सकेगा। और हम आयात की पुनरावृत्ति को टाल नहीं पायेंगे जैसा कि मारुति कार के नए मॉडल से जाहिर हुआ है, जिसे की हम कारखाने के शुरू करने के दो वर्ष पश्चात् उत्पादन कर सके हैं। यहां तक कि अब भी हम अनेक देशों की प्रबंधकीय विशेषज्ञता पर निर्भर कर रहे हैं। कल ही हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि यह सरकार इस सन्दर्भ में किस प्रकार एक एन० आर० आई० कंपनी को प्रबंधकीय परामर्श देने की अनुमति दे रहे हैं। छः गैस

पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं के संबंध में परामर्श का कार्य केवल एक ही इटली की कंपनी स्नैम परोजिटी को दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश के नागार्जुन फर्टीलाइजर को भी इस इटालीयन कंपनी सनाम परोजिटी को इसका मुख्य परामर्शी के रूप में अपनाने के लिए मनाया गया था। स्थापित की जा रही इस एन० आर० आई० कंपनी के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि किस निपुणता के रूप में वे दावा कर सकते हैं। वास्तव में, स्वयं उनको एक परामर्शी फर्म की आवश्यकता है। उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी बूज ऐलन हैमिल्टन को अपने परामर्शी के रूप में अपनाया। इसको छोड़कर जिस तरह से हमारे देश में सभी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सभापति ···**···के साथ एक निगरानी समिति की सरकार ने नियुक्ति की है उस पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। एक निगरानी समिति की अध्यक्षता के लिए अगर आप किसी निजी उद्योगपति के पास जाते तो आप एक अनुभवी उद्योगपति को चुन सकते थे। ···**···तरह···**··· की बपौती में बगैर अनुभव और निपुणता के एक विशाल साम्राज्य मिल गया है। वह सिर्फ एक कंपनी का अध्यक्ष है, जो कि रुग्णता का सामना कर रही है। निस्सन्देह, उसको अनुभव मिला है···**···और केलिफोर्निया की एक कंपनी इलेक्सी में धन लगाते हुये।

अब मैं औद्योगिक डकैती के नए तरीके का जिक्र करता हूं जो हम इस देश में देख रहे हैं। 19वीं सदी के अमेरिका में हमने लुटेरे नवाबों की घटना देखी। हमारे यहां लुटेरे नवाबों की अलग पीढ़ी है जो देश में मजबूत होती जा रही है। रिलायंस उद्योग लिमिटेड और दूसरी कंपनियों द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध इण्डियन एक्सप्रेस तथा दूसरी पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को हमारे माननीय मंत्री तथा हम सब ने देखा है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान एन० आर० आई० संविभाग निवेश योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस योजना पर पिछली सभा में जब माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री भी नहीं बने थे तब कई बार चर्चा की गयी थी। इस योजना के तहत रिलायंस के लिए हमें सिर्फ 22.5 करोड़ रुपये मिले किन्तु तीन वर्ष में मूल्यांकन के बाद शेयर 100 करोड़ रुपये के बराबर हो गये, और अगर ई० तथा एफ० श्रेणी वाले रिलायंस के ऋण पत्रों की परिवर्तन की अनुमति दी जाती तो वे 800 करोड़ रुपये के बराबर हो जाते···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय श्री रेड्डी, कृपया अपने भाषण को जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : और श्रीमान, रिलायंस ही अकेली दोषी पार्टी नहीं है। यही घटना ओरके कंपनी के संबंध में छुपी है। इस प्रकार के निवेश में किए गये वे उच्च शेयर दाम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से खतरनाक हैं और सरकार ने इस योजना को अभी से बन्द करने के बारे में विचार करना चाहिए क्योंकि यह हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का क्षय करती है। इस विशेष योजना के तहत 13,926 करोड़ रुपये में से हमें पिछले तीन वर्षों के दौरान सिर्फ 120 करोड़ रुपये मिले जो हमारे अनिवासी भारतीय प्रेषित कोष का सिर्फ 0.86 प्रतिशत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यूनाइटेड ब्रीडरीज को इसकी तेनतुरा कंपनी के लिए सिंगापुर की स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा से 100 लाख डालर का ऋण कैसे मिला। तेनतुरा से यह धन हांग-कांग की अमेरान्ये कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया और फिर अमेरान्ये कंपनी से वह धन करेस्को कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। करेस्को कंपनी ने बदले में उस धन को शा-वालेस में लगा दिया। इस प्रकार श्री विजय मालया देश में शराब का सम्राट बन गया।

मैं बोम्बे डाइंग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। अगर रिलायंस कंपनी किसी समय

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार की प्रिय कंपनी थी तो अब मैं नहीं सोचता कि रिलायंस की जगह बोम्बे डाइंग प्रिय कंपनी बननी चाहिए।

डनकन समूह के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। श्री आर० पी० गोइन्का फिक्की के भी अध्यक्ष हैं। फिक्की की भी नि:सन्देह वही कांग्रेस वाली जाली सदस्यता की समस्या है, हालांकि यह दूसरा मामला है। किन्तु इसके बाद मैं यह कंपनी विदेशी शेयरों की खरीद के माध्यम से जिस तरह बहुत सी दूसरी कंपनियों जैसे डनलप और सीट आदि पर नियंत्रण कर सकी उस तरीके की चर्चा कर रहा हूं। क्या सरकार ने वास्तव में इस प्रश्न के बारे में जांच करवाई ? अगर ऐसा है तो सरकार हमें परिणामों से अवगत कराये।

श्री पी० कुलन्दईवेलु (गोबिचेटिटपालयम) : श्रीमान माननीय श्री जयपाल रेड्डी के विचारों को सुनने के बाद, मुझे जवाब में यह कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा भारतीय प्रधान मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद जो आर्थिक विकास हुआ है उसको हम नजर अंदाज नहीं कर सकते। श्रीमान् मैं देख रहा हूं कि जब से हमारे माननीय वित्त मंत्री इस सरकार में आये हैं तब से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण तथा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है उद्योगों में उत्पादन लागत को कम करने तथा दक्षता में सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास किये गये हैं। करों में कटौती, लाइसेंस प्रणाली खत्म करके, विस्तार करके, एम० आर० टी० पी० सीमा बढ़ा कर, दीर्घकालीन वित्तीय नीति, माडवेट और तकनीक का स्वतंत्र आयात द्वारा भी इन सभी प्रयासों के माध्यम से औद्योगिक विकास पर एक बल दिया गया है वास्तव में वे कदम हैं, जिनके जरिये उद्योगपतियों पर भी एक बल दिया गया है। असलियत में ये परिवर्तन ऊंची कर आमदनी, आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाईसेंसों में बढ़ोतरी और सरकार वाणिज्य सहयोग में भी और इन सब में प्रतिबिम्बित हो रहे हैं। इस प्रकार, हम यह नहीं कह सकते कि भारत में बिल्कुल भी विकास नहीं है। पिछले 1-1/2 वर्ष से मैं देख रहा हूं कि वर्तमान आर्थिक हालात, आशाओं चुनौतियां तथा अवसरों से परिपूर्ण हैं। इसके साथ-साथ यहां कुछ प्रमुख समस्यायें भी हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। मुख्य समस्याएं ये हैं कि नीति स्तर पर अधिक परिवर्तनों की आवश्यकता है। दूसरी बात एम० आर० टी० पी० अधिनियम में कुछ अनियमितताओं के बारे में है। उन्हें दूर किया जाना चाहिए। तीसरी बात, हालांकि एम० आर० टी० पी० की सीमा 100 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है, इस वृद्धि के माध्यम से जो लाभ है वह भ्रामक रहेगा। चौथी बात यह है कि अधिक उत्पादन के लिए दबाव डालना चाहिए और कम उत्पादन के लिए जुर्माना करना चाहिए। पांचवीं बात, पूंजीगत माल पर उत्पादन शुल्क को कम करने की आवश्यकता है और सीमा शुल्क को भी समाप्त किया जाना चाहिए।

विश्व में हमारे ब्याज की दर सबसे अधिक है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम इसे अन्य देशों के साथ बराबर लाने के लिए ब्याज दर में कमी की जाये। नीति संबंधी घोषणा और उसके कार्यान्वयन के बीच बहुत अन्तर है। एक नया कार्यान्वयन नीति को बनाना होगा। एक खिड़की प्रणाली (सिंगल विन्डो सिस्टम) को तुरंत बनाना होगा। उन उद्योगपतियों को सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो लाइसेंस लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अत: इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक ही स्थान पर सभी कार्यवाही (सिंगल विन्डो सिस्टम) करनी चाहिए ताकि उद्योगपतियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें

दूर किया जा सके ताकि उन्हें यथाशीघ्र लाइसेंस आदि प्राप्त हो सके।

हमारे पास श्रमिक कानून, कार्मिक संघ अधिनियम (ट्रेड यूनियन एक्ट) और औद्योगिक विवाद अधिनियम है। इनमें उपयुक्त रूप से संशोधन करना होगा। सरकार, उद्योग और श्रमिक द्वारा संयुक्त रूप से एक बीमा निधि बनाई जानी चाहिए ताकि आधुनिकीकरण बीमारी, फालतू मजदूर और मजदूर का ग्रेड बढ़ाने के कारण पैदा होने वाली परेशानी पर सावधानी से ध्यान दिया जा सके। सरकार, श्रमिक और उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से इस निधि में धन दिया जाना चाहिए।

चुंगी को समाप्त करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस-आई द्वारा शासित 8 राज्यों में और एक गैर कांग्रेस-आई की सरकार वाले राज्य में तथा कलकत्ता शहर में चुंगी लगाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस-आई राज्यों को कई परिपत्र भेजे गए हैं पर वे इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं। हम तमिलनाडु में चुंगी नहीं लगा रहे हैं। हम बहुत हानि उठा रहे हैं क्योंकि हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हम काफी राजस्व की हानि उठा रहे हैं। कांग्रेस-आई द्वारा वचन देने के बावजूद चुंगी, जो कि कराधान का पुराना तरीका है, अभी भी कांग्रेस-आई के 8 राज्यों में प्रचलित है। मंत्री जी को इसे समाप्त करने के लिए या तो आगे आना चाहिए या सभी राज्यों में समान रूप से उसे लागू करना चाहिए।

मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होगा। इसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार के मूल्यों के बढ़ने पर लगभग दो वर्षों के लिए विलंबकाल लागू करना चाहिए।

मैं इस अवसर पर तमिलनाडु में सूखे की स्थिति के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इसके कारण हमें बहुत हानि हो रही है तमिलनाडु के 12 जिलों में पीने के पानी की भी समस्या है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है। यह स्थिति कोयम्बेटूर, सलेम, धर्मपुरी, अन्ना, मदुरै, रामनाथपुरम, पशुम्पन, मुथुरामलिंगम, कामराजर, पेरियार, त्रिची, कन्याकुमारी और पुडुकोट्टाई जिलों में हैं। लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। मैं 31 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री से मिला था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि तमिलनाडु में तुरंत एक अध्ययन दल भेजा जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। परन्तु अभी तक अध्ययन दल नहीं भेजा गया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह उसे तुरंत भेजे क्योंकि यह उनकी संयुक्त जिम्मेदारी है और उसी समय एक तदर्थ राशि तुरंत दी जाए ताकि वे राहत उपायों को तुरंत ले सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

1.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की एकोनामिक सिचुएशन के बारे में बढ़ती-हुई बेरोजगारी, राइजिंग प्राइसेज, और विदेशी व्यापार में गैप जो बढ़ रहा है और जो फारेन ट्रेड में इजाफा हो रहा है इस को देखते हुए बहुत चिन्ता है। मैं यह नहीं कहता कि हम किसी एक राजनैतिक दल पर इस के लिए जिम्मेदारी डालें या महज किसी एक दल को अपने हमले का विषय बनाएं, मैं गंभीरता से कहता हूं इन बातों को देखते हुए जब बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं और पाते हैं कि आज एक ओर बेरोजगारी की सिचुएशन है दूसरी ओर प्राइसेज बढ़ रही हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वर्तमान समय भी बहुत चिन्ता का समय है और भविष्य भी बहुत खुशी का मालूम नहीं होता।

इन चीजों की वजह से जो बेचैनी बढ़ रही है, जो आम आदमी के जीवन में मुश्किलात

आ रही हैं, यहां साधारण जिन्दगी में शांति और एकसुरता नहीं है तो आज कुछ ऐसी फोर्सेज जो हैं वे इस स्थिति का नाजायज फायदा उठा कर देश को सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर भी कमजोर कर रही है तथा देश की हस्ती को भी कमजोर कर रही हैं। इसलिए इस पार्लियामेन्ट को, सरकार को और हम सब को भी इस बारे में कुछ करने के लिए इकट्ठे होकर यत्न करना चाहिए।

मैं महसूस करता हूं, मैं एक रेफरेंस देता हूं आधे मिनट के लिए कि जो पंजाब में आज स्थिति है उस में यह भी है कि फंडामेंटलिज्म बहुत बढ़ गया, टेररिज्म बढ़ गया, पड़ोस से बहुत दखलन्दाजी हो रही है, कुछ राजनैतिक गलतियां भी इधर उधर से हो सकती हैं, मगर यह भी एक कारण है कि पंजाब में बहुत बेरोजगारी है। जब से देश से बाहर जाना अर्थात् गल्फ कन्ट्रीज में जाना बन्द हो गया है, पंजाब में बेरोजगारी बढ़ गई है। इस बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठाया जिन्होंने जवानों को, यूथ्स को, गलत रास्ते पर लगा कर अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग किया। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि कुछ ऐसे एफेक्टिव स्टेप्स उठाए जायं जिस से देश के नौजवानों को बेरोजगारी के अन्धकार से निकाल सकें।

मैं इस के लिए दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सब से पहले विदेश व्यापार व्यवस्थित होने चाहिए, एक्सपोर्ट डेफिसिट को समाप्त किया जा सकता है, हम एक्सपोर्ट को ठीक रास्ते पर ला सकते हैं अगर हम देश की किसानों को, जो ऐग्रीकल्चर सेक्टर है उसी को पूरी तरह से स्टडी करें, जैसे गेहूं की वेराइटीज हैं, वेजीटेबल्स है, आर्चर्डस हैं इसकी खेती बढ़ायी जाय तो इनके एक्सपोर्ट से हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह पंजाब, हरियाना, यू०पी० जैसे प्रदेशों में जहां बहुत अनाज पैदा होता है वहां डाइवर्सिफिकेशन आफ क्राप्स की जरूरत है क्योंकि एक पलट आता जा रहा है चावल में और दूसरी इस तरह की चीजों में। क्योंकि बाहर मार्किटिंग नहीं हो रही है इसलिए कुछ ऐसा प्रबन्ध किया जाय जिस से ऐग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज ज्यादा लगायी जांय जिस से हम अपने यहां के लोगों को डाइवर्सिफिकेशन आफ क्राप्स के लिए भी अमादा कर सकें और रोजगार भी दे सकें।

मेरी यह भी राय है कि एलक्ट्रिसिटी जेनरेशन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। खेती के लिए और छोटे व बड़े उद्योगों के लिए एलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत है। हमारे देश में एलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन बहुत महंगी पड़ रही है। पब्लिक मनी बहुत जगह डम्प पड़ी हुई है। सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स में 3274 करोड़ रुपये फ़्रोजन हो चुके हैं। इस तरह से प्रबन्ध होना चाहिए कि हम अपनी व्यवस्था और अपने साधनों को देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए तरक्की के उन सेक्टर्स में लगा सकें जहां जरूरत है।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यह नहीं कि वह हमारे कुलीग हैं या हमारे साथी हैं उनकी शख्सियत की इंटीग्रिटी पर भी हमें भरोसा है, उनकी मेहनत पर भी भरोसा है, आनेस्टी पर भी भरोसा है। अगर उनके होते हुए भी देश की आर्थिक दशा बीमार रहेगी तो मेरे खयाल में इससे बढ़कर कोई दूसरा डाक्टर तो मिलेगा नहीं जोकि उसको ठीक कर सके। इसलिए यदि अब भी यही पोजीशन रहती है, ये भी इसको ठीक नहीं कर सकेंगे फिर और भी चिन्ता की बात होगी। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं सारे देश की बात को सोचते हुए और पंजाब की प्रिजेन्ट पार्टिकुलर सिच्युएशन को देखते हुए वहां पर एग्रो-बेस्ड इण्डस्ट्रीज के कुछ कारखाने देने की बात भी आप सोचिए। इन शब्दों के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यदि देश का आर्थिक विकास सफलतापूर्वक करना है तो सातवीं पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना होगा।

महोदय, हमें देश में अटपटी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है हमें घाटे के व्यापार सन्तुलन की समस्या का सामना करना पड़ता है इसको दूर करने के लिए हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा और आयात कम करना होगा। इसके बदले हमें ऐसी नीति पर बल देना है जो हमारे आयात को बढ़ाए तथा हमारे निर्यात को बढ़ाने की अनुमति न दे।

इस बारे में, मैं गलत नीतियों को बताना चाहता हूं जिनका हम पालन कर रहे हैं। उदाहरण के लिये पेट्रोलियम उत्पादन के मूल्य लें। महोदय, पूरे विश्व में तेल की कीमतें 30 पौंड से 10 पौंड प्रति बेरल कम हुई हैं जबकि हमने वही कीमत रखी है और इसके कारण हमारी निर्यात अर्थव्यवस्था को हानि हो रही है लगभग 3,000 उत्पाद पेट्रोरसायन पर आधारित है और इसलिए उन उत्पादों की कीमतें बहुत ऊंची है तथा वह हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देश की आर्थिक समस्या को सुधारने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना होगा।

हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना को बनाया है और यह वर्ष 1985 के दौरान बहुत अच्छी तरह से चल रही है लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, पिछले तीन महीनों के दौरान सरकार की नीति में बार-बार परिवर्तनों के कारण भ्रम है और लोगों को अधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कई उत्पादों का मूल्य कम होता जा रहा है जबकि हमारे उत्पादकों का मूल्य बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम अपने उत्पादों का निर्यात नहीं कर पा रहे हैं और हम कड़े अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खड़े नहीं हो सकते तथा हम सौदा नहीं कर सकते। हमें ऐसी नीति बनानी होगी कि हम अधिकतम निर्यात कर सकें ताकि हम विदेशों से अधिक मुद्रा अर्जित कर सकें।

महोदय, कोयला एक ऐसा तत्व है जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। हालांकि कोयले का उत्पादन कुछ सीमा तक बढ़ा है। परन्तु इसके अनुरूप बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है। बहुत से उद्योग कोयले पर आधारित हैं। हम जानते हैं कि बार-बार शिकायतें होती हैं कि कोयले में बहुत अधिक पत्थर होते हैं। उपभोक्ताओं और उद्योगों को सही मात्रा में कोयला नहीं मिलता जिसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है।

हमारे देश में जैसा कि मेरे माननीय दोस्त श्री रामूवालिया ने बताया है कि हमें कृषि पर आधारित उद्योग तथ्य इस प्रकार के उद्योगों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम जानते हैं कि किसान कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पादों के प्रमुख खपतकर्त्ता हैं। अतः इन उत्पादों की कीमत कम की जाती है तो किसान देश को सस्ते मूल्य पर अपनी वस्तुएं दे सकेंगे और इससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

मैं इनके बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता हूं। परन्तु मैं माननीय वित्तमंत्री से इस प्रकार के कदम उठाने का अनुरोध करता हूं जिससे यथाशीघ्र राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकें। मेरे राज्य अर्थात गुजरात में बहुत सी सिंचाई योजनाएं विशेषरूप से यह नर्मदा

की योजना है। पिछले वर्ष हमने न्यून वर्षा की समस्या का सामना किया। इस वर्ष हम फिर से उसी समस्या का सामना कर रहे हैं।

हम वही समस्या का सामना कर रहे है। इस वर्ष वर्षा पर्याप्त नहीं हुई है और यदि नंदा सिंचाई योजना को पहले से कार्यान्वित किया जाता तो यह खेत में उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता। हम इस वर्ष फिर से वर्षा के बारे में चिंतित हैं। वर्षा बहुत कम होती है और हमें बहुत समस्या का सामना करना होगा।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है। चूंकि आपने तीन मिनट का समय मुझे दिया है, इसलिए मैं सबसे पहले माननीय वित्तमंत्री महोदय, श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह जी, को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आने के बाद देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में उन्होंने कारगर कदम उठाए हैं। इस पर हमको और पूरे सदन को आज अपने विचार जाहिर करने का अवसर प्रदान हुआ है।

पहली बात तो यह है विदेश में उत्पादन क्षमता बढ़े, दूसरी बात शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को दो वक्त की रोटी रोजगार के माध्यम से उपलब्ध हो और तीसरी बात देश की इकोनोमिक स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका विद्युत अदा करती है। मैं बिहार प्रदेश से आता हूं। विश्वनाथ प्रताप जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सीमावर्ती जिला बिहार में होने के नाते आपकी कार्यक्षमता पर दृढ़ विश्वास है और यह मेरी आत्मा के हर कोने में विराजमान है। पं० नेहरू जी ने यह सोचा था और उनकी यह अकांक्षा थी कि हम एक नहर का निर्माण करें और देश के किसानों को मुफ्त पानी दें, जिससे जो देश की इकोनोमिक स्थिति जरजर हो चुकी है, वह सुदृढ़ हो। आपके उत्तर प्रदेश में नहर बनी, लेकिन बिहार प्रदेश की यह हालत है कि वहां की इकोनोमिक स्थिति गड़बड़ होती जा रही है और दूसरी तरफ जो कृषकों की आर्थिक स्थिति है, वह भी दिन प्रति दिन जरजर होती जा रही है। कारण यह कि नहर बनने के बाद सारी सतह बालू से भर गई, लेकिन कृषकों की तरफ न बिहार सरकार ने और न केन्द्र सरकार ने ध्यान दिया। एक तरफ कृषक लगान से मारे जाते हैं और दूसरी तरफ पानी न मिलने के कारण उत्पादन क्षमता दिन-प्रति-दिन घटती चली जा रही है। इससे देश की इकोनोमिक स्थिति पर भारी कुप्रभाव पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी योजना को चलायें, जब तक वह निश्चित समय पर पूरी नहीं होगी, तब तक इकोनोमिक स्थिति में एक भारी रुकावट उत्पन्न होगी। आज भी बहुत योजनायें बिहार में हैं। एक कोयल थर्मल पावर परियोजना और दूसरी कांटी थर्मल पावर परियोजना, जो कि 85 में पूरी होनी चाहिए थी, वह आज तक पूरी नहीं हुई है। इससे यदि बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ती तो उत्तर बिहार में कम से कम जो लोग उत्तर प्रदेश के निवास करते हैं, यदि यह योजना निश्चित समय पर पूरी हो गई होती तो कृषकों के सामने यह स्थिति पैदा नहीं होती।

आप हिन्दुस्तान के इतने बड़े विभाग को चला रहे हैं और काला-बाजारी करने वालों के खिलाफ आप सख्त कदम उठा रहे हैं। देश की इकोनोमिक स्थिति में दो-तीन पहलू हैं। मैं गोपालगंज से आता हूं। जो नेपाल की सीमा पर पड़ता है। हजारों कदम उठाने के बाद, संसद में अनेक बार प्रश्न आने के बाद और आश्वासन देने के पश्चात् भी वहां काला-बाजारी और स्मगलिंग होती है। यही स्थिति बंगाल की है। बंगाल में आप देखें, जो भी पैट्रोल पम्प है, सब

जगह गुप्त रूप से मिलावट का धंधा किया जाता है। यही वजह है कि बंगाल के जो बड़े-बड़े तस्कर थे, उनका भांडाफोड़ बिहार में हुआ, जब हम लोग एम० एल० ए० थे। उसी समय बिहार शरीफ में मिलावटी तेल का टैंकर पकड़ा गया। पूछताछ पकड़े लोगों से किया गया तो पता चला कि इसका सरदार कलकत्ता में रहता है।

देश में अगर आप आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो हिन्दुस्तान के हर जिले में आपको एक उद्योग लगाना होगा, जिससे बेरोजगार नौजवान रोजगार पा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : यह अवसर मुझे देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे प्रति थोड़ा सा उदार बनें। .

देश की आर्थिक स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। इसकी समस्या भयंकर हो गई है। हालांकि हमारे पास बहुत अच्छे वित्त मंत्री हैं परन्तु उनके अच्छे प्रयासों के बावजूद वह आज लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। वह आशा करते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 5.2% की दर पर आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी परन्तु मुझे कुछ सन्देह है। मैं इस पर बहुत निष्ठा से चर्चा करना चाहता हूं। उन्होंने हमारे जन्म स्थान राज्य मद्रास में हाल ही में कहा है कि अर्थ व्यवस्था केवल सरकारी क्षेत्र पर निर्भर करती है, कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता या असफलता सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पर मुख्य रूप से निर्भर करेगी। इस समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बहुत खराब हालत में है। हम समझते हैं कि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में से लगभग 43,000 करोड़ रुपए अर्जित कर सकते हैं। 1,80,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से वित्त मंत्री जी 43,000 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अर्जित करने की आशा कर रहे हैं। उन्होंने छठी योजना में 11,650 करोड़ रुपए अर्जित करने की आशा की थी और अब वह उस राशि को सातवीं योजना में चार गुना बढ़ाना चाहते हैं।

हमारे यहां लगभग 217 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। हमारे विद्वान मित्र प्रो० तिवारी उनमें से लगभग 55 उपक्रमों का कार्य देख रहे हैं। मैं पहले इस्पात मंत्रालय को लूंगा। इस मंत्रालय की बहुत खराब हालत है। मैं सिर्फ कुछ शब्द इस्पात संयंत्रों के बारे में कहना चाहता हूं हर वर्ष वे कितना लाभ कमा रहे है या हर वर्ष वे कितना घाटा उठा रहे हैं। 1985 में भिलाई इस्पात कारखाने में 397 करोड़ रुपये का लाभ कमाया, राउरकेला ने 2.6 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। जहां तक हानियों का सम्बन्ध है, दुर्गापुर संयंत्र को 425 करोड़ रुपये की हानि हुई है उसी प्रकार बोकारो में 108 करोड़ रुपये और 'इसको' में 336 करोड़ रुपये की बड़ी हानि हुई है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात मंत्रालय के उपक्रमों से ही अकेले 470 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। 'सेल' भी कार्यरत है। अभी कुछ समय तक सेल को 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन हानि हो रही थी। पंत जी ने कार्यभार संभालने के पश्चात इस संगठन को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश की है। मुझे प्रसन्नता है कि यह अब लाभ दिखा रहा है।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री एवं उद्योग मंत्री ने हाल ही में एक कार्यशाला शुरू की और उन्होंने एक कार्यकरण योजना के बारे में चर्चा की। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण बन रहा है और हमें सभी सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण पर संसद में बारी-बारी विचार करना चाहिए ताकि हम किसी लाभकारी नतीजे पर पहुंच सकें।

जहां तक कर संग्रह का सम्बन्ध है, 1954 में हमने मथाई आयोग नियुक्त किया था। उसके बाद हमने कोई भी उच्च स्तरीय आयोग नियुक्त नहीं किया है। आज हमारे वित्त मंत्री जब कभी कहीं भी जाते हैं तो किसी न किसी रियायत की घोषणा कर देते हैं। हाल ही में छोटे इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में उन्होने कहा है कि भूरे लोहे के आयात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। यहां वहां वे कहते फिरते हैं कि उस पर कुछ रियायत देंगे। इसमें कुछ एकरूपता होनी चाहिए। आप बजट पर चर्चा करके इसे पारित करते हैं और यदि बाद में करों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव हो तो अगले बजट तक इन्तजार करना पड़ता है। तभी करों के संग्रह में किसी तरह से समन्वय हो पायेगा।

आप सभी उद्योगपतियों को पकड़ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आप अधिक धन संग्रह करने की कोशिश करते हैं। परन्तु आप वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कर संग्रह अब लगभग रुक सा गया है। कर अनुपात के प्रतिशत से पता चलता है कि वर्ष 1960-61 में यह लगभग 10 प्रतिशत था। 15 वर्ष के पश्चात वर्ष 1974-75 में कर अनुपात 15 प्रतिशत तक पहुंच गया। 15 वर्षों में कर अनुपात में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 1984-85 में यह 17 प्रतिशत हो गयी। सातवीं पंच-वर्षीय-योजना के अन्त तक हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि कर अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक हो जायेगा। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि सातवीं पंच-वर्षीय योजना असफल हो गयी है।

यद्यपि आपने कहा है कि गत वर्ष बजट घाटा लगभग 3113 करोड़ रुपये का था जबकि वास्तविक घाटा लगभग 6500 करोड़ रुपये का था। इस वर्ष वास्तविक घाटा लगभग 7000 करोड़ रुपये है। दो वर्षों के दौरान हमें 13500 करोड़ रुपये का बजट घाटा हुआ। परन्तु योजना आयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना में 4000 करोड़ रुपये के कुल घाटे की आशा करता है इस तरह हम इन दो वर्षों में उनकी आशाओं के अनुरूप चल रहे हैं। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि सरकार आगामी तीन वर्षों में किस प्रकार बजट घाटे को पूरा कर पायेगी। इस तरह के बजट घाटों की वजह से सातवीं पंचवर्षीय योजना बुरी तरह से असफल हो जायेगी।

हमारा वर्तमान खर्च लगभग 42 प्रतिशत अर्थात् 22220 करोड़ रुपये हैं। जहां कहीं भी प्रधान मंत्री या वित्त मंत्री जाते हैं वे कहते हैं कि हम खर्च को कम करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं जानता कि वे खर्च को कैसे कम करेंगे। जब तक आप विभागों में आन्तरिक रूप से कोशिश नहीं करते हैं तब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, यद्यपि हमारे पास आज खाद्यान्नों का बाहुल्य है फिर भी उनकी कीमतें बढ़ रही हैं मुद्रास्फीति की दर 4 से 4·5 प्रतिशत है परन्तु वास्तव में मूल्य वृद्धि लगभग 15 प्रतिशत है।

वाणिज्य मंत्रालय का इतिहास घाटे का इतिहास रहा है। आज निर्यात घट गया है और आयात बहुत बढ़ गया है। हालांकि हमारे राज्य मंत्री ने कुछ समय पहले अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा था कि व्यापार घाटा लगभग 6111 करोड़ रुपये है वह जानते हैं कि व्यापार घाटा 9500 करोड़ रुपये से अधिक है। व्यापार घाटे के कारण हमें रुपये का अवमूल्यन करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि विश्व बैंक हमें ऐसा करने के लिए दबाव डाल रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि सातवीं योजना एक बड़ा विफल प्रयास होगा और अर्थ-व्यवस्था बड़ी विकट स्थिति में है। मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री इस समस्या को कैसे हल करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए आभारी हूँ। महोदय, क्या मैं कह सकता हूं कि अर्थव्यवस्था की समृद्धि विपक्ष के बैंचों के खाली होने से जाहिर होती है ? (**व्यवधान**)··· विपक्ष के खाली पड़े बैंच।

आपको वह समय याद होगा जब मूल्य वृद्धि पर वाद विवाद चल रहा था तब ये बैंच भरे हुए थे क्योंकि उन्हें कुछ कहना था। आज वे खाली हैं क्योंकि उनके कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय एक बात के···

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हम इस वक्त उनसे अधिक संख्या में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी जारी रखें। चौबे जी हमेशा हस्तक्षेप करते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वित्त मंत्री को सदस्यों का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने उनकी निष्ठा और कार्य कुशलता की दाद दी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह अर्थव्यवस्था के प्रति आश्वस्त हैं। श्री माधव रेड्डी को बजट पेश होने के बाद एक कमी दिखाई दी है, वह खुली बैठकों के बारे में है। अभी तक कहा जाता है कि ये निर्णय लिए जा रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि खुली बैठकें सरकार का समाज के विभिन्न वर्गों के साथ पारस्परिक विचारों के आदान-प्रदान का एक लोकतांत्रिक स्वरूप है। सरकार कार्यालय की चार दिवारी तक ही सीमित नहीं रह सकती है और इसे सीमित रहना भी नहीं चाहिए। श्री माधव रेड्डी जी ने कहा है कि तत्काल निर्णय लिये जाते हैं। तत्काल निर्णय का मतलब तदर्थ निर्णय नहीं है। यदि आप अपने सिद्धान्तों से परिचित हैं, आपने अपनी नीतियों पर विचार किया है और इस पर विवेकशीलता से सोचा है तब आपकी नीति के अनुसार यदि कोई बात प्रकट होती है तो आपको फैसला लेने के लिये अपने कक्ष में नहीं जाना पड़ेगा। परन्तु मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं 99 प्रतिशत से अधिक मामलों को फाइलों में निपटाया जाता है। वास्तव में हरेक मामला फाइल में एक सामान्य प्रक्रिया के तहत निपटाया जाता है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मुखाखिर रूप से कोई फैसला नहीं किया जाता है। परन्तु, कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि एक भद्र पुरुष ने यह अभ्यावेदन किया कि आपने 20 अश्व शक्ति तक के ट्रैक्टरों को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया है—वास्तव में हम सभी कृषि उपकरणों को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर रहे हैं, जबकि वह असल में जानवरों के खुरों के लिए मेखा का निर्माण करते हैं। मैं अपनी नीति जानता हूं। क्या मुझे सभी अधिकारियों को बुलाकर उनसे महीनों तक साथ बैठकर चर्चा करनी होगी और फिर फैसला लेना होगा या जब मुझे अपनी नीति मालूम है तो मुझे फैसला लेना चाहिए ? क्या मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं या आप कोई निर्णय नहीं लेंगे ?

एक और भद्र पुरुष आये। उन्होंने कहा कि वह अपने कारखाने में भाप का उत्पादन करते हैं, और उस भाप का प्रयोग अपने ही कारखाने में करते हैं और इस पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि इस पर निर्णय दें।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : लेवी या वृद्धि से पहले इसके बारे में आप जानते थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। लघु उद्योग क्षेत्र से लोग आते हैं। वे छोटे उद्यमी होते हैं तथा उनकी छोटी समस्यायें होती हैं, वे इसलिये आते हैं कि उनकी समस्याओं को कई वर्षों से नहीं सुलझाया गया है।

एक भद्र पुरुष मेरे पास आये और कहा कि वह चेसिस पर बस की बाडी खड़ी करते हैं। उत्पादन शुल्क चेसिस के साथ-साथ बाडी की लागत पर भी लगाया जाता है। उनका कहना है कि वह केवल बाडी ही बनाते हैं। आप दोनों पर उत्पादन शुल्क क्यों लगा रहे हैं? हमने तत्काल इसमें से चेसिस की कीमत को न लगाने का निर्णय लिया।

महोदय, तत्काल निर्णय लेने का अर्थ यह नहीं हैं कि ये गलत हैं। बहुत अच्छे निर्णय लिए गए हैं। जब मैंने वर्गीकरण में परिवर्तन और मोडवाट का प्रस्ताव किया तो यदि आप इस बारे में मार्च के समाचार पत्र देखें तो लगता था कि सभी आग उगल रहे हैं, परन्तु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के जरिये आपस में विचार विमर्श करके हम इस मसले को हल कर सके हैं, और अप्रैल के अन्त तक ये समस्यायें सुलझाई जा सकी। यदि इससे ऐसी बात है कि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में है तो मैं इसमें थोड़ा भी विलम्ब नहीं करूंगा। यदि उद्योग या व्यापार बगैर किसी हिचकिचाहट या दम्भ के किसी न्यायोचित अनुरोध के साथ बात करे तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। परन्तु यदि वे कानून का उलंघन करते हैं तो मैं कड़ा रुख अख्तियार करूंगा। यह सब जानते हैं तथा यह लिखित रूप में है। इससे समस्याओं को हल करने के साथ-साथ अनुशासन लाने में भी लाभ हुआ है।

श्री माधव रेड्डी ने जिक्र किया है कि मैंने इसका उल्लेख किया है इसलिये बजट पर एक वाद-विवाद होने दें। वास्तव में यदि आप उस दस्तावेज में पृष्ठ 20 पर 'बजट संक्षेप में' पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि हमने प्रत्येक मंत्रालय के लिए योजना के तहत नियत राशि को दर्शाया है। जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है वे मुझे स्वीकार हैं। हम संसद में इस पर वाद विवाद कर सकते हैं और मैं उसे यहां अभी मानने को तैयार हूं। यह भी एक खुली बैठक के समान है। आप सुझाव दें और मैं उसे एक दम स्वीकार कर लूंगा। मुझे नार्थ ब्लाक जाकर इसे जांचना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं समझता हूं कि जो सुझाव आपने दिया है, वह अच्छा है और कतिपय दस्तावेज भी पहिले से यहां हैं, हम इस पर जब भी अध्यक्ष चाहे वाद विवाद कर सकते हैं। जहां तक अर्थव्यवस्था के बारे में समग्र दृष्टिकोण का सम्बन्ध है उन बातों की जो ठीक नहीं है या जो हमारे लिये चिन्ता का विषय है आलोचना की जानी चाहिए। परन्तु हमें साथ साथ देश की उपलब्धियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। देश ने काफी प्रगति की है। कल्पना कीजिए औपनिवेशिक शासन के बाद जिसके दौरान इस देश को अपने लगभग 93 प्रतिशत संसाधनों से वंचित कर दिया गया था, यह देश बुनियादी औद्योगिक ढांचा तैयार करने और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफल रहा है। और यह श्रेय हमारे नेतृत्व को जाता है। केवल यही नहीं हमने इस प्रक्रिया के दौरान अपनी लोकतान्त्रिक व्यवस्था को भी बनाये रखा है। हमारे अपने लोगों से प्राप्त होने वाले 93 प्रतिशत संसाधनों से ही प्रगति तथा प्रजातन्त्र को बनाये रखा जा सकता है, यद्यपि उनमें से काफी लोग गरीब हैं तथा उनके पास संसाधनों की कमी है। मेरे विचार में यह हमारे लिए गर्व की बात है।

भुगतान सन्तुलन और व्यापार क्षेत्र के बारे में भी काफी कुछ कहा जा सकता है। हम इस पक्ष की देखरेख करने में भी समर्थ रहे हैं तथा हम अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता बनाये रखने में भी सक्षम रहे हैं। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत गर्व से बोल सकता है और अपना स्वतन्त्र मत प्रस्तुत कर सकता है और केवल अपनी आर्थिक ताकत के कारण ही विकासशील देशों का पक्ष बनाये रख सकता है।

छठी योजना में हम 5.2 प्रतिशत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। हमारी विकास की दर के बारे में एक प्रश्न उठाया गया है। यहां तक कि 1985-86 में भी विकास दर 4.5 प्रतिशत थी जो 1984-85 की विकास दर 3.7 प्रतिशत से अधिक थी।

अब हम गरीबी के प्रश्न को लेते हैं। यहां भी छठी योजना के अन्त तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 48 से घटकर 3" रह गया है।

कृषि क्षेत्र में हमारी शक्ति हमारे खाद्य भण्डार हैं जो 250 लाख टन से भी अधिक हैं। मूल्य नियन्त्रण तथा सूखा पीड़ित क्षेत्रों में लोगों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति में से एक है। और इस वर्ष भी अब तक मानसून अच्छी रही है तथा पिछले वर्ष की अपेक्षा हम एक बेहतर फसल की आशा रखते हैं। हम अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर रहे हैं। हम गरीबी निवारक कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राशि बढ़ा रहे हैं और हम शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए भी एक योजना बना रहे हैं। हम संपूर्ण विकास के लिए इन बातों पर जोर दे रहे हैं।

औद्योगिक विकास पर आते हुए, अप्रैल के तत्कालीन अनुमानित आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि पिछले साल की अपेक्षा विकास दर में 7.7 प्रतिशत सुधार हुआ है। विद्युत उत्पादन में बुनियादी ढंग के क्षेत्र में यदि हम अप्रैल-जून के आंकड़ों की तुलना करते हैं तो ये 10.4 प्रतिशत अधिक है, जबकि पिछले वर्ष की औसत वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत थी। इसी प्रकार हमारे कोयले के उत्पादन में भी वृद्धि दर अधिक है। मैं सभी प्रतिशतों की गहराई में नहीं जा रहा हूं परन्तु बुनियादी स्तर पर इतनी वृद्धि हुई है।

एक बात जिसका उल्लेख मैं विशेषतौर पर करना चाहता हूं वह पूंजी निवेश के क्रिया-कलापों के बारे में है। 1984-85 में पूंजी निर्गम अनुमोदन 2003 करोड़ रुपये था। 1985-86 में यह 3695 करोड़ रुपये था यानि 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी। यदि आप इसे 1983-84 के नजरिये से देखें तो यह केवल 1023 करोड़ रुपये था। 1984-85 में यह 3695 करोड़ रुपये है अर्थात दो वर्ष में साढ़े तीन गुणा वृद्धि हुई है। यहां तक कि इस तिमाही में भी यह बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है और मेरे विचार में यह लगभग 900 करोड़ रुपये होना चाहिए।

एक बात यह भी कही गयी थी कि यह गैर सरकारी क्षेत्र के विकसित होने का प्रतीक अथवा प्रमाण है। मेरे विचार में यह सफलता की कहानियों में से एक है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। गैर-सरकारी क्षेत्र अभी तक इन वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त कर रहा था जहां सस्ती दर पर पैसा उपलब्ध था। अब हम उन्हें बाजार की ओर ठेलने में सफल रहे हैं और वित्तीय संस्थाओं के संसाधन उनके लिए नहीं है जो बाजार में आ गये हैं। अतः मेरे विचार में यह सफलता वास्तविक कहानी है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह तो जो वे वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर रहे हैं उसके अतिरिक्त है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि इसके लिए मनाकर दिया गया होता और वित्तीय संस्थायें इसे सहायता देने में समर्थ नहीं होती तो इतना निवेश नहीं होता और इतनी वृद्धि नहीं हुई होती। अतः यह संसाधनों को गतिशील बनाने का मूल आधार है। बढ़ते हुए घाटे के बारे में भी एक प्रश्न किया गया था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कौन से घाटे के बारे में—व्यापार घाटे के बारे में?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं पहले बजट घाटे पर आ रहा हूं तथा उसके बाद व्यापार संतुलन घाटे पर आऊंगा। मुद्रा स्फीति पर प्रभाव के कारण हम बजट घाटे से भयभीत हैं न कि स्वभावतः इससे भयभीत हैं। वास्तव में यदि हम मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण कर सकते हैं और घाटे

का भी इस्तेमाल करते हैं, हमें संसाधनों का उपयोग करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संसाधन एकत्र करने का एक तरीका यह है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अतः पिछले वर्ष जब मैंने बजट प्रस्तुत किया, और इस वर्ष भी, तो प्रत्येक व्यक्ति ने यह कहा कि यह घाटा बहुत अधिक है; घाटे में यह नया कीर्तिमान है तथा मुद्रा स्फीति दो अंकों में होगी। मैं इसके इन्तजार में था क्योंकि वित्त मन्त्रालय में मैं नया आया था और मैंने सोचा कि बुद्धिमान लोग यह बात कह रहे हैं शायद, मैं नहीं जानता कि दो अंकों में भी मुद्रा स्फीति हो सकती है। परन्तु पिछला वर्ष 3.6 प्रतिशत अथवा 3.7 प्रतिशत मुद्रास्फीति पर समाप्त हुआ तथा मेरे विचार में यह दो अंकों वाली मुद्रास्फीति नहीं है। यह उस पहलू के प्रति दोहरा दृष्टिकोण अपनाने का मर्ज है। उस ढंग से एक अंक भी उनको दो अंक दिखता है। यहां तक कि मुद्रा स्फीति की दर अब भी 4 प्रतिशत के आस पास है। अब तक यदि आप इसके प्रभाव को मापते हैं तो यह बुरा नहीं है। श्री चौबे जी क्या सोच रहे हैं। वे उपभोक्ता मूल्य सूची के बारे में सोच रहे हैं। मैं जानता हूं आप क्या कहने वाले हैं। अतः वह भी मुझे बता देना चाहिए।

1985-86 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि आप इस बात से तुलना करें कि गत वर्षों में क्या क्रम रहा है तो लगभग यह उसी क्रम में है।

1979-80	12.3 प्रतिशत
1980-81	12.6 प्रतिशत
1981-82	8.8 प्रतिशत
1982-83	9.8 प्रतिशत
1983-84	11.2 प्रतिशत
1984-85	5.0 प्रतिशत
1985-86	8.9 प्रतिशत

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : बढ़ता ही जा रहा है न। बाजार जाते हैं तो आप जरा …(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उपभोक्ताओं पर संचित भार का क्या होगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस बात पर भी आ रहा हूं। यदि हम इस पर भी ध्यान न दें और हमारे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन—प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर हिसाब लगायें तो भी 1970-71 की कीमतों पर मुद्रा स्फीति होगी। यदि 1970-71 में कीमतें 100 थी तो 1984-85 में ये 165 थीं। अतः यदि आप मुद्रा स्फीति पर ध्यान न भी दें, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। अतः वाद-विवाद का सार यह है।

उपभोक्ता मूल्य सूची पर आते हुए, क्योंकि अभी तक मैं उस विषय पर ही बोल रहा हूं, यदि हम वित्त वर्ष में मई तक की वृद्धि लेते हैं, वित्त वर्ष के शुरू से मई तक हुई वृद्धि लेते हैं तथा इसकी तुलना पिछले वर्ष से करते हैं, पिछले वर्ष 2.4 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष यह 2

प्रतिशत थी, तथा कपास, कपड़े, नमक, डबल रोटी, साबुन, माचिस, सीमेंट तथा डिटर्जेंटों की कीमतें इस अवधि में बिल्कुल स्थिर रही हैं-- ये जनसाधारण के उपयोग की वस्तुयें हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : अनाजों की कीमतों के बारे में आपको क्या कहना है? सबसे अधिक वृद्धि अनाजों की कीमतों में हुई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उनका भी जिक्र करूंगा। यह जो मूल्य वृद्धि हुई है वह मूलरूप से सब्जियों तथा तिलहन की कीमतों में हुई है। इस समूह की कीमतें विशेष रूप से बढ़ी है। दालों की कीमतों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दालों की कीमतों के बारे में सूचना आपके पास है।

प्रश्न यह था कि जब हम वस्तुवार बहस करते हैं तो भ्रम पैदा हो जाता है। पिछले वर्ष हमने चीनी के बारे में बहस की थी। उस समय यह महसूस किया गया था कि केवल यह छत ही नहीं गिरेगी परन्तु आसमान गिर पड़ेगा – पिछले वर्ष जब हमने चीनी के बारे में बहस की थी। मैं जानता हूं कि चीनी के बारे में मैं कोई जबाब नहीं दे सकता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : एक समय की बात है जब आपका दल केवल ब्याज के बारे में ही बहस कर रहा था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पिछले वर्ष चीनी पर हुई बहस को याद कीजिए और अपने भाषणों को देखिये। आपने कहा था कि चीनी के कारण तबाही मची हुई है। मैंने इस सभा में यह कहा था कि हम चीनी का प्रबन्ध करेंगे, और हमने चीनी का प्रबन्ध कर लिया है। मैंने इस सभा में ही कहा था कि 'हां; चीनी की समस्या है, परन्तु हम इसका प्रबन्ध करेंगे।' हमने नीति सम्बन्धी निर्णय लिए। हमने गन्ने की कीमतों में दो वर्ष तक वृद्धि की घोषणा की पहले वर्ष हमने गन्ने की कीमतों में 2 रुपये 50 पैसे प्रति क्विटल की वृद्धि की तथा अगले वर्ष 50 पैसे प्रति क्विटल की वृद्धि की। इस तरह हम किसानों को गन्ना उगाने के लिए प्रोत्साहन दे सकते थे। अतः कुछ नीति सम्बन्धी निर्णय लेकर ही हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते थे।

यदि हम यह देखें कि वे कौन सी वस्तुयें हैं जिनकी कीमतों में वृद्धि हुई है तो सब्जियों तथा फलों, चाय, तिलहनों, गुड़, खाद्य तेलों तथा खली की कीमतों में वृद्धि हुई है। दालों की कीमतों में गिरावट आई है। इलायची की कीमतों में कमी आई है। कहवे की कीमतों में कमी हुई है। कपास की कीमतों में गिरावट आई है। परन्तु किसानों के लिए एक समस्या है। यह एक नकारात्मक समस्या है।

श्री सी० माधव रेड्डी : खाद्य तेलों तथा अनाजों की कीमतों के क्या हाल हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खाद्य तेलों के बारे में, मैं चाहता हूं कि आप मूल बात को समझें, क्योंकि यह प्रश्न बार-बार उठाया गया है। यह वर्ग यानि कृषि वर्ग को थोक मूल्य सूची में 52 प्रतिशत लाभ मिला है। मूलरूप से यह ऐसा क्षेत्र है जो पूर्णरूप से गैर सरकारी क्षेत्र में है, खाद्यान्नों की सप्लाई व्यवस्था के सिवाय तथा समर्थन मूल्य के सिवाय जहां सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। सरकार के पास प्रबन्ध नियन्त्रण नाम की कोई वस्तु नहीं है। अतः मूलरूप से उत्पादन को प्रोत्साहन देने की बात ही आती है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपके पास वित्तीय नीति रूपी मन्त्र है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह वित्तीय नीति नहीं है। इस क्षेत्र में कोई कर नहीं आता है। हमें इस बारे में असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए। यही कारण है कि मैं यह कहता हूं कि थोक

मूल्य सूची में से इस 52 प्रतिशत का कराधान या वित्तीय नीति से कुछ लेना-देना नहीं है। मुद्रा सप्लाई का सामान्य प्रभाव पड़ता है। परन्तु मूल रूप से यह कृषि क्षेत्र ही है जो गैर सरकारी क्षेत्र में है जिस पर सिवाय समर्थन मूल्य के सरकार का वास्तव में कोई नियन्त्रण नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह आदानों पर निर्भर करता है यानि कीटनाशक दवाईयां, उर्वरक इत्यादि।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह केवल एक कारक है। अत: मूल रूप से कृषि क्षेत्र में इन वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने में, कृषि को उच्च प्राथमिकता देने में, यह देखने में कि कृषि क्षेत्र को आदान उपलब्ध हैं और इन क्षेत्रों को उच्चतम प्राथमिकता देने में ही वास्तविक उत्तर निहित है। यह समस्या का वास्तविक हल है जो हमने यह खोजा है।

तिलहनों के बारे में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, चीनी की तरह ही पिछले बार हमने इनके आयात पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए परन्तु हमने उसी तरह नीति सम्बन्धी निर्णय लिया तथा इस वर्ष हमने चीनी का आयात घटाकर 150 करोड़ रुपये तक कर दिया। इसी तरह तिलहनों में हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए कोई कारण नहीं है कि हम तिलहनों पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करें। इसलिए जिन वस्तुओं का भारी मात्रा में आयात किया जाता है उनमें से इस वस्तु का आयात घटाने का हमने निर्णय लिया है, जिसमें माननीय सदस्य दिलचस्पी ले रहे हैं, और हमने कुछ नीति सम्बन्धी उपाय किए हैं : प्रथमतः हम समर्थन मूल्य के क्रियान्वयन में किसानों को सहायता देंगे और इसके लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी, उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे, स्वदेशी तेल तथा इन गौण तेलों, जिनका देश में उत्पादन किया जाता है, के उपयोग के लिए हमने वनस्पति तेलों में इनके प्रयोग की अनुमति दे दी है तथा एक निश्चित मात्रा के बाद यदि इसका वितरण किया जाता है तो इसकी खपत को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ रियायतें भी दी गई हैं तथा इसलिए उत्पादन···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नारियल के तेल के प्रयोग को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते? (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, मैं पूर्णतया सहमत हूं कि केरल को लाभ होगा। हमें खाद्य तेलों के आयात को भी कम करना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : यह सस्ता पड़ेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यही बात है। अब हमें चुनाव करना है तथा हर एक देश को चुनाव करना होगा। हालांकि हम, विदेशी मुद्रा का उपयोग करके अधिक सप्लाई द्वारा इसे सस्ता रख कर इसकी मांग को पूरा कर सकते है, एक यह व्यवस्था है जिसका हम सुझाव दे रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं अथवा दूसरा तरीका यह है कि कुछ वर्षों के लिए अल्प अवधि मूल्य दिया जाए; जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, भले ही कीमतें बढ़ सकती है परन्तु इसके साथ ही आयात से छुटकारा मिल जायेगा तथा हम अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता कायम रख सकेंगे, आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए मूल्य चुकाना होता है। यदि आप इसके लिए एक आसान तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप विदेशी मुद्रा खर्च कर सकते हैं और इसे खर्च करते रहिए।

श्री नारायण चौबे : आप औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका पालन कीजिए। हम औद्योगिक क्षेत्र में इसका पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस विषय पर भी आ रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह केवल कृषि उत्पादनों पर ही लागू होगा। औद्योगिक उत्पादन के बारे में क्या किया गया है ? आप विश्व बैंक की सलाह पर चल रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस विषय पर भी आ रहा हूं। मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। जब तक एक चित्रकार चित्र को पूरा नहीं कर देता, हमें चित्र पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसका चित्र बनाने का इरादा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में हमारे पास एक योजना है। मैं उस पर भी आ रहा हूं। जब मैं आयात पक्ष के बारे में बात करूंगा तो मैं उसका भी जिक्र करूंगा। मैं कृषि क्षेत्र की बात कर रहा हूं; यही कारण है कि हम एक योजना बना रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : कृषि के क्षेत्र में बिचौलिये हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमें देश को तैयार करना चाहिए। कल श्री हरीश रावत ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें देश को तैयार करना है। यदि हम आर्थिक स्वतंत्रता बनाये रखना चाहते है तो हमें इसके लिए तैयार रहना है और जिस प्रतिबन्धता को लाने की कोशिश की जा रही है उसका एक मात्र सही उत्तर यही है···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आप उत्तर दे रहे हैं—या श्री नारायण चौबे उत्तर दे रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : या तो आप इसे ध्यानाकर्षण बनाये या मुझे बोलने दें। इस प्रकार मैं प्रश्नवार उत्तर दे सकता हूं। गत वर्ष जो व्यवस्था हमने सफलतापूर्वक की वह हम उच्च बजट घाटों के बावजूद कर पाये तथा मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रित कर सके। यह मुद्रा पर एक बहुत कड़ा नियंत्रण था। वर्ष 1984-85 और 1983-84 में मुद्रा वृद्धि दर 18 से 19 प्रतिशत से अधिक थी। हम इसे लगभग 15 प्रतिशत तक नीचे ला सकते थे। इसलिए धन की सप्लाई की अच्छी व्यवस्था के कारण मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित किया जा सका।

आप कीमतों की बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें नियंत्रित क्यों नहीं कर पाये हैं तथा मूल्यवृद्धि को रोकें आदि जबकि चीन जैसे देश में जहां कृषि क्षेत्र और सब क्षेत्र केन्द्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत है और पूरी तरह नियंत्रण में है, वहां 1985 के दौरान मुद्रास्फीति में 9 प्रतिशत वृद्धि हुई, और 1986 के पहली तिमाही में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब आप कह सकते हैं कि जब यह एक पूरी तरह से नियंत्रित अर्थव्यवस्था है तो मूल्यवृद्धि क्यों है।

श्री नारायण चौबे : वे उसे रोक सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : परन्तु इसमें कतिपय आर्थिक शक्तियां एवं प्रतिस्पर्धा कार्य कर रही है। इसलिए उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। वह इसका ठीक उत्तर नहीं है। चीन में 8 से 9 प्रतिशत तक मुद्रास्फीति रही है। जो हमारे देश से अधिक है।

श्री नारायण चौबे : उनका कृषि क्षेत्र में सभी चीजों पर नियंत्रण है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप इस पर विचार करें। हम खाद्य तेलों में क्या कर रहे हैं ? वनस्पति उद्योग को उनकी आवश्यकता का केवल 60 प्रतिशत आयातित तेल ही सप्लाई किया जाता है। हमने और क्या किया है ? किसानों के हितों को ध्यान में रखकर हमने

आयातित तेल की सप्लाई कम कर दी है क्योंकि किसान खाद्य तेल बेचते हैं। इसलिए किसान को अच्छी कीमत मिलती है। और जब वह बेच चुका होता है तब जबकि उसके पास इसकी कमी होती है हम इस आयातित तेल की सप्लाई बढ़ा देते हैं, इस तरह कुल मात्रा उतनी ही बनी रहती है। इसलिए हम यह नीति अपना रहे हैं। और फिर भी हम सभा में मूल्य नियंत्रण पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री सरकारी क्षेत्रों में चल रहे कार्य के प्रति बहुत रूचि ले रहे हैं तथा इस बातमें रूचि ले रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करे कि लागत कम हो, प्रति इकाई उत्पादन की लागत कम हो, कच्चे माल की लागत कम हो, माल सूची एवं अवमूल्यन कम हो, अतिरिक्त लागत तथा कुल मजूरी कम हो और अन्ततः उत्पादन बढ़ाया जाये। अतः ये सब प्रयास किये जा रहे हैं।

मेरी समस्या केवल यह है। जबकि ये सब उपलब्धियां हैं। फिर भी विपक्ष में बैठे मेरे विद्वान मित्र समझते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। और जबकि हम खाद्य वस्तुएं आयात करने वाले देश के बजाय खाद्यान्नों का निर्यात करने में सक्षम हो गये हैं। तो वे कहते हैं कि आपके पास अतिरिक्त अनाज क्यों है? यह किसलिए फालतू है? यही प्रश्न वे पूछते हैं।

श्री नारायण चौबे : काला हांडी के बारे में सोचें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारे पास क्रय शक्ति नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब हम उद्योगों को, बाजार को वित्तीय संस्थाओं से धन दिलाते हैं, तब वे कहते हैं कि पूंजी बाजार में गतिशीलता क्यों है? और जब हम प्रौद्योगिकी की मदद से वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार ला सके हैं काफी सुधार कर सके हैं जिसे विपक्ष के सदस्यों ने भी स्वीकार किया है, और जब हम अपने माल की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं तो वे कहते हैं कि "आप प्रौद्योगिकी के द्वार क्यों खोल रहे हैं? इसलिए यह दोहरी दृष्टि का सवाल नहीं है बल्कि पूर्वाग्रह के रंग में रंगी दृष्टि का सवाल भी है।

एक माननीय सदस्य : रंगीन टेलीविजन।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आपने सरकारी क्षेत्र को बांड जारी करने की अनुमति नहीं दी है परन्तु आप निजी क्षेत्र को अनुमति दे रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सरकारी क्षेत्र को मैंने बांड जारी करने दिये हैं और यही कारण है कि निजी क्षेत्र शिकायत कर रहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : विलास की वस्तुओं के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का आयात किया जा रहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारे यहां विद्युत बांड हैं, दूर संचार बांड हैं और निजी क्षेत्र ने कई बार कहा है कि "आप हमारे क्षेत्र का अतिक्रमण रहे हैं" और यही मैंने कहा था कि यह एक ही तथा वही क्षेत्र है फिर हिन्दी में उन्होंने कहा :

[हिन्दी]

ये साहब, सांप नहीं काटा लेकिन सांप रास्ता जान गया है।

[अनुवाद]

इसलिए परिवर्तन कर लिया है, इस तरह अधिकाधिक उधार लिया जायेगा।

वास्तविकता: यह है कि भारत आधार है तथा परंपराओं की विविधता के साथ-साथ परम्परागत तथा आधुनिक आर्थिक संरचना की दृष्टि से अद्वितीय है। विकासशील देशों में इस प्रकार की पेचीदगी और कहीं नहीं मिलेगी। मैं माननीय सदस्यों से इस बात से सहमत हूं कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या के गरीब होने के कारण यहाँ कोई भी आर्थिक योजना सार्थक सिद्ध नहीं हो सकती यदि यह उन असंख्य गरीब वर्गों की दशा नहीं सुधार सकती है। अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं है, किसी भी आर्थिक योजना का कोई मतलब नहीं है। और समाज के इस वर्ग में आय का प्रमुख भाग उपभोग पर खर्च होता है। अतः सम्पत्ति के पुनः वितरण की वास्तविकता इसमें है कि समाज के इस वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ें। परन्तु साथ ही इसमें कई कठिनाईयाँ हैं इसलिए खाली क्रय शक्ति बढ़ाने से काम नहीं चलेगा जब तक कि इनके वेतनों के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि न हो। अन्यथा इसके परिणामस्वरूप केवल मुद्रास्फीति ही बढ़ेगी। यदि आप इसे पुनः देखें तो पायेंगे कि आम आदमी के लिए कृषि ही एकमात्र हल है। वह भूमि के दुर्लभ संसाधनों का सेवन करता है और भूमि ही सबसे दुर्लभ संसाधन है। और यही सब हमें आर्थिक रूप से तथा तार्किक रूप से भूमि सुधार की ओर ले जाता है। इसके बारे में दो राय नहीं हैं क्योंकि पूंजीवादी देशों में हमने देखा है कि श्रम को कृषि से जोड़ने पर थोड़े, धन से हम अधिक उत्पन्न कर सकते हैं। और यही ग्रामीण आर्थिक सम्बन्ध है और इसमें परिवर्तन हमें अपार उत्पादकता शक्ति प्रदान करेगा।

एक बात दल के वर्गीय चरित्र के बारे में कल उठाई गई थी। यही वह दल था जिसने जमींदारी एवं सामन्ती प्रणालियों को समाप्त किया। यही वह दल था जो लोगों के भूमि पर कब्जे के अधिकारों के लिए लड़ा।

श्री बसुदेव आचार्य : केवल कागज पर ही ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वास्तव में लड़े थे।

हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भूमि सुधार पर बहुत जोर दिया है। इसमें मुकदमेबाजी तथा स्थगन आदेश आदि की कानूनी समस्यायें हैं। हमें यह ठीक करना होगा। आज हम एक हरिजन या एक मजदूर को पट्टा देते हैं वो स्थगन आदेश जारी कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : हम लोग नहीं मानते हैं तो आप लोग क्यों मानते हैं ?

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं सहमत हूं। यह अन्याय है क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति को खाने पर आमंत्रित करते हैं तो आपको उसे पकाने के लिए नहीं कहना चाहिए। यदि हम एक भूमिहीन मजदूर को एक पट्टा देते हैं तो हमें उसे उस पर अधिक खर्च करने के लिए नहीं कहना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री उस पहलू पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने इसे प्राथमिकता दी है। साथ ही खेती में काम में आने वाली विभिन्न चीजें उपलब्ध करानी होंगी। निस्संदेह, प्रथम स्थान पर सिंचाई है। अब हमारे पास उर्वरक परियोजना है।

प्रो० एन० जी० रंगा : ऋण उपलब्धता है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष वरीयता क्षेत्र में बैंक ऋण देने के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे थे। आज वे इस वरीयता क्षेत्र से ऊपर चले गये हैं।

जहाँ तक नगरीय गरीबों की बात है यहाँ भूमि का प्रश्न नहीं है परन्तु बेरोजगारी की बात है। नगरीय गरीबों की कोई भी अर्थ पूर्ण हल रोजगार के जरिये हो सकता है। नगरीय गरीबों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिये योजनाओं की घोषणा किया जाना सरकार का इस दिशा में पहला कदम है मैं इसके लिए कोई आडम्बर पूर्ण दावा नहीं करूंगा। परन्तु मैं कह रहा हूं कि यह इस दिशा में हमारा एक कदम है···(व्यवधान)

2.0) म० प०

जहाँ तक वित्तीय नीति का प्रश्न है मुझे सामाजिक न्याय के मुद्दे को समझाने की आवश्यकता नहीं है। कल पाणिग्रही जी यहाँ थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह यह बताया कि वित्तीय नीति सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करती है। और जब यह कहा गया तो मुझे खेद है कि जो कुछ भी उपाय सरकार ने कामगार लोगों, गरीब लोगों के लिये किये उन्हें बिल्कुल नजर अन्दाज कर दिया गया है। क्या यह सच नहीं है कि सरकार कामगार लोगों के लिए उनकी बकाया राशि के अनुपात में सुरक्षित जमा राशि की योजना लेकर आयी है? उसने फसल बीमा योजना शुरू की है। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत दो सौ जिलों की फसल को कवर किया जा रहा है···(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : थोड़ा कृपादान।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसके अलावा इन्दिरा आवास योजना नामक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए 125 करोड़ रुपये की एक योजना है। गरीबी निवारक योजना के लिए हमने रकम में 65 प्रतिशत की वृद्धि की है। ये सकारात्मक कदम हैं। हम इन नीतियों का समर्थन करते हैं, और इसके लिए हमें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे दल की तथा कांग्रेस सरकार की परंपरा रही है कि निर्धनों का जो भी साधन यहाँ उपलब्ध हों उनसे पूरा साथ दिया जाये। हम उनसे प्रमाण पत्र नहीं चाहते हैं···(व्यवधान)

इन दो वर्षों में तीन मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया है जो कराधान ढांचे में सुधार के रूप में हैं। इनके अन्तर्गत पहला है विश्वास, दूसरा प्रक्रिया का सरलीकरण तथा तीसरा कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए भारी दण्ड। इसलिए यह इनका मिलाजुला रूप है। एक तरफ हमने कहा है कि एक लाख तक की अदायगी हम विश्वास पर करेंगे। लघु स्तर के क्षेत्र के बारे में हमने कहा कि 50 लाख के व्यवसाय तक हम स्वमूल्यांकन करेंगे। परन्तु साथ ही यदि कोई अपवंचन हुआ तो उसे बक्शा नहीं जायेगा। हमने अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पद्धति शुरू की है। हिन्दुस्तान पहला देश है जिसने यह पद्धति पहली बार शुरू की है। चालीस देश इस बात पर सहमत हैं कि वे सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में वर्गीकरण की समन्वित पद्धति शुरू करेंगे। परन्तु किसी ने यह शुरू नहीं किया है। भारत यह करने वाला पहला देश है। हमने यह शुरू किया है तथा हमें यूरोपीय मंत्रों में अन्य देशों को अपना अनुभव बताने के लिए आमन्त्रित किया गया है हमारे सी० बी० ई० सी० के अध्यक्ष को निमन्त्रित किया गया है। हम यूरोप में गये तथा इसे बताया अब ये यहाँ भी ठीक प्रकार कार्य कर रही है। हमने मोडवेट योजना शुरू की है जो अब खासी जम गयी है और उद्योग इसके प्रसार की मांग कर रहे हैं। इसकी उपयोगिता को मान्यता दी जा चुकी है··(व्यवधान)

प्रो० एन०जी० रंगा : शुरू में वे बहुत संदेह रखते थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : परन्तु वह अवस्था पूरी हो गयी है। अब यह वांछनीय है। इसके बारे में कोई सदेह नहीं है। हमने अमीरों को नहीं छोड़ा है। जहां तक कारों, या विलास की वस्तुओं जैसे टेलीविजन या वातानुकूलन का सम्बन्ध है उन पर हमने कर लगाया है।

अब मैं पूंजीगत माल उद्योग पर आता हूं जिसका यहाँ उल्लेख किया गया था। पिछले वर्ष हमने परियोजनाओं के आयात पर सीमा-शुल्क 65 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत पिछले वर्ष के बजट में किया था। परन्तु शायद यह अधिक कटौती थी। इससे हमारे पूंजीगत माल उद्योग पर बुरा असर पड़ा। यही कारण है कि इस बजट में हमने इसे 45 प्रतिशत से 55 प्रतिशत कर दिया है। यह बात नहीं है कि हम पूंजीगत माल उद्योग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। यह हमारी आत्मनिर्भरता की धुरी है। यदि देश को मजबूत होना है तो पूंजीगत माल उद्योग को सक्षम बनाना होगा। इसके साथ ही हमने उद्योग मन्त्रालय को भी उन वस्तुओं की सूची हमें देने के लिए कहा जो परियोजना के अन्तर्गत आती है और जिनका उत्पादन यहां किया जा रहा है। ज्यों ही हमें वह सूची प्राप्त होगी हम ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि या तो इसे परियोजनाओं से निकाल दिया जाय अथवा इस पर शुल्क लगा दिया जाए जिससे हमारे स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण मिलेगा। अत: यह विश्वास दिलाया जाता है कि हम अपने पूंजीगत माल उद्योग का पूरा ध्यान रखेंगे। परन्तु इसका दूसरा पहलू भी है।, हमें इसका आधुनिकीकरण भी करना है। यदि हम इसका आधुनिकीकरण नहीं करते हैं तो उत्पादन पुराने तरीके से ही करना होगा। इस बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिए। आप अपने उद्योग को संरक्षण दे रहे हैं ताकि वह चलता रहे, यह ठीक बात है। परन्तु इसके साथ ही आप उत्पादन की पुरानी पद्धति को अपना रहे हैं। अत: हमें सन्तुलन रखना होगा। जहां हम यह कहते हैं कि वे क्रियाशील हैं तथा अच्छी हालत में हैं वहीं हम उन्हें आधुनिकीकरण के लिए भी बाध्य करते हैं। इस प्रकार सन्तुलन रखा गया है और आधुनिकीकरण में मानव तत्व पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके लिए भी हमें कोई व्यवहारिक योजना तथा दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसमें मानव तत्व का ध्यान रखा जा सके, जिसके कारण आधुनिकीकरण में कठिनाई आती है। परन्तु हमें आधुनिकीकरण करना होगा तथा मुकाबला करना होगा और उन्हें सक्रिय रहना होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। यहां तक कि केन्द्रित अर्थव्यवस्था भी इस बात की आवश्यकता महसूस करती है और उन्होंने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एक बात कही गई है कि क्योंकि आपने वित्तीय नीति में कहा है कि आप करों में वृद्धि नहीं कर रहे हैं इसलिए आपने अपने आपको बांध लिया है, क्योंकि कोई संसाधन नहीं है तथा यही कारण है कि संसाधनों की समस्या आती है। क्या मैं आपको यह बता सकता हूं कि करों की वसूली में संसाधन सम्बन्धी कठिनाई नहीं है ? मैं आपको बताता हूं कि कर वसूली के सम्बन्ध में हम केवल अपने योजना लक्ष्यों को ही पूरा नहीं करेंगे परन्तु उससे भी अधिक धनराशि एकत्र कर लेंगे। इस प्रक्रिया पर काम करने के बाद अब मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं।

पिछले वर्ष व्यक्तिगत आयकर वसूली में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि कर छूट अधिकतम थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक व्यक्तिगत आयकर में 45 प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई है। अप्रैल, मई, जून तक व्यक्तिगत आयकर में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 45 प्रतिशत पर 30 प्रतिशत वृद्धि कायम रखना सराहनीय कार्य है। (व्यवधान) व्यक्तिगत आयकर में बकाया राशि नहीं है। यह बकाया राशि आबकारी क्षेत्र में होगी। यह वृद्धि दर अक्सर 8 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत अथवा 11 प्रतिशत तक रहती थी परन्तु 45 प्रतिशत पर 30 प्रतिशत वृद्धि कायम रखना बहुत सराहनीय कार्य है। इसका श्रेय मैं राजस्व विभाग को देता हूं। मेरे विचार में जब वे अच्छा

कार्य करते हैं तो मुझे सभा में यह कहना चाहिए कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है । इसी प्रकार, कई बार राज्य कहते हैं, जब आप व्यक्तिगत आयकर के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे बजट को कोई लाभ पहुंचा है । मैं ऐसा नहीं सोचता । हम सब एक देश के निवासी है । इस बेहतर वसूली के कारण मैं राज्य के लिए 370 करोड़ रुपए अधिक दे सकता हूं ।

एक बात कही गई थी कि आबकारी में कई छूटों की घोषणा की जा रही है जहां कहीं भी वित्त मन्त्री जा रहे हैं, वे रियायतों की घोषणा कर रहे हैं । परन्तु मैं आपको इसकी प्रकृति बता चुका हूं । जिन रियायतों की घोषणा की जाती है पहले उन पर काफी विचार किया जाता है तथा उसके बाद ही यह सब किया जाता है परन्तु फिर भी, आबकारी के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जा चुका है इसके बावजूद भी, इन सब रियायतों के बावजूद भी मैं अपने बजट लक्ष्यों को कायम रखूंगा । ऐसी कोई बात नहीं है जिससे सरकार का राज्यस्व संकट में पड़ जाए । अभी भी उत्पाद शुल्क पर वृद्धि दर 15 प्रतिशत है । यही बात बजट लक्ष्य में है । हम इसका ध्यान रखेंगे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : वृद्धि दर 40 प्रतिशत होनी चाहिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 40 प्रतिशत वृद्धि ? आप कहेंगे कि कीमतें बढ़ गई हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : ऐसा प्रतीत होता है कि आपने पहले ही गुंजाइश छोड़ दी है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दूसरी बात यह कही गई थी कि पहले जो छापे मारे जा रहे थे अब उनको रोक दिया गया है । किसी सदस्य ने यह बात कही थी कि पिछला वर्ष छापों का वर्ष था तथा यह वर्ष रियायतों का वर्ष है । (**व्यवधान**) मैं उस भ्रम को दूर करके आपको वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं । 1986 के प्रथम छः महीनों में उत्पाद शुल्क के विषय में अपवंचन विरोधी कार्यवाही के कारण 2854 मामलों में 34456 लाख रुपये का अपवंचन पकड़ा गया है जबकि 1985 में प्रारम्भ के छः महीनों में 3210 मामलों के शुल्क अपवंचन 3708 लाख रुपये पाया गया था । पहली बात तो यह है कि यह राशि दस गुना बढ़ गई है, यह 3708 लाख रुपये से बढ़कर 34456 लाख रुपये हो गई है—लगभग 10 गुणा वृद्धि है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : परन्तु कितनी राशि की वसूली हुई है ? इसका तो केवल पता लगाया गया है । (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तथा उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर छापे के दौरान मात्रा बढ़ी है । यदि आप 1985 में प्रति छापा राशि देखें तो यह 1.7 लाख रुपये थी, 1986 में प्रति छापा राशि 12 लाख रुपये है । इसका तात्पर्य यह है कि हम भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वसूली का क्या हुआ ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उस पर आ रहा हूं । वर्ष 1986 के लिए हमने वसूली की है. मैं वसूली सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध करा सकता हूं, परन्तु यहां जो बात मैं कहना चाहता हूं वह वसूली से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु यह बात कही गई थी कि हम कर चोरों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं । आपसे कह रहा हूं कि कर चोरों पर दबाव 10 गुणा बढ़ा दिया गया है, पहले से कहीं बेहतर ढंग से दबाव डाला गया है, ये बड़े कर चोर हैं जिन्हें पकड़ा जा रहा है इसलिए यह 10 गुना अधिक है तथा प्रतिछापे भी यह राशि 1.7 लाख रुपये से बढ़कर 12 लाख रुपये हो गई है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप इसे बेहतर ढंग से दबाव डालना कहते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, मैं कहता हूं, मैं इस पर कायम रहूंगा । और कुछ कम्पनियां, बड़ी कम्पनियां जिन पर छापे मारे गए हैं तलाशी ली गई है व जी० टी० सी० उद्योग हैं अर्थात सिगरेट, उषा मार्टिन, वर्कलाईट हाई लैम्प, यानि गोयनका तथा न्यू लक्स इण्डिया, बम्बई ।

राजस्व आसूचना के निदेशक की ओर आते हुए वही तथ्य वहां है—1985 में यह राशि 12 लाख रुपये प्रति छापा थी, इस वर्ष यह राशि 24 लाख रुपये प्रति छापा है तथा कुछ नाम ये हैं—कोठारी इलेक्ट्रोनिक्स, मद्रास । यह कोई छोटी आसामी नहीं है, फिर गणपति एक्पोर्टस ।

प्रो० मधु दण्डवते : वे भगवान का भी निर्यात कर रहे है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक कम्पनी है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रवर्तन विभाग भी उसी ओर अभिमुख है । मुझे इसके आंकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु आपको कुछ नाम बताने आवश्यक हैं क्योंकि यही आपका प्रश्न है—क्या बड़ी आसामियों पर दबाव डाला जा रहा है । और यह इसी वर्ष की बात है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, पिछले वर्ष की नहीं । ये उन्हीं लोगों के नाम हैं जिनके यहां इसी वर्ष छापे मारे गए हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : परन्तु हमें नाम बताइये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ओसवाल ग्रुप कम्पनी लुधियाना, ब्रुक बांड तथा बाटा—निःसन्देह उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है जो वे कर रहे हैं—जुकाई इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता, तथा कॉन्टीनेन्टल कन्सट्रक्शन दिल्ली, अरविन्द कन्सट्रक्शन दिल्ली । अतः कोई भ्रम नहीं होना चाहिए । हां, मैंने यह अवश्य कहा था कि जब तक हम मुकदमा नहीं चलायेंगे, हमारा नाम समाचार पत्रों में नहीं आये, परन्तु यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं संसद में आ सकता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : समाचार पत्र वालों को भी संसदीय कार्यवाही से ही लेना होता है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां से भी उन्हें मिले । संसद तो संसद ही है तथा यहां हम दोनों तरफ से स्वतन्त्र हैं; मैं अपने विचार सभा के समक्ष रख सकता हूं, मैं कोई बात नहीं छिपाऊंगा ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आपकी राजक्षमा योजना कर चोरों के लिए है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, राजक्षमा योजना । एक बात बहुत स्पष्ट है । और यह बात यहां कही गई थी कि कर की तुलना में कोई रियायत नहीं दी गई है । उन्हें कर देना होगा । यह मुख्य बात है । यहां तक कि हमारी आयकर योजना में भी, हमारी उत्पाद-शुल्क योजना में भी, कर पर कोई रियायत नहीं है । हम जो दे रहे हैं वह यह है कि हम उनपर मुकदमा नहीं चलायेंगे तथा हम उनको दण्ड नहीं देंगे । यदि आप आकर अपना कर चुकता कर देते हैं और वह भी उत्पाद-शुल्क के क्षेत्र में—यह बहुत सीमित छूट है कोई भी व्यक्ति जिसने वर्गीकरण द्वारा कर में चोरी की है तथा आय बही-खातों में दिखा दी है, कवल वही व्यक्ति छूट पाने का अधिकारी हो सकता है । परन्तु कोई व्यक्ति जिसने वस्तुओं को गुप्त रूप से हटा दिया है, वह इसका हकदार नहीं हो सकता । यदि उन्होंने इसे बहीखातों मे नहीं दिखाया है, वे इसके हकदार नहीं हैं ।

निःसन्देह, तस्करी इत्यादि का प्रश्न ही नहीं है। यदि उन्होंने बही-खातों में नहीं दिखाया है तो हिस्सेदारों का हिस्सा भी खा लिया गया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह बात हमारी समझ में नहीं आई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह इस तरह है। यदि कोई व्यक्ति गलत वर्गीकरण करता है, बिक्री की आय गलत घोषित करता है, वह इसे बही खाते में दिखाता है ··

श्री सी० माधव रेड्डी : गलत घोषणा करता है, यह गलत हिसाब-किताब लगाने के कारण होता है या...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दोनों में से एक अथवा दोनों बातें हो सकती हैं। वह कम शुल्क देता है; उसे अधिक देना चाहिए था। परन्तु बिक्री की आय पूरी तरह बही खातों में दिखाई गई है। अतः केवल इसी श्रेणी के लोग आ सकते हैं जिन्होंने हिस्सेदारों का हिस्सा नहीं खाया है। जहां उसने गुप्तरूप से फैक्ट्रियों से माल को बेचा है तथा बही खातों में उसे नहीं दिखाया है, हाल ही में जिनका उत्पादन किया गया था, वे किसी भी राजक्षमा के लिए नहीं आ सकते। निःसन्देह तस्करी अलग बात है। वे इस छूट का दावा नहीं कर सकते। अतः यह छूट सीमित छूट है।

श्री सी० माधव रेड्डी : ब्याज दर क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 6%

श्री सी० माधव रेड्डी : यह बहुत कम है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपकी योजना का परिणाम क्या है ? क्या कोई व्यक्ति आगे आया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक मेरी योजना के परिणाम का सम्बन्ध है, आयकर के क्षेत्र में पिछले वर्ष इसका परिणाम धनात्मक था। मेरे विचार में प्रत्यक्ष रूप से मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये हिसाब-किताब मेरे पास नहीं है। परन्तु मेरे विचार में प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में कई सौ करोड़ जरूर आ गये होंगे। और इस क्षेत्र में यह एक अवसर है जो सरकार दे रही है। आप स्पष्टरूप से सामने आयें। और जब सख्ती बरती जाएगी तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते यह बहुत स्पष्ट बात है। यह योजना कुछ समय के लिए है सदा के लिए नहीं। यह समय-बद्ध योजना है। यदि आप स्पष्ट कहना चाहते हैं तो कहिये कि मेरे साथ कुछ समस्या है। ठीक है, स्पष्ट रूप से कहिए मैं आक्षेप नहीं करूंगा। तथा जब सख्ती शुरू हो जाएगी, उसके बाद अपके पास शिकायत करने का अवसर नहीं होगा क्योंकि मैं मौका पहले ही दे चुका हूं। यह बात है।

अतः एक बात व्यय को नियन्त्रित करने की आवश्यकता के बारे में कही थी। मेरे विचार में उस क्षेत्र में हमें महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे। कम से कम उपलब्धि के क्षेत्र में किसी भी राज्य के पास ओवर ड्राफ्ट नहीं है। मेरे विचार में ओवर ड्राफ्ट वाली बात दस वर्ष से अधिक नहीं चलेगी। कोई भी व्यक्ति ओवरड्राफ्ट को याद नहीं करता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आपको उन्हें ऋण देना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, मैं राज्यों को ऋण दूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप घाटे की वित्त व्यवस्था अपना रहे हैं। आपने केवल राज्यों को केवल घाटे की वित्त व्यवस्था से मना किया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भगवान का शुक्र है कि उन्होंने पैसा बनाने के लिए कोई न्यास नहीं बना रखे। अन्यथा अर्थव्यवस्था का क्या होगा ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपको भी उसी व्यवस्था का पालन करना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, हां। उस पर अनुशासन आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि जो बजट हम तैयार कर रहे हैं वह बचन बद्धता वाला जीरो-बजट है। अर्थात् विभिन्न परियोजनाओं के बारे में आने वाले वर्षों में वित्त के मामले में उनकी बचन बद्धता कैसे पूरी होंगी : अतः जब आप नई परियोजना शुरू करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। कि आगे पैसा लगाने के लिए कोई जगह है या नहीं। अतः विभिन्न परियोजनाओं के अल्प वित्त प्रबन्ध से जिसका अभी जिक्र किया गया था, इस तरह से बचा जा सकता है। फिर बजट की प्रक्रिया भी हम शुरू कर रहे हैं। परन्तु वेतन आयोग की आने वाली रिपोर्ट से, मेरे विचार में हमें अपना खर्च कम करने के लिए बहुत प्रयास करना होगा यदि हमें मुद्रा स्फीति के प्रभाव को रोकना है। और मेरे विचार में अपने खर्च को कम करने के लिए हमें प्रयास करना होगा; कि यह वास्तव में हानिकारक है। मेरे विचार में इसका कोई उपाय नहीं है तथा हमें खर्च करने के लिए प्रयास करना होगा, यदि हमें लोगों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाना है।

राज्यों में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में 'राज्यों में' निवेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की देख रेख योजना आयोग कर रहा है और यदि राज्य इस पर खर्च नहीं करते तब मेरे विचार में राज्यों को उस सीमा तक अनुदान कम कर दिए जाएंगे। यह बात स्पष्ट कर दी गई है। यहां तक कि मन्त्रालय में भी तीन महीने के भीतर यदि वे खर्च नहीं करते हैं तब मार्च तक कुछ खर्च का दोहरा प्रलेख तैयार करने की अपेक्षा उस राशि को अन्य मन्त्रालय के लिए पुनः निर्धारित कर दिया जाएगा। निःसन्देह, सार्वजनिक क्षेत्र में लागतों का कम करने की आवश्यकता है। निर्यात उद्देश्यों के लिए हम मुद्रा की लागत कम करते हैं तथा ब्याज 2.5% तक कम करते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप इस्पात क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कैसे करने जा रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : समस्यायें हैं। मेरे विचार में ये समस्यायें जो इस समय हैं, कुछ समय के लिए ही हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है तथा हमें सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ावा देना होगा क्योंकि योजना के संसाधनों में से 52% सार्वजनिक क्षेत्र से आते हैं। हमें एक चीज का चुनाव करना है। जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो क्या हम सार्वजनिक क्षेत्र के गतिशील क्षेत्र को संसाधन देते हैं जो देश की बचत में योगदान दे रहा है तथा देश के संसाधनों में योगदान कर रहा है अथवा क्या हम उन संसाधनों को वहां लगाते हैं जहां बचत नहीं है ? हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम उन्हें वहां लगाते रहें जहां बचत नहीं है इसकी बजाय कि इन ससाधनों को वहां लगायें जहां सार्वजनिक क्षेत्र का गतिशील क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र का विकासशील क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र का लाभप्रद क्षेत्र है। इससे प्रशंसा मिलेगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र वास्तव में सुदृढ़ हो सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : नकारात्मक प्रवृत्ति को बदला जा सकता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सभी प्रयत्न किये जा सकते हैं। यहां मैं सहमत हूं कि हमें श्रमिकों को विश्वास में लेना होगा तथा उन्हें कार्यशालास्तर तक ही भागीदार नहीं बनाना है परन्तु उन्हें बोर्ड स्तर के प्रबन्ध तक भागीदार बनाना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में पिछले चार साल से कोई प्रबन्ध निदेशक नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम विस्तार में जा सकते हैं परन्तु क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र में कारखाने के मालिक ने पैसा लगाया है, उसको लाभ मिला है। जब हम वह प्रक्रिया चालू करते हैं उस समय श्रमिकों का स्वार्थ निहित होता है तथा वे इसे चलाना चाहते हैं। श्रमिक कारखाने को बन्द नहीं करना चाहते। एक सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबन्ध में हमें उन कारकों को लागू करना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : ऐसा क्यों किया जाये ?

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : वे रुग्ण हैं।

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : भुगतान सन्तुलन के बारे में आपकी क्या आशायें हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे आशा है कि वे उसे दे देंगे। जहां तक बकाया भुगतान का प्रश्न है, इसका एक क्षेत्र है (**व्यवधान**)। क्या मैं सभा के समक्ष अपने विचार रखना चालू रखूं। यहां तक कि, यदि आप मेरे भाषण पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि 1985-86 के बजट में भी यह समस्या उठायी गई थी। यह कोई नई समस्या नहीं हैं; जिसके बारे में सरकार को पहले से इसकी कोई आशा थी ही नहीं। अपने उसी भाषण में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि हमें कच्चे तेल के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी कि छठी योजना में हुई थी। उसी भाषण में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया था कि रियायतों के मिलने में कमी आयेगी, विदेशी मुद्रा का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण कम मिलेगा, और अदायगी की बात उठाई जायेगी। अंतिम बजट भाषण में मैंने इस समस्या पर प्रकाश डाला था। ऐसी बात नहीं है कि यह समस्या अचानक उठ खड़ी हुई हो। हमें इस समस्या के बारे में पहले से ही पता था। अपने निर्यात मोर्चे के संबंध में हमारी क्या चिंता रही है ? निर्यात मोर्चे के संबंध में, जैसा कि ठीक ही कहा गया है, विश्व व्यापार में, जिसकी वृद्धि 1984 में 5 प्रतिशत तक हुई थी, उसकी तुलना में यह वृद्धि 1985 में केवल 2·7 प्रतिशत रही है। सम्पूर्ण विश्व व्यापार चौपट हो गया था। वृद्धि दर आधी हो गयी थी। इसका प्रभाव निश्चित रूप से हम पर भी पड़ेगा। यदि बरसात में आप छाता लगाकर भी जायेंगे तो भी थोड़ा बहुत अवश्य ही भीग जायेंगे।

इसके अतिरिक्त हमारा रवैया संरक्षणात्मक भी रहा है। जैसा कि वसूली के बारे में श्री रेड्डी ने कहा था; कि अमरीका इसे क्रियान्वित करेगा और इससे सम्पूर्ण विश्व की अर्थ व्यवस्था गति पकड़ लेगी। मैंने लोगों को बता दिया था कि यह सब प्रतिमान काम नहीं करते और यदि यही प्रतिमान रहा; तो इसके पतन के लिये भी आप ही उत्तरदायी होंगे। इसलिये आपको इस स्थिति के लिये तैयार रहना चाहिये। यदि विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह क्यों लड़खड़ा रही है। अत: इन प्रतिमानों और इन वसूलियों की स्थिति विकासशील देशों से नहीं प्रसारित हुई हैं। विकासशील देशों का पूरा व्यापार हमें नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में, यदि बीच बीच में ही कोई परिवर्तन करने की

आवश्यकता हुई; तो हम परिवर्तन कर देंगे क्योंकि राष्ट्रीय हित को पहले ध्यान में रखना होगा···

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : बीच में ही परिवर्तन करने की आवश्यकता की शायद ही गुंजाइश हो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसकी आवश्यकता है। एक और मुद्दा है, जिसका उल्लेख श्री माधव रेड्डी ने किया था, यदि हमारा निर्यात आशानुरूप नहीं बढ़ पाता है और उसमें अनुमानतः 2 प्रतिशत की गिरावट आती है; तो आपको 300 बिलियन डालर अमरीका से उधार लेने पड़ेंगे। यदि हमारा निर्यात न बढ़ा तो इतना करना ही पर्याप्त नहीं होगा। किन्तु हमें आशा है कि वह बढ़ जाएगा।···(**व्यवधान**)। किन्तु राष्ट्रीय विकल्प यह है कि यदि निर्यात नहीं बढ़ा तो, हमें ऋण लेना चाहिये। क्यों न हम अपने खर्चों में कटौती करें। ऋण लेना ही विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें इसके लिये देश को भी तैयार करना होगा।

एक माननीय सदस्य : आयात के संबंध में भी तो उदार नीति अपनाई जा रही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय प्राथमिकता पर पहले ध्यान देना होगा। हमें कुछ ऐसी आशा है कि विश्व व्यापार माहौल में प्रवेश कर सकेंगे। यदि विश्व व्यापार माहौल हमारी आशाओं के अनुकूल न हुआ तो बीच में परिवर्तन करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है। किन्तु हम अपनी नीति से नहीं हट रहे हैं, क्योंकि जहां तक आयात का संबंध है; हमारे पास जो आंकड़े हैं। वे पिछले वर्ष के सामान ही हैं। यह कार्य बेकार नहीं रहा है। गत वर्ष कुल आयात वृद्धि 11.4 प्रतिशत थी। उससे छः महीने पूर्व यह वृद्धि 24% रही थी। यह वृद्धि आकस्मिक नहीं हुई है। इसलिये, दवा तजबीज करने से पहले रोग की जांच भली-भांति कर लेनी चाहिए। अन्यथा यह होगा कि बुखार में, बिना इस बात की जांच ढंग से किये बिना कि यह मियादी बुखार है अथवा मलेरिया, यदि आप कुनैन दे देंगे, तो रोगी मर जायगा। इसलिए हमें सही जांच कर लेनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आपने कर लिया है, क्या ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां। इसलिए हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा और जहां कहीं भी किसी अनावश्यक वस्तु का आयात हो रहा है, उसे निश्चित रूप से रोकना होगा। यह कार्य हम उद्योग मंत्रालय द्वारा कर रहे हैं। हम लोग चीनी, खाद्य तेल आदि का उत्पादन बढ़ाकर भी यही कार्य कर रहे हैं।

एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है, कि बड़े घरानों में निर्यात बढ़ाने में सहयोग देना चाहिये। पनिका जी तथा विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी यह बात कही है। मेरे विचार से यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। आप सबको निष्ठापूर्वक उनसे यह बात कहनी चाहिये। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हित में हम इसके लिये लायसेंस भी देते हैं। वह हमारे देश में एक निवेश है। यही हमारा राष्ट्रीय प्रयास है। किन्तु उसके साथ ही, यदि आप ध्यान दें तो, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का आश्वासन बड़े घरानों को बड़े लायसेंस देकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जबकि हम अपनी विदेशी मुद्रा बढ़ाने के पक्ष में, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह सकता कि इसकी आवश्ययता ही नहीं है, इसकी आवश्यकता तो राष्ट्रीय हित में भी है, किन्तु जब हम उन्हें इसे सौंपना ही चाहते हैं, तो देश के प्रति उनका यह उत्तरदायित्व हो कि वे उसे पूरा करें जिसके लिए उन्हें यह अवसर दिया गया है। उन्हें देश को एक बाजार के रूप में ही नहीं देखना चाहिए।

जब कि हम विदेशी मुद्रा लगाते हैं, तो उन्हें इस बाजार में धन ही अर्जित करना होगा। विदेशी मुद्रा अर्जित करना उनका उत्तरदायित्व हो जाता है। यहां तक मध्य-पूर्व के देशों में ल हमारे श्रमिक और कर्मचारीगण भी अपनी खून-पसीने की कमाई से हमारे लिए 3000 करोड़ रुपया कमाते हैं। उनके पास अधिक धन नहीं होता है। किन्तु वे अपने देश की सेवा कर रहे हैं। इसी से हम बड़े औद्योगिक घरानों से बहुत ही निष्ठापूर्वक कहते हैं कि जो देश आपको अवसर देता है, उसके प्रति उनका भी कुछ दायित्व है अभारी है। विदेशीमुद्रा यदि स्वतः ही उस उत्पाद में नहीं लगाई जाती है, तो भी सामूहिक रूप यह विभिन्न परियोजनाओं में लगाई जाती है। आप यही तो चाहते हैं कि वह पूंजी आपके कच्चे माल के निवेश में और आपकी पूंजीगत लागत में लगायी जाये। अन्ततोगत्वा आप उसी धन से ही तो विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। यह सब ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें संरक्षण देना चाहते हैं। बड़े औद्योगिक घरानों को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है। यह संरक्षण निर्यात के कारण भी उन्हें प्राप्त हो रहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह संरक्षण है। ऐसा कहना तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कहने वाली बात है। हम उनको उसी सीमा तक संरक्षण प्रदान करते हैं। इस बात की वकालत करते हुए श्री चौबे जी ने कहा था कि केवल पूंजीगत माल उद्योग पर ही नहीं अपितु हमें कम उत्पादन करने वाले उद्योगों पर भी ध्यान देना होगा। वे लाभ कमा रहे हैं। हमारी संरक्षण प्रणाली ऐसी है जिसके कारण उनका उत्पादन कम हो रहा है। किन्तु लाभ बहुत अधिक है। इस प्रकार हम किस प्रकार अर्थ-व्यवस्था कर पायेंगे। हमें यह कहना ही होगा कि मौजूदा संरक्षण प्रणाली समाप्त करनी होगी, हम अधिक समय तक संरक्षण नहीं दे सकेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : जो शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख व्यापार या उद्योग चला रहे हैं, अब वे उससे अलग होना चाह रहे हैं। आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वे केवल बड़े व्यापारी ही नहीं है। अनेक छोटे लोग भी निर्यात कार्य में लगे हुए हैं। बाद में कुछ बड़े घराने अलग हो गए।

श्री चिंता मोहन : हम लोग रक्षा संबंधी सामान बहुत अधिक मात्रा में आयात कर रहे हैं। आप उनसे अपने निर्यात वाला माल लेने को क्यों नहीं कहते।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां। यह एक वैध मुद्दा है। मैं इस मुद्दे से सहमत हूं। जहां कहीं भी संभव हो सके, हमें अपने आयात को निर्यात के साथ सम्बद्ध करने की चेष्टा करनी चाहिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय श्री माधव रेड्डी ने शत प्रतिशत निर्यात के बारे में कहा था। यह शत प्रतिशत निर्यात नहीं है। वे कच्चा माल आयात करते हैं, सामान बनाते हैं, और उसके बाद उसे, भेजते हैं। अधिक से अधिक से अधिक वे 10 से 15 प्रति विदेशी मुद्रा कमा पाते हैं। हम लोग कृषि सामग्री यथा चावल जैसी वस्तुओं का निर्यात कर रहे है। वे शत-प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शत-प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं उनमें तथा अन्य लोगों में क्या अतर हैं। क्या आप उन्हें कुछ सुविधायें देने जा रहे हैं···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सुविधायें शुद्ध विदेशी मुद्रा पर दी जाती हैं। आयात-निर्यात नीति में, लाभ तत्त्व समाज विदेशी मुद्रा प निकाला जाता है। वह अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के सकल तत्त्व पर ही होगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या वह सोवियत संघ बासमति चावल के निर्यात की बात कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : भारत में जितना भी चावल पैदा होता है, वह पूरा का पूरा निर्यात कर दिया जाता है । न केवल बासमति चावल अपितु अन्य सभी प्रकार के चावल इसी कोटि में आते हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब मैं, उठाये गये अंतिम मुद्दे पर आता हूं क्योंकि यह भोजनावकाश का समय है । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हर एक के लिए दोपहर का अच्छे भोजन दे रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : राज्य में सबसे बड़ा हिस्सा कृषि का है । 80 प्रतिशत व्यक्ति कृषि कार्य करते हैं । गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान केवल कृषि से ही हो सकता है···

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : किन्तु उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दूसरा मुद्दा राज्य को संसाधन अन्तरण किये जाने का था । यह मुद्दा उठाया गया था कि आर्थिक नीतियों से राज्यों को कितना मिल पाता है । कृपया पिछले वर्षों में राज्यों के करों की कुल राशि तथा केन्द्रीय करों की कुल राशि का अनुपात देखिये । राज्यों के करों का अंश बढ़ गया है जबकि केन्द्र का कम हो गया है । इससे लचीलेपन का पता चलता है कि राज्यों के कर केन्द्र से अधिक हैं ।

दूसरा मुद्दा केन्द्र द्वारा राज्यों को संसाधनों के अन्तरण किये जाने का आर्थिक भार सौंपने की प्रक्रिया से संबद्ध है । इसका अनुपात ठीक ही है, जो वर्षों के अन्तराल के बाद केन्द्र के संसाधन का 30 से 33 प्रतिशत तक हो पाया है । तीसरा मुद्दा है कि छठी योजना के दौरान लगभग सभी राज्यों के अतिरिक्त राजस्व संसाधन का लक्ष्य बढ़ा है और राज्यों की साख बढ़ी है । इसका तात्पर्य यह है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है क्योंकि सभी राज्य अपने निर्धारित लक्ष्य को पार कर चुके हैं । समस्या है राज्यों के संसाधनों में कमी आने की है न कि संसाधनों के उपबन्ध होने की । राज्यों के पास अपने विद्युत बोर्ड है, राज्य परिवहन है, आदि-आदि । उनके पास विशुद्ध संसाधन हैं । क्या कुप्रबंध का दायित्व देश के रक्षा व्यय को और महत्त्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के निवेशों को वहन करना होगा ? यह एक ईमानदारी का प्रश्न है जो पूछा जाना चाहिये । मैंने परिगणना की है । 1986-87 के बजट प्राक्कलनों का अद्यतन विश्लेषण करने से भी पता चलता है कि जो सकल राजस्व राशि अर्जित की जाती है उसमें से 51 प्रतिशत राशि राज्यों को दे दी जाती है अर्थात् कुल सकल राजस्व में प्रत्येक 100 रुपये में से 51 रुपये राज्यों को दे दिये जाते हैं···

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 75 रुपये क्यों नहीं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं । यह एक मूल प्रश्न है । मेरे विचार से, हम लोग इस बात पर परस्पर विचार-विमर्श करें । मेरे विचार से राज्य और केन्द्र के पृथक् विचार होने के कारण ही विचारों में भारी मतभेद हुआ है । देश एक है । इसकी आर्थिक स्थिति एक सी है । इसकी राजनैतिक स्थिति एक सी है । प्रबंध की दृष्टि से संविधान के अन्तर्गत हमने स्वयं को राज्यों और केन्द्र के रूप में संगठित किया है । राज्य में ऐसा कोई निवेश

नहीं होगा जिसका लाभ पूरे देश को न होगा और केन्द्र के निवेश का जो लाभ होगा उससे राज्यों को भी लाभ होगा। यहां, इस सभा में, जो राष्ट्रीय राजनैतिक अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है, क्या हम लोग किसी न किसी राज्य से संबद्ध नहीं हैं ? मेरे विचार में हम में बहुत अधिक भेद-भाव नहीं होना चाहिये। क्या ऐसा है ? अर्थ व्यवस्था में प्रत्येक का उत्तरदायित्व बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। केन्द्र को सुरक्षा, प्राथमिक क्षेत्र निवेश, भारी निवेश, बन्दरगाहों, संचार और रेलवे, इन विभागों की देखभाल करनी पड़ती है। राज्य सरकार को कृषि, शिक्षा, कानून और व्यवस्था इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है। ये प्रबन्ध के लिए पैकेजिज हैं। और ये दोनों बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। दोनों के लिए संशाधनों की आवश्यकता है और संशाधनों के एकीकरण पर यह निर्भर करता है कि इन दोनों बढ़ोतरी कैसे की जाये। किन्तु अगर आप इस तरह प्रश्न करते हैं कि 7 प्रतिशत क्यों नहीं दिया जाता तो फिर आपको एक निर्णय लेना होगा। क्या आप राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राथमिक क्षेत्र निवेश, ऊर्जा और कई दूसरे क्षेत्रों में खतरा मोल लेने जा रहे हैं ? मुद्दा यह है न कि केन्द्र और राज्य सरकार का। मेरे विचार में इस सन्दर्भ में हमें इसी पर गौर करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने एक बात उस निर्लज्ज तरीके के बारे में कही जो व्यापारिक घराने विदेश में पैसा लगाने में अपना रहे है और फिर यहां कंपनियों पर अधिग्रहण करने के लिए वापिस लाते हैं। मैंने इसका जिक्र किया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, मैंने अभी कहा है। और मैं फिर से यह नहीं कहना चाहता। और यदि हमें इस तरह कानून के उल्लंघन का पता चल जाता है तो हम इसे पूरी ताकत निपटेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। इस हिसाब से तो यह समाप्त ही नहीं होगी। हम अगला विषय लेते हैं।

2.37 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में अब अगली चर्चा की जायेगी और वर्ष 1986-87 के (सामान्य) बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर मतदान किया जायेगा। श्री दिग्विजय सिंह···उपस्थित नहीं हैं।

श्री अण्णानम्बी।

***श्री आर० अण्णानम्बी** (पोलाची) : उपाध्यक्ष महोदय, ए०, आई०, ए०, डी०, एम०, के०

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की तरफ से मैं इस महान सदन में वर्ष 1986-87 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। श्रीमान्, सबसे पहले, मैं अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों का स्वागत करता हूं। अनुदानों की अनुपूरक मांगों में 1318 करोड़ रुपये की एक सम्पूर्ण धनराशि अलग रखी गयी है। प्रलेख में यह कहा या है कि इस कुल धनराशि में से 256 24 करोड़ रुपये योजना खर्च पर तथा लगभग 1062 करोड़ रुपये गैर-योजना खर्च पर निवेश किये जायेंगे।

2.38 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्रीमान्, यह समझना बहुत मुश्किल हैं कि यह 256 करोड़ रुपये की योजना खर्च राशि इस विशाल देश में रहने वाले 78 करोड़ लोगों का कैसे फायदा करेगी। यह तो समुद्र में एक बूंद के समान है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 256.24 करोड़ रुपये की इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 1000 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार गरीबी का उन्मूलन करने और देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। केन्द्र ने पहले से ही सूखा राहत कार्यक्रमों की स्वीकृति दे दी है और इस देश के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया है। किन्तु इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन जुटाये बगैर इन कार्यक्रमों को कैसे लागू किया जा सकता है?

श्रीमान, कड़ाके की गर्मी और मानसून की असफलता के कारण पिछले छः महीनों से मद्रास में सूखा पड़ रहा है। प्रकाशित मद्रास मौसम रिपोर्ट वहां चल रहे सूखे के हालात का स्पष्ट सबूत है। तमिलनाडू में तंजौर जिला जो इस राज्य का अन्न भण्डार कहलाता है, और सूखे का सामना कर रहा है और वहां पर चावल की खेती ठप्प हो गई है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि तमिलनाडू के माननीय मुख्य मंत्री ने राज्य के इस भाग के सूखे तथा अकाल से पीडित लोगों के लिए राहत राशि मंजूर करके बहुत अच्छा कार्य किया है ताकि प्रभावित परिवारों को मदद मिल सके और उनका पुनर्वास किया जा सके। तमिलनाडू सरकार ने राहत उपायों के खर्चे को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से 310 करोड़ रुपये की अनुदान राशि के लिए पहले से ही अनुरोध कर रखा है। मैं माननीय मंत्री को पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि यदि राहत उपाय तुरन्त नहीं किए गए तो उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि निश्चित है और अन्ततः यहां आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी। इससे काले बाजार को प्रोत्साहन मिलेगा और काले धन का निर्माण होगा। यह स्थिति सिर्फ तमिलनाडू को ही प्रभावित नहीं करेगी किन्तु समस्त देश की आर्थिक स्थिति को कठिनाई का मामना करना पड़ेगा। तमिलनाडू में पिछले छः महीनों से पड़ रहे सूखे का आने वाले वर्ष में चावल उत्पादन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय पूल में तमिलनाडू के लिए और अधिक चावल मंजूर करे।

इस संदर्भ में, मैं सरकार का ध्यान हमारे नौजवान गतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा दिए गए भाषणों की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह इस देश की जनता को यह बताते रहे हैं कि हमें अनाज उत्पादन को बढ़ाना चाहिए और समस्त देश में सिंचाई सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं 1925 में हुए कावेरी नदी जल समझौते का जिक्र करना चाहता हूं। क्योंकि कर्नाटक राज्य सरकार समजौते की शर्तों को पालन नहीं कर रही है इसलिए मैं केन्द्र सरकार को इस मामले में कर्नाटक के साथ मध्यस्थता करने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि वह 1924 के कावेरी जल समझौते का सही मायनों में पालन करे। अन्यथा, गंगा-कावेरी योजना

को लागू करने के लिए केन्द्र ने तुरन्त कदम उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, देश में सभी नदियों को केन्द्र के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। सिर्फ तब ही हम सभी राज्यों को जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री की इच्छाओं की पूर्ति करने के सक्षम होंगे। ऐसा करते हुए हम केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में ही सक्षम नहीं होंगे बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी हम आत्म-निर्भर बन जायेंगे। श्रीमान, तमिलनाडू के माननीय मुख्यमंत्री डा० एम० जी० आर० ने कई बार "सेथु" नहर योजना का जिक्र किया है। इस योजना को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए ताकि तमिलनाडू और कुछ दूसरे पड़ोसी राज्यों को "सेथु" नहर योजना का लाभ मिल सके।

जो दूसरी बात मैं माननीय वित्त मन्त्री से अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय राज मार्गों के निर्माण के लिए केन्द्र धन का आबंटन करता रहा है। किन्तु पिछले 12 वर्षों से, तमिलनाडू में राष्ट्रीय राज मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी गतिविधि नहीं हुई है। मैं इस तथ्य को जल भू-तल के प्रभारी माननीय मंत्री की सूचना में ला सकता हूं। तमिलनाडू की जनता की तरफ से मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडू में राष्ट्रीय राज मार्गों के निर्माण के लिए निश्चित राशि का अलग से प्रबंध करें।

श्रीमान, प्रलेख में 70 करोड़ रुपये की राशि देश के पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना के खर्च के लिए दर्शाए गए हैं। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह धनराशि केवल कुछ क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने या समस्त देश में पिछड़े क्षेत्रों के बड़े हिस्से में उद्योग स्थापित करने के लिए खर्च की जाएगी? अगर यह 70 करोड़ रुपये की धनराशि समस्त देश के लिए है तो माननीय मंत्री ने विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के बारे में विस्तार से बताना चाहिए।

श्रीमान, प्रलेख में, 2 करोड़ रुपये की धनराशि सूती कपड़ा उद्योग के श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रदान की गई है। मैं नहीं जानता कि क्या यह थोड़ी सी धनराशि सारे देश के हजारों सूती उद्योग के श्रमिकों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त होगी या नहीं। उदाहरण के तौर पर तमिनाडू में कोयम्बटूर जिले में इस तरह के मील हैं: भवानी टेक्सटाइल मील, वसन्त टैक्सटाइल मील, हरी-हरी मील इत्यादि, जिनको पिछले दो वर्षों से बन्द कर दिया गया है और अधिकाधिक मील बन्द होने की स्थिति में हैं। पहले से ही हजारों बेरोजगार हो गए हैं और वे लगभग भूखमरी की हालत में हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह या तो इनका पुनर्गठन करके फिर से चलाए या उनको अपने हाथ में लेकर राष्ट्रीयकरण करने के लिए तुरन्त कदम उठाये।

श्रीमान, भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। कोयम्बटूर के पास पिल्लामेडू हवाई अड्डे पर पिछले दो वर्ष से आधुनिकरण का कार्य चल रहा है और इसलिए यात्रियों को सुलूट एयर फोर्स ट्रेनिंग सेन्टर से वायुयान सेवा प्रदान की जाती है जो कोयम्बटूर से लगभग 20 मील की दूरी पर है। सुलूर हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए यात्रियों को एक रेलवे लेवल क्रासिंग से गुजरना पड़ता है। रेलवे क्रासिंग ओन्डीपुडूर में है और काम के समय में इस क्रासिंग पर ज्यादातर समय यातायात बन्द ही रहता है और कभी-कभी तो एक घंटे से भी अधिक समय तक बन्द रहता है। इस तरह यात्री हवाई अड्डे पर ठीक समय पर नहीं पहुंच पाते और इसलिए कई बार उनको उड़ान छोड़ देनी पड़ती है। इस तरह उनको पैसे का नुकसान होता है और इसका असर उनके कार्य पर भी पड़ता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह पिल्लामेडू हवाई अड्डा परियोजना के लिए पर्याप्त धन का आबंटन करें और वर्तमान वित्त वर्ष के पूरा होने से पहले निर्माण कार्य को पूरा करें। मुझे अनुदानों की

अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिये जाने पर, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : सभापति महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इन मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं यह करने से पहले मैं देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। अभी थोड़ी पहले हमारे माननीय वित्त मंत्री ने हमारे देश की आर्थिक स्थिति का बहुत बढ़िया सर्वेक्षण किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ की गई और हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति ने लाभ देना शुरू कर दिया है। वह नीति जिसके तहत उन्होंने काफी बन्धनों को हटा दिया है, आयत को उदार किया है और उद्योग को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस नीति की न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी सराहना की गई है। इंग्लैण्ड के एक प्रमुख समाचार पत्र ने हमारे देश में अपनाई नीति का इस प्रकार सुन्दर ढंग से वर्णन किया है : --

"जब कि अधिकतर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई है, भारत की अर्थ-व्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है।"

यह एक बहुत सन्तोषजनक रिपोर्ट है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हम ठीक कार्य कर रहे हैं किन्तु यहां पर कुछ कमियां भी हैं।

हाल ही में हमने भुगतान सन्तुलन को खराब स्थिति के बारे में सुना है। इस क्षेत्र में हमारे निर्यातों को बढ़ाने के लिए हमें और अधिक उत्साही होना है। जैसाकि जापानियों ने किया है, हमें विभिन्न देशों की रुचियों का अध्ययन करना पड़ेगा और तदनुसार उत्पादन करना पड़ेगा तथा हमारे निर्यातों में सुधार करना पड़ेगा। हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि सातवीं योजना के संसाधनों को पूरा करने के लिए या तो 50 प्रतिशत धन सार्वजनिक क्षेत्र से आना चाहिए...

2.04 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अगर वहां से धन नहीं आयेगा तो हमें प्रशासकीय कीमतों को बढ़ाने या अप्रत्यक्ष करों या और अधिक मुद्रा छापने का सहारा लेना पड़ेगा। हमने पहले से ही प्रशासकीय कीमतों को बढ़ा दिया है और यह लगभग अन्तिम चरण तक पहुंच गया है और यदि हम इसे और आगे बढ़ाते हैं तो, यह आम जनता के लिए बहुत भयानक होगा। इस सन्दर्भ में हमें यह मानना पड़ेगा कि योजना का 90 प्रतिशत लाभ हमारी जनसंख्या के केवल 10 प्रतिशत हाथों में सिमट कर रह गया है। अगर प्रशासकीय कीमतें बढ़ाई गई तो उसका प्रभाव हमारी साधारण जनता पर पड़ेगा। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र से और अधिक धन तथा संसाधन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हमने माननीय वित्त मंत्री का भाषण थोड़ी देर पहले ही सुना है। हमें सार्वजनिक क्षेत्र से और अधिक लाभ की अपेक्षा है किन्तु इस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने कोई खास वैज्ञानिक प्रयास नहीं किया है। हमने बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की हालत देखी है जहां पर आई० ए० एम० अधिकारी लगाये गए हैं। हर रोज वे उनकी पदोन्नति के बारे में चिंतित रहते हैं, और यह हिसाब लगाते रहते हैं कि कब वे दूसरी जगह जा सकते हैं; वे वहां पर जम नहीं सकते। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्ध के लिए एक अलग संगठन होना चाहिए।

दूसरे, सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्णता को ठीक समय पर देख लेना चाहिए। जबकि होता यह है कि सभी प्रयास एक इकाई के रुग्ण होने पर प्रारम्भ किये जाते हैं। मैं यहां पर एक उदाहरण देता हूं। निजी क्षेत्र में पीयरलेस नामक कम्पनी ने जनता के काफी धन को इकट्ठा किया है। इसने इस धन में कुछ हेराफेरी भी की है और समाचार पत्रों में काफी आलोचना भी हुई है। इसने बहुत खराब रिकार्ड वाले लोगों को निदेशक बनाया है और यदि सरकार तुरन्त कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो कुछ समय बाद यह कम्पनी संचयता की तरह दिवालिया हो जाएगी। सिर्फ इसके पश्चात् ही सरकार इसके बारे में सोचना प्रारम्भ करेगी। ऐसे मामलों में सरकार ने ठीक समय पर कार्यवाही करनी चाहिए न कि बाद में जब इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।

इसके बाद, आयात के बारे में हम कुछ वस्तुओं का जैसे तेल, चीनी आदि के आयात में कटौती कर सकते हैं किन्तु इस क्षेत्र में भी प्रयास बहुत गहन करने होंगे। अगर हम सर्वेक्षणों पर एक नजर दौड़ाते हैं तो, यह कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरह चल रही है; प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है और विकास दर चार प्रतिशत है, किन्तु जब हम हमारे राज्य बिहार में स्थिति देखते हैं तो वहां पर आर्थिक अन्धेरे का एक वातावरण नजर आता है। बिहार में 14000 से भी अधिक रूग्ण उद्योग हैं। रोहतास इंडस्ट्रीज जैसे प्रमुख उद्योग, सम्भवतया कम्पनी के मालिकों की चालों की वजह से बन्द हो गए हैं। यह प्रश्न कई बार उठाया गया है। कइ मजदूर मर गए हैं और मर रहे हैं, परन्तु राज्य सरकार या केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं कर रही हैं। मैंने पटना की एक कपड़ा मिल जिसे फुलवारी कपड़ा मिल कहते हैं की समस्या को पहले भी इस सभा में उठाया है। यह मिल कुछ समय से रूग्ण पड़ी है। मजदूर मर रहे हैं और उनकी रक्षा हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। इसी तरह बिहार में दूसरी समस्या सिंचाई के बारे में है। काफी समय से एक बहुत पुरानी नहर, सोन नहर की नवीकरण योजना सरकार के पास लम्बित पड़ी है। यदि नहर की तुरन्त मरम्मत नहीं की जाती है तो 15 या 20 वर्षों के पश्चात् यह सारा क्षेत्र एक रेगिस्तान की तरह हो जायेगा। जब तक प्रयत्न नहीं किए जाते हैं और नहर की तुरन्त मरम्मत नहीं की जाती, तब तक इस क्षेत्र की आर्थिक दशा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पहले ही इसके कारण हमें बिहार में आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हर रोज हम पढ़ते हैं कि बिहार में दंगे हो रहे हैं या हत्यायें हो रही हैं आदि। यह केवल राज्य के आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ेपन के कारण हो रहा है।

बिहार राज्य की अनेक समस्यायें हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन पर गौर फरमायें।

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। इनका समर्थन करते हुये मैं मंत्री महोदय के ध्यान में दो महत्त्वपूर्ण मुद्दे लाना चाहता हूं।

एक मांग फसल बीमा योजना की है और 15 करोड़ रुपये की एक मांग सभा के समक्ष पेश की है। फसल के बीमे की मांग इस देश के किसानों की काफी पहले से रही है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नष्ट हो जाने पर बरबाद हो जाते हैं। अतः इस योजना से किसानों को काफी राहत मिली है। यह योजना 1985 की खरीफ की फसल से चालू की गयी है और केरल में यह धान की फसल पर भी लागू है। इस योजना का समर्थन करते हुये मैं इसकी एक कमी का जिक्र करना चाहता हूं। आजकल फसल को हुई हानि का अनुमान ताल्लुक स्तर पर लगाया जाता है। यदि ताल्लुक के एक भाग में फसल काटी जाती है और

*मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन]

अनुमान उसके आधार पर लगाया जाता है तो हम हमेशा उचित नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। पालघाट जिले ने एक गंभीर सूखे की स्थिति का तथा फसल की बरबादी का सामना किया है। परन्तु ताल्लुक स्तर पर फसल काटने के उपरान्त लगाये गये अनुमान से यह पता लगा कि वर्ष 1985-86 में इस जिले के किसी भी भाग में फसल नष्ट नहीं हुई। यह तथ्यों के विपरीत है। इस जिले के प्रत्येक ताल्लुक के कई भागों में फसल नष्ट हुई है। चूंकि अनुमान लगाने का तरीका दोषपूर्ण है अतः जिन किसानों का नुकसान होता है उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिल पाता है। अतः मैं एक सुझाव रखना चाहूंगा। ताल्लुक स्तर पर फसल को हुई हानि का अनुमान लगाने की प्रणाली छोड़ दी जानी चाहिए और फसल के नुकसान का अनुमान गांव के स्तर पर लगाया जाना चाहिए। तभी जरूरतमंद किसानों को लाभ होगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह नुकसान का अनुमान लगाने की प्रणाली में उचित सुधार करने हेतु कदम उठाये। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि सरकार को उन किसानों के मामले में भी यह योजना लागू करनी चाहिए जो सरकारी बैंकों से ऋण नहीं लेते। नारियल जैसी फसलों जिनसे हम काफी विदेशी मुद्रा कमाते हैं भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

दूसरे, मैं कपड़ा विभाग की मांग का मुद्दा उठाना चाहूंगा। जहां तक कपड़ा मिलों का सम्बन्ध है, यह प्रस्ताव है कि उन छोटे और सीमांत एककों की सहायता के लिए एक निधि की स्थापना की जाये जो अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते हैं और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नयी कपड़ा नीति के मुताबिक इस प्रकार की इकाईयों की सहायता की जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे कारखाने हैं, जिनमें स्पिंडलों की पर्याप्त क्षमता नहीं है और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार की अपनी गणना के अनुसार एक कारखाने में कम से कम 25,000 स्पिंडल होने चाहिए। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह उनको पर्याप्त संख्या में तकवे उपलब्ध कराये। परन्तु योजना आयोग ने निर्णय लिया है कि सातवीं योजना में और अधिक स्पिंडल उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। यदि ऐसा है तो इस प्रकार बहुत से कारखाने बन्द हो जायेंगे परिणामस्वरूप बहुत बेरोजगारी होगी। हालांकि एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ कम्पनियों को अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी जा रही है। केरल से स्पिंडलों की संख्या बढ़ाने के लिए आवेदन आये हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आवेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन कारखानों को कम से कम संख्या में स्पिंडल उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि ये कार्य करते रहें। केरल जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्य में उद्योगों को ठीक ढंग से चलाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

एक बार फिर मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री सी॰ सम्बु (बापतला) : सभापति महोदय, हम अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश की स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है। यह राज्य गत दो वर्षों से अपूर्व सूखे की चपेट में हैं। सभी विकास की गतिविधियां रुक गयी हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए दो या तीन बार एक अध्ययन दल भेजा है। इन अध्ययन दलों ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दिन में दौरा करने के बजाय रात में दौरा करना पसंद किया है और वह भी कारों में यात्रा करके। उनके सुझाव जो कुछ उन्होंने रात में देखा उस पर आधारित थे न कि दिन की स्थिति पर

*मूलतः तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आधारित थे। इस तरह यह कहने की आवश्तकता नहीं है कि उनकी पेश की गई रिपोर्टें राज्य की वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाती हैं। वह अनुमान है कि नुकसान बहुत अधिक था और इस स्थिति से निपटने के लिए 600 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता थी ; परन्तु सरकार ने केवल 40 करोड़ रुपये की राशि दी है। जब कर्नाटक और तमिलनाडू इसी प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे थे तब प्रधानमंत्री ने स्वयं इन राज्यों का दौरा किया और मौके पर वित्तीय सहायता घोषित की। परन्तु आन्ध्र प्रदेश के मामले में ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने आन्ध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते वक्त ऐसी किसी सहायता की घोषणा नहीं की। यह बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री ने आन्ध्र-प्रदेश को तत्काल वित्तीय सहायता देने में भेदभाव किया है। अब कम से कम मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार आगे आयेगी तथा राज्य सरकार को पर्याप्त राशि अनुपूरक मांगों के जरिये नियत करके सहायता करेगी।

महोदय गुन्टूर तथा प्रकाशम् जिलों के कपास उत्पादक आज संकट की स्थिति का सामना कर रहे हैं। पूरी कपास की फसल कीड़े से प्रभावित है। मैंने पहले भी सभा में यह बात उठाई थी। आज तक भी कपास की फसल की इस नई बीमारी की रोकथाम के लिए उपयुक्त उपचार नहीं खोजा गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अगली फसल की बुआई से पहले कीटनाशक दवाई की सप्लाई जैसे सभी आवश्यक पूर्वोपाय करें।

महोदय आज किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कपास पैदा करने वाले, तम्बाकू की खेती करने वाले तथा अन्य लघु सीमान्त किसान अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से बिलकुल भी फसलें नहीं हुई। छोटी अवधि के ऋणों को लम्बी अवधि के ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। उनको नये ऋण भी प्रदान किये जाने चाहियें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक प्रकाशम् तथा गुन्टूर जिलों के किसान वर्ग को बहुत कष्ट उठाने होंगे।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशम् तथा गुन्टूर तटीय पट्टी पर हैं। इस क्षेत्र में अधिकतर जनसंख्या मछुआरों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की है। यह क्षेत्र चक्रवातों तथा तूफानों से प्रभावित है। जब कभी चक्रवात या तूफान आता है तो इन गरीब लोगों को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है। कोई चक्रवात शरणगाह नहीं है। प्रकृति के प्रकोप से इन गरीब लोगों को बचाने के लिए चक्रवात शरणगाह बनाने का कार्य शीघ्र शुरू करना चाहिए। मछुआरों को नावों की, जालों की तथा मछली पकड़ने के लिए अन्य आवश्यक सामान की भी आवश्यकता है। सरकार को उन्हें सभी तरह की वित्तीय सहायता देनी चाहिए। उन्हें उदार शर्तों पर ऋण दिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार ये उपाय शीघ्र करेगी।

प्रकाशम् जिले के चिराला नामक स्थान पर कई हथकरघा बुनकर हैं। सरकार द्वारा जारी की गई गलत नीतियों के कारण ये बुनकर भूखों मरने के कगार पर हैं। सरकार अधिकाधिक विद्युत करघों की अनुमति दे रही है जो हथकरघा बुनकरों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहे हैं। हथकरघा बुनकरों की यह स्थिति केवल चिराला में ही नहीं है परन्तु पूरे देश में ही यह स्थिति है। कृषि के बाद बुनाई ही देश में महत्वपूर्ण उद्योग है। विद्युत करघों को अत्यधिक प्रोत्साहन देने के कारण हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो गये हैं। वे आज वास्तव में भूखों मर रहे हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो वस्तुएं हथकरघा बुनकरों द्वारा बनाई जाती हैं उन वस्तुओं को विद्युत करघों पर बनाने की अनुमति न दे।

[श्री सी० सम्बु]

महोदय, केवल हाल ही में सभा में बीड़ी श्रमिकों की दशा पर चर्चा की गई है। बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर के रूप में करोड़ों रुपये एकत्र किये जा रहे हैं। परन्तु सरकार उस पैसे का उपयोग बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए नहीं कर रही है। मैं निवेदन करता हूं कि उस पैसे को बीड़ी श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। कम से कम अब तो कल्याण कार्य शुरू किये जाने चाहियें।

बार-बार इस बात का जिक्र किया गया था कि आन्ध्र प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे स्थिति का ठीक मूल्यांकन करें तथा इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें।

आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ने राज्य में किसानों की भलाई के लिए 'सिंगल विंडो सिस्टम' का सर्वसम्मति से समर्थन किया है। परन्तु अभी तक 'केन्द्र सरकार' ने उस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी है। पहले ही किसान कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश द्वारा इच्छित 'सिंगल विंडो सिस्टम' को स्वीकृति प्रदान करें।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं। तेलगू गंगा, पोलावरम्, सिंगूर, श्री सेलम उद्वाहक 'नहर' आदि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के इन्तजार में हैं। पीने के लिए तथा खेती के लिए पानी प्रदान करना इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वियन पर निर्भर करता है। रायलसीमा सूखा पीड़ित क्षेत्र है। अब उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। रायलसीमा में लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई करने के अतिरिक्त तेलगू गंगा मद्रास में रहने वाले तमिल भाईयों की प्यास भी बुझायेगी। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कम से कम अब तो रायलसीमा तथा मद्रास के लोगों के प्राण बचाने के लिए तेलगू गंगा परियोजना को स्वीकृति प्रदान करे।

महोदय, कांग्रेस के पक्षपातपूर्ण शासन के पिछले 35 वर्षों में लोगों के जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांग्रेस दल उसी पुराने तरीके से शासन कर रहा है जैसा कि वह 35 वर्ष पूर्व किया करता था। सरकार की कार्यप्रणाली में अधिक परिवर्तन नहीं आया है। देश में कुछ जिलों की पहचान औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में नहीं की गई यद्यपि वे बहुत पिछड़े हुये हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रकाशम् जिले में जहां तम्बाकू की सघन खेती की जाती है सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में एक सिगरेट बनाने का कारखाना लगाने के लिए आगे आना चाहिए। तम्बाकू पैदा करने वालों को अपने उत्पादन के लिए मण्डी मिल जायेगी। हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। महोदय, इसी प्रकार इस तटीय जिले में एक नमक का कारखाना लगाने के लिए इसकी स्थिति अभीष्ट है। इससे इस जिले में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में काफी सहयोग मिलेगा।

महोदय, निजपटनम तथा पोन्नूर के बीच एक रेल लाईन बिछाने के लिए मैं सरकार को कम से कम 15 पत्र लिख चुका हूं। सर्वेक्षण भी किया गया था। परन्तु रेल लाईन के निर्माण में अत्यधिक देरी हो रही है। यह रेल लाईन इस क्षेत्र से मछली तथा कपास का निर्यात करने में काफी सहायता करेगी। मैं सरकार से, निजाम-पटनम-पोन्नूर-निडुबरोलू रेल लाईन का निर्माण शुरू करने के लिए निवेदन करता हूं।

चिराला मद्रास तथा हैदराबाद मुख्य लाईन पर स्थिति है। यातायात कई गुणा बढ़ गया

है। चिराला के निकट ऊपरी पुल बनाने की निरन्तर मांग रही है। ऊपरी पुल के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार पहले ही केन्द्र सरकार को सिफारिश कर चुकी है। मैं आशा करता हूं कि कम से कम अब तो निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।

महोदय, मुझे आशा है और मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है केन्द्र सरकार उस पर ध्यान देगी तथा उनके समाधान के लिए उपाय करेगी।

मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : श्रीमान् मैं मांगों का समर्थन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि बजट एक प्रगतिशील चीज है, और यह एक आम आदमी का बजट है। बजट में खाद्यान्न के लिए 1050 करोड़ रुपये की तथा उर्वरकों के लिए 1950 करोड़ रुपये की आर्थिक छूट के लिए व्यवस्था की गयी है। यह राष्ट्रीय कोष पर एक बहुत भारी बोझ है। आर्थिक छूट को कम करने तथा भुगतान सन्तुलन को बढ़ाने के लिए उचित उठाये जाने चाहिए। आजकल एक फसल बीमा योजना प्रारंभ की गयी है। किन्तु इसका लाभ सभी किसानों को मिलना चाहिए सिर्फ उन किसानों को ही नहीं जो ऋण लेते हैं।

अब मैं भुगतान सन्तुलन की स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा; निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, किसानों तथा श्रमिकों की कीमत पर निजी क्षेत्र को बहुत लाभ मिलता है, और इसे देश तथा विदेश से विदेशी विनिमय का बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है। किन्तु जो विदेशी विनिमय इस निजी क्षेत्र को मिलता है, उसका उपयोग इसके खुद के लाभ के लिए किया जाता है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और यह देखने के लिए कि ऐसे विदेशी विनिमय का उपयोग राष्ट्र के लाभ के लिए किया जा रहा है, कदम उठाये जाने चाहिए।

दालों तथा तिलहनों में तकनीकी खोज करने की आवश्यकता है ताकि हमें खाद्यान्न तेलों के आयात की आवश्यकता न हो।

ऊर्जा उत्पादन तथा सिंचाई पर बल देने की बहुत आवश्यकता है। उड़ीसा में विद्युत की घोर कमी है। उड़ीसा की सम्पूर्ण वास्तविक उत्पादन क्षमता 1205 मेगावाट की आवश्यकता के विपरीत 722 मेगावाट हो सकती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 400 मेगावाट से भी अधिक की कमी रहेगी। उड़ीसा में एक आणविक ऊर्जा संयन्त्र की योजना बनाने, जहां पर सुविधायें उपलब्ध हैं, के सिवाय, आई० बी० घाटी में थर्मल पावर स्टेशन के लिए तलचर सुपर पावर थर्मल स्टेशन के लिए भी तुरन्त कार्यान्वियन की आवश्यकता है। राज्य की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गयी है और इसने प्रत्येक क्षेत्र को भी प्रभावित किया है।

पारादीप बन्दरगाह और उड़ीसा में द्वितीय इस्पात सयन्त्र जो जनता की मूल मांगें हैं, की समस्याओं पर प्राथमिक आधार पर गौर की जानी चाहिए। उड़ीसा के गंजाम जिले मे रिसीकुल कमांड एरिया विकास योजना को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि काफी धन उपलब्ध है इसलिए उड़ीसा के गंजाम जिले में हरभंगी परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लायी जानी चाहिए। किन्तु इसका समय के अनुसार उपयोग नही किया जा रहा है। परियोजना की लागत आरंभिक अवस्था की 10 करोड़ रुपये से बढ़कर 43 करोड़ रुपये हो गयी है; और योजना यह

[श्री सोमनाथ रथ]

थी कि यह 1985 वर्ष के अन्त तक पूरी हो जायेगी। अगर कदम नहीं उठाये गये तो यह सन्देहास्पद है कि क्या यह परियोजना 1990 वर्ष के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

उड़ीसा के गंजाम जिले में ब्रह्मपुर से रेलवे लाईन के सर्वेक्षण को खुर्दा से बोलंगीर के लिए चल रहे रेलवे लाईन सर्वेक्षण से जोड़ने के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए। क्योंकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा भी जब उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव की हैसियत से उड़ीसा का दौरा किया था तब जनता को इसके लिए आश्वासन दिया गया था।

स्वीकृत किये गये काला मृग विहार के लिए तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है और इसको लागू करने के लिए अभी से कार्य शुरू हो जाना चाहिये।

उड़ीसा में भंज नगर में एक टेलिविजन ट्रांसमीटर केन्द्र और गंजाम जिले में आस्का में एक रेडियो स्टेशन की जल्दी से जल्दी स्थापना की जानी चाहिए। एक कृषि विद्यालय की स्थापना के साथ-साथ उड़ीसा में गंजाम जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने के० वी० के० केन्द्र के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करौल बाग): सभापति जी, सबसे पहले मैं आपकी आभारी हूं और आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे वर्ष 1986-87 के लिए अनुपूरक मांगों पर बोलने का मौका दिया। मैं तहेदिल से इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं। मैं यह बात बिल्कुल सहीतौर पर मानती हूं कि गरीबों की भलाई के लिए हमारी जो भी नीति और स्कीम्स या योजनाएँ बनाई हैं, उनमें खर्चा तो होता ही रहता है। माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इस बारे में इन स्कीमों का जायजा ले रहे हैं और मैं समझती हूं कि गरीबों की भलाई के लिए, अनुसूचित एवं जनजाति की भलाई के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को उभारने के लिए और विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की भलाई के लिए अभी और स्कीमों व योजनाओं की आवश्यकता है। इन सबकी भलाई के लिए हमारी हर तरह की नीतियों में परिवर्तन भी आवश्यक है। जहां-जहां खामियां हैं, उन्हें भी दूर करना है।

3.16 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए।]

जैसाकि सरकार ने वायदा किया था देशवासियों से, उसी के अनुरूप हमारी नई शिक्षा नीति भी बनी। इस शिक्षा नीति में जैसा आप सबको मालूम है, बहुत सी अच्छी बातें हैं। देश के बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, इसमें दो राय नहीं है। नए नवयुग स्कूल जो विशेषतौर पर ग्रामीण बच्चों के लिए होंगे, एक बहुत ही अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि वह इसके साथ-साथ जो अभी हमारी पाठशालाएं, स्कूल, कालेज एवं विश्व-विद्यालय हैं, उनमें यथासम्भव सुधार लाने का भरसक प्रयत्न करे। मेरे करौलबाग क्षेत्र में काफी कुछेक विद्यालय एवं पाठशालाएं हैं जिनके लिए अच्छे भवनों की आवश्यकता है और जिनमें पीने के पानी का अभाव है। इन विद्यालयों में शिक्षक भी पूरे नहीं हैं। तो, ये जो खामियां कहीं-कहीं इन स्कूलों एवं कालेजों में है उन्हें यथासम्भव तुरन्त दूर करना होगा। अभी मैंने सदन का ध्यान कुछ रोज पहले इन खबरों के बारे में भी दिलाया था कि दिल्ली में बच्चों को कालेजों में, विश्वविद्यालयों

में पूरा दाखिला नहीं मिल रहा है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि धनाभाव की वजह से शिक्षा के कार्य में कोई रुकावट नहीं आने दें।

सभापति जी, अभी हाल ही में दिल्ली में जिस तरह से केन्द्रीय सरकार एवं दिल्ली प्रशासन ने जो कार्य किया वह सर्वथा प्रशंसनीय है। बन्द आदि के होने से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है और जिसकी वजह से आम आदमी को विशेषकर गरीब भाइयों को काफी तकलीफें होती हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि जो पिछले दिनों बन्द हुआ और बन्द के जरिए जितने आतंकवादी हमारी राजधानी दिल्ली में जो आतंकवाद फैलाना चाहते थे, उसको रोकने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी राजीव गांधी जी ने जो कदम उठाए, वे भी बहुत सराहनीय हैं। मैं, पुलिस को भी मुबारकबाद देती हूं जिन्होंने वक्त से पहले सतर्क होकर ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से दिल्ली में ज्यादा दंगा-फसाद नहीं हुआ सिर्फ एक दो जगह को छोड़कर बाकी सब जगह शांति ही रही।

गरीबों के बारे में मैं दिल्ली में होने वाली एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। यहां एक डी० सी० एम० की बहुत बड़ी कपड़ा मिल दिल्ली के दिल में बनी हुई है। काफी अरसे से यह मिल यहां पर है। अब इनके मालिकों ने न केवल इस मिल को बन्द करवा दिया बल्कि एक और खेल गरीबों के साथ, मजदूर भाइयों के साथ ये लोग खेलना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि गरीब लोग अपने खून-पसीने से कमाई करते हैं और मिल में काम करते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर और उन मिल-मालिकों का करोड़ों रुपए का फायदा करते हैं। करोड़ों में ही नहीं बल्कि अरबों में वे लोग खेलते होंगे। लेकिन गरीब मजदूर जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनको इस तरह से फेंकना चाहते हैं जैसे घी में से मक्खी को फेंक देते हैं। यह स्थिति किसी एक जगह की नहीं है बल्कि सभी जगह पर ऐसा होता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि मजदूरों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। ये मिल वाले गरीबों के रोजगार को छीनकर, उनके जीवन-यापन के हक को मारकर बड़े-बड़े लोगों के लिए फ्लैट्स बनाना चाहते हैं। मेरे पास फ्लैट्स का नमूना है जो मैं आपके सामने इसी वक्त दिखाना चाहती हूं। इससे पता चल जाएगा कि किस तरह की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। गरीबों को हटाकर बड़े-बड़े महल बनाना चाहते हैं, जिसमें उनको और भी करोड़ों की आमदनी होगी। मैं यह चाहूंगी कि उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि पहले उनको रहने के लिए जगह दी जाए और बाद में उनको हटाया जाए। बाद में ही कहीं उनको उठावा जाए। सभापति महोदय, यह सरकार की आंखों में धूल झोंकने वाली बात होगी। सरकार को एवं आम जनता को घाटा देकर ये डी० सी० एम० के लोग सैंकड़ों करोड़ रुपया बटोरना चाहते हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे ऐसी स्कीम, जिनमें गरीबों का, मजदूर भाइयों का एवं सरकार का अहित हो, उसको कदापि न होने दें।

मेरी सरकार से एक विनती और है कि जो भूमि सुधार का कार्यक्रम सरकार यथाशक्ति सफल बनाना चाहती है, उसमें अपनी एक साथ पूरी ताकत लगा दे। इसी से हमारी अर्थ-व्यवस्था को अधिक गतिशीलता मिलेगी।

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी) : सभापति महोदय, सप्लीमैंटरी डिमाण्डस पर अपने विचार प्रकट करते हुए, मैं आपका ध्यान सबसे पहले सिंचाई सुविधाओं की ओर दिलाना चाहूंगा। हमारे यहां जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनको ऋण प्राप्त होने में बहुत कठिनाई होती है। सबसे पहले तो उनको ऋण प्राप्त करने की लम्बी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, तमाम जगह

[श्री कमला प्रसाद रावत]

लाइनों में लगना पड़ता है और न जाने कितने सर्टिफिकेट एकत्रित करने पड़ते हैं । उसके बाद यदि उनको ऋण किसी तरह मिल भी जाए तो उनसे कहा जाता है कि आप अपना सामान एक निश्चित दुकान से ही खरीदें जो कि सरकार के द्वारा, डी० एम० द्वारा या किसी बड़े अधिकारी द्वारा पहले से निश्चित कर दी गई होती है । उस दुकान से खरीदारी करने पर उसको बाजार भाव से ज्यादा पैसा देना पड़ता है । यदि उसी सामान को वह बाजार से नगद खरीदे तो उसे सस्ते दाम पर वही सामान मिल जाता है । परन्तु सरकार से कर्जा लेकर वही सामान खरीदें तो वह मंहगा हो जाता है । इस तरह आप देखेंगे कि कई स्टेजों पर उसके साथ लूट-खसोट की जाती है और उस बेचारे गरीब को परेशान किया जाता है ।

दूसरा निवेदन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत सी भूमि ऊसर पड़ी हुई है । यदि हम ऊसर सुधार कार्यक्रम को ठीक तरह से लागू करें, ऊसर सुधार कार्यक्रम पर तेजी से अमल किया जाए तो हमें लाखों एकड़ जमीन प्राप्त हो सकती है और उससे हमारी भूमि की समस्या हल हो सकती है । क्योंकि आजकल गांवों में लोगों के पास खेती के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं है । अगर है भी तो बहुत कम है । यदि यह जमीन उनमें बांट दी जाए तो हमारा अनाज का उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा और साथ साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा ।

तीसरे मान्यवर, हमारे देश में लगभग हर जगह जल-भराव की समस्या विद्यमान है । स्थान-स्थान पर बड़ी-बड़ी झीलें बन गई हैं और साल में लगभग चार से आठ महीने उनमें पानी भरा रहता है । अगर उन का जल निकाल कर हम बड़े नालों या नदियों में डाल दें तो हमें काफी जमीन खेती के लिए उपलब्ध हो सकती है और उसे भी खेती के लिए किसानों को दिया जा सकता है । इस व्यवस्था से भी हमारे अनाज उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है ।

मान्यवर, इस देश में हमारी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और उनको लागू किया है. जैसे सैल्फ एम्पलायमैंट स्कीम है कुछ दूसरी योजनायें है, और उनसे काफी लोगों को फायदा पहुंच रहा है । परन्तु हमने यह भी देखा है कि सैल्फ एम्पलायमैंट स्कीम के तहत जिन गरीब मजदूरों को 3 हजार से 5 हजार रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, पहले तो ऋण को प्राप्त करने में ही उन्हें बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है, परन्तु ऋण मिल जाने के बाद, साल भर में ही वे बहुत ज्यादा ऋण के बोझ से दब जाते हैं और उनको ऋण में मिला पैसा पता ही नहीं चलता कि कहां गया । हमारे उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कृषि विश्व-विद्यालय द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें वे छोटे लोगों, गरीब किसानों को मात्र 500 रुपए देते हैं और उसके जरिए वे मुर्गी पालन, छोटी-मोटी मशीनों का उपयोग करके, इस तरह का रोजगार चलाने की सलाह देते हैं । उसके बाद, मान्यवर, मैंने स्वयं कई स्थानों पर जाकर देखा है कि वे लोग अच्छा-खासा काम कर रहे हैं और 20-25 रुपए रोज मजदूरी करके कमा लेते हैं जब कि हम इतना पैसा देने के बावजूद, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं ला पाते, बल्कि उनसे पैसा वसूलने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है और इतना पैसा देने के बावजूद वह सब डूब जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि फैजाबाद विश्व-विद्यालय जैसी कोई स्कीम सरकार की ओर से लागू की जाए ताकि लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके ।

उसी तरह, महोदय, हमारे देश में तमाम जगह पुलों की समस्या है । उदाहरण के लिए बाराबंकी में छोटे-मोटे नदी-नालों पर यदि पुल बना दिए जायें तो आवागमन के अच्छे साधन उपलब्ध हो सकते हैं । और तमाम विकास हो सकता है । इसी तरह से यह समस्या पूरे देश में है । इस तरह से मैं चाहूंगा कि यह समस्या हल की जा सकती है ।

मान्यवर, पूरे देश में आलू की पैदावार बहुत ज्यादा है और हमारे यहां शीत-गृहों की बड़ी कमी है और अगर इसे कोआपरेटिव बेसिस पर या लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देकर बनाया जाए, तो आज जो लाखों टन आलू सड़ जाता है, उसे बचाया जा सकता है। आलू के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे हमारे देश में इसको और ज्यादा भूमि में किसान बो सके।

मान्यवर, इसी तरह से गांवों में पीने के पानी की समस्या हल नहीं हो पाई है। इस पर भी आपको विचार करना है और जो हम गांवों में शुद्ध जल उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, इस समस्या को दूर करने की जरूरत है।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : माननीय सभापति जी, इस तरह से आप कितने लोगों को कितने मिनट तक बुलवा पायेंगे ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से उनके भाषण को पांच मिनट तक सीमित रखने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री राजकुमार राय : मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका भाषण समाप्त होने पर आप कितना समय देंगे।

सभापति महोदय : प्रत्येक को पांच मिनट।

[हिन्दी]

मान्यवर, आज देश में सीपेज की बड़ी समस्या है। नहरों के किनारे पर सीपेज है उसका कोई भी अच्छा इन्तजाम नहीं हो सका है। नहरें निकाल कर काफी हरित क्रांति लाते हैं, लेकिन उसके किनारे रहने वाले जो किसान भाई हैं, जो वहां खेती करते हैं; वे लोग बेरोजगार हो जाते हैं और सीपेज के कारण उनकी खेती खराब हो जाती है। इसलिए नहरों के किनारे जो सीपेज की समस्या है, उसका समाधान हो जाना चाहिए।

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

* **श्री बी० एन० रेड्डी** (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, श्रीमान, मैं यह अवसर, आन्ध्रप्रदेश में सूखे की घोर स्थिति के बारे में केन्द्र सरकार को अवगत कराने के लिए लेता हूं। क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं आन्ध्रप्रदेश में वर्तमान सूखे की स्थिति तथा इससे निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता तक मेरा भाषण सीमित रखूंगा।

श्रीमान, पिछले 6 या 7 साल से आन्ध्रप्रदेश में घोर तथा अभूतपूर्व सूखा पड़ रहा है। संक्षेप में, घोर सूखे की समस्या की वजह से राज्य एक तरह से "जल" रहा है। मुझे स्थिति पर विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सम्मानजनक सदन में पहले भी कई बार इस मामले पर चर्चा हो चुकी है। स्थिति पर घिसे पिटे ढंग से चर्चा हुई थी। आन्ध्रप्रदेश में चल रही सूखे की स्थिति और राहत उपायों के लिए कार्य योजना के दूसरे ज्ञापन में यह लिखा गया है कि

* मूलतः तेलुगु में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बी० एन० रेड्डी]

"आन्ध्रप्रदेश राज्य इस वर्ष गहन सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। राज्य में पिछले लगातार छः वर्षों से सूखा पड़ने के कारण स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। राज्य में 23 में से 19 जिले (हैदराबाद के शहरी जिले को सम्मिलित करते हुए सूखे से या तो आंशिक रूप से या पूर्णतया प्रभावित हुए हैं। इन 19 जिलों में 916 मण्डलों में से 683 मण्डल सूखे से प्रभावित घोषित किये गए हैं।"

राज्य में इस तरह की स्थिति चल रही है। इस वर्ष तो समस्या और भी घोर तथा विकट है। सभी खड़ी फसलें बुरी तरह खराब हो गई हैं। खेतीबाड़ी की गतिविधि ठप्प हो गई है इसलिए भारत सरकार ने स्थायी राहत उपायों के रूप में पोलावरम तेलुगू गंगा, श्रीराम सागर, तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर, श्री साइलम लिफ्ट नहर और वामसाधरा परियोजनाओं को तुरन्त मंजूर करना चाहिए। इन सर्वोतमुखी परियोजनाओं की स्वीकृति न सिर्फ नियन्त्रण बल्कि राज्य से सूखे को बिल्कुल समाप्त करने में सहायक होगी। आन्ध्रप्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को तीव्रता से स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार को बार-बार अनुरोध किया है। किन्तु, परियोजनाओं को मंजूरी देने की बजाय सरकार जानबूझकर मामले में देरी कर रही है। यह 6 करोड़ तेलुगू लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। पिछले 6 सालों से राज्य विकट सूखे का सामना कर रहा है। इस साल तो यह बहुत अधिक खराब है। फिर भी सरकार स्वीकृति में देरी कर रही है। पहले से ही कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है क्यों वे ज्यादा देर तक भूख के कष्ट नहीं सह सके। भूख की वजह से भी कई जानें जा चुकी हैं। क्या इन हत्याओं में सरकार को इस मामले में और देरी करनी चाहिए।

ऐसा कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्री श्री शंकरानन्द को पहले से ही इस मामले की जानकारी है और वे विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति की समस्या का समाधान करने के इच्छुक हैं। क्या मैं आशा कर सकता हूं कि उनके प्रयास सफल होंगे और आगे बगैर किसी समय के नुकसान के स्वीकृति दे दी जाएगी। बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस सदन में आपके माध्यम से मुझे खास तौर से 2,3 बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। जब यहां से धन का आवंटन होता है तो उसमें खासतौर से उत्तरप्रदेश के साथ बड़ी ज्यादती होती है। उत्तरप्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। जब धन के आवंटन में उसके साथ ज्यादती होती है तो बहुत सी ऐसी योजनायें है, कार्यक्रम हैं जो वहां सुचारु रूप से चल नहीं पाते है। मैं एक उदाहरण रखना चाहूंगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत जो सेन्टर से धन प्रदेशों को आवंटित किया जाता है, उसमें जो धन उत्तर प्रदेश को आवंटित किया गया था उसकी काफी बड़ी राशि केन्द्र से रिलीज नहीं की गई जिसकी वजह से ग्रामीण किसान भाइयों के लिए जो सिंचाई योजना फ्री बोरिंग की चल रही थी, जिससे काफी संख्या में किसान भाई लाभान्वित हो रहे थे, वह योजना ठप्प हो गई और करीब 805.76 लाख रुपया केन्द्र की अंशपूंजी का

रिलीज नहीं किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सौतेला व्यवहार जो उत्तरप्रदेश के साथ हो रहा है, यह नहीं किया जाए। और ऐसे कार्यक्रमों के लिए धन यहां से अवश्य दिया जाए जिससे प्रदेश के किसान भाई लाभान्वित हो सकें।

जो भी योजनायें हैं, चाहे केन्द्र के अधीन हैं या प्रदेश के अधीन हैं, जो भी योजनायें ली जाती हैं, उनको निश्चित समय में पूरा करने के लिए विशेष रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की एक योजना को जानता हूं, जो बहुत से समय से निर्माणाधीन है, जिसे 1983 में शुरु किया था वह टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। आज 300 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी हम उसको पूरा नहीं कर सके हैं। उमीद यह है कि करीब 100 करोड़ रुपया और उस पर खर्च करना पड़ेगा, तब हम उसको चालू कर पायेंगे।

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : व्यवस्था का प्रश्न। उन्होंने उनके स्थान से बोलना चाहिए। उन्होंने इस नियम का पालन करना है। वह उस कोने से क्यों बोल रहे हैं ?

श्री जैनुल बशर : यहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार राय : वह खुद आपत्ति करते हैं और उसका उत्तर देते हैं और आदेश देते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : मुझे यह निवेदन करना है कि गांव की भलाई के लिए किसान, मजदूरों की भलाई के लिए जिन योजनाओं को लिया जाए, उन्हें मूर्त रूप प्रदान करने के लिए और मौके पर देखने के लिए जो निगरानी समितियां बनी हैं उन्हें प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए। इनको प्रभावी तरीके से देखने के लिए, इनके मानिटरिंग के लिये, इनकी समीक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इन योजनाओं का पूरा लाभ गांव की जनता के पास पहुंच सके।

इसी के साथ साथ मुझे यह भी कहना है कि जो कार्यक्रम अनुसूचित जातियों के लिए चलाये जाते हैं, उनका भी सदुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि उनका दुरुपयोग हो रहा है। जो योजनायें चलाई गई हैं, वह लाभकारी नहीं हो रही हैं। इसलिये इनके बारे में और अध्ययन करके शासन को ऐसे निर्णय लेने चाहियें जिससे धन का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसका सदुपयोग हो सके और उससे गरीब पिछड़े तबके के लोग लाभ उठा सकें।

यही मुझे निवेदन करना है, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

3.35 म० प०

चीनी उद्योग में श्रमिकों को अन्तरिम राहत के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : भारत सरकार ने चीनी उद्योग के वर्तमान मजदूरी के ढांचे में और संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति

[श्री पी० ए० संगमा]

(सेवा निवृत्त) जे० एम० टंडन की अध्यक्षता में 17-7-85 को चीनी उद्योग श्रमिकों के लिए तीसरे मजदूरी बोर्ड का गठन किया।

मजदूरी बोर्ड ने अन्तरिम राहत के रूप में निम्नलिखित सिफारिशें की :—

(1) दूसरे मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के अन्तर्गत आने वाले श्रमिक इस अन्तरिम राहत के पात्र होंगे;

(2) ग्रेड के अधिकतम वेतन पर पहुंचने वाले श्रमिक, अन्तिम पंचाट के प्रस्तुत किये जाने तक अपने वर्तमान टाइम-स्केल में वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करते रहेंगे;

(3) श्रमिक, जो पहली जनवरी, 1986 को एक वर्ष या इससे अधिक पहले से वेतन-मान के अधिकतम वेतन पर पहुंच चुके हो, पहली जनवरी, 1986 से मौजूदा वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि के पात्र होंगे;

(4) श्रमिक और प्रबन्धतन्त्र के बीच हुए पहले करार के समाप्त होने की तारीख या पहली जनवरी, 1986 से, इनमें से जो भी पहले हो, अन्तिम पंचाट के प्रस्तुत किए जाने तक श्रमिकों को 45 रुपये प्रति माह दिए जायेंगे।

सरकार ने चीनी उद्योग श्रमिकों को अन्तरिम राहत देने के लिए मजदूरी बोर्ड की उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। सिफारिश की गई अन्तरिम राहत से उत्पादन की लागत में सिर्फ मामूली सी वृद्धि होगी, जिसे उद्योग से 1-12-85 से संशोधित मूल्य ढांचे में खपाने की आशा की जा सकती है। चीनी के लेवी मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी।

इससे चीनी उद्योग के लगभग 3.80 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। सरकार के निर्णय को अधिसूचित करने वाले संकल्प को राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है।

———————

3.37 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87

[—जारी]

[हिन्दी]

श्री नन्द लाल चौधरी (सागर) : माननीय सभापति जी, कई सर्वेक्षणों के आधार पर मालूम हुआ है कि कृषकों की आय दिन-प्रतिदिन घट रही है। कृषि देश की रीढ़ है। हमारे आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में कृषि बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है। कृषकों की जो आय घट रही है, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खेती की उन्नति की जाये। इस कार्य के लिये कृषि विज्ञान केन्द्र का होना बहुत आवश्यक है। सागर जिले में कृषि विद्यालय खोलने की बहुत दिनों से मांग चल रही है। वहां पर इसको खोले जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में सिंचाई का प्रतिशत भी बहुत कम है। वहां बीना नदी परियोजना के निर्माण की योजना बहुत दिनों से भारत सरकार के पास विचाराधीन है। हमें मालूम नहीं कि इसमें ढिलाई किस वजह से बरती जा रही है? मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां बीना नदी परियोजना को स्वीकृत किया जाये और सिंचाई का प्रतिशत बढ़ाया जाये।

हमारा सागर जिला उद्योग की दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा है। वहां कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। सागर जिले में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की फैक्ट्री खोले जाने की योजना शासन के विचाराधीन है। इसके खोले जाने से वहां की जनता की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। वहां पर जो काफी मात्रा में रॉक-फास्फेट पाया गया है, उसके आधार पर भी एक फैक्ट्री लगाया जाना आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस बारे में निर्णय किया जाये।

हमने अक्सर देखा है कि गांवों व नगरों के गरीब हरिजन लोग छोटे-छोटे ऋण लेने के लिये बैंक जाते हैं तो उन्हें अनेकों बार बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं और बैंकों के अनेकों चक्कर लगाने पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें ऋण मिल पाता है। मेरा निवेदन है कि इनको अधिक से अधिक कर्ज दिया जाय। ऐसा देखा गया है कि जब वह इसके लिए बैंक जाते हैं तो बैंक की तरफ से यह कहा जाता है कि छोटे व्यवसायियों और हरिजनों का कोटा खत्म हो गया है, इसलिए अगले महीने या दो महीनें बाद आओ। अगले महीने या दो महीने बाद जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि कोटा खत्म हो गया है। इसलिए उनके लिए कोटा बढ़ाया जाय और अधिक से अधिक छोटे व्यवसायियों को ऋण दिया जाय।

श्री नरेन्द्र बुढानिया (चुरू) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रधान मंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश के विकास की गति को तीव्र बनाने के लिए जो योजनाएं और कार्यक्रम बनाये हैं उन सब को पूरा करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुदान की पूरक मांगें पेश की हैं मैं उनका हृदय से समर्थन करता हूं।

मैं राजस्थान के चुरू क्षेत्र से चुन कर आया हूं जहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जहां पर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को दस-दस मील से पीने का पानी लेकर आना पड़ता है। जब वर्षा की कमी होती है तो जमीन का पानी भी गहरा हो जाता है और उसमें नमक की मात्रा इतनी हो जाती है कि यदि उस पानी को आदमी पीता है तो वह मर जाता है, पशु पीते हैं तो वे मर जाते हैं। वहां के पानी में बहुत ज्यादा फ्लोराइड है जिस की वजह से बहुत सी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। मेरे जिले में बहुत से गांव ऐसे हैं जिन में लोगों को ऐसी बीमारी मिलेगी कि जिससे उनका शरीर टेढ़ा हो जाता है।

रेगिस्तान ने हमारे देश के लिए हर समय अच्छे सैनिक दिए हैं, अच्छी नस्ल की गायें दी हैं, अच्छी नस्ल के बैल दिए हैं। लेकिन रेगिस्तान के विकास के लिए कभी भी उतना नहीं सोचा गया। वहां लोग मर रहे हैं। वहां आए दिन अकाल पड़ता है। पीने के पानी की विकट समस्या रहती है। सर्दियों के दिनों में भी पानी की बहुत समस्या रहती है।

रेगिस्तान के लिए एक इंदिरा गांधी नहर आई। उनके प्रथम चरण में 232 करोड़ रुपये मंजूर किए गए और दूसरे चरण में 262.5 करोड़ रुपये दिए गए। मैं कहता हूं कि रेगिस्तान के लिए सब से महत्त्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। उस का स्थायी समाधान इंदिरा गांधी नहर से ही हो सकता है। मेरे क्षेत्र चुरू के लोग पानी के अभाव में मर रहे हैं। पानी के अभाव में हमारे क्षेत्र के बहुत से लोग अपने पशुओं को लेकर क्षेत्र छोड़ कर चले गए। इस का स्थायी समाधान इसी इंदिरा गांधी नहर से ही संभव है।

आपने मेरे क्षेत्र के लिए पीने के पानी और सिंचाई के लिए एक लिफ्ट स्कीम बनायी है जिसका नाम चुरू लाडून लिफ्ट स्कीम है। इसी स्कीम पर मेरे क्षेत्र के पानी की समस्या का स्थायी समाधान निर्भर है। भगवान जब पानी नहीं बरसाता है तो वहां के लोगों को लिफ्ट स्कीम

[श्री नरेन्द्र बुदानिया]

से ही पानी मिल सकता है। जब तक आप इस लिफ्ट स्कीम से पानी नहीं देंगे तब तक कभी भी मेरे क्षेत्र का कल्याण नहीं हो सकता है।

यह पानी की समस्या वहां बहुत ही विकट है। जब जनता सरकार शासन में आई तो हमारी इस लिफ्ट स्कीम को उन्होंने खत्म कर दिया जिससे हम दस साल पीछे चले गए। दोबारा कांग्रेस सरकार शासन में आई तो उस ने इस लिफ्ट स्कीम को बनाने का निर्णय लिया। लेकिन इस लिफ्ट स्कीम के लिए यदि केन्द्र सरकार विशेष सहायता नहीं देगी तो हमारे यहां की पीने के पानी की समस्या कभी पूरी नहीं होगी। इसी के साथ-साथ इंदिरा गांधी नहर के लिए भी 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की आवश्यकता है।

ए० आर० पी० में, त्वरित ग्रामीण जल वितरण योजना के तहत जो फारमूला तैयार किया गया है वह जनसंख्या के आधार पर किया गया है जो बिलकुल गलत है। इसका आधार बदलना जरूरी है, नहीं तो हम लोग पीने के पानी की समस्या 30 साल तक हल नहीं कर पाएंगे। पानी की समस्या दूर करने के लिए जो चुरू-लाडन लिफ्ट स्कीम केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, क्लियरेंस के लिए, उसके लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से पुरजोर निवेदन करता हूं कि वे उस योजना को शीघ्रातिशीघ्र मंजूरी दे दें ताकि हमारे क्षेत्र में पानी की जो गम्भीर समस्या है वह दूर हो सके।

पानी के साथ-साथ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान बिजली की समस्या की ओर भी दिलाना चाहूंगा। हमारे यहां कुछ गांव में ही मीठा पानी उपलब्ध है और वहां पर कुयें खुदे पड़े हैं लेकिन बिजली उपलब्ध न होने के कारण उन कुवों का कोई उपयोग नहीं हो पाता है।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि मेरे जिले को उद्योगरहित जिला घोषित किया गया है लेकिन वहां पर पानी बिजली उपलब्ध न होने के कारण इस योजना के अन्तर्गत उद्योगीकरण में कोई लाभ नहीं पहुंचता है क्योंकि पानी बिजली की विकट समस्या सामने आ जाती है।

हमारे 80 प्रतिशत लोग किसान हैं इसलिए मैं एक बात किसानों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। आपने जो फसल बीमा योजना लागू की है उसको मैं बहुत अच्छी योजना मानता हूं और उसका हर जगह स्वागत भी किया गया है। लेकिन मेरे क्षेत्र के लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि इसमें जो तहसील को आधार माना गया है वह हमारे ऊपर लागू नहीं हो पाता है। हमारे यहां एक तहसील के 50 गांवों में से 30 गांवों में तो पानी बरस जाता है, वहां पर अनाज पैदा हो जाता है लेकिन बाकी 20 गांवों में अकाल की स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे यहां तहसील का आधार लागू नहीं हो सकता है। मेरा सुझाव है कि तहसील के आधार के स्थान पर आप गांवों को ही आधार मानें तभी फसल बीमा योजना वहां पर लागू होकर किसानों को लाभ मिल सकता है। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री कमोदी लाल जाटव (मुरैना) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो अनुदानों की अनूपूरक मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। कम से कम 26 विभागों के लिए अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं। मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव दूंगा कि पैसे का आंकलन ठीक हो रहा है या नहीं इसकी जांच करने के लिए संसत्सदस्यों की कमेटी बनाई जानी चाहिए। जो भी निर्माण कार्य होते हैं उनकी जांच करवाई जानी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और करूंगा कि भारत में जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका आंकलन होना चाहिए कि किस निर्वाचन क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। इस बात को भी देखना चाहिए कि कई निर्वाचन क्षेत्र तो ऐसे हैं कि जहां पर दुनिया भर के काम हो रहे हैं लेकिन कई निर्वाचन क्षेत्रों में कोई काम नहीं होता है। इसलिए इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए कि कौन-कौन से निर्वाचन क्षेत्रों में कितने काम हो रहे हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मुरैना है वहां पर कम से कम 9 नदियां बहती हैं और वहां पर कई जगहों पर आवा-गमन के कोई साधन नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चम्बल नदी पर एक पुल बनाया जाये पारा के पास एक पुल बनाया जाये। इन शब्दों के साथ, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो विनयोग विधेयक लाए हैं और संचित निधि से पैसा निकालने की बात कही है उसके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि आज हमारे देश में चारों तरफ आग लगी हुई है, हमारा देश साम्प्रदायिक दंगों में फंस गया है, हमारा देश जातीयता के दलदल में फंस गया है, आतंकवाद में फंस गया है और उग्रवाद में फंसा हुआ है इसका कारण क्या है ? आप जानते हैं जब देश में अशांति होती है तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि सारा पैसा शांति स्थापित करने पर खर्च करना पड़ता है। चाहे कहीं भी दुनिया में इस तरह की बातें हुई हैं। हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन आज धर्म निरपेक्षता कागज तक ही रह गई है। आज जहां देखो, साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। 1946 से पहले पूरे देश में एक भी दंगा नहीं हो पाता था और आज दंगे ही दंगे हो रहे हैं। आतंकवाद जिसको कहा जाता है कि उसको विदेशी शक्ति से बढ़ावा मिल रहा है, यह बात भी सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस राज्य से मैं आता हूं, वहां भी एक आतंकवाद है। यदि अखबारों में आपने पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि बिहार में खास कर मेरे क्षेत्र में आतंकवाद जबरदस्त फैल गया है। मैं आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक के आंकड़े दे सकता हूं। इस दौरान 175 आदमियों की मृत्यु हुई है। जिनमें से 50 आदमी पुलिस की गोली से, कुछ निजी सेनाओं की गोली से और कुछ आतंकवादियो की गोलियों से मारे गए हैं। वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। देश में कानून-व्यवस्था को कायम रखना आपका काम है या आप यह कहकर टाल सकते हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आज पंजाब की क्या हालत है। वही रास्ता बिहार ने भी पकड़ लिया है। मैं आपको बताता हूं कि बिहार में आठ करोड़ की आबादी है और आप कहते हैं कि हम गरीबों को ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहां 30 लाख 14 से 16 वर्ष तक के बच्चों ने आज तक स्कूल नहीं देखा है। जब हमारे देश की यह स्थिति बन गई है, तो उस स्थिति को आपको दुरुस्त करना होगा।

हम लोग बहुत चिन्तित हैं कि हमारे यहां बेकारी बहुत बढ़ गई है। बेकारी को दूर करने के लिए आपको कुछ विकास का काम वहां के लिए करना चाहिए, जिससे वहां के जो नौजवान हैं, जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा है, वे शिक्षित हो सकें और कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो सके। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपके यहां पिछले 8-8 और 10-10 सालों से बहुत सी सिंचाई की योजनायें स्वीकृति के लिए पड़ी हुई है, लेकिन उस दिशा में भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मुहाना डेम की योजना सन् 75 से आपके पास सी० डब्ल्यू० सी० में पड़ी हुई है, पुनपुन परियोजना भी आपके यहां 1980 से पड़ी हुई है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। अगर आप इन योजनाओं की

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

स्वीकृति देने के साथ ही साथ सप्तपंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर निर्माण के लिए आबंटन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें और वहां कदम उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जब यह योजना पूरी हो जाएगी तो हम समझते हैं कि वहां के किसानों की हालत में भी सुधार होगा। वहां लोगों को रोजगार देने के लिए आपको उद्योगों का भी निर्माण करना होगा। जब ये काम होने शुरू होंगे तो लोगों को भी रोजगार मिलेगा और काफी हद तक आतंकवाद की समस्या से भी निवटा जा सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, मैं 1986-87 की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि सरकार तेजी से देश को आगे ले जाने के लिए प्रयत्न कर रही है। जो कार्यक्रम बजट पेश करते वक्त सदन के समक्ष रखे गए थे, उन योजनाओं को आगे ले जाने के लिए धन की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए सरकार को अनुपूरक मांगों की आवश्यकता महसूस हुई।

निश्चित रूप से हिन्दुस्तान आज भी गांवों में बसता है। 80 प्रतिशत लोग आज भी खेती पर निर्भर करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि क्राप इंशोरेंस योजना हमारी सरकार द्वारा चलाई गई, जो कि कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्स में लागू है। मैं निवेदन करूंगा कि 15 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, उससे सारे देश में हर तहसील में और हर गांव में इस योजना को लागू किया जाए। यह मान लिया गया है खेती में सरप्लस लेबर की प्राब्लम है और उसको दूर करने के लिए देश में तेजी से औद्योगीकरण की आवश्यकता है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने तमाम इन्सेंटिव्ज दे कर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया है ताकि देश में तमाम छोटे और बड़े उद्योग खोले जाएं और इस बात का ख्याल किया है कि रीजनल इम्बैलेंसेज को दूर किया जाए। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि 70 करोड़ रुपये की पूरक मांग से नये उद्योगों को सेलेक्टेड बैकवर्ड एरियाज में कायम करने की बात सरकार ने कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो देश का सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उस में बस्ती जिला, जिस में खलीलाबाद निर्वाचन क्षेत्र जो है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, सब से पिछड़ा हुआ है। बस्ती जिले की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। मेरे ही क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र में सारे विश्व में शान्ति का पाठ पढ़ाने वाले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और मेरे क्षेत्र में संत कबीर की निर्वाणस्थली है और मेरे क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। इसलिए इस क्षेत्र में सरकार की ओर से इंडस्ट्रीज लगाई जाएं। वहां पर मोलेसेज काफी मात्रा में उपलब्ध होता है और नेपाल से सटे होने के कारण उस क्षेत्र में स्टील प्लान्ट्स लगाए जा सकते हैं, मिनी सीमेंट फैक्टरी लगाई जा सकती है।

मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स के माध्यम से प्लान्ट और मशीनरी, प्रिंटिंग मशीन, एम० आई० सी० आर०, चेक बुक्स, ट्रैवलर्स चैक बुक्स और पोस्टल स्टेशनरी आदि की छपाई के लिए मशीन मंगाने का प्रावधान किया है लेकिन इस संबंध में एक निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक से जो नोट छपा है, उसमें गलती है। मैं 50 रुपये का नोट निकाल कर आप को दिखा सकता हूं। उसमें संस्कृत भाषा में 500 रुपये देने का वायदा किया गया है और संस्कृत में 'पंचाशत रूप्यकाणि' लिखा हुआ है और फारसी में भी 500 रुपये धारक को देने की बात कही गई है। जो मशीनें आप चैक और अन्य सामग्री की छपाई के लिए मंगाने जा रहे हैं, उनकी छपाई का स्तर क्या ऐसा ही

होगा। हमारे अधिकारीगण इतने योग्य हैं कि 50 रुपये के नोट पर 500 रुपये देने का वचन देते हैं।

इस संदर्भ में यह भी व्यवस्था की गई है कि उन गांवों में जहां बिजली की सुविधा प्राप्त नहीं है, वहां नान-कन्वेंशनल एनर्जी के माध्यम से उक्त सुविधा प्रधान की जाए। मेरा निवेदन है कि गांवों में बायो-गैस, फोटो वोल्टेक सिस्टम, सोलर सिस्टम और स्मोकलैस स्टोवों को गांवों के घर-घर में पहुंचा दिया जाए ताकि वे भी विद्युत की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। मान्यवर, वैसे तो बराबर हम मांग करते रहते हैं लेकिन शासन की ओर से इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। अन्त में मैं एक शेर सुना कर अपनी बात समाप्त करता हूं :

उनका जो फर्ज है उसको जाने वही
मेरा जो फर्ज है, मैंने पूरा किया
मुझको तौहीने साकी गवारा न थी
जाम खाली था फिर भी उठाना पड़ा।

इन शब्दों के साथ मैं सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, 1318.40 करोड़ रुपये की राशि की अनुपूरक मांगों पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारा राष्ट्रीय हित होना चाहिए। यह मुझे मान्य है। लेकिन मैं अपने कर्त्तव्य में असफल रहूंगा अगर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र और राज्य के लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करता। केन्द्र सरकार द्वारा मेरे राज्य के लोगों के साथ विशेषतया केन्द्रीय परियोजना के सम्बन्ध में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। कर्नाटक में एक भी परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई है। यह मैं कह सकता हूं विजयानाग्राम इस्पात योजना से जिसका 15 वर्ष पूर्व श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा शिलान्यास किया गया था और अब मंगलौर तेल शोधक परियोजना पर आता हूं इसी सदन में घोषणा की गई थी कि इसे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया जायेगा। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बंगलौर में संख्या की इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज फैक्टरी स्थापित किया जाना था। राजनीतिक कारणों से इसका उत्तरप्रदेश में स्थानान्तरण किया गया।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : ठीक है, बहुत अच्छा। हम इसका स्वागत करते हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया जारी रखिये।

(व्यवधान)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : हम उसका स्वागत करते हैं। मैं आपत्ति नहीं करता। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि इसकी इकाई बंगलौर में स्थापित की जाएगी। **(व्यवधान)** मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पूरा करने दीजिए।

4.00 म० प०

उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि एक दूसरी इकाई बंगलौर में स्थापित की जायेगी। लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बिजली पर आते-हुए, कर्नाटक राज्य बहुत अधिक बिजली की कठिनाई का सामना कर

[श्री० वी० एस० कृष्ण अय्यर]

रहा है, वहां 80% की बिजली कटौती है। हमने केन्द्र को कई परियोजनाएं भेजी हैं। केगाण में आणविक संयंत्र को छोड़कर अन्य किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

सीधा वित्त मंत्री पर आते हुए हम केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करते आ रहे हैं कि बंगलौर में 120 मेगावाट गैस टरबाइन और चार विभिन्न ग्रामीण हिस्सों में चार छोटे बिजली घर स्थापित करने की हमें अनुमति दी जाए। इनमें विदेशी मुद्रा भी खर्च करनी होगी। दुर्भाग्यवश यद्यपि इन परियोजनाओं के लिए डीजल तेल आयात करने पर जितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी उससे अधिक विदेशी मुद्रा हम कमायेंगे। इस परियोजना को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस टरबाइन परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दी जाए।

रेलवे के सम्बन्ध में हमारे साथ न्याय नहीं किया गया।

अन्तिम मुद्दे पर आते हुए तमिलनाडू के माननीय सदस्य ने कहा है कि जल बटवारे के लिए एक ट्रिबुनल मांग की है। जहां तक अन्तर्राज्यीय नदी जल बंटवारों का सम्बन्ध है, मेरे विचार से उन्हें जहां तक सम्भव हो सके आपसी समझौते द्वारा हल किया जाना चाहिए। मैं ऐसे मामलों को ट्रिबिनुल के पास भेजना है क्योंकि यह यह बहुत लम्बा समय लेता है। कावेरी जल बंटवारे पर, मेरा दृढ़ विचार है कि केन्द्रीय सरकार को इसमें अवश्य रुचि लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्बन्धित राज्यों के बीच कोई समझौता हो जाए।

मेरा अन्तिम मुद्दा पीयरलेस इन्शोरेन्स कम्पनी के सम्बन्ध में है। यह बहुत ही उचित समय है कि इस कम्पनी को राष्ट्रीयकृत किया जाए। यह बहुत आवश्यक है। हाल ही में, कल वहां ग्रामीण बैंक कर्मचारी भूख हड़ताल पर थे। केन्द्र सरकार को इस मामले में रिजर्व बैंक की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का निर्णय लेना चाहिए और उन्हें वाणिज्यिक बैंकों के साथ विलय कर दिया जाए।

4.03 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक मांगों पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भारत सरकार इस धन का सदुपयोग करके देश को मजबूत बनाएगी। इसमें 1318.40 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रावधान किया गया है, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उन्होंने बजट के बाद बहुत से चोर-बाजारियों और कालाधन इकट्ठा करने वालों के यहां छापे मारे और बहुत से कार्यक्रम चलाकर देश के विकास में योगदान किया। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 80.05 करोड़ रुपया बजट में बड़े पैमाने पर जमीन के अधिग्रहण और विकास के लिए रखा गया है। जमीन भूमि स्वामियों से कम कीमत पर ली जाती है और बहुत ऊंची कीमत पर बेची जाती है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जिसकी जमीन चली जाती है वह बेरोजगार हो जाता है, उसको परेशानी होती है। मैं आशा करता हूं कि इस पर विशेष तौर से ध्यान देकर भूस्वामियों को लाभ पहुंचाया जाए।

इसी तरह से फसल बीमा योजना में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, मैं चाहूंगा कि इसको और बढ़ाया जाए और ठीक ढंग से लागू किया जाए। ऐसा न हो कि जैसे

गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम चलाया गया, उसी तरह से फसल बीमा के अन्तर्गत भी कुछ लोगों को फायदा हो।

आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में बाह्य और आन्तरिक शक्तियां इसमें लगी हुई हैं कि हिन्दुस्तान में किसी तरह से अशान्ति पैदा की जाए और नुकसान पहुंचाया जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा धन का प्रावधान किया गया है। मैं चाहता हूं कि इसको और भी बढ़ा दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि देश रहेगा तो हमारी आजादी रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे।

सभापति महोदय, सरकार ने हमेशा माना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन हमारी सरकार जिस गति से देश को आगे बढ़ाने में काम कर रही है, उतनी गति से वह ग्रामों में नहीं पहुंच पाई है, लेकिन फिर भी देश के कृषि वैज्ञानिकों ने और किसानों ने मेहनत करके देश की खाद्यान्न समस्या को हल किया है, मैं चाहूंगा कि किसानों को सही रूप में मदद मिल सके। और किसान आगे बढ़ सकें। किसान धान तो पैदा कर सकता है लेकिन धान को कूट नहीं सकता। ऐसे जो छोटे-छोटे किसानों के ऊपर लगा दिए गए हैं जिनसे किसान को नुकसान होता है, उनको हटा देना चाहिए। इस समस्या को सरकार को अवश्य हल करना चाहिए। उद्योग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। सरकारी उद्यमों में बहुत घाटा होता है। निजी तौर पर काम करने वाले उद्योगों को बहुत लाभ होता है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम, धन देते हैं लेकिन उसका विकास में ठीक तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। एकीकृत ग्रामीण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारन्टी योजना और शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात कही गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लाभ सीधा लाभार्थियों को दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक लागू होता है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक जुलाई से तीस जून तक होना चाहिए। तीन महीने तो वर्षा हो जाती है और तीन महीने बजट पास करने में लग जाते हैं। अन्त में एक बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा। सन् 81 में मेरे क्षेत्र फूलपुर में तत्कालीन कृषि मंत्री जी ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी की उपस्थिति में यह घोषणा की थी कि वहां पर सोडा-एश और चीनी मिल का कारखाना लगेगा। यह आश्वासन भी मुझे दिया गया था कि इस कारखाने को बढ़ाकर अमोनिया का कर दिया जाएगा। मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि न तो चीनी मिल ही लगी और न ही इसको का कारखाना वहां स्थापित हुआ। मुझे आशा है, आप इन सब बातों की ओर विशेष ध्यान देंगे। किसानों की समस्याओं को देखते हुए, एक बात और कहना चाहूंगा। चकबन्दी, भूमि सुधार के लिए की जाती है लेकिन उससे किसानों का शोषण ही होता है। मैं यह बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इस धन के मामले में किसान बीसों साल तक गरीब हो जाता है और झगड़े में फंसा रहता है। मेरा यह सुझाव है कि एक बार चकबन्दी होने के बाद दोबारा चकबन्दी नहीं होनी चाहिए वरना किसान गरीब होता चला जाएगा और झगड़ा ज्यों का त्यों बना रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में जो अनुपूरक मांगे पेश की हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। 1986-87 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कुल व्यय 58033 करोड़ का बताया है और 1318.40 करोड़ की अनुदान मांगों के

[श्री राम सिंह यादव]

व्यय को मिलाकर यह कुल वार्षिक व्यय 59451.40 करोड़ का होगा। माननीय वित्त मंत्री जी जो पैसा इन अनुदानों के माध्यम से ले रहे हैं, उनमें से मुझे विशेष रूप से यह कहना है कि अनुपूरक अनुदानों में पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज के लिए 199.31 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। मैं एक सीधा सा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंग्स हैं उनकी वित्तीय स्थिति और उनका लाभांश बहुत कम है। आज स्थिति यह है कि जो हमारा एनुअल प्लान सदन में पेश हुआ है, उसमें भी यह बताया गया कि राज्य विद्युत मण्डलों में 1990 तक बारह हजार करोड़ रुपए की घाटे की राशि होगी। एक दो पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंग्स को छोड़कर बाकि सभी अन्डरटेकिंग्स में यही वित्तीय अव्यवस्था है। 199.31 करोड़ रुपए में से 144.99 करोड़ योजना मद में और 54.32 करोड़ गैर योजना मद में दे रहे हैं। यह 54 करोड़ रुपया केवल मेन्टीनेन्स के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में क्या होगा, इसके बारे में आपने इसमें स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन यदि आप अपने एक्सपेंडीचर के खाते को देखें, व्यय के खाते को देखें तो आपके केन्द्रीय बजट का लगभग 25 प्रतिशत भाग केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज पर ही जा रहा है। इसके अलावा आपके जितने स्थानीय निकाय है, लोकल पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, जैसे स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन है, डी० डी० ए० है, यू० आई० टी० है, इन सब पर यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर को देखें तो वह 30-35 प्रतिशत है। किसी संस्थान में 30-35 प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर होना, अपने आप में बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करता है। इसको कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस सदन में उन्हें बतायें। क्या आपने इस तरह के कोई नियम या पाबन्दी अपने ऊपर लागू करने का निश्चय किया है, राज्य सरकारों को या पब्लिक अण्डरटेकिंग्स को कुछ ऐसे नियम सुझाये हैं जिनसे वे अपने ऊपर इस तरह की पाबन्दी लगा सकें कि इस व्यय को कम करने के लिए कोई सीलिंग होना चाहिए।

इसके साथ मैं आपसे यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि बजट 1986-87 में आपने कहा था कि एक लॉग टर्म एग्रीकल्चर प्राइस पौलिसी निश्चित करेंगे और किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। इसके साथ वर्ल्ड बैंक की 1985 की एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि हिन्दुस्तान के पास प्रचुर मात्रा में फूडग्रेन्स का स्टॉक जमा है और वह इस स्थिति में है कि फूडग्रेन्स का निर्यात कर सके। यदि हम फूडग्रेन्स का निर्यात करेंगे तो निश्चय ही हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार आएगा। क्या आपने वर्ल्ड बैंक की उक्त रिपोर्ट के अनुसरण में फूडग्रेन्स का निर्यात करने की दिशा में कोई कदम उठाए हैं, क्या निर्णय लिया है, उन्हें भी इस सदन में बताने की कृपा करें। क्या आपने कृषि मंत्रालय को या फूड एण्ड सिविल सप्लाइज मंत्रालय को यह सुझाव दिया है कि देश में फूडग्रेन्स के बफर स्टाक को देखते हुए, फूडग्रेन्स के निर्यात के सम्बन्ध में कदम उठाए। उसका कारण यह भी है कि आने वाली खरीफ की फसल बहुत अच्छी होने की आशा है और उसको रखने के लिए आपके पास जगह नहीं। फिर उसको खरीदने के लिए पैसों की व्यवस्था भी आपको करनी होगी और वह एक बड़ी समस्या पैदा होने की आशा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि फूडग्रेन्स के बफर स्टाक को देखते हुए, उसके निर्यात की दिशा में आपको सशक्त कदम उठाने चाहिए।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि इण्डस्ट्रियल सैक्टर में, जो भी माल आप तैयार करके निर्यात करते हैं, माल तैयार करने वाले को आप बहुत से इन्सैटिव देते हैं, कैश इन्सैन्टिव भी देते हैं और कई कन्सेशन्स भी देते हैं। उसी तरह जो किसान आपके यहां अच्छी किस्म का

बासमति चावल पैदा करता है या फ्रूटस पैदा करता है, केरल का किसान अपने यहां अच्छी जिन्स पैदा करता है, जिसको आप बाहर के मुल्कों को निर्यात करते हैं, क्या उसको भी आप इन्सैंटिव देने पर विचार करेंगे। इस तरह के इन्सैन्टिव देकर आप किसानों को अच्छी कमोडिटी या अच्छी जिन्स पैदा करने के लिए न केवल प्रोत्साहित करेंगे और उसको अच्छा मूल्य मिलेगा परन्तु साथ-साथ आपको विदेशी मुद्रा की भी आय होगी। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी आप सशक्त कदम उठाये और इस सदन को भी उससे अवगत करें।

आपने अभी एक करोड़ टन गेहूं बाहर भेजा है, जिनमें से केवल रूस को 50 लाख टन तथा रोमानिया को 20 लाख टन तथा शेष दूसरे मुल्कों को भेजा है। उसी प्रकार चावल का निर्यात करने के लिए भी आपके पास काफी मात्रा में स्टाक जमा है।

इसके अलावा आपने इन सप्लीमेंटरी डिमाण्डस में बिजली के लिए भी कुछ रुपया मांगा है, नौन कन्वैन्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए तथा इण्डस्ट्रीज को सबसिडी देने के लिए, जो कोई अपनी इण्डस्ट्री बैकवर्ड एरिया में स्थापित करेगा, उनके लिए 70 करोड़ रुपए मांगा है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन, हमारे देश में, टारगैट से बहुत नीचे है। इस दिशा में आपको विशेष प्रयास करने की जरूरत है।

अन्त में, मैं आपका ध्यान वर्ल्ड बैंक की एनूअल रिपोर्ट 1985 के पृष्ठ 108 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें भारत की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है :

[अनुवाद]

भारत में सुदृढ़ आर्थिक विकास

1985 वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थ व्यवस्था अपनी लम्बी अवधि के औसत से ऊपर हो रही सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जो कि 1984 में 8 प्रतिशत थी···

[हिन्दी]

उसके बाद इसमें लिखा है :

[अनुवाद]

जबकि 1984 वित्तीय वर्ष अर्थव्यवस्था में सुधार का कारण कृषि सम्बन्धी उत्पादों में वृद्धि होना था, 1985 वित्तीय वर्ष की अर्थव्यवस्था में सुधार मुख्य रूप से उद्योग धन्धों से हुआ।

कीमतों पर दबाव रखने के लिए सरकार ने कई उपाय किये जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 1985 में मुद्रास्फीति की दर में भारत में 7.2 प्रतिशत की कमी आई

[हिन्दी]

और लास्ट में यह कहा गया है :

[अनुवाद]

पिछले गत वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की अच्छी हालत भारत के बकाया भुगतान में दर्शाया गया है।

[श्री राम सिंह यादव]

[हिन्दी]

मैं वित्त मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत से कार्य करके, विशेष प्रयास करके बजट एस्टीमेटस में आमदनी के स्रोतों को बढ़ाया है और अच्छा कार्य किया है।

मैं यह चाहूंगा कि जो चौथे पे कमीशन की रिपोर्ट है जिसके अनुसार वार्षिक व्यय रुपये 1975 करोड़ का बढ़ेगा, उसको मीट-आउट करने के लिए आप किसी तरह से और क्या वार्षिक बजट में प्रावधान करेंगे। इसके लिए भी सदन में आप एक बजटरी सजैशन लेकर आयेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इन अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नौर) : सभापति महोदय, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का मैं समर्थन करता हूं और योजना और गैर योजना के लिए वर्तमान अनुपूरक मांगों के अधीन कुल मांग 1318.40 करोड़ रुपए की है। अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए अनुदानों के आबंटन के लिए मैं स्वयं को कुछ मदों तक सीमित रखना चाहूंगा कर्नाटक का सदस्य होने के कारण मैं बहुत प्रसन्न हूं कि 25 करोड़ रुपये का ऋण शिपिंग विकास निधि समिति को मछली पकड़ने के ट्रालर खरीदने के लिए दिये गए हैं।

जनगणना के अनुसार केरल की कुल जनसंख्या 7,78,882 में से 1,18,801 घरेलू मछुआरे है। यह संख्या पूरे भारत में मछुआरों की जनसंख्या का 20 प्रतिशत है। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि भारत के कुल मछली उत्पादन का 23.8 प्रतिशत भाग केरल में पैदा होता है। समुद्र से अधिक धन कमाने के लिए इस क्षेत्र में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के काम को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि यह काम केवल परम्परागत मछुआरों द्वारा चलाई गई। सहकारी समितियों को ही सौंपा जाना चाहिए और निजी लोगों को नहीं। यहां मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ट्रालर खरीदने के लिए केरल को विशेष धनराशि आबंटित की जानी चाहिए।

अब मैं कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण और कपड़ा श्रमिकों के पुर्नवास क्षेत्र के आबंटन पर आता हूं जो केवल 3.6 करोड़ रुपये हैं। केरल में एक लाख श्रमिक और उन पर लगभग 5 लाख आश्रित, हथकरघा उद्योग पर निर्भर है। यह उद्योग मुख्य रूप से केरल जिले के कन्नौर कसारागौड, कालीकट और त्रिवेन्द्रम किसी केन्द्रित है। किसी समय में कन्नौर को भारतीय कपड़ा मिलों का मानचेस्टर कहा जाता था। निःसन्देह हमारी कपड़ा नीति प्रशंसनीय है। लेकिन अधिकतर पुराने हथकरघा उद्योग पर निर्भर है। हथकरघा श्रमिकों के पुर्नवास के लिए केरल राज्य को विशेष सहायता दी जानी चाहिए।

तीसरे, केरल के मालाबार क्षेत्र में औद्योगिक पिछड़ेपन पर बल देना चाहता हूं। अनुपूरक मांगों में चुनीदें पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योगों के लिए 70 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। मैं नहीं जानता कि केरल के किसी क्षेत्र को भी इस आबंटन से लाभ होगा। लेकिन मुझे एक बात पर विश्वास है कि केरल के मालाबार क्षेत्र की योजकों द्वारा बिलकुल उपेक्षा की गई है।

मुझे यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि स्वतन्त्रता के पश्चात केन्द्रीय योजना के अधीन छोटा या बड़ा कसार गोड़ कन्नौर; बनाड, कालीकट, मालापुरम आदि जिलों में लगाया गया।

मालाबार की ओर सरकार ने जो रुख अपनाया है केरल में उससे बहुत ज्यादा असन्तोष है। मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष रूप से धन आबंटित किया जाए।

अन्त में गैर परम्पारिक ऊर्जा स्रोतों पर बोलते हुए जिसके लिए 10.82 करोड़ रुपये का आवंटन है मैं सिर्फ तथ्य बता सकता हूं कि केरल राज्य अभूतपूर्व बिजली संकट का सामना कर रहा है चूंकि यह केवल जल विद्युत पर निर्भर करता है। जल ऊर्जा स्रोतों पर मानसून की अस्थिरता विनाश की भूमिका अदा करती है और इस वर्ष 100 प्रतिशत बिजली की कटौती की गई थी। यदि औद्योगिक और घरेलू बिजली की आवश्यकता को पूरा करना है तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का पता लगाना होगा। इसके लिए केरल राज्य को सौर ऊर्जा स्टेशनों या गैर परम्परिक ऊर्जा की अन्य किस्मों के उपकरणों की स्थापना पर विचार करते समय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं चालू वर्ष के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए एक बार फिर से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, आज हमारे देश पर 18,342 करोड़ रुपये का कर्जा है। जिस मुल्क को बराबर कर्ज का 8750 करोड़ रुपया ब्याज का चुकाना पड़े, जो कि डिफेन्स बजट से ज्यादा है, इसी कारण हर साल डैफिसिट बजट आता है। 1974-75 में यह डैफिसिट बजट 725 करोड़ करोड़ का था और आज यह 3650 करोड़ का है। देश की आर्थिक व्यवथा के अन्दर आपका नान- डैवलपमेंटल एक्सपैंडीचर बढ़ता जाता है—

[अनुवाद]

1977-78 में यह लगभग 5,994 करोड़ रुपए था। आज कितना है? आज यह 25,996 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

आपकी सब्सीडी कितनी बढ़ी है। आप समझते हैं कि हम इस हाथ से सब्सीडी देते है और उस हाथ से लेते हैं। आप बड़े अच्छे आंकड़े बताते हैं। 1975-75 में आपकी सब्सीडी 470 करोड़ की थी और आज आपकी सब्सीडी 4741 करोड़ की है। आज आप बड़े-बड़े बैंको की रिपोर्ट कोट कर रहे हैं और देश की बात करना चाहते हैं। कल साठे साहब ने अपने भाषण में कहा कि मुझे 12 साल के अनुभव 9 बार अपने कोयले की कीमत बढ़ानी पड़ी। इसके बाद भी 30 अरब का कोयला गायब हो गया और 12 करोड़ का कंपनीज को घाटा हुआ। यह एक पब्लिक अंडरटेकिंग का सवाल नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, यह उनका स्टेटमैंट आज पेपर में भी आया है कि इतना घाटा हुआ है। आप पब्लिक अन्डरटेकिंग को मदद देते हैं, क्या कभी किसी की एकाउन्टेब्लिटी हुई है। यहां हमारे तिवारी जी तो अभी नये आये हैं। आज 2 हजार करोड़ रुपया खर्च करने के बाद 2 परसैंट का रिटंन होता है सारे प्रोजेक्ट्स हिन्दुस्तान में

[श्री मूल चन्द डागा]

घाटे में जा रहे हैं । सारे बिजली बोर्ड, रोड़वेज, ट्रांस्पोर्ट कार्पोरेशन घाटे में जा रहे हैं । क्या कोई जिम्मेदारी किसी को है । मैं कहना चाहता हूं कि इसलिए आज रुपये की कीमत 15.99 पैसे रह गई है ।

आप सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देते हैं। आज हिन्दुस्तान में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं । आपका कहना है कि अनाज बहुत ज्यादा है । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के लोगों की जो खाने की शक्ति है, उनकी क्रय-शक्ति नहीं है । वह रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं और उनको पैसा नहीं मिलता है ।

आप कहते हैं कि मूल्य निर्धारित कर दिये लेकिन जब फसल पैदा हो जाती है तब मूल्य निर्धारित होते हैं । आप मूल्य पहले निर्धारित कीजिये । आपके मूल्य निर्धारित होने के बाद सेल्स टैक्स लगता है । सेल्स टैक्स के बाद मंडी टैक्स लगता है, फिर ट्रांसपोर्ट चार्जिस लगते, हैं । इसके बाद आप कहते हैं कि हम इतने रुपये का अनाज पहुंचा रहे है । किसको पहुंचा रहे हैं ? कौन सी फेयर प्राइज डिस्ट्रीब्यूटर शाप···यह काम कर रही है ? कोई हिम्मत के साथ इस बात को कह सकता है ? मैं कहना चाहता हूं कि बजट पेश करके आप चाहे जो करें, लेकिन आज कई हजार लोग इस बात को कहते हैं कि अनाज सस्ता नहीं मिलता, कीमतें बढ़ रही हैं । इसके आप ही गुनहगार हैं ।···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महोदय, वह मुझे गाली दे रहे हैं ।

सभापति महोदय : गाली देने के लिए भी डागा जी समय लेंगे ।

[**हिन्दी**]

श्री मूलचन्द डागा : 'चोर की दाढ़ी में तिनका' । आज हमारे देश में पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की हालत बहुत खराब है । आप गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को जितना महंगाई भत्ता देते हैं, उससे कहीं अधिक महंगाई बढ़ जाती है ।

सरकार को 14 परसेंट डायरेक्ट टैक्स से और 86 परसेंट इन-डायरेक्ट टैक्स से आय होती है । आज सब से अधिक गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स देता है । आप एक तरफ कहते हैं कि हम अमीर और गरीब के बीच की खाई को दूर करना चाहते हैं । आपकी जैसी अर्थ नीति है कि उससे यह खाई कभी भी पाटी नहीं जा सकती है । यह डेफिसिट बजट और घाटे का बजट आपको नुकसान पहुंचायेगा । आज आपके ऊपर जो कर्जा है और जो ब्याज देय है उसके होने से देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा ।

आप सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाते हैं और उन्हें महंगाई भत्ता देते हैं, लेकिन गरीब आदमी को उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है । इस पर भी आपको विचार करना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें कार और बंगला आदि दो ।

श्री मूलचन्द डागा : कार बंगला जाने दीजिए ।

सभापति महोदय, यह घाटा बढ़ता क्यों है ? किस कारण से अनुपूरक मांगें बार-बार पेश

की जाती हैं ? इतना ही मंत्री जी से जानना चाहता हूं । महोदय मैं माफी चाहता हूं कि सदन का कीमती समय लिया ।

[अनुवाद]

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, अनुदानों की अनुपूरक भागों पर मुझे बोलने के लिए दिए गए समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं । मैं अनुरोध करती हूं कि मैं कभी कभी, बोलती हूं और बहुत कम बोलती हूं इसलिए जैसे ही मैं बोलना शुरू करूं ता कृपया आप घंटी न बजाएं ।

सभापति महोदय : आप छः मिनट के भीतर बोलिए । उसके बाद मैं घंटी बजाऊंगा । समान्यता: 5 मिनट की अनुमति है परन्तु मैं आपको एक मिनट अधिक दूंगा ।

श्रीमती किशोरी सिंह : मैं 1500 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं । परन्तु मुझे आश्चर्य है कि बजट पारित किए जाने के थोड़े समय बाद ही सरकार को अनुदानों की अनुपूरक मांगों के साथ आने की आवश्यकता महसूस हुई है । बजट पेश करने के कुछ महीने पहले वित्तमंत्रीजी लोगों को कह रहे थे कि इस वर्ष का बजट पिछले बजट से भिन्न होना था क्योंकि बजट नीतियों पर लोगों के बीच गंभीर चर्चा थी । बजट प्रस्तावों के बारे में कोई गोपनीयता या रहस्य नहीं था । मैं वित्तमंत्री जी की उनकी लोकतंत्रीय वृत्ति के लिए प्रशंसा करती हूं ।

हमें यह भी बताया गया था कि बजट शून्य पर आधारित होगा, जिसका मूल तत्व प्रत्येक व्यय के प्रस्ताव की नए सिरे से जांच, इसकी उपयुक्तता की परख होगी । परन्तु क्या बजट ने इन सभी वायदों पर विचार किया है ?

बजट के तुरंत बाद कई परिवर्तन कर प्रस्तावों में परिवर्तन की घोषणा की गई थी । अब हमारे पास अनुपूरक बजट में प्रस्तावित व्यय का एक नया सेट है । इस बीच हमारे भुगतान के संतुलन की स्थिति और मूल्य स्थिति बदतर हो गई । स्थिति से मुकाबला करने के लिए कई तदर्थ उपायों की घोषणा की गई है । शुल्क ढांचे में कई परिवर्तन किए गए हैं । इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हम आय और व्यय की स्थिति जानना चाहते हैं । सदन को राजस्व व्यय आकड़ों से सूचित करना चाहिए । हर समय वित्तमंत्री जी अधिक धन के लिए सदन की मंजूरी मांगते हैं ।

प्रत्येक मद पर, जिनके लिए अनुदान मांगा गया है, चर्चा करते हुए कोई भी इस बात पर आश्चर्य करेगा कि अन्य उन पर पर्याप्त विचार किया गया या योजना में बताए गए खर्चे की प्राथमिकताओं का पालन किया है ।

53 करोड़ रुपए की मद को लें, जो हेलीकाप्टर निगम के लिए आपेक्षित है । सरकार को सिविलियन प्रयोजनों के लिए हैलीकाप्टर सेवा को संभावित रूप से चलाने के वास्ते इस राशि की क्यों व्यवस्था करनी चाहिए ? क्या इसे निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ा जा सकता ? इस मुकाबले में सरकार ने ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों के लिए केवल 11 करोड़ रुपए के लिए कहा है । क्या यह अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य है । मैं मंत्रीजी से इस बारे में जानना चाहती हूं । इस प्रकार की अनेक मदों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था । दिल्ली में भूमि अर्जन करने के लिए 80 करोड़ रुपए की एक राशि मांगी गई है । क्या इसका पहले पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था ? बजट में इतनी ही धनराशि रखी गई थी । यह किस प्रकार से है कि हमें उतनी ही राशि की फिर से आवश्यकता है ? मैं इसको स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं जानना चाहती हूं कि यह

[श्रीमती किशोरी सिंह]

अन्य राशि से किस प्रकार से बराबर होगी। क्या यह अव्यवस्थित बजट का स्पष्ट मामला नहीं है ?

दूसरी बात है कि बाढ़ सहायता के लिए 3 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। बाढ़ें हर वर्ष आती हैं। सरकार को ज्ञात होना चाहिए था कि असल में कितने धन की सहायता की आवश्यकता होगी। मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालें।

मैं सुझाव भी देना चाहती हूं कि सरकार के पास औद्योगिकी मिशन होना चाहिए जो बाढ़ नियंत्रण के मार्गोपाय सुझा सकें जिसके द्वारा लोगों को सर्वनाश से बचाया जा सके जिसमें जान माल की हानि होती है।

रुपए का मूल्य बहाल रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 378 करोड़ रुपए की मांग है। साधारण शब्दों में इसका कारण यह है कि रुपए का मूल्य तेजी से गिर रहा है। मैं समझती हूं कि सरकार को मार्च और जुलाई के बीच मुश्किल से पाच महीनों में रुपए के मूल्य में इस तेजी से गिरावट के कारणों को स्पष्ट करना चाहिए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह हमें बताए कि क्या रुपए का मूल्य और भी गिरेगा। हम कब तक इसके मूल्य को इस प्रकार की बनावटी स्थिति के साथ बरदाश्त कर सकेंगे ? या हमें यह समझना है कि सोच समझकर निर्णय लिए बिना रुपए का वास्तव में अवमूल्यन हो चुका है ?

रक्षा सेवाओं के लिए 400 करोड़ रुपए की मांग है। क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि रक्षा सेवाओं के लिए 4 महीने पहले 10,000 करोड़ रुपए सभा ने मंजूर किए थे और अब फिर दुबारा 400 करोड़ रुपए की नई मांग प्रस्तुत कर दी है ? क्या इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था ?

वित्त मंत्री जी ने कोई गोपनीयता रखे बिना बजट तैयार करने की परम्परा डाली है। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि सुनिश्चित बजट को बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इतने कम समय के भीतर अनुपूरक मांगों की आवश्यकता न पड़े।

[हिन्दी]

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता, हमारे बड़े भाई डागाजी ने कहा है कि गवर्नमेन्ट 48 हजार करोड़ सब्सीडी देती है और उन्होंने कुछ इशारा भी किया कि इसका दुरुपयोग होता है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि सब्सीडी का यह पैसा जिन किसानों को आप देना चाहते हैं उन तक पहुंच नहीं पाता है। चाहे आई० आर० डी० पी० की योजना हो या ट्राइसम की योजना हो आप उसके आंकड़े तो यहां पर बता देते हैं लेकिन प्रश्न यह है कि उसका कितना प्रतिशत उपयोग वहां पर होता है और कितना लाभ उनको मिलता है ? यहां पर श्री त्रिपाठी जी ने 50 रुपए का नोट दिखा दिया लेकिन मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा कि हर रासायनिक खाद के बैग को अगर देख लिया जाये तो उसमें वह वजन नहीं निकलेगा जोकि उस पर छपा रहता है। मेरे लिए यह पासिबल तो नहीं है कि मैं यहां पर खाद

की बोरी लाकर दिखा दूं लेकिन वास्तविकता यह है कि उनमें 5-10 किलो खाद कम निकलती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सब्सीडी का लाभ उस वर्ग को नहीं मिल पाता है है जिसको कि लाभ पहुंचाना चाहते हैं।

इसी प्रकार से आप देखें कि ट्राइसम की योजना है उसके अन्तर्गत एक गांव में आपने 10 आदमियों को दरजी की ट्रेनिंग दिला दी लेकिन वहां पर अण्डरवीयर, बनियान सीने के लिए आवश्यकता केवल दो दर्जियों की है तो ऐसी स्थिति में वे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे क्योंकि उनके लिए वहां पर काम ही नहीं होगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ठीक से प्लानिंग होनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि उसका ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं। यदि इन बातों पर आप उचित ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं आपको अधिक अनुपूरक मांगें लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

एक विशेष बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा। जो छोटे छोटे राहत कार्य खोले जाते हैं विभिन्न स्थानों पर उनके स्थान पर यदि समूह में प्लानिंग करके बड़े कार्य किए जायें तो उनसे अधिक उपलब्धि हो सकती है। आज करोड़ों रुपए छोटी-छोटी कच्ची सड़कों या तालाबों के लिए दे दिए जाते हैं। इस पैसे का वहां पर प्रापर उपयोग नहीं होता है और न इन कार्यों से कोई बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए यदि सम्मिलित रूप में इस पैसे का उपयोग किया जाये तो भविष्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। यह कार्य भी अधिक समय तक चलने वाले होंगे और इन से लोगों को वास्तविक राहत भी मिल सकेगी।

मैं आर्थिक विषमताओं की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अनुपूरक मांगों से संबंधित जो किताब हमें दी गई है उसको देखने से पता चलेगा कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के लिए जो धन आवांटित किया गया है वह अपेक्षाकृत बहुत कम है। इसी वजह में आर्थिक विषमतायें बढ़ती हैं। इसी कारण आज गांवों की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि गांवों से शहरों की ओर लोग जा रहे हैं। गांवों से शहरों की ओर जाने की टेंडेंसी बन गई है और इसी के कारण आज पोल्यूशन, अनएम्पलायमेन्ट और सोशल क्राइम्स शहरों में बढ़ रहे हैं। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि गांवों में एग्रीकल्चर-बेस्ड इण्डस्ट्रीज स्थापित की जायें और जिस स्थान पर जो रा-मैटीरियल उपलब्ध हो वहीं पर उस इण्डस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जाये।

ग्रामीण अंचलों में डेयरी, फिशरीज और फारैस्ट प्रोड्क्ट्स काफी हैं, उस लिहाज से वहां पर इण्डस्ट्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन्डस्ट्री के लिए आप बहुत ही लिब्ररल हैं, सब्सिडी भी देते हैं और रेट आफ इन्टरैस्ट भी कम है, लेकिन किसानों को बैंकों से जो सहायता दी जाती है, उस पर कम्पाउण्ड इन्टरैस्ट लगता है। ऐसी स्थिति में हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि किसानों की स्थिति ठीक हो सकती है, जिनकी 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। इसी संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, किसान की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह बैंक की किस्त अदा नहीं कर पाता है और वह डिफाल्टर हो जाता है और सरकार के जितने नए प्लान्स हैं, योजनायें हैं, जिनसे उन को फायदा मिलना चाहिए, वह डिफाल्टर होने के कारण फायदा नहीं उठा पाता है और न ही उनका उपयोग कर पाता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि छोटे किसान या कृषि पर आधारित जो भी लोग हैं, जो पिछले कई सालों से डिफाल्टर है, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया हुआ है, उनका ऋण माफ किया जाए, ताकि सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का फायदा उठा सकें।

[डा० प्रभात कुमार मिश्र]

इसी प्रकार यातायात के साधन ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने चाहिए। शहरों में तो सड़कें बहुत ही अच्छी बनती हैं, लेकिन गांवों में लोग नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। अपने प्रोडक्टस को सड़क की सुविधा ठीक न होने के कारण मार्केट में नहीं ले जा पाते हैं। यहां तक कि ग्रामीण अंचलों के लोग बीमार व्यक्ति को भी शहर में अस्पताल तक पहुंचाने की भी स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में आप उनके जीवन स्तर की स्थिति का अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। इसी प्रकार बाढ़ और सूखे की स्थिति हर प्रदेश में हर साल आती है। हर साल हम करोड़ों रुपए उससे निपटने के लिए खर्च करते हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से और विशेषकर वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसका स्थायी हल निकाला जाए, चाहे डैम बनाकर तथा जिसका लाभ भी मिले और पैसे का प्रापर उपयोग होना चाहिए।

तीसरी बात मैं समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र कौरबा में दस साल पहले 18 करोड़ रुपए की लागत से कोयले पर आधारित रासायनिक खाद कारखानें का शिलान्यास किया गया था। 2 लाख 18 हजार रुपए प्रति माह खर्च होता है, लेकिन वह योजना बन्द पड़ी हुई है। उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। इस तरह से समयबद्ध कार्यक्रम न होने की वजह से बांध की कीमत बढ़ जाती है और जो योजना 500 करोड़ रुपए की होती है, वह एक साल में साढ़े सात सौ करोड़ रुपए की हो जाती है। इस प्रकार हमको आर्थिक कठिनाई आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हम कार्यक्रम बनायें, वे समयबद्ध हों और उसी समय में पूरे किए जाने चाहिए।

मैं आपका ध्यान कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और काटेज इन्डस्ट्री की ओर भी ले जाना चाहूंगा। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया जाए, ताकि वह भी एक आय का साधन बनें। इसी प्रकार पर्यटन की भी व्यवस्था की जाए; जिससे विदेशी लोग आकर्षित हों और यह भी देश के लिए एक आय का साधन हो सकता है।

अंत में एक शब्द पब्लिक सैक्टर में होने पैसे के दुरुपयोग के बारे में कहना चाहता हूं। पब्लिक सैक्टर में ही नहीं और दूसरे सरकारी उपक्रमों में भी काफी मितव्ययता होती है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि जो पैसे का दुरुपयोग होता है, उस पैसे का दुरुपयोग न हो। वहां से उस पैसे को बचाकर ग्रामीण अंचलों में लगाया जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गैर परम्परागत ऊर्जा के लिए आवंटन बहुत ही कम किया गया है। जैसा कि धुआं रहित चूल्हे के उपयोग के बारे में बताया गया है, तो यह समस्या तो गांवों और शहरों की भी हैं। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान कर देना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, सरकार को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह जितनी राशि चाहे ले सकती है क्योंकि हम इसकी जांच नहीं कर सकते और विपक्ष कमजोर है। परन्तु महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि सरकार भारतीय संचित निधि अर्थात् सार्वजनिक धन से इतना अधिक धन निकालने के साथ क्या कर रही है। सार्वजनिक धन का सम्मान किया जाना चाहिए, इसे किस प्रकार से खर्च करना है, महत्त्वपूर्ण है।

मेरा कहना है कि सरकार का किसानों के प्रति रवैया कठोर है। क्योंकि किसानों के उत्पाद प्रतिबंधित है। उनके उत्पाद बाजार में नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा इन सभी का नियंत्रण किया जाता है। किसान अपने उत्पाद का निर्यात नहीं कर सकता है। किसी भी तरह से विदेश में उनके बाजार नहीं है। सरकार को इस पर नियंत्रण करना होगा जैसा कि उद्योग के विकास में नियंत्रण होता है। विदेशी सहयोग, विदेशी प्रौद्योगिकी आदि के लिए तो सरकार बहुत चिंतित रहती है।

परन्तु किसानों को हिन्दुस्तानी देशी के रूप में रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी किसान के पास खेती के सुधार के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी नहीं हो सकती है। उनके पास अपना कोई बाजार नहीं है। वे अपना उत्पाद निर्यात नहीं कर सकते। परन्तु सरकार उद्योगपतियों को उपकरण और मशीन लाने के लिए धन दे रही है। किसानों को खाद भी नहीं मिल रही है, न ही रियायती दरों पर डीजल और अन्य उपकरण मिल रहे हैं जो अन्य देशों के पास हैं। उन्हें इन उपकरणों का आयात करने की अनुमति नहीं है। यह भारत का मुख्य उद्योग है। यदि भारत प्रगति करना चाहता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास खेती के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। आप बड़े उद्योगों में भारी रकमें खर्च करते हैं। परन्तु इसका कितना उत्पादन है? हमें कितना लाभ हुआ है और राष्ट्र को कितना लाभ हो रहा है? वह धन बेकार जा रहा है। यदि उस धन को किसानों और हमारे लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाए तो भारत की स्थिति बेहतर हो जाएगी।

विश्व बैंक के वर्किंग पेपर 'इकनोमिक रिटर्न टू इनवेस्टमेंट इन इरीगेशन इन इंडिया' में जो अगस्त, 1984 के 'फर्टिलाइजर न्यूज' में छपा है बताया गया है कि कृषि के क्षेत्र में आदान खपत की वृद्धि दर में गिरावट आई है।

जनगणना की रिपोर्ट, राष्ट्रीय आय लेखा और आर्थिक सर्वेक्षणों में बताया गया है कि 1983-84 में रिकार्ड उत्पाद होने के बावजूद खेती हर मजदूरों की आय में 17·5 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि गैर कृषक की मुद्रास्फीति समायोजित औसत आय में 28·6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

फ्रेंच नेशनल एसेमबली को हाउस विदआउट विन्डोज' कहा जाता था क्योंकि वास्तविकता के प्रति उसने अपनी आंखें पूर्णतया मूंद रखी थीं। दुर्भाग्यवश, निर्वाचन की राजनीति में वास्तविकता की अपेक्षा कल्पित बातों को ज्यादा महत्त्व मिलता है।

यह और भी आश्चर्यजनक बात है कि जबकि उन्नत पूंजीवादी देश संरक्षणवादी रवैये को अधिकाधिक अपना रहे हैं, तब तीसरी दुनिया के देश उदार व्यापार नीति पर दबाव डाल रहे हैं अर्थात् घरेलू पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए अधिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। आपको वह नीति बदलनी होगी। जब तक आप वह नीति नहीं बदलते हैं, तो जो कुछ धन आप उद्योग पर खर्च करते हैं, वह बेकार जाएगा और भारत गरीब रहेगा। सरकार से यह मेरा अनुरोध है कि सार्वजनिक धन को बहुत सम्मान दिया जाना चाहिए और केवल देश और इसके लोगों के विकास पर इसका उपयोग करना चाहिए।

***श्री पी० षण्मुख** (पांडिचेरी) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1986-87 के लिए अनुदानों

*मूलतः तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी० षण्मुख]

की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। महोदय पांडिचेरी के संघशासित क्षेत्र की जनता की ओर से मैं सरकार के विचार विमर्श के लिए अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले, मैं इस सदन में 1318.40 करोड़ रुपये की अनुदानों की मांगों का स्वागत करता हूं।

महोदय, मैं पांडिचेरी के संघ शासित क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं अपने चुनाव-क्षेत्र की तुरन्त और बहुत समय से लम्बित समस्यायें सरकार के सामने रखना चाहता हूं ताकि सरकार इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय करे और जनता की मांगों को पूरा कर सके। पांडिचेरी के संघ शासित क्षेत्र में, कराइकल क्षेत्र मुख्यत: कावेरी नदी के जल पर निर्भर करता है जो मेत्तुर बांध से आता है। कराइकल की लगभग 80 प्रतिशत जन-संख्या मुख्यत: कृषि का काम करती है। गत कई दशकों से कराइकल और इसके आस-पास के क्षेत्रों को कावेरी नदी से जल मिल रहा है। सामान्यत: मेत्तूर बांध से छोड़ा गया जल जाकर कावेरी में आता है तंजोर जिले से होकर फिर कराइकल पहुंचता है। समझौते के अनुसार कर्नाटक राज्य को जल की पर्याप्त मात्रा कावेरी में देनी होगी। किन्तु गत चार वर्षों से कर्नाटक सरकार समझौते के अनुसार दिए गये आश्वासन का पालन नहीं कर रहा है। अत: तमिलनाडु में तंजोर जिले और कराइकल के एक बहुत बड़े क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है। और सारा क्षेत्र रेगिस्तान सा दीख रहा है।

सभापति महोदय, कराइकल में 3600 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर धान के खेत हैं। इसमें से लगभग 1375 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सामान्यत: गहरी खुदाई वाले कुंओं द्वारा ही होती है। किन्तु इस क्षेत्र की सूखा स्थिति के कारण भूमि के नीचे जल स्तर भी कम है, अत: गहरे कुंओं में पानी की सम्भावना बहुत कम है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2300 हेक्टेयर से अधिक भूमि कावेरी में पानी न जाने के कारण बंजर पड़ हुई है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि समझौते के अनुसार कावेरी नदी में पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार तुरन्त कार्यवाही करे। इस सम्बन्ध में मैं माननीय वित्त मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि पांडिचरी संघ शासित प्रदेश कराइकल सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाए और राहत उपायों के लिए पांडिचरी सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए शीघ्र उपाय किए जायें।

महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है पांडिचरी का संघ शासित प्रदेश अब कई वर्ष से पांडिचरी से वायु सेवा आरम्भ करने की मांग कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री को याद दिलाऊंगा कि ऐसा एक सुझाव पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि पांडिचरी को वायु सेवा उपलब्ध कराने के इस प्रस्ताव पर विचार करे और चालू वर्ष के बजट में से राशि का आबंटन करें ताकि पांडिचरी देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों के साथ जोड़ा जा सके जहां वायु सेवा सुविधायें उपलब्ध हैं।

महोदय, मैं अपने युवा और गतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को पूरी सहायता तथा छूट प्रदान करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। पांडिचरी के संघ शासित प्रदेश में बहुत से लोगों ने पांडिचरी को फ्रांसीसी शासन के विरूद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया और इस क्षेत्र का भारत के साथ विलय कराया। फ्रांस की सरकार ने इन स्वतन्त्रता सेनानियों के विरूद्ध चोरी, आगजनी और लूट-पाट के अनेक निराधार आरोप लगाए और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी प्रभावी भूमिका को पूरी तरह छुपा कर रखा। इसके अतिरिक्त उस अवधि के

दौरान उन व्यक्तियों के महत्वपूर्ण रिकार्ड भी फ्रांसीसी प्रशासन द्वारा नष्ट किए गये जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप जो व्यक्ति पांडिचरी की स्वतन्त्रता के लिए सचमुच स्वतन्त्रता संग्राम में लगे हुए थे इस स्थिति में नहीं हैं कि वह कोई ऐसा प्रमाण दे सकें कि वह स्वतन्त्रता सेनानी थे और उन्हें कोई पेंशन नहीं दी जा रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उनकी शिकायतें सुनी थीं, जो स्वयं देश से बाहर निकले थे, और उन्होंने उन्हें उनके मामलों की ओर सहानुभूतिपूर्ण ध्यान देने का आश्वासन दिया। महोदय, पांडिचरी में स्वतन्त्रता संग्राम को एक अलग ही ढंग से देखा जाए, और इसकी तुलना ब्रिटिश शासन के विरूद्ध स्वतन्त्रता संग्राम से न की जाए। अतः इस मामले के गुणावगुणों को विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए। इसमें पहले ही देर हो चुकी है और मैं सरकार से पुरजोर निवेदन करता हूं कि पांडिचरी में रहने वाले इन स्वतन्त्रता सैनानियों को अधिक समय लिए बिना पेंशन की मंजूरी दे दी जाए।

सभापति महोदय, देश के अन्य भागों की भांति, पांडिचरी में भी विद्युत का अत्यन्त अभाव है। विद्युत के अभाव के कारण पांडिचरी को औद्योगिक इकाइयां अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती हैं और इससे उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं सरकार पर जोर देता हूं कि पांडिचरी में एक ताप विद्युत घर स्थापित किया जाए जिससे पांडिचरी के उद्योगों को निरन्तर विद्युत मिलती रहे और उत्पादन जोरों पर होता रहे।

अन्त में, पांडिचरी में पहले से ही एक दूरदर्शन केन्द्र है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कराइकल और माहे में दुरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने पर विचार करें। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री आर० जीवरत्नम** (आर्कोनम) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सदन में वर्ष 1986-87 के लिए प्रस्तुत अनुदानों की अनूपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। महोदय, चूंकि इस बात की आशा की गई है कि चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए जो बजट प्रावधान किया गया उससे ऊपर 1318.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा, अनुदानों की वर्तमान अनुपूरक मांगें सरकार ने विनियोजन के लिए प्रस्तुत की हैं।

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अनुपूरक मांगों में योजना व्यय के लिए 256.24 करोड़ रुपये की राशि जबकि गैर-योजना खर्च के लिए 1062.16 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है। जब प्रत्येक व्यक्ति योजना खर्च के प्रस्ताव से सहमत है, मेरी समझ में नहीं आता कि 1062.16 करोड़ रुपये की भारी रकम गैर-योजना खर्च के लिए क्यों अलग रखी गई है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तावित गैर-योजना खर्च को घटाया जाना चाहिए।

महोदय, बहुत समय पूर्व वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने इस सभा में व्यय कर के सम्बन्ध में एक विधेयक लाया था। किन्तु वह अधिक समय नहीं चला। केन्द्रीय सरकार ने भी व्यय कर की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया था, किन्तु अन्त में वह आयोग भंग किया गया। किन्तु अब हम देखते हैं कि सरकार का खर्च प्रति वर्ष बढ़ता ही जाता है। महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को नियमित समय पर महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों की किश्तें देते रहे। किन्तु साथ ही मैं सरकार को यह चेतावनी, देना चाहता हूं

*मूलतः तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० जीवरत्नम]

कि कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किश्तें देने से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बोझ पड़ जाएगा। ज्यों ही सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते की घोषणा की जाती है, तो शीघ्र ही बेईमान दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता तथा अन्य सामान के मूल्य बढ़ा दिए जाते हैं। इस प्रकार, गरीब तथा गैर- वेतनभोगी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए सरकार रुपये के अधिक नोट छापती है। इससे देश में आर्थिक गतिविधियों में श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है और आवश्यक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते है और अन्त में देश को मुद्रा-स्फीति की स्थिति का सामना करना पड़ता है। महोदय, यदि सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई कठिनाई है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। किन्तु यदि देश की आर्थिक स्थिति में कोई अव्यवस्था है तो इसका सुधार करना बहुत कठिन है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किश्तें देने के बदले खाद्यान्न, कपड़ा तथा दूसरी उपभोक्ता वस्तुयें दे। केन्द्रीय सरकार को कम से कम अपने कर्मचारियों को कम मूल्यों पर खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें देनी चाहिए। महोदय, मुझे मालूम हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में प्रति वर्ष चूहे तथा कीड़े लगभग 20 लाख टन खाद्यान्न खा जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में लगभग 230 लाख टन खाद्यान्न भरे पड़े हैं। यह खाद्यान्न खराब होने से पहले केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इन्हें सरकारी कर्मचारियों तथा कमजोर वर्गों को कम दामों में देने की व्यवस्था करे। इसी प्रकार इनके भण्डार में 200 करोड़ रुपये मूल्य की कपड़ा-निर्मित वस्तुयें और 100 करोड़ रुपये मूल्य की हथकरघे पर बनी हुई वस्तुयें हैं। यह वस्त्र तथा हथकरघे की वस्तुयें देश की सम्पत्ति हैं। इनके खराब होने से पूर्व मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मशीन तथा हथकरघे से बना हुआ कपड़ा सरकारी कर्मचारियों तथा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हम दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्रों में भी मूल्य-वृद्धि को रोक सकते हैं और अधिक नोटों के छापने को भी रोक सकते हैं। देश में स्फीति की प्रवृत्ति को रोकना भी सम्भव है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इन मुद्दों की ओर ध्यान दें।

महोदय, गैर सरकारी क्षेत्र में भी व्यय बढ़ता ही रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने इस बात की जांच के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। इस अध्ययन दल ने पहले ही सभी गैर सरकारी क्षेत्र के संगठनों को ज्ञापन भेज दिया है। सरकार को अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त होते ही गैर सरकारी क्षेत्र के कार्य के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में अध्ययन दल की सिफारिशों की ओर ध्यान दिया जाएगा और तत्पश्चात सरकार को यह बताना चाहिए कि गैर सरकारी क्षेत्र के बढ़ते हुए खर्च के सम्बन्ध में उन्हें क्या कार्यवाही करनी चाहिए।

जहाँ तक मांग संख्या 64 का सम्बन्ध है दस्तावेज में कहा गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए 70 करोड़ रुपये खर्च का करने प्रास्ताव है। यह बहुत कम राशि है और देश के सभी पिछड़े क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त 31-3-1987 तक 70 करोड़ रुपये खर्च करने हैं। किन्तु, इस अवधि के पश्चात् इस सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है, सरकार ने यह बात स्पष्ट रूप में नहीं कही है। इस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन है। महोदय, इस समय पिछड़े क्षेत्र केवल जिला स्तर पर घोषित किए गए हैं। बहुत समय से मैं सरकार से निवेदन करता रहा हूं कि ब्लाक स्तर पर भी पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाए ताकि

ब्लाक स्तर पर भी उद्योगों की स्थापना हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हाल ही में सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि ब्लाक स्तर पर भी पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा।

महोदय, मांग संख्या 3 के अन्तर्गत मछुआ जाल-पोतों की खरीद के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है। माननीय मंत्री से मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह राशि पूरी तरह से स्वदेश में ही मछुआ जाल-पोत बनाने में लगाई जाए ताकि हम विदेशी मुद्रा बचा सकें।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री आर० जीवरत्नम : इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

5.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1986-87 से सम्बन्धित अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए, सबसे पहले मंत्री जी का ध्यान आपकी मार्फत एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि हम यहां पर बैठकर तो काफी वाहवाही लूटा करते हैं कि किसानों ने अनाज के मामले में इस देश को आत्म-निर्भरता प्राप्त करा दी, परन्तु बिना मैकेनाइजेशन के यह सम्भव नहीं हो पाया। मान्यवर, जहां हमारे देश में 1961 में 800 ट्रेक्टर बना करते थे, आज 85,000 ट्रैक्टर बनते हैं। लेकिन क्या हर किसान को हम ट्रैक्टर उपलब्ध करवा पाए हैं, जो एक आर्डिनरी साधारण किसान है। एक ट्रैक्टर की कीमत एक लाख रुपए है जब कि एक मारुति कार की कीमत 75 हजार रुपया है। मुझे समझ नहीं आता कि किस मुंह से हम कहें कि हम एग्रीकल्चरल बेस्ड इण्डस्ट्री की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। यह कैसी विडम्बना है कि जब हम एग्रीकल्चरल इनपुटस के दामों की तरफ दृष्टि डालते हैं तो एक छोटे से छोटे पार्ट की कीमत फारमर की पहुंच से बाहर है। सारे इनपुटस के दाम बढ़े हुए हैं। यदि आप कोई भी छोटे से छोटा इनपुट खरीदने जायें तो वह इतना महंगा है जिसका वर्णन यहां नहीं किया जा सकता।

जब हम मैकेनाइजेशन आफ फार्मिंग की बात करते हैं या यील्ड को बढ़ाने की बात करते हैं, या मैकेनाइजेशन करने की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें सबसे पहले एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फ्लड और ड्रौट ये दोनों नेचुरल केलेमिटीज अक्सर आती रहती हैं और भारत सरकार 50:50 के रेश्यो में राज्य सरकारों को मैचिंग ग्रान्ट के रूप में कुछ राशि दिया करती है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मैचिंग ग्रान्ट की राशि 70:30 के अनुपात में दी जाए, जिसमें 70 प्रतिशत भाग भारत सरकार दे और 30 प्रतिशत राज्य सरकार दे। जहां से मैं आता हूं, उत्तर बिहार में बराबर बाढ़ की या सूखे की प्रक्रिया जारी रहती है। हमारे पूर्वांचल के कई दोस्त यहां बैठे हुए हैं वे भी जानते हैं कि सारा इलाका बाढ़ से तबाह रहता है। हमसे कहा जाता है कि 50 प्रतिशत आप स्वयं खर्चा करो तो 50 प्रतिशत हम आपको देंगे। परन्तु हमारे जैसे स्टेट के लिए यह खर्चा करना सम्भव नहीं हो पाता और इस कारण हर साल हजारों करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान होता है। हमें 50 प्रतिशत

[श्री मनोज पांडे]

ग्रान्ट देने में भी काफी विलम्ब हुआ करता है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र का भाग बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया जाए और उसी आधार पर हर राज्य को मैचिंग ग्रान्ट का भाग मिले।

बाढ़ की समस्या से सटी हुई ड्रेनेज की समस्या भी बहुत भयानक है। ड्रेनेज की समस्या से निपटने के लिए हमने अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना नहीं बनाई है, नेशनल पौलिसी बना कर काम नहीं किया है। यह प्रौब्लम भी बाढ़ के समकक्ष बहुत जटिल समस्या है। बाढ़ के कारण स्थान-स्थान पर पानी जमा हो जाता है और वह काफी समय तक जमा रहता है जिससे एल्कैलिटी और डेजटिफिकेशन की समस्या उत्पन्न हो रही है। जहां पर बड़ी-बड़ी नदियां और नहर हैं उनके आसपास ये समस्याएं बढ़ रही हैं। ड्रेनेज की समस्या को सुलझाने के लिए नेशनल बेसिस पर, राष्ट्रीय आधार पर कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

5.03 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि हम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात बराबर कहा करते हैं कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए। बिहार स्टेट के फूड कार्पोरेशन ने भारत सरकार को लिखा था कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलाने में वह हमारी मदद करे, उसमें कुछ फाइनैन्शयल एसिस्टेंस की जरूरत थी, परन्तु मान्यवर, आज तक हम चर्चा करते रह गए परन्तु हमें कोई पैसा नहीं मिला। स्टेट फूड कार्पोरेशन चाहता था कि भारत सरकार से हमें कुछ पैसा मिले ताकि हम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिला सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार और पूर्वांचल सभी जगह एक जैसी स्थिति है, हमारे पूर्वांचल के यहां बैठे हुए दोस्त मेरी साक्ष्य देंगे, कहीं पर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती। राय जी, आप बहुत सही कह रहे हैं। जब कहीं पर किसानों मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती तो फिर यहां उसकी घोषणा करने का क्या फायदा ? यदि हम किसानों को सपोर्ट प्राइस दिला नहीं सकते तो हमें यहां उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसलिए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, आप के माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान दो-तीन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं।

हमारे द्वारा समय-समय पर बगहा छितौनी रेलपुल बनाए जाने की मांग की जाती रही है। मुझे मालूम है कि इस समय रेलवे से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको प्रयत्न करना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन रेलवे विभाग को इस पुल को शीघ्र बनाने के लिए पैसा उपलब्ध कराये ताकि वह अपना रोलिंग स्टाक सुधार सके तथा उन स्कीमों को पूरा कर सके जो केवल पैसों के अभाव में अधूरी पड़ी हुई हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, मैं यह चाहूंगा कि वे अपने गुड आफिसेस यूज करें ताकि रेलवे प्रशासन को प्लानिंग कमीशन कुछ पैसा दे और वे रालिंग स्टाक बदल सकें और जो दूसरी अधूरी योजनाएं पड़ी हैं, उनको पूरी कर सकें।

मान्यवर, रोहतास इंडस्ट्री के 30 हजार मजदूर बेकार पड़े हैं जिसके कारण लगभग डेढ़ लाख लोगों के भोजन और पानी की समस्या खड़ी हो गई है। वे भूखों मर रहे हैं। इसी प्रकार उत्तरी बिहार में एक अशोका पेपर मिल है, उसका भी यही हाल है। अगर दोनों मिलों के मजदूरों को मिला देंगे, तो 50 हजार से ऊपर मजदूर आज बेघर पड़े हुए हैं और आज आप पानी और दूध की बात करते हैं, उनको तो कम से कम एक समय का भोजन भी नसीब नहीं हो

रहा है। इसलिए इस गम्भीर समस्या की ओर भारत सरकार को सोचना चाहिए और रोहतास इंडस्ट्री को खुलवाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इन अनुदान की मांगो का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महेन्द्र सिंह...

श्री अनूपचन्द शाह। चार मिनट।

[हिन्दी]

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स फॉर ग्रान्ट्स रखी गई हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन मांगों का समर्थन करने के साथ-साथ मेरे संसदीय क्षेत्र में जो दो-चार बातें हैं, उनकी ओर मैं, माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स रखी गई हैं इनमें खासकर टेलीकम्युनिकेशन के बारे में कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, जो हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें भी टेलीकम्युनिकेशन को कम से कम महत्त्व दिया गया है। जब हम इक्कीसवीं सदी में जाने की बातें करते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि पोस्ट एण्ड टेली-कम्युनिकेशन के बिना हम कैसे इक्कीसवीं शताब्दी में जा सकेंगे। मेरे संसदीय क्षेत्र का कुछ भाग महानगर टेलीफोन में और कुछ भाग महाराष्ट्र सर्कल में आता है, लेकिन एक अप्रैल के बाद, जब से टेलीफोन निगम की स्थापना की है तब से मेरी समझ में नहीं आता है कि पिछले चार महीनों के अन्दर महानगर टेलीफोन निगम की ओर से क्या काम किया गया है, वह क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसने तो यह हो गया है कि इसके पहले जो कार्य चल रहा था, वह भी बन्द हो गया है। लोग तो सोचते होंगे कि टेलीफोन निगम में हमारा क्षेत्र आ जाने से पता नहीं क्या-क्या सुविधाएं वहां मिल गई होंगी और अच्छी व्यवस्था हो गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे तो यह लगता है कि जो कार्य चल रहा था, वह कार्य इस टेलीफोन निगम की स्थापना से बन्द हो गया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक माननीय सदस्य श्री प्रिय रंजन दास मुंशी जी ने कहा था कि हमारे कलकत्ता को महानगर टेलीफोन निगम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं कि इसके अन्तर्गत आपका कलकत्ता शहर नहीं आया है, वरना आप भी हमारी तरह से ही कहते।

मेरे क्षेत्र के अन्दर टेलीफोन की रिक्वायरमेंट के लिए 1971 से एप्लीकेशन्स पेंडिंग पड़ी हैं और हम एक नया क्षेत्र नहीं दे सकें हैं।

मान्यवर, इसके अलावा मैं फूड एण्ड सिविल सप्लाईज के बारे में कहना चाहता हूं। आपने माडर्न फूड इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रावधान किया है, वह सही बात है। आज से पांच-छः महीने पहले मैंने कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में गुजरात और महाराष्ट्र मे एडीबल आयल के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। गुजरात और महाराष्ट्र के अन्दर ग्राउण्डनट ऑयल होता है और वहा के लोग इसी ऑयल को ज्यादा पसंद करते हैं। वहां पर आप सरसों और कोकोनट ऑयल भेजेंगे, तो उसका कोई उपयोग वहां नहीं हो सकता है। आज वहां ग्राउण्डनट ऑयल का भाव 23-24 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है जिसके कारण आज

[श्री अनूप चन्द शाह]

वहां यह स्थिति हो गई है कि गरीब जनता को मूंगफली का तेल खाने को नहीं मिल रहा है और आगे आने वाली वाले समय में तो और भी हालत खराब होने वाली है। अगर वहां पर इसकी सही व्यवस्था नहीं हुई तो, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने छः महीने पहले पूरा सर्वे वहां का किया था, आने वाले दिनों में 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वहां पर ग्राउण्डनट ऑयल मिलने वाला है। इसलिए इस समस्या की ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, इसके बाद, मैं सिविल एविएशन के बारे में माननीय मंत्री के ध्यान में एक दो बातें लाना चाहता हूं। आप हैलीकॉप्टर कार्पोरेशन की स्थापना करने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी इंडियन एयर लाइन्स की व्यवस्था है और जो एयर इंडिया की व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। इनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल पा रही हैं और ऊपर से आप एक और कार्पोरेशन की स्थापना करने जा रहे हैं। इंडियन एयर लाइन्स की व्यवस्था दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। हमें लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप तो जन-प्रतिनिधि हैं, आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। बम्बई जैसे एयरपोर्ट पर कन्वेयर बैल्ट 6-6 महीने तक नहीं चलते हैं। 5 कन्वेयर बैल्ट में से एक काम करता है। वहां पर दिन-प्रति-दिन व्यवस्था खराब होती जा रही है लेनिन फिर भी हम इंडियन एयर लाइन्स की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री वी० कृष्ण कुमार** (चिकबल्लापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1986-87 की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। कुल 1318.40 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। मैं तहेदिल से इन मांगों का स्वागत करता हूं और अब मैं इस सम्बन्ध में सभा के समक्ष कुछ सुझाव रखूंगा।

सर्वप्रथम, मैं वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री माननीय श्री जनार्दन पुजारी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने निर्धन लोगों की सहायता के लिए हिमालय से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। भारत सरकार निर्धनों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का भरसक प्रयास कर रही है। मुझे विश्वास है कि यदि बैंकों के प्रबन्धक और अन्य सम्बन्धित कर्मचारी हमारी सरकार को पूरा सहयोग दें, तो हमारा देश प्रगति के नए युग की शुरूआत करेगा।

जहां तक जल सुविधाओं का सम्बन्ध है, कर्नाटक को बड़े खराब समय का सामना करना पड़ रहा है। इस राज्य को 5 वर्ष से लगातार भारी सूखे का सामना करना पड़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इस राज्य का दौरा किया है और अपनी आंखों से लोगों की हालत देखी है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बागेपल्ली ताल्लुक में रहन-सहन की परिस्थितियां बहुत ही खराब हैं। कुल जनसंख्या का एक-तिहाई भाग अपने घर छोड़कर नौकरी की तलाश में अन्य जगहों पर चले गए हैं। उनमें से कुछ लोग स्थायी रूप से पड़ोसी राज्य आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडू में आकर बस गए हैं। इस क्षेत्र के पशुओं के लिए चारा नहीं है और 80% पशुओं को कसाइयों को दे दिया गया है। लोगों के पास न खाने के लिए भोजन है और न पीने के लिए पानी। वास्तव में भारत सरकार को इस क्षेत्र की गम्भीर स्थिति की पूरी जानकारी है। मुझे खेद से कहना पड़ता

*मूलतः कन्नड़ में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है कि कर्नाटक सरकार इस समस्या का सामना करने में पूरी तरह असफल हुई है। राज्य सरकार द्वारा जो राहत उपाय किये गए हैं, वे सन्तोषजनक नहीं है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि वह लोगों की रक्षा करे। अपर भाद्रा और अपर तुंगा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि यही इस क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान है। इससे हम 20 लाख एकड़ शुष्क भूमि को खेती योग्य बना पायेंगे और इससे 1 करोड़ 31 लाख से भी अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा। इन परियोजनाओं से समूचे तुमकुर, कोलार, चित्रदुर्ग जिलों और बंगलौर जिले के एक भाग की जल सम्बन्धी जरूरतें पूरी हो सकेंगी। जब तक इन परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जाता तब तक भारी सूखे वाले क्षेत्रों के लिए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया जाना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गहरी खुदाई वाले कुंओं की संख्या तुरन्त बढ़ाई जानी चाहिए। इस अनुपूरक बजट में किसानों को लाभकारी मूल्य दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए।

मेरे राज्य में शिक्षा सुविधाओं की भी कमी है। मेरे क्षेत्र में दूर-दराज के कई गांवों में स्कूलों के लिए भवन नहीं है। मैंने देखा है कि अध्यापक बच्चों को पेड़ों के नीचे पढ़ाते हैं। कई जगह तो स्कूलों में अध्यापक ही नहीं हैं। अतः मेरा भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वे बच्चों को शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आगे आयें। मेरा यह सुझाव है कि एन० आर० ई० कार्यक्रम के तहत स्कूलों के भवन बनाए जाने चाहिए।

कर्नाटक औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। मैं कोलार जिले से निर्वाचित हूं जहां सोने की कई खाने हैं। सोने में अयस्क की प्रतिशतता में काफी कमी आई है। यह पता चला है कि कोलार में सोने की खानों का काम बन्द होने जा रहा है, जिससे 14000 श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। गोवरीबिदानूर में चीनी का सहकारी कारखाना बन्द होने से हजारों श्रमिक बेकार घूम रहे हैं। इस कारखाने को तुरन्त चालू कराया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध मे कदम उठाए जाने चाहिए कि कोलार गोल्ड फील्ड्स की सोने की खाने बन्द न की जायें। कोलार एक बहुत ही पिछड़ा जिला है और इस जिले में और अधिक उद्योग खोले जाने चाहिए।

बंगलौर और बेल्लारी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संचार का महत्त्वपूर्ण मार्ग है। इस राजमार्ग की हालत खराब हुई पड़ी है और पिछले 4 वर्षों से यहां मरम्मत का काम नहीं हुआ है। इस मार्ग पर रोज हजारों वाहन चलते हैं और रोज कई दुर्घटनायें होती हैं। अतः इस राष्ट्रीय राजमार्ग की तुरन्त मरम्मत की जानी चाहिए।

दोड्डाबल्लालुर कर्नाटक का एक प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्र है। यह व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र है। इस क्षेत्र के लोग काफी अर्से से यहां एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। यहां इसके लिए सब सुविधायें उपलब्ध हैं और यह बंगलौर शहर के बिल्कुल नजदीक है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि दोड्डाबल्लापुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए।

मैं पुनः अनुपूरक मांगों का स्वागत करता हूं। इस महत्त्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया गया उसके लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन में पेश की गई अनुपूरक

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

मांगों का समर्थन करता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में विशेष धन राशि आवंटित की है।

मैं सर्वप्रथम वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि खेती पर जो हमारे देश की जनता निर्भर करती है, उसमें मूल्य का निर्धारण सही और समय पर अवश्य किया जाना चाहिए। आज देश में सभी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, मजदूरी बढ़ी है, खेती के काम में आने वाले सभी साधन बढ़े हैं, मगर उससे उत्पादन को देखा जाये तो मालूम होगा कि किसान को, उसके द्वारा उत्पादित चीजों के दाम पूरे नहीं मिलते हैं।

जहां तक उद्योगों और व्यवसायियों का प्रश्न है, वह जब चाहें चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं। जहां तक ग्रामीण विकास का प्रश्न है, मैंने पहले भी इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया था।

आज गांवों की हालत बड़ी दयनीय है। आज अनेकों गांवों में मार्ग नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, विद्युत नहीं है, पेय जल की अनेकों योजनायें अपर्याप्त हैं, अस्पताल नहीं है और प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं। इसके लिए आप अधिक धन का अवंटन करें। आपने राज्यों को जो धनराशि आवंटित की है, वह भी अपर्याप्त है। मथुरा जिले की साढ़े तीन करोड़ की आर० एल० जी० पी० के अन्तर्गत आने वाली योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजी है। अभी हमारे जिलाधिकारी ने बताया है कि उसको स्वीकृत करने में केन्द्र सरकार आना-कानी कर रही है। हमें यह भी जानकारी मिली है कि ग्रामीण अंचलों में मार्ग बनाने के लिए जो रुपया दिया गया था, उसको भी काट लिया गया है। यह काम बहुत ही आवश्यक है।

ग्रामीण अंचलों की सिंचाई की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। वहां नहरों और रजवहों की कमी है। उन की सफाई और मरम्मत के लिए न केन्द्र सरकार पैसा देती है और न प्रान्तीय सरकार कोई धन आबंटित करती है। लघु सिंचाई योजनाओं के लिए प्रान्तीय सरकार ने केन्द्र को लिखा था लेकिन केन्द्र सरकार ने मना कर दिया है कि हम रुपया प्रोवाइड नहीं करेंगे। पिछले वर्ष प्रति ब्लाक 60 लोगों को पैसा मंजूर किया गया था लेकिन इस वर्ष वह मना कर दिया है।

इस के साथ ही शहरों की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शहरों में पेय जल, वहां की स्वीपेज व्यवस्था, सफाई और सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक पैसा शहरों के सौन्दर्यीकरण के लिए भी दिया जाय।

एक सुझाव में यह रखना चाहूंगा कि भारतवर्ष के जितने तीर्थस्थल हैं उन की दशा सुधारी जाय। मैं भी मथुरा से आता हूं जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। वहां की पवित्र नदी यमुना जी की सफाई और प्रदूषण की समस्या की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कार्य को अवश्य लिया जाना चाहिए। साथ ही लाखों तीर्थ-यात्री जिन तीर्थ-स्थानों पर हर साल आते हैं वहां के जीर्ण-शीर्ण मन्दिरों का जोर्णोद्धार किया जाना चाहिए।

मथुरा में यमुना नदी पर दो पुल वर्षों से विचाराधीन हैं—एक वृन्दावन और दूसरा शेरगढ़, इन पुलों के बनने से बहुत बड़ा लाभ मथुरा ज़िले को और उस के आस पास के जिलों को होगा। उनके लिए अवश्य धन आवंटित करें।

[अनुवाद]

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं केवल एक दो टिप्पणियां करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम है । आप केवल मुद्दे बताइए ।

श्री एन० टोम्बी सिंह : महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं । इसका समर्थन करते हुए मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा । मणिपुर की केन्द्रीय परियोजना लोकटक जल-विद्युत परियोजना औद्योगिक विकास तथा उस क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे अन्य पहलुओं के लिए अत्यन्त सहायक है । किन्तु इस लाभ के साथ-साथ इससे किसानों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ी हैं, इससे धान के हजारों हेक्टेयर भूमि स्थाई रूप में जलमग्न हुई है । इसके साथ केबुल-लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हिरन की असाधारण किस्में सुरक्षित हैं जो केवल मणिपुर में उपलब्ध हैं । इससे आस-पास के ग्रामों का जनजीवन भी प्रभावित होता है । प्रभावित लोग दुविधा में हैं । अतः प्रश्न इन किसानों को मुआवजा देने और पुनर्वास का है, क्योंकि मणिपुर की इस घाटी में भूमि का अत्यन्त अभाव है । 2000 वर्ग कि० मी० का इसका क्षेत्र कृषि, उद्योग के सभी दबाओं और 2/3 से अधिक जनता की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करती है । अतः मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय सरकार प्रभावित लोगों को मुआवजे के भुगतान और वैकल्पिक भूमि प्रदान करने के लिए प्रबन्ध करें ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि संस्कृत और कला मंत्रालय के अन्तर्गत इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट को 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं । मैं इसका स्वागत करता हूं । पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो भारत की पुरातन कलाओं की और विशेषकर उत्तर-पूर्वी मणिपुरी संस्कृति की बहुत प्रशंसा करते थे, हम पहले ही संगीत नाटक अकादमी के अन्तर्गत एक नाटक अकादमी चला रहे हैं और इस बात की पहले से ही मांग की गई है कि इसको देश के उन सभी कॉलिजों और स्कूलों की देख-भाल के लिए विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए जो कि मणिपुरी नृत्य को प्रोत्साहन देने हेतु समूचे देश में चलाए जा रहे हैं । ताकि यह अन्य संस्थाओं की तुलना में ऊंचा रहे और प्रभावशाली ढंग से इनकी कला में एक स्तर पैदा कर सके । मैं आशा करता हूं कि सरकार सम्बद्ध विभागों द्वारा इन दो सुझावों की ओर ध्यान देगी ।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद । मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख रहा था, उसको देखने से लगता था कि भारत ने बड़ी द्रुत गति से प्रोग्रेस की है—एग्रीकल्चर, इण्डस्ट्री तथा अन्य सभी क्षेत्रों में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नयी फिस्कल पालिसी में जहां औद्योगिक क्षेत्र के लिए नयी आशायें बंधी हैं, एक नया आर्थिक वातावरण बना है और प्रोग्रेस की गति तेज हुई है उसके साथ ही साथ हमारे देश में जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं, जो क्षेत्रीय विषमतायें हैं वह आज भी जैसी की तैसी बनी हुई हैं । उत्तर प्रदेश को अभी खाद में छूट नहीं मिली । इण्डस्ट्री के मामले में हम इतने पिछड़े हुए हैं और खासतौर से जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, और उत्तरी बिहार भी जो है वहां पर तो उद्योग-धंधे नाम को कोई चीज है ही नहीं । छोटे-छोटे पुलों के लिए या नहरों की सफाई के लिए कुछ प्रावधान करते है लेकिन यह क्षेत्र अधिकांश रूप से किसान-बहुल क्षेत्र है और वहां पर इन 80 फीसदी ग्रामीण लोगों को अपने उत्पाद का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है । उनको

[श्री राज कुमार राय]

प्रोत्साहन नहीं मिलता है, सपोर्ट-प्राइस नहीं मिलती है और प्रापर सब्सीडी नहीं मिलती है। इन किसानों ने अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर कर दिया लेकिन जो मजदूर हैं उनके लिए जो आपने ऐन्टीपावर्टी प्रोग्राम चलाए हैं, एन० आर० ई० पी०, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, आर० एल० ई० जी० पी०, ट्राइसम या जितने भी इस प्रकार के आपने ऐन्टी-पावर्टी प्रोग्राम चलाए हैं उनके सम्बन्ध में मैंने कई बार इस सदन में ध्यान आकर्षित किया है और आज भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि ये गरीबों के हित में नहीं हैं क्योंकि इनका ज्यादा पैसा अधिकारियों की टेंट में चला जाता है, 30-40 प्रतिशत से अधिक मजदूरों को नहीं मिलता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन प्रोग्राम्स की प्रापर मानिटरिंग होनी चाहिए।

इसके साथ ही साथ देश में जनसंख्या के दबाव को रोकने के लिए फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में टेलि-कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिरंजीलाल शर्मा। आप 5·30 तक समाप्त कीजिए। कल मंत्री उत्तर देंगे। यदि कुछ मुद्दे हैं तो आप मंत्री तक पहुंचा दीजिए···

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : कितने मिनट ?

उपाध्यक्ष महोदय : तीन मिनट बाकी हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : यह संयोग है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिखा गया ? क्या यह संयोग है या जानबूझ कर ऐसा किया गया है ? मैं विरोध के तौर पर नहीं बोलूंगा···

उपाध्यक्ष महोदय : जान-बूझ कर नहीं। मैं उस सूची के अनुसार चलता हूं जो मुझे दी गई है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं नहीं चाहता कि आकाशवाणी से मेरे नाम का प्रचार हो कि मैंने कोई योगदान दिया है। आखिरकार हम तो यहां अपना कर्त्तव्य निभाने के लिए आए हैं। हम संसद सदस्य हैं और जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता हूं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा आधे घंटे की चर्चा पर बल दे रहे हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : हमारा यह अधिकार है कि हमारी बात सुनी जाए। मेरा नाम इसमें है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : क्या मैं एक निवेदन कर सकती हूं ? मैं माननीय सदस्य से निवेदन करती हूं कि वह उत्तेजित न हों। हम कल फिर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं। तत्पश्चात् मंत्री उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : तब तो ठीक है। श्री डागा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा इस विषय पर नहीं बोलेंगे···

एक माननीय सदस्य : वह पहले ही बोल चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें इस विषय पर बोलने के लिए नहीं बुलाता हूं। 5.30 पर उन्हें आधे घंटे की चर्चा करने का अधिकार है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या यह कल भी जारी रहेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया ने अभी यही कहा है ? कल चर्चा के लिए आधा घंटा दिया जाएगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या यह कल भी जारी रहेगी या आधे घंटे की चर्चा की समाप्ति पर जारी रहेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया यदि कुछ सदस्य आधे घंटे की चर्चा की समाप्ति पर भी बोलना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं ?

श्रीमती शीला दीक्षित : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूर्ण रूप से उनसे सहमत हूं।
(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप आधे घंटे की चर्चा समाप्त होने के पश्चात् भी बोलना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु आधे घंटे की चर्चा की अवधि पूरी होने के पश्चात् अधिक समय मत मांगिए, यह बात मंत्री ने भी स्वीकार की है।

कुछ माननीय सदस्य : हम कल बोलेंगे।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : आधे घंटे की चर्चा सदस्य की सहमति से स्थगित की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं है। कल अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। श्री मूल चन्द डागा आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे।

5.31 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

जल की कमी के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधे घंटे की चर्चा आपकी आज्ञा से उठा रहा हूं।

[श्री मूल चन्द डागा]

[अनुवाद]

भारत में जल संसाधन प्रकृति के मूल्यवान उपहार हैं। इस पर एक प्रश्न था। वह यह था :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन शुष्क अर्द्धशुष्क और उपाद्रीक्षेत्रों के बारे में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जो शताब्दी के अंत तक अत्यधिक जल की कमी का सामना कर सकते हैं ;

(ख) क्या वनों को नष्ट किये जाने तथा रेगिस्तान का विस्तार होने से जलचक्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा नदियों, झीलों और भूमिगत जल दूषित होने के कारण स्वच्छ जल की कमी का सामना कर सकते हैं ;

(ग) क्या भारत में स्वच्छ जल संसाधनों का लगभग 70 प्रतिशत असंसाधित घरेलू कूड़े-करकट तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के बहाये जाने का कारण प्रदूषित होना बताया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का जलसंसाधनों के संबंध में अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुये दीर्घकालीन मिट्टी और जल संरक्षण योजनायें बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

बड़े दुःख की बात है, हमारे मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है।

[अनुवाद]

(क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ड॰) कोई सुस्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि; सरकार ने भण्डारण जलाशय, बड़े और छोटे अवरोध बांध नाला बांध, अवनालिका मुंहबंदी आदि जैसी विभिन्न जल तथा मृदा संरक्षण स्कीमें हाथ में ली हैं।

[हिन्दी]

अगर इस प्रकार के उत्तर ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर मंत्री महोदय द्वारा दिए जायें और सदस्य असंतुष्ट हों, तो अध्यक्ष महोदय ने इस पर आध घण्टे की चर्चा उठाने की इजाजत दी है। देश में आज कल सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल है कि देश में विशाल पैमाने पर रेगिस्तान बन रहा है। हिन्दुस्तान की भूमि का 14 प्रतिशत भाग डैजर्ट है। मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूं और उस रिपोर्ट के आधार पर

[अनुवाद]

"संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण कार्यक्रम : भारत में विकास योजना में रेगिस्तान के फैलाव को अभी तक गंभीर पारिस्थितिक समस्या नहीं समझा जाता है, यद्यपि रेगिस्तान के फैलाव के कारण विश्व की 14% भूमि भारत में हैं।"

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान में बड़े पैमाने पर बराबर डेजर्ट बढ़ते जा रहे हैं और इस का एक उदाहरण मैं आप को देना चाहता हूं :

[अनुवाद]

भूमि के अनुचित उपयोग से जो भूमि-जल वनस्पति प्रणाली में अस्थिरता लाता है उससे रेगिस्तान का फैलाव होता है।

[हिन्दी]

गढ़वाल और टेहरी में लास्ट इयर यह पोजीशन थी। मैं रिपोर्ट में से पढ़ रहा हूं :

[अनुवाद]

"....सोतों के स्रोत सूख रहे थे 2700 पेय जल आपूर्ति योजनाओं में से इन पर्वतीय क्षेत्रों में, 2,300 परियोजनाएं जल के स्रोतों के सूखने के कारण निष्क्रिय हुए थे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि अगर इस प्रकार से बड़े पैमाने पर डेजर्ट बढ़ते गये, तो आगे क्या स्थिति होगी। सारे पेड़ कट गये और फौरेस्ट एरिया जो पहले 43 परसेन्ट था, आज 9 परसेन्ट ही रह गया है। पेड़ कटे और जमीन की मिट्टी बही और बह कर नदियों में चली गई और सारी नदियों में, झीलों में और तालाबों में आज मिट्टी भरी हुई है और पानी बहुत कम है। पेड़ों के कट जाने से सारे पहाड़ नंगे हो गये और मिट्टी जो नदियों, तालाबों और झीलों में गई, उस से उनका पानी भी सूखने लग गया। इस का कारण मैं आपको बताता हूं :

[अनुवाद]

जल स्रोतों पर यूकलिप्टस के जलीय प्रभाव का आस्ट्रेलिया में सी० एस० आई० आर० ओ० के जल वैज्ञानिक विभाग ने विधिपूर्वक अध्ययन किया है। लम्बी अवधि के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि वर्षों के दौरान 1000 मि० मी० से कम अवक्षेप से, यूकलिप्टस द्वारा भूमि की नमी और भूमिगत जल में कमी हुई है। अध्ययन के पांच वर्षों में से एक वर्ष में 1,477 मि० मी० वर्षा से जल की स्थायी कमी दूर हुई है।

[हिन्दी]

ये जो यूकलिप्टस के पेड़ लगाए गये, सफेदे के जो पेड़ लगाए गये, वे जमीन का पानी ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं और इस रिपोर्ट में यहां तक बतलाया है :

[अनुवाद]

पूरे देश में यूकलिप्टस की वृहद् योजना के परिणामस्वरूप जल संसाधनों की शीघ्र समाप्ति के रिपोर्ट उपलब्ध है।

[हिन्दी]

बिहार में, कर्नाटक में और दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार के सफेदे के पेड़ लगाने के कारण क्या हालत हो रही है, यह रिपोर्ट में उन्होंने दिया है। मैं महाराष्ट्र के जो माननीय सदस्य हैं,

[श्री मूल चन्द डागा]

उन को बतलाना चाहता हूं कि गन्ने की जो खेती हो रही है, उसका नतीजा यह ही रहा है कि गन्ना ज्यादा पानी ले रहा है। इस रिपोर्ट में इस के बारे में यह दिया हुआ है:

[अनुवाद]

ऐसा करने से भूमिगत जल का अधिक उपयोग हुआ है। महाराष्ट्र की भूमिगत जल सर्वेक्षण और विकास एजंसी ने देखा है कि राज्य के 1,481 वाटरशेडों में, 14 जिलों में फैले 77 वाटरशेडों का अधिक उपयोग किया जाता है। यह समस्या अहमदनगर, सांगली, जलगांव, धूले और नासिक के 5 जिलों में अत्यन्त गम्भीर है। जल-गहन खेती के लिए जल के दुरुपयोग से पेय जल की और वस्तुओं की गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है।

[हिन्दी]

यह महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र के माननीय सदस्य क्यों ऐसा कह रहे थे, उन्हें मैं बताना चाहता था। राजस्थान में भी पानी इतना नीचे चला गया है कि आने वाले समय में भूगर्भ में पानी बहुत कम मिलेगा और जो पानी की कमी हो रही है उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में मेरे खयाल से पानी हमको राशन से मिलेगा, थोड़े दिनों में यह हालत होगी। जल वैज्ञानिकों ने जो बात कही है, मैं वह बात बताना चाहता हूं। आज साइल इरोजन के कारण जो हालत हमारे देश की हो रही है, इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जहां पर पानी है वहां पर उसका दुरुपयोग हो रहा है, पंजाब की नहरों से काफी पानी बेकार चला जाता है, उस पानी से हजारों बीघा जमीन खराब हो गई है। इसी तरह से चंबल के अंदर इतना पानी बहाया जाता है कि काफी जमीन खराब हो रही है, सीपेज से, वाटर लागिंग के कारण मध्यप्रदेश में यह हो रहा है, इस तरह से हालत हो रही है। (व्यवधान)

मैं नहीं जानता कि जो माननीय सदस्य बीच में बोल रहे हैं, उनको बोलने का अधिकार है या नहीं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जो वाटर-रिसोर्सेस हैं हमारे पास, उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है। मैंने देखा है कि आपके यहां पर वाटर-रिसोर्सेस को काम में नहीं लिया जा सका। 15 हजार करोड़ रुपया आपने इरीगेशन प्रोजेक्ट्स पर लगा दिया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जल-संसाधन मंत्री जो आज हैं वे देखेंगे कि कितने फिगर्स हैं—

[अनुवाद]

सतही जल की अधिकतम-क्षमता 735 लाख हेक्टेयर है, और 1984-85 तक 343 लाख हेक्टेयर का ही उपयोग हुआ।

[हिन्दी]

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी पानी के बारे में क्या हालत हो रही है—

[अनुवाद]

"1950 में योजना बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी, तब से देश में सिंचाई पर 15000 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और यह कहा गया है कि 600 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई कर सकने की क्षमता तैयार की गई है।"

[हिन्दी]

लेकिन पानी का उपयोग नहीं हो रहा है, हमने खुद नहीं जाना कि पानी का उपयोग कैसे किया जाए। आपने खुद भी यह कहा है कि एक राष्ट्रीय जल नीति बनेगी, लेकिन कब बनेगी। इसके लिए बड़े अच्छे-अच्छे भाषण यहां पर दिए हैं, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि देश में राष्ट्रीय जल नीति बननी चाहिए, जबकि 70 परसेंट पानी हमारे देश में प्रदूषित है। देश की नदियों में, झीलों में, तालाबों में कारखानों का गन्दा पानी जाता है और 70 परसेंट पानी पोल्यूटेड हो रहा है और ये विभाग हमारे देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आने वाले समय में अगर मैनेजमेंट सही नहीं किया गया तो बड़ी परेशानी होगी। मद्रास में क्या हुआ, दो साल पहले मैं वहां गया था तो पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई थी। कर्नाटक में भी पानी की आवाज आ रही है। आज गंगा के किनारे पर कई ऐसे हिस्से हैं जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसी प्रकार आज दिल्ली में भी पानी के लिए तरस रहे हैं। जमीन की सारी मिट्टी बह गई है पाट नंगे हो गए हैं और नदी का पानी पोल्युटेड हो गया है। सरकार क्या कर रही है। सरकार कहती है कि हमने एक जल नीति बनाई है।...(व्यवधान)

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में नदियों, झीलों, पहाड़ी झरनों और भूगर्भ में जल की मात्रा सन्-50 में कितनी थी और आज कितनी कम हो गई है। इस बारे में फैक्ट्स आप बतायेंगे कि आपका विभाग क्या करता है। पानी की निरन्तर कमी को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। पानी, मानव के लिए अमूल्य निधि है, उसका प्रबन्ध ठीक करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है। वाटर लागिंग के कारण जो पानी खराब होता जा रहा है, जमीन खराब हो रही है, उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सिंचाई के इतने साधन होने के बावजूद, पन्द्रह हजार करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद या खरबों रुपए के बावजूद, इस बाढ़ ने जो देश को तबाह कर दिया, पानी का दुरुपयोग होने लगा, पानी समुद्र में जाने लगा, मीठे पानी का स्रोत कम होने लगा, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उसके लिये यह विभाग अपनी क्षमता का क्या परिचय देता है। क्या सरकार यह बतायेगी कि महाराष्ट्र के वे भाग जहां पानी की अत्यन्त कमी है और जहां गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर न की जाए, उसके लिए क्या प्रबन्ध करेंगे। कर्नाटक उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां पानी की कमी है, बड़े पैमाने पर सफेदे के पेड़ न लगाए जाएं, उनके लिये क्या उपाय किए जाएंगे। टिहरी गढ़वाल और अन्य जगहों पर कटाव के कारण जल स्रोतों में कमी आई है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है। राजस्थान के बढ़ते हुए रेगिस्तान में जहां भूगर्भ के नीचे का पानी काफी कम हो गया है, उसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। शंकरानन्द जी ने विज्ञान भवन में बड़े शानदार और जोशीले शब्दों में राष्ट्रीय जल नीति के बारे में बड़ा अच्छा भाषण दिया है। वह जल नीति कब तक बनायेंगे और कब तक उसे कार्यान्वित करेंगे और कितना रुपया उस पर खर्च होगा। अगर आप घन्टी नहीं बजाते तो सारी डिटेल मैं बता सकता था। अगर हमने जल्दी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी और एक लोटे पानी के लिये तरसना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केवल जल संसाधनों की ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और अन्य सम्बन्धित मामलों की अनेक प्रकार की

[श्री बी० शंकरानन्द]

समस्याओं को सामने रखा है। उन्होंने ठीक प्रश्न उठाया है और हमने प्रश्न संख्या 112 का 24-7-86 को उत्तर देने की कोशिश की थी।

मैं कह सकता हूं कि एक ही प्रश्न में उन्होंने शुष्क अर्धशुष्क और उप-आर्द्र क्षेत्रों के विषय में और पानी की कमी की जटिल समस्या के सम्बन्ध में कई बातों को उठाया है। तीसरी, बात जो उठाई है वह है वन कटाई, नदियों, नहरों, तालाबों के प्रदूषण के कारण जल चक्र अल्पवधित हो जाने के परिणामस्वरूप ताजे जल की कमी हो जाना। उन्होंने प्रदूषण तथा जल परिक्षण के विषय को उठाया है। आधे घण्टे की चर्चा उठाते समय उन्होंने रेगिस्तान के विस्तार गंध सफेदा वृक्षों का विकास और उसके द्वारा देश की योजनाओं को बनाने में दोष, सतही जल का बहुत अधिक उपयोग, पीने के पानी की कमी, भूक्षरण और अप्रत्यक्ष रूप से जल के सम्भावित संसाधनों का अनुचित उपयोग आदि कई विषयों को उठाया है उन्होंने पंजाब का हवाला दिया है जहां उनके अनुसार जल के अत्यधिक उपयोग के कारण जल भराव होना, भूमि का लवणीय होना और भूमि की उपयोगिता घटना जैसी समस्यायें पैदा हो रही हैं। शायद वह सोचते हैं कि रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए राजस्थान को इस तरह पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिससे राजस्थान के सभी मरुस्थल समाप्त हो जाए।

श्री बी० शंकरानन्द : हमने प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है और मेरे विचार से उन्हें उत्तर से कोई शिकायत नहीं है शुरू में उन्होंने राष्ट्रीय जल नीति का उल्लेख किया था। मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिला सकता हूं और माननीय सदस्य को सूचित करता हूं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जल संसाधन सरिपद द्वारा नियुक्त मन्त्रियों के समूह ने इस देश की जल संसाधन की समस्याओं जैसे विकास क्षमता को उत्पन्न और प्रयोग करना, मवेशियों, पशुओं और मानव के लिए पीने के जल की आवश्यकता, वनों के पुनः रोपण के लिये जल की आवश्यकता और साथ ही जल संग्रह और भूमि पर जल का विकास, जल संसाधन की नई निर्मित संभावनाओं तथा उनके उपयोग के बीच अन्तर को कम करना और अन्य विभिन्न मामलों पर गौर किया है।

मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि एक अन्य दिन मंत्रियों के समूह ने पांच दिनों की बैठक के बाद प्रारूप नीति पत्र को अन्तिम रूप दे दिया है और इस नीति-पत्र को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् के आगे रखा जायेगा। विचार विमर्श और चर्चा के बाद इसे अन्तिम रूप से अपनाने के लिए देश द्वारा जल नीति अपनाने से पहले सदन को इस पर चर्चा का लाभ होगा। अतः माननीय सदस्यों को इस बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शीघ्र यह देश एक जल नीति को अपनायेगा और प्रत्येक सदस्य का लोगों का और संसद का इस जल नीति के अलग-अलग पहलुओं के प्रति योगदान होगा।

पीने के पानी से सम्बन्धित यह सच है कि देश ने कई सूखा वर्षों का सामना किया है और विशेष रूप से कुछ राज्य लगातार 3-4 वर्षों से सूखे का सामना कर रहे हैं। इस वर्ष अगर भगवान ने चाहा और वर्षा हुई तो हमारी स्थिति में सुधार होने की आशा है। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि पीने के जल की समस्या मुख्य रूप से मानवीय जनसंख्या; मवेशी जनसंख्या, पशुधन और वन्य जीवन से सम्बन्धित है 1981 की जनसंख्या के अनुसार इस देश की जनसंख्या 68.5 करोड़ पहुंच गई थी। आज इसका अनुमान 76 करोड़ का है। इस शताब्दी के अन्त तक यह जनसंख्या का 98.6 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। इस समय जनसंख्या वृद्धि की जो

2.2% वार्षिक दर है उसके हिसाब से जनसंख्या सन् 2050 ईसवी में जाकर स्थिर होने की आशा है, और तब यह 120 करोड़ से 130 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है।

जनसंख्या की इस वृद्धि को देखते हुए पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। इस जनसंख्या को पालने के लिए स्वाभाविक रूप से कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा। इसी प्रकार के कई उद्योग ऐसे हैं जिनमें पानी की भी खपत होती है, इस प्रकार प्लासटिक और अन्य वस्तुओं के इस युग में देश के विकास के साथ लगातार पानी की मांग बढ़ती जाएगी। धीरे-धीरे कृषि का स्थान उद्योग लेते जायेंगे। इसलिए कई क्षेत्रों से मांग बढ़ेगी।

पीने के पानी के बारे में मैं कह सकता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा शुरू किये गए 20 सूत्री कार्यक्रम का यह एक हिस्सा है। उन्होंने पीने के पानी की पूर्ति पर बल दिया। छठी योजना के शुरू में 2.31 लाख समस्या प्रधान गांव थे जिनमें शुद्ध सुरक्षित पीने के जल का प्रावधान करना था। तीव्र प्रयासों और भारी निवेश के फलस्वरूप 1.92 लाख समस्या प्रधानगांवों और 0.45 लाख गैरसमस्या प्रधान गांवों को छठी योजना के दौरान पानी उपलब्ध कराया गया। यह लक्ष्य बहुत अधिक निवेश के कारण सम्भव हो सका जबकि आरम्भ मे इतने अधिक निवेश की कल्पना नहीं की गई थी। यह निवेश राशि 2457.63 करोड़ रुपये थी जिसमें से राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अनुसार यह 1538.98 करोड़ है और केन्द्र क्षेत्र में यह 918.65 करोड़ रुपया है।

सातवीं योजना के दौरान जल्दी से लोगों को पीने के पानी की पूर्ति का विचार है विशेष रूप से केवल समस्या प्रधान गांवों पर ही बल देते हुए नहीं बल्कि देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाले गांवों को जल देने का लक्ष्य भी है। इस क्षेत्र में, केवल सरकार ही कुछ करने का नहीं सोच रही है। हम बड़े पैमाने पर जल पूर्ति योजना के प्रबन्ध और निष्पादन में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने भी जा रहे हैं। इन उद्देश्यों के लिए 1985-86 के लिए 0.50 करोड़ रुपये की राशि और 1986-87 के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है।

मुझे इन बातों में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं। मैं इस सदन और माननीय सदस्यों को केवल आश्वासन देना चाहूंगा कि पीने के पानी की बढ़ती हुई समस्या से सरकार अवगत है। राष्ट्रीय स्तर मीटिंग से पहले मैंने केन्द्र संघ राज्यों और राज्य के सिंचाई मन्त्रियों की क्षेत्रीय बैठक की थी। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार और सभी राज्यों के लोग पीने के पानी की समस्या पर गम्भीरता से ध्यान दे रहे हैं।

6.00 म० प०

इस बात पर बल दिया गया है कि सिंचाई परियोजना को स्वीकृति देने से पहले सर्वप्रथम प्राथमिकता यह है कि अगर पीने के पानी का अन्य कोई वैकल्पिक स्रोत न हो तो उस परियोजना में पीने के पानी की व्यवस्था अंग रूप में अवश्य होनी चाहिए। यह सबको स्वीकृत है। इस प्रकार हम इस समस्या का हल करने जा रहे हैं।

माननीय सदस्य ने मरुस्थल के विस्तार के विषय में पूछा है। मरुस्थल का विस्तार केवल बालू के टिल्ले बन जाने और भूक्षरण से ही नहीं होता। मरुस्थल का विस्तार कई कारणों से होता है जैसे भूमि के उपयोगी तत्वों का नाश होना तथा वनों का सफाया। गम्भीर भूक्षरण, पानी

[श्री बी० शंकरानन्द]

जमाव से भूमि का लवणीय होना, और कई अन्य कारणों से ऐसा होता है। भू-क्षरण को रोकने के लिए विशेष योजनाएं और विशेष कार्यक्रम हैं। मैं जानता हूं कि नदी घाटी जल ग्रहण क्षेत्र में गम्भीर भू-क्षरण से नदी में मिट्टी जम जाती है। इसको रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम भी किये गए हैं, विशेष निधि भी प्रदान की गई है, विशेष कार्यक्रम बनाये गए हैं और हम भू-क्षरण और अवसादन रोकने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि सतही जल का अधिक दोहन हुआ है और सांगली और महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादकों के विरुद्ध एक शिकायत है राजस्थान में कोई भी गन्ना उत्पादन क्षेत्र नहीं है, और वह अपने राज्य में इतना अधिक गन्ना उत्पादन करने के लिये प्रशंसा के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें पेड़ लगाने दो।

श्री बी० शंकरानन्द : इन्दिरा गांधी नहर के बनने पर हमारी आशा पूरी होने की संभावना है। राजस्थान के सभी सदस्य खुश होंगे कि उनका रेगिस्तान क्षेत्र हरियाली और चरगाह से पूर्ण होगा, लोगों को कृषि और पीने के पानी की सुविधायें उपलब्ध होंगी। हमें आशा है कि इन्दिरा गांधी नहर योजना जल्दी पूरी हो जाएगी। और सरकार इस विषय में बहुत गम्भीर है। मैं जल्दी ही इस क्षेत्र का दौरा करने जा रहा हूं और वहां की समस्याओं को देखूंगा। मैं सहमत हूं कि सतही जल के बहुत अधिक दोहन के कारण गन्ने के खेतों पर जो लोग निर्भर नहीं हैं उन्हें पीने के पानी की बहुत कमी का सामना करना पड़ रहा है पीने के पानी की कमी के कारण गरीब लोगों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

जब तक सिंचाई क्षेत्रों में फसल उगाने के तरीकों पर सख्ती से नियन्त्रण नहीं किया जाता शायद हम उसे नहीं सुलझा पायेंगे। लेकिन जैसा कि कहा है कि जब हमने इसे स्वीकार कर लिया है। शायद सिंचाई परियोजनाओं में पीने के पानी पर अधिक बल दिया जा रहा है।

उन्होंने भविष्य के विषय में प्रश्न किया है। उन्हें भविष्य के विषय में निराश नहीं होना चाहिये। हम गर्व के साथ 21 वीं सदी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वह राष्ट्र को मजबूत और शक्तिशाली बनायेंगे और वह इस समस्या को सुलझा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रदूषण के बारे में भी पूछा है।

श्री बी० शंकरानन्द : नदियों के किनारों पर जनसंख्या की वृद्धि के साथ प्रदूषण का होना निश्चितरूप से एक स्वाभाविक बात है। हमारे पास विशेष कार्यक्रम है और इस सदन ने प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम के बारे में चर्चा की है। और यदि सदन इसमें फिर से दिलचस्पी लेता है तो प्रदूषण पर वाद-विवाद की व्यवस्था की जा सकती है तथा हम, इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक रेगिस्तानी क्षेत्र मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। यहां थार का रेगिस्तान है। अभी मंत्री महोदय जी जवाब दे रहे थे कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में इन्दिरा नहर बहुत ही उपयोगी साबित होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे पीने के पानी का स्थायी हल हो सकता है और इसके साथ-साथ वनों का विकास हो सकता है? आज

राजस्थान गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है कि वह इसका निर्माण अपनी शक्ति से कर सके। यह परियोजना 1968 में शुरू हुई थी। 18 साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में ढाई सौ करोड़ रुपये का प्रावीजन किया है। जैसे कि पहले छठी पंचवर्षीय योजना में 40 करोड़ की मदद केन्द्र सरकार ने दी थी वैसे ही 200 करोड़ की जो मदद राजस्थान सरकार ने माँगी है, वह मदद देकर इन्दिरा गांधी नहर को पूरा करेंगे जिससे कि रेगिस्तानी क्षेत्र का जो विस्तार हो रहा है, उससे रोका जा सके।

दूसरा प्रश्न यह है कि आज हिन्दुस्तान में फोरेस्ट 13 परसेंट रह गये हैं। विशेषज्ञों की यह राय है कि 33 परसेंट फोरेस्ट होने चाहिए। इस परसेंट में और कमी न आ जाये यानि कि 6 परसेंट न हो जायें, इसके लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है आप अकाल और बाढ़ का कौन सा स्थायी हल निकालने जा रहे हैं ? अगर इनका स्थायी हल कर देंगे तो यह सब समस्यायें हमेशा के लिए हल हो जायेंगी।

चौथा प्रश्न यह है कि अभी आपने टैरिटोरियल आर्मी को काम में लगाया है। यह इन्दिरा गांधी नहर और फारेस्ट को बढ़ाने का कार्य कर रही है, क्या वह कार्यक्रम और आगे बढ़ायेंगे ?

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2-1 बातें ही कहूंगा। अफ्रीका में जो कुछ हुआ वह आप जानते हैं। उसके बाद भी भारत ने सबक नहीं सीखा। अफ्रीका में जंगल बुरी तरह काटे गये और बरबाद कर दिये गये। उससे भी अधिक तेजी से जंगल भारत में काट दिये गये हैं। इस पर कहने के लिये बहुत सी बातें हैं, लेकिन ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। सरकार सोशल फोरेस्ट्री कर रही है, लेकिन सोशल फारेस्ट्री में कितने पेड़-पौधे लग रहे हैं और कितने नहीं लग रहे हैं वह हम लोगों से जरूर पूछिए जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं। आपके रिकार्ड में करोड़ों पेड़ एक कांस्टीच्यूएंसी में लगाए जाते हैं, जबकि सच्चाई में हजारों पेड़ भी नहीं होते हैं। बाद में बता दिया जाता है कि जानवर चर गये और बाढ़ आने के बाद उसमें बह गये। आप जो सोशल फारेस्ट्री कर रहे हैं, क्या उसका नतीजा लोगों तक पहुंच रहा है ? मानिटरिंग में एम० पीज़ को रखा नहीं जाता है। और जगहों में शायद रखा जाता हो, लेकिन बिहार में एम० पीज़ को रखा नहीं जाता है। आपका करोड़ों रुपया पानी की तरह बह रहा है और ब्यूरोक्रेट्स की जेब में जा रहा है। क्या सरकार इस पर कभी सोचेगी ? मंत्री जी बैठे हैं। बहुत शान्ति और धीरज से इस बारे में सोचें।

मैं बिहार के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां की समस्या बड़ी गम्भीर है। नेपाल से आने वाली नदियों का पानी उत्तरी बिहार को तहस-नहस कर देता है। आप मेरे साथ चल कर देखिए, वहां तबाही मची हुई है। वहां के लोग साल में 6 महीने पानी में अन्दर रहते हैं। वहां की जो हालत है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। दक्षिण बिहार में पानी का भीषण अकाल रहता है। मैं जानता हूं कि उत्तरी बिहार के पानी को दक्षिण बिहार नहीं ले जा सकते हैं। इसके साथ-साथ गंदा पानी उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों में ही है। दक्षिणी बिहार में तो बिलकुल पीने को पानी नहीं मिलता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, हर साल जो नेपाल का पानी आता है, अभी भी आप कहते हैं कि राष्ट्रपति जी नेपाल गए और उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया कि नेपाल से निकलने वाली नदियों को बांधा जायगा जिस से उत्तरी बिहार में बाढ़ न आ

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

सके, यह काम कब तक हो जायगा ? हर साल वहां बाढ़ आती है, सिल्टिंग होती है, जितने पोखर तालाब होते हैं उन सब में गन्दा पानी भर जाता है औ साल भर उसी पानी को मवेशी पीते हैं, आदमी पीते हैं, उसी में नहाते हैं जिस से लोगों को डिसेंट्री, कालरा, मलेरिया या काला-जार हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है ? कभी किसी ने हालत देखी है ? इस तरह की जो हर साल समस्या आती रहती है उनका क्या हल निकाल रहे हैं ? आप की वाटर पालिसी बनेगी, बड़ी अच्छी बात है। आप ने बड़े गर्व से कहा कि हम इक्कीसवीं शताब्दी में ले जा रहे हैं। आप को मैं अपने साथ बिहार ले चलता हूं, वहां चल कर आप देखिए, हम आप को आज भी पांचवीं शताब्दी दिखा देंगे। जैसे अफ्रीका में लोग रहते हैं वैसे ही उत्तरी बिहार के अन्दर लोग रहते हैं। इतनी बुरी हालत वहां है और हम उनको पीने का पानी नहीं दे सकते हैं। हम अपनी कांस्टीच्यूएंसी में जाते हैं तो लोग यह कहते हैं कि हम ने आप को चुना और आप आज आजादी के चालीस साल बाद भी हमें पीने का पानी नहीं दिला सकते ?

जहां जहां ट्यूबवेल लगे हैं वे सिर्फ कागज पर लगे हुए हैं। आप यह कह कर पीछा छुड़ा लेंगे कि यह तो राज्य सरकार का काम है। लेकिन इस से काम नहीं चलेगा। आप उस को मानिटर कीजिए, राज्य सरकारों को कसिए। क्या राज्य सरकारों की हिम्मत है कि आप की बात नहीं मानें ? ट्यूबवेल केवल कागज पर हैं, धरती पर नहीं हैं। गांवों में इतनी तबाही हो जाती है इसकी वजह से कि इसका आप अन्दाज नहीं लगा सके।

तो उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में पीने के पानी का इन्तजाम क्या साल दो साल में भी कर सकेंगे ? फिर वाटर लागिंग जो उत्तरी बिहार में हो जाती है, लो एक परमानैन्ट फीचर है जिस के कारण बीमारी हो जाती है, लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं उस का कोई परमानैन्ट साल्यूशन हो सकेगा ?

तीसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, मैंने सदन में भी कई बार प्रश्न उठाया, माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखे, सिंचाई की जो समस्या है वहां पर वैस्टर्न कोसी कैनाल के काम में इस समय धीमापन आ गया है। क्या वेस्टर्न कोसी कैनाल के काम में तेजी ला सकेंगे ?

अन्त में मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या सचमुच नैपाल से निकने वाली नदियों के लिए नैपाल में डैम्स और रिजर्वायस बन सकेंगे जिस से हम उस तबाही से बच सकें और इतनी बिजली पैदा हो सके कि जिस से नैपाल को भी फायदा हो, हम को भी फायदा हो और हम कम से कम बाढ़ की तबाही से बच सकें ?

माननीय मंत्री जी सोच कर इन सब प्रश्नों का जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनों की कटाई, भूमि कटाव और भूमि गत जल का स्तर नीचे होना तथा पेयजल देश की ज्वलंत समस्यायें हैं। देश में पर्या-वरण के क्षेत्र को हमारे प्रधानमंत्री ने अधिक महत्व दिया है और इस पर गम्भीर विचार किया है।

हम 'वन महोत्सव' मनाते हैं। हमारे वनरोपण, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हैं। वन विभाग में वनरोपण नामक एक अनुभाग है। वहां जिला वन अधिकारी होते हैं। वृक्ष रोपण के लिए वन विभाग द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई जांच की गई है कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरे देश

में प्रत्येक वर्ष कितने वृक्ष लगाए जा रहे हैं, कितने वृक्ष बने रहे हैं और कितने बेकार हुए हैं, वृक्ष उगाने में कितनी लागत आती है। मेरा मतलब है कि वास्तविक रूप से वृक्ष जमीन पर खड़े हों न कि इसको लगाया जाए और फिर इसको छोड़ दिया जाए। इस पहलू पर सरकार को गम्भीर विचार करने की आवश्यकता है। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा कि इसके लिए राज्यों को प्रयास करना है। जी नहीं, राष्ट्र को प्रयास करना है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के इस प्रयोजन के लिए करोड़ों रुपए दे रही है। इसलिए, राज्यों का दायित्व है कि वे केन्द्र सरकार को यह बतायें कि जो धन उन्हें वनरोपण के लिए दिया गया है उसका क्या हुआ। केन्द्रीय सरकार मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती और प्रत्येक वर्ष राज्यों को करोड़ों रुपया दे तथा यह न जाने कि क्या उस राशि से कोई लाभ हुआ है जो इस प्रयोजन के लिए दिया गया था।

दूसरी बात यह है कि चूंकि वन विभाग में दो विभाग-वनरोपण विभाग और नियमित विभाग है हमें यह जानना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष कितने क्यूबिक फीट वृक्षों को काटा जा रहा है और क्या वृक्षों को लगाया जा रहा है और वे बने रहते हैं अन्यथा कुछ वर्षों के बाद हमारे पास कोई वन नहीं होगा। मैं समझता हूं कि भावी पीढ़ी को एक विशेष स्थान में यह देखने के लिए जाना होगा कि वन क्या है, क्योंकि वन कटाई की दर वनरोपण की आपेक्षा अधिक है। वृक्ष हमारी मूल आवश्यकतायें हैं। ऐसा नहीं है कि जहां मंत्री, कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जायेंगे और कुछ वृक्ष लगायें और उसके साथ सन्तुष्ट हों वहां हम कोई समारोह मनायें हालांकि यह आवश्यक है, आवश्यकता इस बात की है कि इस बात की जानकारी करायी जाए और इसका कार्यान्वयन हो। इसे केवल सरकार को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि यह एक जन आंदोलन होना चाहिए। इसमें लोगों को लगाया जाना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि इन वृक्षों को उनके लिए लगा जा रहा है और उन्हें इसकी देखभाल करनी होगी। उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। जब तक यह जन आंदोलन नहीं बनता, मैं समझता हूं कि तब तक यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा।

पहले ब्रिटिश शासन के दौरान यदि किसी विशेष स्थान पर किसी वृक्ष को काटा जाता था तो न केवल उस ठेकेदार के विरूद्ध जिसने उस स्थान के पास पट्टा लिया हो, कार्यवाही होती थी बल्कि गांव वालों को भी नहीं छोड़ा जाता था। परन्तु अब क्या हो रहा है? निहित स्वार्थ लोगों द्वारा वृक्षों को काटने के लिए गांव वालों का उपयोग किया जा रहा है। उन्हें कुछ अधिक मजदूरी दी जाती है और वृक्ष काटे जा रहे हैं तथा दिन दहाड़े उन्हें हटाया जाता है। मेरे राज्य उड़ीसा में यदि आंकड़े लिए जायें तो व्यवहारिक रूप से कोई वन नहीं है। वृक्षों को काटा जा रहा है। रोज इमारती लकड़ी को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह क्या कदम उठाने जा रहे है।

दूसरी बात माननीय मंत्री ने पेयजल के बारे में कही है। उन्होंने समस्या ग्रस्त गांवों का उल्लेख किया है। समस्यग्रस्त गांवों का मतलब स्वास्थ्य के लिए घातक गांवों से है परन्तु वह पर्याप्त नहीं होगा। पेयजल की न केवल समस्याग्रस्त गांवों में सप्लाई की जानी चाहिए बल्कि जल की कमी वाले सभी गांवों में भी इसकी सप्लाई की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार को राज्य सरकारों को केवल समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कहना चाहिए। जल की कमी वाले गांवों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें भी पेयजल दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, विभिन्न देशों में भूमि संरक्षण को सबसे अधिक महत्त्व

[श्री सोमनाथ रथ]

दिया जाता है। माननीय मंत्री ने उत्तर देते समय भूमि संरक्षण और जल इकट्ठा करने के बारे में कहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार भूमि संरक्षण के लिए 'वाटर शेड' के निर्माण पर अधिक बल दे रही है। अन्यथा इसे जल उपयाने शेड कहा जाता है। यह तीन तरीके से हमारी सहायता करता है। यह भूमि कटाव को रोकेगा। यह शुष्क भूमि की सिंचाई में भी मदद करेगा और यह भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि करेगा। इसलिए मैं मंत्रीजी से सदन को उन कदमों को उठाने के बारे में जानकारी देने के लिए अनुरोध करता हूं जो सरकार द्वारा पूरे देश में 'वाटर शेड' के निर्माण के लिए उठाए जायेंगे।

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, उपलब्ध थोड़े समय में मैं उन बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा जिन्हें माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए हैं। सामान्यतया सदस्य वन कटाई के बारे में पूछ रहे हैं। चाहे यह वृक्ष लगाने या वन लगाने का हो, प्रश्न वन के बारे में है और उन्होंने वन की बढ़ती हुई कमी के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। दूसरी बात, जिससे सदस्य चिन्तित है, पेयजल की सप्लाई के बारे में है। मैंने अपने मुख्य उत्तर में इनको बताने की कोशिश की थी परन्तु अभी भी मैं पेयजल की सप्लाई के सन्दर्भ में इसको बताना चाहता हूं। सातवीं योजना की नीति के बारे में, मैंने पहले ही आंकड़े दे दिये हैं। सातवीं योजना में पूरे देश को, शत प्रतिशत ग्रामीण लोगों के, पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था की नीति है। यह नीति। मैंने इस प्रयोजन के लिए वन की व्यवस्था के बारे में आंकड़े भी दिए हैं। छठी योजना से सातवीं योजना तक समस्या गांवों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है जहां जल व्यर्थ जाता है। एक माननीय सदस्य ने समस्या गांवों के बारे में ही नहीं बल्कि ऐसे गांवों के बारे में भी पूछा है जहां जल की कमी है। जल की कमी वाले गांवों को भी समस्या गांवों के रूप में समझा जाना चाहिए और उस जनसंख्या को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ले लिया जाएगा। महोदय, प्रश्न यह है कि उसे किस प्रकार से किया जाए। एक तरफ तो संसाधनों की कमी है। दूसरी ओर, वर्षों से जलस्तर धीरे-धीरे गिरने के कारण योजनावार समस्या गांवों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा हो रहा है। अत: हमें पता लगाना होगा कि समूची ग्रामीण जनता के लिए किस प्रकार से पेयजल की व्यवस्था की जाये। और जब कि योजना अवधि के दौरान संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता कम है। इस मांग को किस प्रकार से पूरा किया जाए। समस्त जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम लागत की पूंजी प्रधान क्षेत्रीय पाइप जल के विकल्प के रूप में योजना सरकार के अनुसार अनिवार्य है। महोदय उसके लिये हमें ऐसा समाधान ढूंढना होगा जो किफायती हो और जो स्थानीय आवश्यकताओं तथा स्थिति के अनुरूप हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री की मंजूरी से गांवों में पेयजल और सम्बन्धित जल प्रबन्ध' सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य विभिन्न समस्यात्मक क्षेत्रों का पता लगाना, उपयुक्त कम लागत की प्रौद्योगिकी का विकास करना जिससे क्षेत्र में इसे लागू करने से इन समस्याओं को दूर किया जाये। प्रौद्योगिकी विकास की मुख्य बात फ्लूराइड, लवणता और खारापन, लोह और जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी मिलावट को कम लागत से जल शोधन करना होगा, जिससे उचित रूप में दुबारा से भरकर और बहते हुए पानी को इकट्ठा करके तथा परम्परागत ढंग से जल के एकत्र करने के साधनों का विकास करके भूमिगत जल की स्थिति में सुधार किया जा सके।

यदि मुझे याद है तो दूसरे सदस्य, जो बिहार से आये हैं, ने पेयजल सप्लाई योजना पर नजर रखने और इसमें संसद सदस्यों को शामिल करने के बारे में पूछा है। महोदय, त्वरित ग्रामीण

जल प्रदाय कार्यालय के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए शुरू हो गई योजनाओं को राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को तकनीकी जांच और इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है। इसकी मंजूरी के बाद इन योजनाओं को तकनीकी दृष्टि से जांच की जाती है और राज्य सरकार से मासिक तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करके प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। माननीय सदस्य की शिकायत भ्रष्टाचार के बारे में है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : वहां पर ट्यूबवैल हैं ही नहीं।

श्री बी० शंकरानन्द : आप भ्रष्टाचार पर विस्तार से बोले हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : हां।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं नहीं जानता, मैं भ्रष्टाचार के कार्यकलापों तक सीमित नहीं रहूंगा, किन्तु सरकार की यह नीति सुनिश्चित करने की रही है कि सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या इस कार्यक्रम के तहत आये। और इसलिए मैंने आंकड़े भी बताये हैं। श्रीमान्, इस तथ्य के बावजूद भी कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए धन उपलब्ध कराया गया है, तो भी उनको जल नहीं मिलता है। यह देखना कि धन लोगों के लिए उपयुक्त ढंग से खर्च किया जाए, सिर्फ सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है किन्तु यह हम सब की जिम्मेवारी है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : किन्तु कृपया हमें बतायें कि क्या करना है। कोई भी हमारी बात नहीं सुनता है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं अब कह सकता हूं कि राज्य स्तर पर विभिन्न तकनीकी संगठनों जैसे क्षेत्रीय इंजनीयरिंग महाविद्यालयों, पॉलीटैकनिक्स और इसी तरह की दूसरी तकनीकी संस्थाओं को शामिल करते हुये पेय जल पूर्ति कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। और सरकार ऐसे किसी दूसरे उचित प्रस्ताव पर भी गौर करेगी। जो माननीय सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए पेश करेंगे कि ग्रामीण लोगों को पीने के जल की पूर्ति करने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लागू किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास एकमात्र समाधान उत्तर तथा दक्षिण की नदियों को मिलाने का है। अन्यथा यह संभव नहीं है। केवल यही एकमात्र समाधान है। कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है। जब कभी जल फालतू होता है तो हम इसे इककठा कर सकते हैं। हम भूमि जल के संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते।

जब तक हम जल संसाधनों को एकत्रित नहीं करते तो हमें पीने का जल कैसे मिलेगा? यहां पर बाढ़ आती है और दक्षिण में सूखा पड़ता है। निःसन्देह, इस काम पर बहुत पैसा लगेगा। किन्तु भारत के लिए यह एक मात्र समाधान है। हमें जल को बचाना होगा। जितना भी वर्षा का जल पड़ता है, हर हालत में इसे सुरक्षित रखना होगा।

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमान् माननीय सदस्य ने राजस्थान नहर के क्षेत्र में पीने के जल के प्रबन्ध के बारे में पूछा है। राजस्थान नहर क्षेत्र में पीने की जल की आपूर्ति तथा औद्योगिक उपयोग के लिए लगभग 1200 क्यूमक जल उपलब्ध कराया गया है। यह नहर की सम्पूर्ण उपयोग क्षमता में से है। यह पीने के जल के लिए उपलब्ध कराया गया है। जल प्रबन्ध के लिए आधुनिकीकरण करने के पश्चात् पीने के जल तथा औद्योगिक उपयोग के लिए राजस्थान नहर की क्षमता 1200 क्यूसेक से बढ़कर 1800 क्यूसेक हो जायेगी।

[श्री बी० शंकरानन्द]

श्रीमान, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि यदि हम सूखे तथा बाढ़ की समास्या का समाधान कर सकते हैं तो शायद देश की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं उनसे सहमत हूं। और हमें उसके लिए प्रयास करना है।

जहां तक विशेष सहायता का संबंध है, किसी भी राज्य की किसी भी सिंचाई परियोजना के लिए सातवीं योजना में किसी केन्द्रीय सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है। सामान्यतौर पर, राज्य ही उनकी परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराते हैं तथा उन्हें लागू करते हैं। निस्सन्देह, ऐसे कार्यक्रमों के लिए, माननीय सदस्य, विश्व बैंक से प्राप्त की जाने वाली सहायता का जिक्र कर सकते हैं। इस संबंध में मैं कह सकता हूं कि योजना उपबंधों के तहत किसी भी परियोजना के लिए जो कुछ भी आवश्यक सहायता है उसको प्रदान करने के लिए केन्द्र पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि, जैसा कि मैं कह सकता हूं, हम परियोजनावार धन प्रदान नहीं करते हैं। केन्द्रीय सहायता, अनुदान और वो सभी चीजें जो दी गयी हैं, परियोजनावार नहीं दी जाती।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : इन्दिरा गांधी नहर के लिए छठी योजना में 40 करोड़ रूपये की विशेष सहायता दी गयी है।

श्री बी० शंकरानन्द : किन्तु सातवीं योजना में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। यह सब कुछ मैंने आपको बताया है।

जहां तक वनरोपण का संबंध है, मैं सहमत हूं कि भूमि संरक्षण अतिआवश्यक है। जल-द्विभाजक प्रबंध कार्यक्रमों में भूमि संरक्षण के संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि आवश्यकतानुसार ये कार्यक्रम हर प्रकार की भूमि को सम्मिलित करते हैं। इन्जीनियरिंग संरचनाओं का निर्माण उदाहरण के तौर पर भूमि कटाव नियंत्रण, भंडारण और जल उपयोग भी भूमि कटाव को रोकने में सहायता करते हैं। केन्द्र तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित दोनों प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर छठी योजना के अन्त तक लागू किए गए भूमि संरक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा और सातवीं योजना के लिए प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष 1984-85 तक 1212.29 करोड़ रुपये के खर्चे के साथ वास्तविक उपलब्धि 29.38 मीलीयन हैक्टेयर है। सातवीं योजना के अधीन 6.75 मीलीयन हैक्टेयर का लक्ष्य है और 740.39 करोड़ रुपये खर्च निर्धारित किया गया है। वर्ष 1985-86 के लिए 139.35 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1.10 मीलीयन हैक्टेयर का लक्ष्य था और 1.08 मीलीयन हैक्टेयर की उपलब्धि हुयी। और वर्तमान वर्ष के लिए 157.08 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 0.74 मीलीयन हैक्टेयर का वास्तविक लक्ष्य है।

वनरोपण के संबंध में, जैसे कि मैंने कहा है, सरकारी अभिलेख के अनुसार इस देश में सम्पूर्ण वन क्षेत्र 75 मीलीयन हैक्टेयर है जो सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 23 प्रतिशत है। हालांकि, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, नैशनल रिमोट सेन्सिग ऐजंसी ने बताया है कि वास्तविक वन क्षेत्र इससे बहुत कम है। यद्यपि कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है फिर भी प्राकृतिक झरनों का सूखना मिट्टी का जमाव और भूमि के कटाव का कारण वनों की कटाई है। इसके लिए जो उपाय किये गये हैं। हर वर्ष 50 लाख हैक्टेयर में पेड़ लगाने के लिए एक राष्ट्रीय परती भूमि विकास मंडल की स्थापना की गयी है।

वन भूमि का गैर वाननिकीय उद्देश्यों में परिवर्तन न होने देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को कठोरता से लागू किया जा रहा है।

ऐच्छिक संस्थाओं और स्थानीय समुदाय को सम्मिलित करते हुये वनरोपण और पुनः पौधरोपण के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं।

अगर माननीय सभा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को जानने की इच्छुक है तो मैं उनका भी जिक्र कर सकता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : वे इच्छुक हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : जल (प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक केन्द्रीय मंडल स्थापित किया गया है। अब तक राज्य स्तर पर 18 राज्यों ने भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल स्थापित किये हैं।

इस अधिनियम के उपबंधों के तहत, प्रदूण उद्योगों के लिए बहिःस्राव मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं और इन मापदण्डों का कठोरता से पालन करने के लिए उद्योगों को निर्देश दे दिये गये हैं।

उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रक उपकरण स्थापित करने के लिए कहा गया है और दोषी उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपकरणों पर बढ़ी हुई मूल्य ह्रास छूट के रूप में 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय संस्थायें भी घटायी हुयी ब्याज दर ऋण देती हैं।

बड़ी नदियों के सम्बन्ध में उनके पूर्वनिर्दिष्ट अधिकतम उपयोग के लिए मन्डलन तथा नदी फैलाव का वर्गीकरण कर दिया गया है।

नदियों के संबंध में थाल वार सर्वेक्षण किये गये हैं। ऐसे व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर गंगा एक्शन योजना प्रारंभ की गयी है।

बड़े और मध्यम क्षेत्र के 4054 प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग में से 2076 इकाईयों ने अब तक बहिःस्राव निरूपण सयंत्र संस्थापित किये हैं। सरकार इन विभिन्न उपायों को सदन में उठाये गये मुद्दों के संबंध लागू कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.38 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 7 अगस्त, 1986/
16 श्रावण, 1908 (शक) के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित